

DCWC Newsclip

Vol XXII

Issue 07

July 2016



2016

Documentation Centre on Women and Children (DCWC)
National Institute of Public Cooperation
and Child Development (NIPCCD)
5, Siri Institutional Area, Hauz Khas
New Delhi - 110016

DCWC Newsclip

About the Document

DCWC receives about 23 newspapers (including 9 Hindi newspapers) published from different regions of the country. Important news items, including various schemes and programmes of Government of India focusing on women and children issues are picked and arranged subjectwise under broad heads and sub-heads. These are collated monthly as `DCWC Newsclip`. Its digital version is posted on the NIPCCD website (www.nipccd.nic.in) on the slot dedicated for Documentation Centre on Women and Children for reference of readers.

CONTENTS

Page No.

Subject

1. Child Welfare

- 1.1 Child Protection (Missing Children/ Trafficking/UNICEF Report/ Fair Chance/ Child Beggary/ Girl 1
- 1.2 **Role of VOs/Statutory Bodies**
- 1.3 Education/Education System/Inclusive Education (New Education Policy/ 'Swayam' app/ Quality Education/CBSE/Accessible India/ School Safety Programme/ Admission Guidelines/ Educational App/ Disability/ Online Courses/ Parents Interface/ Physical Punishment) 9
- 1.4 Girl Child/Child Sex Ratio ('Fair Start'/ UNICEF Report/ Girls Discrimination/ Girls Leaders/ Girl Child Protection/ Child Marriage/ Beti Bachao Beti Padhao/ Girls Nameplate/ Improved Ratio) 22
- 1.5 Child Important issues (Gifted Child/ Visually Challenged Kid/ Child Investment) 30

2. Health and Nutrition issues

- 2.1 Child/Adolescent Health/SDGs/Milestones/Vaccine (Quality of Vaccines/ Global Hunger Index/ Child Memory/Weak Bones/ Diarrhoea Control/ Diarrhoea Prevention/ ORS Counter/ Diarrhoea Deaths/Yaws Free India/WHO/ Tetanus Free India/ Tinnitus/ Safety from Dengue/ Vitamin D Effect/ Non Communicable Diseases/Hepatitis Day) 32
- 2.2 Mental Health/ Behavior Problems/Autism (Insomnia/ Depression) 45
- 2.3 Nutrition/ Dietary patterns/Infant feeding/Obesity (WHO Alert/Packed Food, HFSS/ 'Fat Tax'/ Child Malnutrition Deaths/Poshan Niti/UNICEF Report/ FSSAI/ School Canteens/ Overweight/ Mother's Milk Bank/ Food Consumption/ Stunted Growth/Exclusive Breastfeeding/Mental Growth) 46
- 2.4 Women Health/Reproductive Health /HIV (Stress Level/ Women Cancer/ National Behavioural Survey/Women Infertility/PCOS/Global AIDS Study/Lifestyle Disorders/ PLHIV/ Breast Cancer) 58
- 2.5 Health and Nutrition-Miscellaneous issues (Diabetes diagnosis/ Healthy Foods/ Dengue Medicine/ Kala-Azar Elimination/ Oral Cancer/World Population Day/Cancer Grid/World Hepatitis Day) 63

3. Women/Gender issues

- 3.1 Women Empowerment/Working Women/Women Leadership, etc. (Maternity Leave/Women in Defense/ Sexual Harassment/ Equal Remuneration/ Decision Making) 70
- 3.2 Marriage/Divorce/Dowry (Second Marriage/ Dependents/ Marital Rape/ NCW) 74
- 3.3 Violence and Crime against Women/Rape/Domestic Violence (Gender Biased Development/ Rape Cases/ DCW/Rule of Abortion) 75
- 3.4 Women in difficult Circumstances/ Trafficking (NRI Marriages/ Distressed Women) 77
- 3.5 Women Safety/Support Services /Helpline (Police Services/ Military Leadership/ Combat Services/ Gender Issues/ Cyber Cell/ Online Harassment/Mahila Thana/ National Policy for Women/ STF Move/ One Stop Centre/ Nirbhaya Fund/ Skill Development Courses) 79
- 3.6 Women- Miscellaneous issues (Financial Planning/ Women Merchant Navy/Award) 89

4. Demography and Vital Statistics

4.1	Census Data/Evaluation Reports (SDG/Global Under Five Mortality Rate/ Population Control / TFR/ NFHS4/Fertility Rate/School Dropouts/ Health Workers/ Health Workforce/ Population Decline)	90
4.2	Birth Rate/ Mortality Rate/ Morbidity Rate/ IMR/MMR (Economic Consequences/ UNICEF/ Improved Sex Ratio/ Stunted Growth/ Non-Institutional Deliveries)	97
4.3	Demography/ Vital Statistics/ Birth Registration/ NCRB Statistics (National Population Stabilization/ Safe Abortion/ Contraception Methods/ Toilet Construction/ Swachh India Campaign/ Adoption Rate/ CARA/ Drug Addiction/ Missing Children)	100

5. Schemes/ Programmes relating to Women and Children

5.1	Schemes/ Programmes /ICDS/ Mid Day Meal (Mudra Scheme/ Women Beneficiaries/ Family Planning/ Surakshit Matritva Yojana/ Health Scheme/ Girl Child Scheme/ Ladli/ Swarn Jayanti Bal Doodh Yojana/ MDM Scheme)	105
5.2	Policies (Children's Helmet/ Motor Vehicle/ Fundamental Rights)	110
5.3	Legislation/Bills/ Court Orders/ POCSO (Sex Determination Ads/ Child Right Protection/ POCSO in States/ Sexual Harassment/ Child Labour Bill/ Women in Territorial Army/ Medical Termination/ Abortion/ Rape Survivor/ Domestic Violence)	112
5.4	Budget Allocation/Funding (MGNREGA Wages)	117
5.5	Schemes - Miscellaneous (<i>Jan Dhan Yojana/ Stand Up Scheme/ Divyang Orphan/ Pension Scheme</i>)	118

Source

<i>Amar Ujala(H)</i>	<i>Deccan Herald</i>	<i>Indian Express</i>	<i>Rashtriya Sahara (H)</i>
<i>Asian Age</i>	<i>Economic Times</i>	<i>Jansatta (H)</i>	<i>Statesman</i>
<i>Assam Tribune</i>	<i>Free Press Journal</i>	<i>Lok Panchayat (H)</i>	<i>Times of India</i>
<i>Dainik Jagran (H)</i>	<i>The Hindu</i>	<i>The Pioneer</i>	
<i>Dainik Tribune (H)</i>	<i>Hindustan (H)</i>	<i>Punjab Kesari (H)</i>	
<i>Deccan Chronicle</i>	<i>Hindustan Times</i>	<i>Rajasthan Patrika (H)</i>	

1. Child Welfare

1.1 Child Protection (Missing Children/ Trafficking/UNICEF Report/ Fair Chance/ Child Beggary/ Girl Child Adoption/ Child Labour/ Child Labour Bill)

दिल्ली में 3715 लड़कियां और 2493 लड़के गुमशुदा

देह व्यापार या नौकरानी बनाने के लिए किया जाता है
लड़कियों को अगवा

नई दिल्ली, 4 जुलाई (भाषा)। राजधानी दिल्ली में लापता होने वाले 12 से 18 साल की उम्र के बच्चों में ज्यादातर लड़कियां होती हैं। इनमें से अधिकतर को जबरदस्ती देह व्यापार के दलदल में धकेल दिया जाता है या घरेलू नौकर का पर काम करने के लिए मजबूर किया जाता है। यह खुलासा एक सर्वेक्षण में हुआ है। बच्चों के लिए काम करने वाले संगठन 'क्राई' और मानवाधिकार संगठन 'एपीआर' की ओर से संयुक्त रूप से कराए गए सर्वेक्षण में कहा गया कि पिछले साल उक्त आयुवर्ग में 3715 लड़कियां लापता हो गई थी जबकि लड़कों की संख्या 2493 रही। सर्वेक्षण के मुताबिक, पुलिस लड़कियों के लापता होने पर अक्सर शादी के लिए भाग जाने की वजह का हवाला देती है लेकिन बचाई गई बच्चियों से मिली प्रतिक्रिया किसी और नतीजे पर पहुंचाती है। सर्वेक्षण कहता है, 'किशोरियों का अपहरण किया जाता है और उन्हें देह व्यापार में धकेला जाता है, शादी करा दी जाती है या घरेलू सेविकाओं के तौर पर काम

सर्वेक्षण की रिपोर्ट

पुलिस लड़कियों के लापता होने पर अक्सर शादी के लिए भाग जाने की वजह का हवाला देती है लेकिन बचाई गई बच्चियों से मिली प्रतिक्रिया किसी और नतीजे पर पहुंचाती है

करने के लिए मजबूर किया जाता है।' क्राई की जया सिंह ने कहा, 'खुद भाग जाने वाली लड़कियों की संख्या कम है। हालांकि पुलिस अपनी जिम्मेदारी से बचने के लिए यह वजह बताती है।' लड़कों को तरजीह दिए जाने की प्रवृत्ति की वजह से 0-8 साल के आयुवर्ग में लड़कियों की तुलना में लड़के अधिक लापता होते हैं। पिछले साल इस आयुवर्ग के 453 लड़के लापता थे जबकि गुमशुदा लड़कियों की संख्या 352 रही। सिंह ने कहा, 'इस आयुवर्ग में बच्चों का अपहरण अधिकतर अवैध तरीके से गोद लेने के लिए किया जाता है।'

लापता बच्चों की सुध नहीं सरकार को

दिल्ली में आए दिन लापता हो रहे बच्चों की तलाश सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। ये बातें चाइल्ड राइट्स एंड यू (क्राई) और अलायंस फॉर पीपुल्स राइट्स (एपीआर) की एक जन सुनवाई में अभिभावकों ने कही। अभिभावकों ने इस समस्या पर अधिक ध्यान दिए जाने की मांग की। जन सुनवाई में तेजी से बढ़ रही इस समस्या को समझने और दूर करने के लिए लापता बच्चों के माता-पिता और संबद्ध संस्थाओं के बीच परामर्श किया गया इस जन सुनवाई का मकसद राजधानी में लापता बच्चों की बढ़ती संख्या के जिम्मेदार कारकों को समझने और उनकी तलाश की राह में आने वाली चुनौतियों और समस्याओं को सामने लाना था। दिल्ली से लापता बच्चों के अभिभावकों ने नेशनल कमिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड

अभिभावकों ने की समस्या पर अधिक ध्यान दिए जाने की मांग

राइट्स (एनसीपीसीआर), इंटिग्रेटेड चाइल्ड प्रोटेक्शन स्कीम और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के पैनल के सामने अपने मामले पेश किए। एनसीपीसीआर की सदस्य नीना नायक ने कहा कि जब कोई बच्चा लापता होता है तो बाल सुरक्षा के सभी हितभागियों को प्राथमिकता के आधार पर सजग व सक्रिय हो जाना चाहिए। यह काम पूरी प्रतिबद्धता से होना चाहिए। इसके लिए राज्य के सभी बाल सुरक्षा प्राधिकारियों के बीच समन्वय होना भी जरूरी है। जन सुनवाई के दौरान दिल्ली में लापता बच्चों की स्थिति पर एक रिपोर्ट भी जारी की गई।

Jansatta (H), July 5, 2016, P. 3
(Missing Children/ Trafficking)

SURVEY: NUMBER OF MISSING CHILDREN INCREASING

TEENAGE GIRLS FORCED INTO PROSTITUTION, CHILD MARRIAGE

STATESMAN NEWS SERVICE
New Delhi, 4 July

A survey, jointly conducted by child rights organization Child Rights and You (CRY) and human rights group Alliance for People's Rights (APR), has found that the number of missing children gets higher every year.

The teenage girls who either went missing or were kidnapped in the year 2015 were forced into prostitution, child marriages and domestic help.

"A close observation to this issue illustrates that factors behind a large number of missing children in Delhi area due to kidnapping or human trafficking for the flesh trade, organ extraction, child labour, begging, ransom and others," claimed the members of the organisation.

An RTI reply which the NGO got from police revealed that Outer Delhi district reported the maximum number of missing cases.

Last year, for instance, 1,583 children went missing from the region as compared to 784 in southwest Delhi, 672 in West Delhi and 428 in North Delhi.

In an effort to highlight the



Due to preference for male child, more boys in the age group of 0-8 go missing as compared to girls. 453 boys were reported missing last year against 352 girls in the age band

issue of increasing number in the case of missing children in capital CRY and APR organised a day long public hearing and consultation between parents of missing children and relevant stakeholders to understand and address this ever growing issue in detail.

The objective of this public hearing was to understand the trends for increasing number in the state, reasons, challenges and difficulties faced during the search for missing children.

In the year 2015 female children within the age group of 12-18 years are higher than the male children around 3,715 girls have been missing as compare to 2493 of boys.

In the year 2015 a total of 5,758 children were also traced.

According to Delhi Police, between 2014 and 2016 more than 200 girls were rescued from human traffickers.

There were different reasons behind the children going missing in many cases children went outside to play and never returned, some went to school and goes missing and in some cases children went outside for toilet and never returned.

NGO have found that due to lack of awareness among communities children are targeted easily by abductors or kidnappers.

Sanjeev Jain from Delhi State Legal Services Authority, who were there at the con-

sultation claimed that parents should update their children photographs.

"In many cases, parents did not have new photos of their children which results in some problems in tracing so parents should update their children photograph," said Mr Jain.

On the other hand, Harsh Kalra from Delhi Dialogue Commission focussed on integrated system and sensitization on the issue of missing children.

Due to preference for male child, more boys in the age group of 0-8 go missing as compared to girls. 453 boys were reported missing last year against 352 girls in the age band, the survey said.

"There should be a specific timeline for the police and government authorities to locate and reintegrate these children with their families. Even for children who have been recovered there is no specific individual care plan for their appropriate and meaningful rehabilitation. Also, action is often not taken against the perpetrators who are believed to be involved with organized gang", said Subhendu Bhattacharjee, General Manager - Development Support, CRY.

The Statesman, July 5, 2016, P. 2
(Missing Children/ Survey)

हाशिये पर बच्चों का भविष्य

यूनिसेफ की जारी हुई ताजा रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है कि विभिन्न तरह के संक्रमणों के कारण पिछले साल में दुनिया के 10 लाख नवजात शिशुओं ने जन्म लेते ही दम तोड़ दिया। रिपोर्ट के अनुसार इनमें से पांच वर्ष से कम आयु वाले 59 लाख बच्चों में से करीब आधे ऐसी बीमारियों का ग्रास बन गए जिन्हें समय रहते एहतियाती उपाय कर रोका जा सकता था, लेकिन सरकारों की उदासीनता के कारण उन्हें बचाया नहीं जा सका

रवि शंकर

दुनिया भर के बच्चों की स्थिति पर यूनिसेफ की ताजा रिपोर्ट जारी हुई है। यह रिपोर्ट बता रही है कि आज बच्चे कितनी विपरीत हालातों का सामना कर रहे हैं। इसमें दिए गए आंकड़े विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों की क्या स्थिति है, उसकी हकीकत बयां कर रहे हैं। ये स्थितियां हैं- बच्चों की अशिक्षा, गरीबी, भुखमरी,



कुपोषण और शोषण की, जो बंद से बदतर होती जा रही हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतरराष्ट्रीय चाल आपातकालीन कोष (यूनिसेफ) की ताजा रिपोर्ट में यह तथ्य सामने आया है कि विभिन्न तरह के संक्रमणों के कारण पिछले साल में दुनिया के 10 लाख नवजात शिशुओं ने जन्म लेते ही दम तोड़ दिया। रिपोर्ट के अनुसार इन बच्चों में से पांच वर्ष से कम आयु वाले 59 लाख बच्चों में से आधे ऐसी बीमारियों का ग्रास बन गए जिन्हें समय रहते एहतियाती उपाय कर रोका जा सकता था। रिपोर्ट में आगाह किया गया है कि अगर इन बीमारियों को रोकथाम नहीं की गई तो 2030 तक इनसे मरने वाले शिशुओं की संख्या बढ़कर छह करोड़ 90 लाख हो जाएगी। यूनिसेफ के अनुसार जो बीमारियां शिशुओं के लिए जानलेवा साबित होंगी उनमें निमोनिया, डायरिया, मलेरिया, मस्तिष्क ज्वर, टेटनेस और चेचक प्रमुख होंगे। रिपोर्ट के अनुसार पूर्वी तथा दक्षिणी अफ्रीका, मध्य अफ्रीका तथा दक्षिण और पश्चिमी एशियाई क्षेत्र में पांच साल से कम आयु के शिशुओं की मौत का मुख्य कारण निमोनिया और डायरिया जैसी बीमारियां रही हैं। इन बीमारियों से मरने वाले बच्चे ज्यादातर गरीब तबके के रहे हैं।

वहीं रिपोर्ट में बताया गया है कि देश में शिक्षा का अधिकार कानून और सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद स्कूलों में दाखिला लेने वालों में से 60 प्रतिशत छात्र तीसरी कक्षा पास करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं। इनमें से ज्यादातर बच्चे निर्धन एवं समाज के कमजोर वर्गों के हैं। उत्तर प्रदेश में यह संख्या 16 लाख है। करीब 18.3 प्रतिशत लड़कियां पांचवीं तक की पढ़ाई पूरी होने से पहले स्कूल जाना बंद कर देती हैं। वहीं 47 प्रतिशत लड़कियां दसवीं से पहले पढ़ाई छोड़ देती हैं। तमाम कोशिशों के बाद भी स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में सरकार के सामने चुनौतियां कम नहीं हो रही हैं। यह ठीक है कि सर्व शिक्षा अभियान और वर्ष 2009 में शिक्षा का अधिकार कानून आने से देश में शिक्षा की स्थिति में काफी परिवर्तन आया है। छह से 13 साल की उम्र के स्कूल नहीं जाने वाले छात्रों की संख्या वर्ष 2009 में 80 लाख से घटकर वर्तमान में छह लाख रह गई है, लेकिन अभी भी इस क्षेत्र में ढेरों चुनौतियां मौजूद हैं। यूनिसेफ ने सरकार से नई शिक्षा नीति में प्री-स्कूल शिक्षा को शामिल करने और आठवीं के बजाय

दसवीं तक निर्बाध शिक्षा का प्रावधान करने की सिफारिश की है। यूनिसेफ का कहना है कि आर्थिक तंगी के



कारण 2030 तक 16 करोड़ 70 लाख शिशु बेहद गरीबी की हालत में जीने को मजबूर होंगे। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार दक्षिण एशिया में केवल शिशु मृत्यु दर ही नहीं, बल्कि नवजातों की मृत्यु दर भी दुनिया के अन्य क्षेत्रों की अपेक्षा काफी ज्यादा है। समय के साथ शिशु मृत्यु दर के मामले एक क्षेत्र विशेष में केंद्रित होते जा रहे हैं। साल 2015 में जहां 80 प्रतिशत ऐसे मामले दक्षिण एशिया और सब-सहारा अफ्रीकी क्षेत्र में हुए। इनमें से आधे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इथियोपिया, भारत, नाइजीरिया और पाकिस्तान में देखने को मिले। यूनिसेफ की रिपोर्ट में बंधुआ बाल मजदूरी का विशेष जिक्र करते हुए कहा गया है कि आज के आधुनिक युग में भी यह प्रथा क्रूरतम रूपों में जीवित है। विकसित देशों में भी यह मौजूद है।

रिपोर्ट में ताजा आंकड़ों के हवाले से कहा गया है कि दुनिया में इस समय 15 करोड़ बाल मजदूर हैं। करीब पांच करोड़ 60 लाख बच्चे 2014 में स्कूल की पढ़ाई बीच में ही छोड़ गए। हर साल 18 वर्ष से कम आयु की एक करोड़ 50 लाख बच्चियों का जबरन विवाह किया जा रहा है। शारीरिक रूप से अक्षम लाखों बच्चे अपनी इस स्थिति के कारण हाशिये पर जाने को मजबूर हो रहे हैं या फिर शिक्षा से वंचित किए जा रहे हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि

समाज के हाशिये पर जीने वाले लाखों अर्ध-अप्रवासियों के साथ उनके बच्चे भी मानव तस्करी या फिर जबरन घरेलू श्रम या देह व्यापार में धकेले जा रहे हैं। अशांत क्षेत्रों में बच्चों के हाथों में खिलौनों की जगह बंदूकें पकड़ाई जा रही हैं, जबकि बच्चियों को सिगरेट के एक पैकेट की कीमत से भी कम दाम पर बेचा जा रहा है। ऐसे क्षेत्रों में तीन करोड़ 70 लाख बच्चे प्राथमिक या माध्यमिक शिक्षा भी पूरी नहीं कर पाते।

यूनिसेफ ने सरकार से अपनी नई शिक्षा नीति में प्री-स्कूल शिक्षा को भी शामिल करने और आठवीं के बजाय दसवीं तक निर्बाध शिक्षा का प्रावधान करने की सिफारिश की है

उल्लेखनीय है कि 2030 तक सतत विकास का जो लक्ष्य रखा गया है उस समय तक प्राथमिक स्कूलों के छह करोड़ से ज्यादा बच्चे अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ चुके होंगे। इनमें से 50 फीसद से ज्यादा अफ्रीका के सब-सहारा क्षेत्र के होंगे। करीब 75 करोड़ बच्चियों की जबरन शादी की जा चुकी होगी। ये हालात बच्चों के भविष्य के लिए बेहद खतरनाक साबित होंगे। रिपोर्ट कहती है कि बच्चों के जन्म लेने के बाद उनके बचने और एक बेहतर जीवन जीने की संभावनाएं बहुत हद तक उनके परिवार की सामाजिक और आर्थिक स्थिति तथा जन्म के हालात पर निर्भर होती हैं।

हालांकि रिपोर्ट में कुछ उजले पक्ष का भी जिक्र करते हुए कहा गया है कि बच्चों को शिक्षा, स्वास्थ्य और गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में काफी

Continue from Pre Page

काम हो रहा है। इसमें विभिन्न रोगों से बचाव के लिए व्यापक टीकाकरण अभियान और स्कूलों में पोषण युक्त आहार उपलब्ध कराने और विषम हालातों में महिलाओं और बच्चों को सुरक्षा और सुविधाएं देने जैसी योजनाएं शामिल हैं। रिपोर्ट में यह भी स्वीकार किया गया है कि जिन देशों में ऐसी योजनाएं शुरू की गई हैं वहां यह पूरी तरह सामाजिक समर्पण के बजाय राजनीतिक प्रतिबद्धताओं के कारण चलाई जा रही है।

बहरहाल यूनिसेफ की इस रिपोर्ट के हवाले से अगर भारत की स्थिति पर नजर डालें तो यहां के हालात भी कम डराने वाले नहीं। नारों, वादों, नीतियों, कार्यक्रमों और अभियानों के लंबे और कमोबेश अंतहीन सिलसिले के बाद अब भी भारत काफी पीछे है। यूनिसेफ की रिपोर्ट के मुताबिक भारत भी उन पांच देशों में शामिल है जहां 2015 में हुई करीब कुल छह करोड़ बाल मौतों में से आधी

मौतें हुई हैं। हालांकि इस सूची में अन्य देश भी शामिल हैं- डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, इथियोपिया, नाइजीरिया और पाकिस्तान, लेकिन ये देश अर्थव्यवस्था और ताकत के मामले में भारत के नजदीक नहीं उठते हैं। फिर भी बीमारियों से होने वाली मौतों में भारत इनके बराबर आ खड़ा हुआ है। बेशक भारत में पिछले दशक में शिशुओं की मौत में कमी आई है, लेकिन अभी भी विश्व-भर में होने वाली मौतों में भारत का हिस्सा बहुत ही ज्यादा है। रिपोर्ट भी यही दिखाती है कि भारत जैसे देश वैश्विक आर्थिक वृद्धि की राह पर तो सरपट दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन बाल मृत्यु दर में कटौती के मामले में पिछड़े हुए हैं।

इसका अर्थ क्या है? जाहिर है, इसका अर्थ यही है कि विकास की डुगडुगी बजाना अलग बात है, विकास के दृश्यों का निर्माण अलग बात है और

विकास को समाज के हर हिस्से तक पहुंचाना अलग बात है। आज भारत जिस विकास का मुकुट सजाए बैठा है, उसके पीछे करोड़ों चीखें दबी हुई हैं। गरीबी, अशिक्षा, भुखमरी, हिंसा और शोषण से धिरे बंचित समाज की चीखें। विडंबना यह है कि भारत में इन समस्याओं से निपटने के लिए सभी जरूरी कार्यक्रम और नीतियां मौजूद हैं, लेकिन इन्हें सही तरह से लागू नहीं किया जा रहा है। स्वास्थ्य, महिला और बाल विकास, शिक्षा और ग्रामीण विकास मंत्रालय इसके लिए अलग-अलग कार्यक्रम चलाते हैं। फिर भी इस समस्या से निपटने में कोई आगे नहीं है और न ही किसी को सीधी जिम्मेदारी है। वहां केंद्र और राज्य सरकारों में तालमेल की कमी भी नीतियों और कार्यक्रमों को लागू करने में सबसे बड़ी बाधा बन रही है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

Dainik Jagran (H), July 6, 2016, P. 9

(UNICEF Report/ Child Development)

गुणात्मक शिक्षा की दरकार

■ अलका आर्य

साल 2011 की जनसंख्या के अनुसार तीन से छह साल तक के 7.4 करोड़ बच्चों में से दो करोड़ प्री-स्कूल नहीं जाते हैं। इस पर हाल ही में यूनिसेफ की जारी द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट-2016 में चिंता जाहिर की गई है। गौरतलब है कि यह रिपोर्ट दुनियाभर में बच्चों को फेयर चंस यानी समुचित अवसर मुहैया कराने पर फोकस है। सतत विकास लक्ष्य की समय सीमा वर्ष 2030 है, इसके लक्ष्यों को हासिल करने और बेहतर भविष्य के लिए प्रगति की रफ्तार तेज करनी होगी। अर्थात् वंचित और साधनहीन बच्चों तक पहुंच के लिए प्रगति की रफ्तार बढ़ानी होगी। इसके ब्रेना साधनहीन और कमजोर बच्चों का भविष्य और साथ ही उनके समाज का भविष्य भी संकट में रहेगा। रिपोर्ट में आशंका व्यक्त की गई है कि बेहतर स्वास्थ्य और शिक्षा के दावों के बावजूद अगले 14 सालों में यानी 2030 तक खराब स्वास्थ्य के कारण 6.9 करोड़ बच्चों की मौत हो सकती है। इसमें कहा गया है कि सब-सहारा अफ्रीका के बच्चों की अमीर मुल्कों के बच्चों की तुलना में अपना पांचवां जन्मदिन मनाने से पहले मरने की आशंका दस गुणा ज्यादा होगी। करीब 75 करोड़ लड़कियों की शादी कम उम्र में होने की आशंका जताई गई है। यूनिसेफ ने चिंता जताते हुए कहा है कि जिन वजहों से मौतें होंगी, उन्हें रोका जा सकता है। कुल बच्चों की मौतों में से 45 प्रतिशत शिशुओं की मौत जन्म के 28 दिन के भीतर होती है। 2015 में यह आंकड़ा था और यह 2000 की अपेक्षा पांच गुणा अधिक है। 2015 में करीब दस लाख बच्चों के जन्म का पहला दिन ही उनका आखिरी दिन था। नवजात शिशुओं की मौत में इस अनुपात में कमी नहीं आ रही, जितनी कि 1-59 माह के बच्चों के आयु वर्ग में। फिर भी 2015 में पांच साल से कम आयु के 59 लाख बच्चों में से आठों की मौत की वजह संक्रामक बीमारियां थीं। जैसे कि निमोनिया, डायरिया, मलेरिया, टेटनेस, चेचक और एड्स आदि। पूर्वी और दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिण एशिया और पश्चिमी तथा मध्य अफ्रीका में पांच साल से कम आयु के बच्चों की मौत की मुख्य वजह निमोनिया और डायरिया ही रहेंगे। सब-सहारा अफ्रीका में पांच साल से कम आयु वर्ग की मौतों में एक तिहाई मौतें नवजात शिशुओं की होती हैं। बीमारियों और मौत का बोझ अक्सर सबसे ज्यादा साधनहीन बच्चों पर होता है। ऐसे क्षेत्रों में जहां कुल बाल मृत्यु दर कम है, वहां नवजात शिशु मृत्यु दर भी अधिक है। दक्षिण एशिया में कुल बाल मौतों की संख्या भी ज्यादा है और उसमें नवजात शिशुओं की मौत का हिस्सा भी काफी अधिक है। 2015 में होने वाली बाल मौतों में से 80 प्रतिशत दक्षिण एशिया और सब-सहारा अफ्रीका में हुई थी और करीब आधी सिर्फ पांच मुल्कों में। जलवायु परिवर्तन भी बच्चों की जिंदगी के खतरों को बढ़ाता है। सतत विकास लक्ष्य सभी लड़कियों और लड़कों को गुणात्मक अरली चाइल्डहुड डेवलपमेंट, केयर और प्री-प्राइमरी एजुकेशन तक पहुंच निश्चित करने की अपील करता है, ताकि 2030 तक वे प्राइमरी शिक्षा के लिए तैयार हो सकें। एक बच्चा प्राइमरी स्कूल में अच्छा प्रदर्शन कर सकता है, अगर उसे प्री प्राइमरी स्कूल में जाने का मौका मिला हो और उसे वहां प्राइमरी की पढ़ाई के लिए अच्छी तरह से तैयार किया गया हो। इंडियन अरली चाइल्डहुड एजुकेशन इंपैक्ट स्टडी-2015 के उभरते साक्ष्य ये दर्शाते हैं कि यदि बच्चों को गुणात्मक शिक्षा मुहैया कराया जाए तो उनकी प्रारंभिक कक्षाओं में सीखने की क्षमता बढ़ने की संभावना रस्ती है। भारत के असम, राजस्थान और तेलंगाना में किया गया अध्ययन बताता है कि पांच साल की उम्र में पढ़ने के लिए तैयार किए बच्चों ने आगे आने वाले सालों में भी अच्छा प्रदर्शन किया। द स्टेट ऑफ द वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट-2016 बताती है कि भारत में 2014 में 80 लाख बच्चे स्कूल नहीं जाते थे जो अब 60 लाख रह गए हैं। यूनिसेफ इंडिया के प्रतिनिधि लुईस जॉर्ज आर्सेनाल्ट भारत में शिक्षा के अधिकार कानून की प्रगति से संतुष्ट हैं, पर उनका मानना है कि बेहतर परिणाम और सतत विकास लक्ष्य-2030 को हासिल करने के लिए मौजूदा व्यवस्था को आगे धकेलने की जरूरत है। विषमता बच्चों से आगे बढ़ने के अवसर छीन लेती है। प्रत्येक बच्चे को समुचित अवसर दिलाने के लिए सरकारों को अपनी नीतियां बदलनी होंगी। उन्हें राजनीतिक प्रतिबद्धताओं पर अमल करना होगा।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)

Dainik Jagran (H), July 6, 2016, P. 9

(Fair Chance/ Child Protection)



The Statesman, July 11, 2016, P. 2
(Begging Operation/ Child Beggary/ Delhi Police)



Hindustan (H), July 20, 2016, P. 2
(Child Beggary/ Child Protection)

SHOCKING
REALITY

Girl child sales remain higher

■ Female baby offers scope for cash

PINTO DEEPAK | DC HYDERABAD, JULY 16

A disproportionately large number of female children continues to be sold, abandoned or relinquished despite strict laws being implemented and awareness being created against the practice, in districts such as Nalgonda, Ranga Reddy and Medak.

The main reasons cited are patriarchal discrimination against the female child, and some communities not wanting more than one girl child apart from economic backwardness.

The government even gives an option to the parents to surrender the child but parents prefer to sell the baby for money instead, officials said.

The number of cases of babies being sold has not increased but more cases are being reported than in the past and there is now awareness among the neighbours of buyers or sellers.

In a recent incident in Ranga Reddy district, a couple had a second female child whom they sold to a close relative.

"In a few communities in Nalgonda, Nizamabad, Ranga Reddy and Medak districts, a third female child is disposed of. The practice is more in these pockets and in tandas," said Ms K.R.S. Laxmi Devi, joint director, women development and child welfare (schemes).

She said other cases of female babies being

TROUBLING DATA

THE GIRL CHILD TOPS IN THE SALES OF BABIES. HERE ARE NUMBERS FROM TELANGANA

MALE	FEMALE	
87	260	Babies that were relinquished, abandoned
47	129	No. of children given for adoption

No of inter-country adoptions

15

(including male and female)

Number of children available for adoption

189

(including male and female)



sold pertained to those born with disabilities or those born before the mother is married.

"In all these cases, parents can approach us and relinquish the child but they prefer selling," said Ms Md Noorjahan, Integrated Child Development Services project director at the Ranga Reddy district.

■ There is an option which allows parents to surrender the baby to a government agency. But families still prefer selling the child

Adoption has become easy

DC CORRESPONDENT HYDERABAD JULY 16

The Centre has also tweaked rules of adoption of children and has made the process available online to make it both transparent and easy for families looking to adopt.

A couple intending to adopt a child can now apply online and this step is followed by an inquiry to check if they meet the required norms.

"Any couple can now apply online with their requirement of age and gender and a team will inquire into their status — and check if they will be able to raise the child. A report will then be submitted to the family court. Based on the availability, the couple gets a child following the court's approval," said Mr Nihal, legal officer, ICDS Ranga Reddy. The couple will be given five children to opt from.

After the couple are handed the child, the kid will be monitored for two years — to check whether its needs are being met by the adoptive parents.

The new online process also makes it easy to relinquish a child by the biological parents.

Any couple who do not want to keep their child can now approach the women and child department and sign an agreement of relinquishment.

"There are safeguards. The couple will get a 60-day grace period if they change their mind and want the child back. After that period, the child will be produced before the Child Welfare Committee and after approvals the details will be put up online for adoption," another ICDS official said.

If a child listed on the Central Adoption Resource Authority's website for adoption is not adopted within 60 days, the child immediately becomes eligible for inter-country adoption.

Deccan Chronicle, July 17, 2016, P. 6
(Child Protection/ Girl Child Adoption)

EIGHT YEAR OLD WORKED FOR FIVE HOURS FOR FIVE RUPEES

11 child labourers rescued

STATESMAN NEWS SERVICE
New Delhi, 27 July

A day after Child Labour (Prohibition and Regulation) Bill was passed from Lok Sabha, 11 child labourers were rescued from Balswa village, Jahangirpuri, in North West Delhi area.

The raid was led by SDM, Model Town, along with Bachpan Bachao Andolan (BBA), officials from North-West Labour department, and also supported by police officers from three police stations.

According to BBA, the children were rescued from four work places, including a bakery, garment factory and steel pipe factory.

All the children are in the age group of 6 to 15 years. They belong to districts in Bihar and UP and have been working in these places for the last three to four months.

"Shackles of slavery can never be stronger than the quest for freedom," said Nobel Laureate Kailash Satyarthi.

Ajit (name changed), covered in



soot, had been laboring four to five hours every day with his elder brother, who is only eight, for only Rs 5 every day. The elder boys were given Rs 2,000 to Rs 3,000 a month for working 8-9 hours.

Sonu, his brother and three other children lived in a single damp room near the bakery.

"Four employers have been arrested and have been asked to pay fines. The SDM ordered the employers to submit the fines within a day, failing which the establishments will be sealed. This raid is significant in the light of the new Child Labour Amendment bill that

the Lok Sabha passed yesterday," said Rakesh Senger from BBA.

According to the changes proposed in this bill, the Schedule of Prohibited Processes and Occupations (also known as the hazardous occupations list) will be reduced to three - mines, inflammable substances and explosives and hazardous processes as per Factories Act 1948 from the current 65 processes and 18 occupations.

Mr Senger claimed they have been contending time and again that this reduction in the Hazardous list will greatly limit the protection that the proposed bill aims to provide to children in the age of 14 to 18 working in exploitative situations such as zari making, beedi making and many more.

"Rescues such as the one today, bolster BBA's argument towards the absolute necessity of maintaining the current Hazardous List. If the Bill becomes a law, children between 14-18 years will be legally allowed to work in the garment unit," said Mr Senger.

The Statesman, July 28, 2016, P. 2

(Child Labour/ Child Rescue)

गुम बच्चों पर हाईकोर्ट ने जताई चिंता

नई दिल्ली (ब्यूरो)। हाईकोर्ट ने केंद्र सरकार को स्पष्ट करने का निर्देश दिया है कि क्या मॉडल मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) लापता बच्चों को देखते हुए किशोर न्याय कानून (जेजे एक्ट) में बदलाव किया है। वहीं, न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति सुनीता भुप्ता की खंडपीठ ने राजधानी में बड़ी तादाद में बच्चों के गुम होने पर चिंता जताई है।

दरअसल किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम 2015, में अधिकारियों को रिपोर्ट करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया है। जेजे एक्ट की



धारा 32 में प्रावधान किया गया है कि किसी भी व्यक्ति या एक पुलिस अधिकारी या एक नर्सिंग होम या अस्पताल को लापता बच्चा जो दिखाई देता है, उसकी चाइल्डलाइन सेवा या नजदीकी पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट की जाए। इसके अलावा 24 घंटे के भीतर बाल कल्याण समिति को रिपोर्ट की जाए। ऐसा न करने पर लापरवाही बरतने वाले व्यक्ति या

अधिकारी को छह माह तक जेल का प्रावधान है।

पिछली सुनवाई में अदालत के समक्ष एंटी ह्यूमन ट्रेफिकिंग यूनिट के उपायुक्त व नोडल अधिकारी राजीव शर्मा ने गुमशुदा बच्चों को लेकर स्टेटस रिपोर्ट दायर की थी।

रिपोर्ट के अनुसार जनवरी 2016 से अभी तक राजधानी में करीब 2,252 बच्चे लापता हुए जिसमें से 1,293 बरामद किए गए। रिपोर्ट में बताया गया कि 2011 में करीब 5,111 बच्चे लापता हुए जिसमें से 4,602 बरामद किए गए। वहीं, 2015 में लापता 7,982 बच्चों में से 5,961 बरामद हुए।

Amar Ujala (H), July 23, 2016, P. 4

(Missing Children/ JJ Act)

CRY disappointed with Child Labour Bill

STATESMAN NEWS SERVICE
New Delhi, 27 July

NGO Child Rights and You (CRY) has expressed its disappointment with the Child Labour Bill, amended by the Parliament after 30 years. According to CRY, the Bill does not protect children from the menace of child labour.

"Yet again, India fails to uphold the rights of all 'non-voting' citizens under 18," mentioned CRY in a Press statement.

"Allowing children to work in family enterprises is likely to have far reaching impli-

cations on children's overall development and health.

In reality, children who combine school with economic roles often work for long hours after school, or may drop out of school temporarily for extended periods of work."

By allowing children to work in family set-up, opens a window for exploitation which comes along with contracting and sub contracting of work. Currently, there is no mechanism to monitor if the child is working for the family enterprise, within the family set up and or after school hours, read

the CRY statement.

It further stated that while the government has assured that list of hazardous occupations and processes for children will be revised, there is no clarity on the basis on which the government will arrive at the new list.

Ministry has not taken efforts to identify hazardous occupations and has taken the current list from the Factories act.

"While the Government has increased the punishment and penalty for the violators, recent data elicits that the rates of prosecution and conviction are shockingly poor," it read.

The Statesman, July 28, 2016, P. 2
(Child Labour/ Child Labour Bill)

1.3 Education/Education System (New Education Policy/ 'Swayam' app/ Quality Education/CBSE/ Accessible India/ School Safety Programme/ Admission Guidelines/ Educational App/ Disability/ Online Courses/ Parents Interface/ Physical Punishment)

खत्म होगी 8वीं तक बच्चों को फेल न करने की नीति

नई शिक्षा नीति **10वीं परीक्षा दो चरणों में**

विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के लिए साझा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम

नई दिल्ली @ पत्रिका

राजस्थानपत्रिका.com

नई शिक्षा नीति के अंतर्गत आठवीं तक के छात्रों को फेल नहीं करने की नीति को खत्म किए जाने की बात कही गई है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने बुधवार को राष्ट्रीय शिक्षा नीति के मसौदे के अहम बिंदु जारी किए। इनमें स्कूलों में छात्रों के सीखने के स्तर पर गंभीर चिंता जताई गई है। मसौदे में कहा गया है कि आठवीं तक बच्चों को फेल नहीं करने की मौजूदा नीति को बदला जाएगा। तर्क दिया गया कि इससे छात्रों के अकादमिक प्रदर्शन पर गंभीर असर पड़ा है। विद्यार्थियों को

छात्रों के अनुत्तीर्ण होने की दर में कमी लाने के लिए गणित, विज्ञान और अंग्रेजी में 10वीं कक्षा की परीक्षा दो चरणों में लेने का सुझाव दिया गया है। इसमें पहला पार्ट उच्च स्तर पर और दूसरा पार्ट निम्न स्तर पर होगा। 10वीं कक्षा के बाद जिन पाठ्यक्रमों या कार्यक्रमों में शामिल होने के लिए विज्ञान, गणित या अंग्रेजी जैसे विषयों की जरूरत नहीं होगी, उनमें शामिल होने के इच्छुक छात्र पार्ट-बी स्तर की परीक्षा का विकल्प चुन सकेंगे।

शिक्षा पर जीडीपी का 6% खर्च की सिफारिश

मसौदे में शिक्षा के क्षेत्र में खर्च को जीडीपी के कम से कम छह फीसदी करने और शीर्ष विदेशी विश्वविद्यालयों को भारत में आने को बढ़ावा देने जैसी बातें भी कही गई हैं। दस्तावेज में

कहा गया है कि भारत में न केवल विदेशी विश्वविद्यालयों को बढ़ावा दिया जाएगा, बल्कि भारतीय संस्थाएं भी विदेशों में अपने कैंपस स्थापित कर सकेंगी।

राष्ट्रीय पाठ्यक्रम तैयार होगा। अन्य विषयों के लिए, जैसे सामाजिक विज्ञान के पाठ्यक्रम का कुछ हिस्सा पूरे देश में एक जैसा रहेगा और बाकी हिस्सा राज्य तय करेंगे।

एड खत्म होनी @ पेज 5

खत्म होगी...

अंग्रेजी को दूसरी भाषा का दर्जा: अंग्रेजी के महत्व को बताते हुए इसे दूसरी भाषा का दर्जा देने की सिफारिश की गई है। व्यापक स्तर पर ओपन ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू करने के लिए अलग से स्वायत्त संस्थान शुरू करने की सिफारिश है। स्कूलों और विश्वविद्यालयों के स्तर पर संस्कृत पढ़ाने की सुविधाएं ज्यादा उदार होकर मुहैया कराई जाएंगी।

शिक्षा आयोग का गठन: उच्च शिक्षा के नाबत एक शिक्षा आयोग के गठन का जिज्ञा किया गया है जिसमें शैक्षणिक विशेषज्ञों को शामिल किया जाएगा। यह आयोग हर पांच साल पर गठित होगा और इसका काम ज्ञान के नए क्षेत्रों की पहचान करने में मानव संसाधन विकास मंत्रालय की मदद करना होगा।

Rajasthan Patrika (H), July 1, 2016, P. 1 & 5
(New Education Policy/ Education)

अब 'स्वयं' से करें 2000 कोर्सों की पढ़ाई

नई दिल्ली, प्रेस : केंद्र सरकार ऑनलाइन शिक्षा के क्षेत्र में व्यापक अभियान शुरू करने की तैयारी में है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय (एचआरडी) स्वतंत्रता दिवस के मौके पर देश भर में भौतिक ओपन ऑनलाइन कोर्सेस (एमओओएस) प्लेटफॉर्म 'स्वयं' शुरू करने की तैयारी में है। माइक्रोसॉफ्ट इस योजना का तकनीकी सहयोगी होगा।

'स्वयं' प्लेटफॉर्म पर दो हजार से ज्यादा पाठ्यक्रम उपलब्ध होंगे। इससे देश भर के तकरीबन तीन करोड़ छात्रों के लाभान्वित होने की उम्मीद जताई गई है। इसे लांच करने की तैयारी जोरशोर से चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 15 अगस्त को विशेष समारोह में इसका उद्घाटन करने की संभावना है। मंत्रालय को 'स्वयं' से भारत की शिक्षा प्रणाली में



- ◆ शिक्षा का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म होगा 'स्वयं'
- ◆ स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं लांच

क्रांतिकारी बदलाव आने की उम्मीद है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से स्कूल के अलावा स्नातक और पीजी के छात्र भी लाभान्वित होंगे। छात्र विभिन्न विषयों के बेहतरीन शिक्षकों की सामग्रियों का इस्तेमाल कर सकेंगे। इस नेटवर्क की क्षमता एक बार में दस लाख लोगों की होगी। देश के किसी भी हिस्से में रहने वाले छात्र किसी भी वक्त इसका इस्तेमाल कर सकेंगे। केंद्र सरकार इस योजना के जरिये स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों को उच्च गुणवत्ता वाला ई-कॉन्टेंट मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा। अधिकारियों ने बताया कि अस्तित्व में आने के बाद 2.5 लाख घंटे से ज्यादा की क्षमता वाला एमओओएस दुनिया का सबसे बड़ा इंटरएक्टिव ई-लर्निंग संसाधन बन जाएगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इसे अधिसूचित भी कर दिया है। 'स्वयं' प्लेटफॉर्म से अर्जित क्रेडिट को संबंधित शिक्षण संस्थानों के अकादमिक रिकॉर्ड से जोड़ दिया जाएगा। इस प्लेटफॉर्म से गुणवत्तापूर्ण शिक्षा को खाई को पाटने में मदद मिलेगी। शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने में भी मदद मिलेगी।

Dainik Jagran (H), July 4, 2016, P. 14
(Education/ 'Swayam' app/Education)



शिक्षा की गिरती सेहत

मौजूदा समय शिक्षा के क्षेत्र में देश की स्थिति को अत्यंत नाजुक दौर में देख रहे हैं गिरीश्वर मिश्र

अब यह बात स्थापित हो चुकी है कि आर्थिक मोर्चे पर प्रगति के लिए कुशल मानव पूंजी अनिवार्य शर्त है, पर जब हम यह सोचते हैं कि यह कुशल या कुशलयुक्त मानव पूंजी कहाँ से आएगी तो हमारा ध्यान देश की शिक्षण संस्थाओं की ओर जाता है। उनकी स्थिति को देखकर निराशा ही हाथ लगती है। इन संस्थाओं का दिन प्रतिदिन बिगड़ता और गिरता स्वास्थ्य सभी के लिए चिंता का कारण बन रहा है। आज शिक्षा के क्षेत्र में देश की स्थिति बड़े नाजुक से दौर में पहुँच रही है। शिक्षा के अवसर अभी भी सीमित हैं। विद्यालयों, महाविद्यालयों से लेकर विश्वविद्यालयों और राष्ट्रीय स्तर के प्रौद्योगिकी संस्थानों तक में अध्यापकों की कमी एक गंभीर समस्या बन गई है। बिहार में हुए परीक्षा घोटाले ने सरकार द्वारा नियोजित परीक्षा व्यवस्था में जिस बड़े पैमाने पर संबंधित प्रशासन द्वारा प्रायोजित धांधली को उजागर किया है उससे वहाँ पर संपन्न हुई पूरी परीक्षा की विश्वसनीयता ही आज सदिग्ध हो उठी है। शिक्षा के साथ यह क्रूर मजाक कब से चल रहा होगा और समाज में अब तक कितना घुन लग चुका होगा, इसकी आज कल्पना भी नहीं की जा सकती। यह तो स्पष्ट है कि अकादमिक परीक्षा में अंक और वास्तविक बौद्धिक योग्यता के बीच का रिश्ता खंडित हो रहा है, पर इससे ज्यादा विचार की बात यह है कि जैसे-तैसे अधिकाधिक अंक पाने की होड़ क्यों बढ़ रही है। अपने बच्चों को अच्छे इंजीनियर, अच्छे डाक्टर या अधिकारी बनाने का सपना पाल रहे माता-पिता जिस शार्ट कट वाले नुस्खे को आजमा रहे हैं वह समाज को किस गति में ले जा रहा है, इसका अनुमान उन्हें नहीं है।

शिक्षा का एक चित्र दूसरे छोर पर हमारे सामने आता है जिसमें केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषद (सीबीएसई) की परीक्षा में छात्रों को मिलने वाले अत्यंत उच्च अंकों की भरमार ने महाविद्यालयों में प्रवेश पाने के इच्छुक छात्रों के बीच घमासान प्रतिस्पर्धा खड़ी कर दी है। यह एक दूसरे ही तरह की चुनौती पेश कर रही है। अब 95 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्रों को भी यह भरोसा नहीं है कि उन्हें दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय में मनोवांछित पाठ्यक्रम में दाखिला मिल ही जाएगा। छात्रों के ऊपर बड़ा दबाव है कि वे क्या करें, क्योंकि उत्तर भारत के जनसंख्या बहुल विभिन्न प्रदेशों में उच्च शिक्षा की बढ़ती भीड़ का कारण यहाँ पर अध्ययन की गुणवत्ता और सख्त के कारण है। निश्चित रूप से यहाँ कक्षाएं, पढ़ाई, परीक्षा और सामाजिक-सांस्कृतिक कार्यक्रमों में



आखें खोलने वाली हकीकत

♦ 95 प्रतिशत अंक पाने वाले छात्रों को भी यह भरोसा नहीं है कि उन्हें दिल्ली विवि के किसी महाविद्यालय में मनोवांछित पाठ्यक्रम में दाखिला मिल ही जाएगा

भागीदारी के अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। अध्यापन के लिए अच्छे और पर्याप्त शिक्षक भी उपलब्ध हैं। हालांकि सरकारी नीतियों और राजनीतिक हस्तक्षेप के चलते यहाँ भी कठिनाई पैदा हो रही है। सामान्य अकादमिक शिक्षा से थोड़ा अलग हटकर जब चिकित्सा तथा इंजीनियरिंग आदि के पाठ्यक्रमों की ओर देखते हैं तो स्थिति और भयावह नजर आती है। कई स्तरों वाली प्रवेश-परीक्षा की तैयारी विद्यार्थी ही नहीं उसके पूरे परिवार के धैर्य और धन की परीक्षा लेने में कोई कसर नहीं छोड़ती है।

निजी शिक्षा संस्थान अधिकाधिक धन उगाही के माध्यम बन चुके हैं। प्रबंधन कोटे से छेनेशन लेकर इनमें कम प्रासांक वाले छात्रों को भी प्रवेश मिल जाता है। इनमें से ज्यादातर ऐसे होते हैं जो सरकारी शिक्षण संस्थाओं की तुलना में सामान्य पाठ्यक्रम के लिए चौगुनी पांच गुनी फीस तो लेते हैं, परंतु तुलनात्मक दृष्टि से निम्न कोटि की आधी-अधुरी ही शिक्षा देते हैं। बेहद खर्चों होने पर भी छात्रों की किसी तरह की गुणात्मक अभिवृद्धि करने में वे असफल ही रहते हैं। ऊपरी चमक-दमक और ताम-झाम तो वहाँ रहता है, पर वे किस प्रकार की शिक्षा देते हैं, इसे लेकर सबके मन में संशय है। वे कैसे चरित्र वाले मनुष्य का निर्माण करते हैं, यह भी किसी से छिपा नहीं है। ऐसे माहौल में पढ़ लिख कर निकले और मुख्य सचिव जैसे ऊँचे ओहदों तक पहुँच चुके अधिकारियों में

घूस और रिश्वत के बढ़ते मामलों को देख लोग बेचैन हो रहे हैं। कार्य के दायित्व-बोध और अकर्मण्यता की मलानि से कोसों दूर ऐसे लोगों की भीड़ बढ़ती ही जा रही है जो निजी लाभ पाने के चक्कर में समाज की प्रगति में रोड़े बनते जा रहे हैं। चरित्र की दृष्टि से इनकी दुर्बलताओं के किस्से आए दिन अखबारों की सुईयों के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं।

यदि अध्ययन विषयों में उत्कृष्टता की बात को छोड़ भी दें और उन मानवीय मूल्यों की बात करें जिनके विकास के लिए शिक्षा सिद्धांततः सपरिपत होती है या उसे समर्पित होना चाहिए तो स्थिति और भी निराशाजनक दिखाई पड़ती है। अब करुणा, सौहार्द, सद्भाव, दया, त्याग, सहभागिता और सहयोग जैसे मनुष्यों के स्थान पर चिंता, दबाव, होड़, कलह तथा भेद-भाव को ही अधिक प्रश्रय मिल रहा है। इन्हीं की छत्र-छया तले जीवन जीते यदि कई विद्यार्थी कुट्टित और मनोरोगी हो जाते हैं तो कोई आश्चर्य नहीं। जो शिक्षा के परिसर से निकलते हैं उनमें से थोड़े से भाग्यशाली छात्रों को ही जीने की सीधी राह मिल पाती है, शेष तो भगवान भरोसे ही रहते हैं। अधिकांश शिक्षार्थियों के लिए शिक्षा क्लेशों से मुक्त न कर क्लेशों को बढ़ावा देने वाली साबित हो रही है। ऐसी स्थिति में छात्रों और अभिभावकों का मनोबल टूटने लगता है। अभिभावक कर्ज लेकर भी यह जरूर कोशिश करते रहते हैं कि उनके बच्चों को पढ़ाई के दौरान किसी तरह का कष्ट या पीड़ा न हो। तमाम तनावों से जुझती शिक्षा आज कराह रही है। सरकारों के लिए शिक्षा युवा वर्ग को कुछ समय तक बांधे रखने का एक खिलौना है। उनकी मजबूरी है कि इस झुनझुने को बजाते रहें चाहे कोई सुर निकले या न निकले। शासन की वरीयता के मुहों में में शिक्षा का नंबर तो बहुत बाद में आता है। दरअसल शिक्षा का प्रश्न केंद्र या राज्य के एजेंडे में मुद्दा ही नहीं बन पाता। वैसे भी आर्थिक रूप से शिक्षा की व्यवस्था करना कोई लाभप्रद सौदा नहीं है। इसमें तो निवेश करना पड़ता है जिसका कोई तात्कालिक प्रत्यक्ष लाभ नहीं मिलता है। आज शिक्षा की बदहाली के लिए कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं। न समाज को फुसंत है, न सरकार को और न ही शिक्षा के लाभार्थियों को ही कि समाज की आवश्यकता और व्यक्तिगत उन्नयन के लक्ष्यों के मद्देनजर शिक्षा व्यवस्था में आवश्यक सुधार किए जाएं और एक समर्थ और सशक्त भारत का सपना साकार हो सके।

(लेखक महात्मा गांधी अंतरराष्ट्रीय हिंदी विवि के कुलपति हैं।
response@jagran.com)

Dainik Jagran (H), July 6, 2016, P. 10

(CBSE/ Quality Education/ Education)

ताकि हर बच्चे को मिले अच्छी शिक्षा

केंद्र और राज्यों को पूरी तरह जिम्मेदार बनाए बिना क्या देश के सभी बच्चों तक अच्छी गुणवत्ता की स्कूली शिक्षा पहुंचाई जा सकती है?

संख्या के आधार पर देखा जाए, तो दुनिया में भारत की स्कूली शिक्षा-व्यवस्था चीन के बाद दूसरे स्थान पर होगी। देश के 15 लाख स्कूलों में 26 करोड़ बच्चे पढ़ते हैं। इन 15 लाख स्कूलों में 11 लाख सरकारी और चार लाख प्राइवेट स्कूल हैं। प्राइमरी स्कूलों में पढ़ाने वाले अध्यापकों की संख्या 85 लाख है, जिनमें से 47 लाख अध्यापक सरकारी स्कूलों में कार्यरत हैं। हर वर्ष सालाना परीक्षाओं में जब करोड़ों बच्चे परीक्षा देते हैं और उनके परीक्षाफल घोषित होते हैं, तो ऐसे तथ्य उभरकर आते हैं, जो बताते हैं कि हमारी स्कूली शिक्षा संख्यात्मक रूप से कितनी भी आगे बढ़ रही हो, पर गुणात्मक रूप से उसमें सब कुछ ठीक नहीं चल रहा। हाल में बिहार की 12वीं की बोर्ड परीक्षा में जो कुछ हुआ, उससे वहां की स्कूली शिक्षा की हालत का जायजा लिया जा सकता है। इसी राज्य में जब प्राइमरी



चित्रांकन - आनंद वर्मा

स्कूलों के तदर्थ शिक्षकों की नौकरी नियमित करने के लिए परीक्षा ली गई, तो शिक्षक भी बेशर्मी से नकल करते पाए गए। स्कूली शिक्षा की दुर्दशा सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं है, कम या ज्यादा सब जगह यही हाल है।

पिछले महीने सुब्रमण्यम समिति ने जिस नई शिक्षा नीति का मसौदा पेश किया, उसमें स्कूली शिक्षा के ऐतिहासिक विकास, वर्तमान स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर काफी विस्तार से ब्योरे दिए गए हैं। अभी इस मसौदे के प्रस्तावों पर राज्य सरकारों की राय ली जा रही है, क्योंकि स्कूली शिक्षा पर ज्यादातर नियंत्रण राज्य सरकारों का ही है। आजादी के त्वाद शिक्षा नीति दो बार 1968 और 1986/1992 में घोषित की गई थी। स्कूली शिक्षा में सर्वाधिक महत्वपूर्ण कानून 2009 में संसद द्वारा पारित किया गया, जिसे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के नाम से जाना जाता है। इस कानून के तहत केंद्र और राज्य सरकारों को यह वैधानिक जिम्मेदारी दी गई कि छह से 14 वर्ष की आयु के हर बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा औपचारिक रूप से किसी ऐसे स्कूल में दी जाए, जहां सभी न्यूनतम मानक पूरे होते हों। इसी कानून के तहत हर निजी स्कूल में 25 प्रतिशत सीटें आर्थिक रूप से विपन्न वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित की गई हैं। हालांकि ज्यादातर प्राइवेट स्कूलों में इसका पालन ठीक तरह से नहीं किया गया।

सुब्रमण्यम समिति द्वारा बनाई गई नई शिक्षा नीति से क्या देश की स्कूली शिक्षा की सारी समस्याएं कुछ ही समय में खत्म हो जाएंगी? इस बात पर बहस जरूरी है कि संविधान में छह से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा देने की गारंटी को देश अभी तक क्यों पूरा नहीं कर पाया? क्यों आज भी तीन करोड़ बच्चे प्रारंभिक शिक्षा से वंचित हैं? लाखों सरकारी और प्राइवेट स्कूलों में आज भी बुनियादी सुविधाएं, जैसे भवन, फर्नीचर, शिक्षक, शौचालय, किताबें उपलब्ध नहीं हैं। क्या नई शिक्षा नीति में इनके लिए समुचित वित्तीय संसाधनों की व्यवस्था की गई है? क्या स्कूली शिक्षकों को भर्ती व प्रशिक्षण के बारे में कोई मौलिक विचार दिया गया है? सुब्रमण्यम समिति का सबसे ज्यादा चर्चित सुझाव

हरिवंश चतुर्वेदी
डायरेक्टर, बिमटेक



शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में लागू किए गए आठवीं कक्षा तक किसी भी विद्यार्थी को फेल न करने के प्रावधान को बदलकर पांचवीं कक्षा तक सीमित करना है। समिति ने छठी से आठवीं कक्षा तक पढ़ाई में कमजोर बच्चों को सुधारत्मक कोचिंग देने और परीक्षा पास करने के दो अतिरिक्त अवसर देने का सुझाव दिया है। निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत स्थान गरीब वर्ग के बच्चों के लिए आरक्षित करने के प्रावधान का सुब्रमण्यम समिति ने पुर्ण समर्थन किया है और उसे अल्पसंख्यक वर्ग के स्कूलों में भी लागू करने का सुझाव दिया है।

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में स्कूली शिक्षा को क्वालिटी सुधारने के वास्ते प्राइवेट स्कूलों के लिए भूमि, भवन, शिक्षक, फर्नीचर, विषयक जो न्यूनतम मानक लागू किए गए थे, उन मानकों को सरकारी स्कूलों पर भी सख्ती से लागू करने का सुझाव दिया है। साल 1968 की शिक्षा-नीति के अंतर्गत लागू किए गए त्रिभाषा फॉर्मूले के त्रुटिपूर्ण क्रियान्वयन पर भी सुब्रमण्यम समिति मुखर है। इसका कहना है कि पांचवीं तक शिक्षा बच्चों की मातृभाषा में दी जानी चाहिए और प्राथमिक स्तर पर दूसरी भाषा तथा माध्यमिक स्तर पर तीसरी भाषा के चुनाव का अधिकार राज्य सरकारों के ऊपर छोड़ दिया जाना चाहिए, यानी त्रिभाषा फॉर्मूले से कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है।

सुब्रमण्यम समिति ने 10वीं की परीक्षा में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन का सुझाव दिया है। चूंकि 10वीं की परीक्षा में फेल होने वाले ज्यादातर बच्चे गणित व विज्ञान विषयों से होते हैं, इसलिए इन दो विषयों में अब दो तरह से प्रश्न-पत्र बनाए जाएंगे- बुनियादी और उच्च स्तर। विद्यार्थियों का दोनों में से कोई भी प्रश्न-पत्र चुनने का विकल्प रहेगा। समिति को एक और अच्छा सुझाव मिड-डे-मील योजना को 10वीं तक के स्कूलों में विस्तारित करने का है। समिति का यह भी कहना है कि शिक्षकों को मिड-डे-मील के संचालन से मुक्त रखा जाए। समिति ने स्वयंसेवी और सामाजिक संस्थाओं से यह योजना संचालित करवाने को कहा है।

स्कूली शिक्षा की सबसे कमजोर कड़ी है शिक्षक, जिनमें से अधिकांश में इस पेशे से कोई आत्मीय लगाव नहीं पाया जाता है। उनके लिए यह सिर्फ रोजी-रोटी का साधन है। कमेटी ने यह माना है कि स्कूली शिक्षा की क्वालिटी सुधारने का एकमात्र उपाय यह है कि शिक्षकों की नियुक्ति, न्यूनतम योग्यता, प्रशिक्षण और पेशे के प्रति उनकी प्रतिबद्धता में गुणात्मक सुधार करना। मौजूदा शिक्षकों को पांच वर्ष में एक बार प्रशिक्षण देने का सुझाव दिया गया है और भविष्य में नए शिक्षकों की भर्ती के लिए पांच वर्षीय एकीकृत बीए/बीएससी-बीएड कोर्स शुरू करने की सिफारिश भी की गई है, जो 10वीं और 12वीं के बाद शुरू होंगे। समिति ने स्कूली पाठ्यक्रम और पुस्तकों के लेखन में शिक्षक संघों की भागीदारी को भी सिफारिश की है।

भारत की स्कूली शिक्षा को आज जिस ऊर्जावान रूपांतरण, नेतृत्व क्षमता, कुशल प्रबंधन और विपुल संसाधनों की जरूरत है, उसकी स्पष्ट तस्वीर सुब्रमण्यम कमेटी की रिपोर्ट में नहीं दिखाई देती। साल 1991 के बाद उदाहरण के दौर में केंद्र और राज्यों की अधिकांश सरकारें स्कूली शिक्षा में सुधार की बड़ी-बड़ी योजनाएं बनाती रहीं, पर उनके सफल क्रियान्वयन में वे पूरी तरह नाकामयाब रही हैं। इसका मूल कारण स्कूली शिक्षा के कार्यालय के प्रति राजनीतिक इच्छा शक्ति का निरंतर अभाव होना है।

हमारी स्कूली शिक्षा साफ तौर पर वर्ग-विभाजन और सामाजिक भेदभाव का शिकार है। देश में संपन्न वर्ग और शिक्षित मध्यवर्गीय परिवारों के बच्चों के लिए महंगे और आलीशान स्कूल हर शहर में उपलब्ध हैं। वहीं दूसरे ओर, गरीब व पिछड़े वर्ग के बच्चे उन सरकारी या निजी स्कूलों में धकेल दिए जाते हैं, जहां दिखावटी तौर पर बुनियादी ढांचा तो खड़ा है, किंतु पढ़ाई-लिखाई सिर्फ नाम के लिए होती है। सुब्रमण्यम समिति की सिफारिशों में शिक्षा नीति को 21वीं सदी की जरूरतों के अनुरूप बनाने की बात कही गई है, पर उसमें केंद्र व राज्य सरकारों को देश के हर बच्चे को एक जैसी अच्छी क्वालिटी की शिक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार नहीं बनाया गया है।

(ये लेखक के अपने विचार हैं)

Hindustan (H), July 7, 2016, P. 8
(RTE/ Quality Education)

Accessible India Campaign
 Accessible India - Empowered India
 Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)
 Ministry of Social Justice & Empowerment

SCHOLARSHIPS FOR STUDENTS WITH DISABILITIES

Shri Narendra Modi
 Hon'ble Prime Minister of India

With a view to provide educational opportunities to students with disabilities, Department of Empowerment of Persons with Disabilities has been implementing the following scholarship schemes for their empowerment through education:

S.N.	Scheme	Courses covered	No. of Scholarships per year	Annual income ceiling (Rs.)	Rate of scholarship	How to apply
1.	Pre-matric Scholarship	Class IX and X	46,000	2.00 lakh	Monthly Maintenance Allowance of Rs.350 for day scholars and Rs.600 for hostellers plus book grant and other allowances like transport allowance, reader allowance etc.	The students are required to submit applications on-line on National Electronic Scholarship Portal (www.scholarships.gov.in)
2.	Post-matric Scholarship	Class XI to Master's Degree or Diploma level	16,650	2.50 lakh	There are different rates for Post-Graduate, non-degree diploma, professional courses leading to degree, diploma etc. in different disciplines. It ranges from Rs.380-1200 for hosteller and Rs.230-550 for day scholars plus tuition fees, allowances, book grant etc.	
3.	Scholarship for Top Class Education	Post-Graduate Degree or Diploma in 197 notified of institutions of excellence	160	6.00 lakh	Monthly maintenance allowance Rs.3000/- for hostellers, Rs.1500/- for day scholars, Rs.2000/- disability allowance, book grant Rs.5000/-per annum, tuition fee upto Rs.2 lakh per annum.	
4.	National Fellowship for Persons with Disabilities	M.Phil/Ph.D	200	No income ceiling	Monthly Rs.25,000/- for JRF (first two years) and Rs.28,000/- for SRF (3rd year onwards upto complete duration of the course) and contingency grant, escort allowance/ reader allowance, HRA etc	The students are required to submit applications online on University Grants Commission website at www.ugc.ac.in .
5.	National Overseas Scholarships for pursuing	Master's degree and Doctorate degree in foreign universities abroad	20	6.00 lakh	Pound (Great Britain) 9,900 per annum for UK and US \$15,400 for other countries, plus tuition fees, contingency allowance, cost of air passage, etc.	The applications are invited through newspaper advertisement. The selection of candidates is done by IEPWD.

All the above scholarship schemes are applicable to students with disabilities with more than 40% disability and having a disability certificate to this effect issued by a competent medical authority. For further details about the scholarship schemes please visit: www.disabilityaffairs.gov.in

Ministry of Social Justice & Empowerment
 Department of Empowerment of Persons with Disabilities (Divyangjan)

दक्षिण भारत

dawp_3811713_0023/1617

Hindustan Times, July 7, 2016, P. 2
 (Scholarships/ Accessible India/ Education)

TAKING NO CHANCES

Safety task force set up in SDMC schools

DAMINI NATH

NEW DELHI: From earthquakes to exposed wiring, all potential hazards for students of South Delhi Municipal Corporation schools, are being mapped and task forces being set up to deal with them.

About 2.94 lakh children study in the SDMC's 578 primary schools which are currently being audited for their safety.

In January this year, the lack of safety at an SDMC school in Kapashera was exposed when a four-year-old boy fell into an open septic tank and died.

The cover of the tank had been broken for days, officials of the SDMC Education Department admitted later.

To make sure that the tragedy doesn't repeat itself, the SDMC is conducting an extensive programme to make its schools safer with the help of NGO - Save the Children.

The programme includes setting up of safety task forces in all schools, conducting a 'hazard hunt', training the students and holding mock drills.

"We will set up safety task forces, comprising students and teachers, in all SDMC schools. So far, 32 schools have set up these task forces," said SDMC's Additional Commissioner for Education, Meeta Singh.

According to 'Save the Children', the 32 SDMC schools have not only set up the task force, but also conducted mock drills, set up disaster resource rooms and mapped out potential dangers within the school and outside.

154 schools being assessed

Around 154 schools of the SDMC's Central Zone are also being assessed for potential risks and resources.

Avinash Kumar, the State programme manager for Save the Children in Delhi, said the authorities tend to focus on natural calamities like earthquakes or man-made devastation like fire when it comes to disaster preparedness.

"However, when we talk about building the resilience of children, we must think larger and include everyday risks that the children face, especially in urban areas," said Mr. Kumar, adding that road safety as well as protection from abuse are important aspects.

Potential dangers within the school as well as outside will be mapped by teams of students and teachers. Based on their findings changes would be suggested to make the schools safer, he said.

SDMC officials said the programme would be ramped up in the coming month as the schools have opened after summer break.

MAKING SCHOOLS SAFER

The South Delhi Municipal Corporation has launched several initiatives

578 Total SDMC schools	32 No. of schools completed safety programme
------------------------	--

- Developing a task force:** Each school to have a task force comprising students, parents and teachers trained in disaster risk reduction and response
- Establishing resource rooms:** Schools to have dedicated spaces to teach students about safety through videos, posters, books etc
- Conducting hazard hunts:** Mapping out potential dangers in classrooms, school premises and outside the schools and developing a contingency plan



The Hindu, July 8, 2016, P. 6
(School Safety Programme/ Education)

प्ले स्कूलों के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी

Poonam.Pandey@bircgroup.com

एनसीपीसीआर तैयार कर रहा गाइडलाइंस

■ नई दिल्ली : मसूदा की तरह गली मोहल्ले में खुले 'प्ले स्कूल' की बाल आयोग गैर कानूनी मानता है। इस पर लगाम लगाने के लिए महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के तहत आने वाले नेशनल कनिशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स (एनसीपीसीआर) प्ले स्कूलों के लिए गाइडलाइंस बना रहा है। कानून के तहत नहीं आते प्ले स्कूल : एनसीपीसीआर के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने कहा कि गली मोहल्ले में प्ले स्कूल खुल गए हैं। पैरेंट्स इसमें बच्चों को भेजने के लिए मेटी रकम भी खर्च कर रहे हैं लेकिन यहां बच्चों की सुरक्षा से समझौता हो रहा है। कोई भी एक कमरे में प्ले स्कूल खोल रहा है और वहां बच्चों की सुविधा का ख्याल भी नहीं रखा जाता। उन्होंने बताया, 'इसलिए अब प्ले स्कूल के लिए गाइडलाइंस बनाने का काम शुरू किया है जिसके बाद हर प्ले स्कूल के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी होगा।' क्रेच के तहत आ सकते हैं : कानूनगो ने कहा, 'प्ले स्कूल आर्टीई के तहत नहीं आते क्योंकि यह स्कूल की परिभाषा के दायरे में नहीं है इसलिए अभी कोई भी कहीं भी प्ले स्कूल खोल रहा है। यहां छोटे बच्चे होते हैं इसलिए ये प्ले स्कूल क्रेच के दायरे में आ सकते हैं। गाइडलाइंस में प्ले स्कूल के लिए कंडीशन भी रखी जाएगी।' मिनिमम जगह तय की जाएगी कि कम से कम उतना स्पेस होने पर ही प्ले स्कूल खोला जा सकता है। साथ ही स्टाफ की संख्या भी तय होगी कि एक स्टाफ कितने बच्चों की जिम्मेदारी संभाल सकता है। प्ले स्कूल में बच्चों को जरूरत और सुरक्षा के भी सारे इंतजाम करने होंगे।

Nav Bharat Times (H), July 20, 2016, P. 16
(Education/ Play School/ Admission Guidelines)

CBSE tells schools to make homework fun

TANU KULKARNI

BENGALURU: The Central Board of Secondary Education (CBSE) has recommended that schools replace the word 'homework' with terms such as 'practice work' and 'self work'. But this attempt to erase homework from the lexicon of our education system may not be a cosmetic change.

Solving puzzles, writing letters, putting together household lists, cooking, reading newspapers and watching documentaries and natural history programmes: that is what the board wants upper primary students from Classes 6 to 8 to do after school.

In a recently published manual, it urged teachers and heads of schools to club these activities with concepts from lessons. The manual — posted on the CBSE website — has a set of guidelines detailing how

'practice work' can be made interesting, and ways to incorporate different activities to enhance a child's learning curve.

To enhance their mathematical skills, for example, the Board suggests that children can help parents plan the monthly household budget. Or, they can represent clothes in their wardrobe via pictographs.

The manual, which runs to 318 pages, says that schools can conduct discussions on the kind of after-school work students would like to do, and also design and structure the study load into easily manageable modules. It recommends that students make extensive use of newspapers and watch news channels. For social sciences, for instance, students can design a case study on a controversial law and discuss the solutions.

■ CONTINUED ON PAGE 12

Make homework interesting: CBSE

The move has evoked a mixed response from teachers, students and parents. While students that *The Hindu* spoke to were excited about being freed from the tyranny of homework, several principals and teachers remain sceptical. "There is a need to stick to traditional homework as regular practice is required," said Manilal Carvalho, principal, Delhi Public School, Bengaluru East. At the same time, she noted that more often than not, it's the parents who pressure schools to give homework so that students are engaged productively.

Jyotsna Nair, principal, National Public School, Koramangala, said that the manual will help teachers get more ideas and be creative while allocating

homework. "This is ideal for students from lower classes as high school students are still oriented towards the examination system. There is a need to strike a balance between this kind of homework and regular homework," she said.

The Board framed these guidelines after conducting a survey that sought opinions from parents, teachers and students.

It stated that while all the respondents of the survey had unanimously agreed that homework was essential, there was a need to make it meaningful and interesting.

The guidelines address each grade — from six to eight — separately, and give detailed examples for every subject in the syllabus.

The Hindu, July 12, 2016, P. 1 & 12
(CBSE/ Lower Homework Burden)

505 सरकारी स्कूलों के पास फायर का एनओसी नहीं

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : दिल्ली के करीब 50 फीसद सरकारी स्कूल आग से सुरक्षित नहीं हैं। सूचना का अधिकार कानून (आरटीआई) के तहत मांगी गई जानकारी में शिक्षा निदेशालय ने यह जानकारी दी है। जागरूक पेरेंट्स एसोसिएशन की सचिव टीना आहूजा को ओर से शिक्षा निदेशालय में लगाई गई आरटीआई में शिक्षा निदेशालय की एस्टेट ब्रांच ने बताया कि राजधानी में सरकारी स्कूलों की संख्या 1024 है। अगले सवाल में जब पूछा गया कि कितने सरकारी स्कूलों के पास अग्निशमन विभाग की ओर से जारी होने वाला अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) है तो जवाब मिला कि 519 स्कूल। यानी करीब आधे 505 स्कूलों के पास अग्निशमन विभाग का एनओसी नहीं है। टीना कहती हैं कि इससे साफ होता है कि बच्चे स्कूल में सुरक्षित नहीं हैं।

राजकीय विद्यालय शिक्षक संघ के महासचिव अजयवीर यादव का कहना है कि शिक्षा निदेशालय के हुलमुल रवैये के चलते न सिर्फ बच्चे बल्कि हजारों शिक्षकों

व कर्मचारियों का भी जीवन दांव पर है। सरकार की ओर से संसाधनों के विकास के नाम पर स्कूलों में जोर-शोर से कमरों का निर्माण कराया जा रहा है, जबकि संसाधनों का विकास केवल कमरे बनाने से ही नहीं होता है। इसके लिए शिक्षकों को

नियुक्तियां, विद्यार्थियों को सुरक्षित स्कूल भवन उपलब्ध कराना भी जरूरी है। इस विषय में शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया से संपर्क कर उनका पक्ष जानने की कोशिश की गई, लेकिन उनसे संपर्क नहीं हो सका।

क्या कहते हैं आंकड़े	
कुल सरकारी स्कूल	1024
विद्यार्थियों की संख्या	18 लाख
स्थायी शिक्षक	37 हजार
अतिथि शिक्षक	18 हजार

नियम पूरे करने पर ही मिलता है अनापत्ति प्रमाण पत्र

दिल्ली अग्निशमन विभाग के प्रवक्ता का कहना है कि स्कूलों के लिए अलग नियम निर्धारित हैं। जो स्कूल नियमों को पूरा करते हैं, उन्हें प्रमाण पत्र जारी कर दिया जाता है। प्रमाण पत्र निरीक्षण के बाद ही जारी होता है। स्कूलों के लिए बने प्रमुख नियमों में स्कूल का गेट इतना बड़ा हो कि जरूरत पड़ने पर बड़ी गाड़ी दाखिल हो सके, विभिन्न कक्षाओं में दो दरवाजे उपलब्ध होना और प्रथम व द्वितीय तल पर चलने वाले स्कूलों में दो सीढ़ियां होना प्रमुख है।

Dainik Jagran (H), July 12, 2016, P. 2

(Fire Safety/ Government Schools/ Education)

एजुकेशन फेलो प्रोग्राम के लिए सोशल मीडिया का सहारा

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : जरूरतमंद व कौशल युवाओं के लिए दिल्ली सरकार एजुकेशन फेलो प्रोग्राम शुरू करने जा रही है। इच्छुक युवा 30 जुलाई तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन सोशल मीडिया फेसबुक के जरिए मंगाए जा रहे हैं। उपमुख्यमंत्री और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया ने लोगों से अपील की है कि वे इस शिक्षा क्रांति का हिस्सा बनें। अगर आपके पास जोश और उत्साह है तो शिक्षा के क्षेत्र में काम करने का यह एक अच्छा अवसर है।

सरकार अपनी नीतियों को मजबूती प्रदान करने और शिक्षा क्षेत्र में शामिल लोगों को प्रशिक्षित करने के उद्देश्य से यह फेलोशिप शुरू करने जा रही है। फेसबुक पर चेंज मेकर्स इन एजुकेशन फेलोज प्रोग्राम नाम से एक पेज बनाया गया है, जिस पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। एजुकेशन फेलो प्रोग्राम के लिए 22 से 35 साल के युवाओं को चुना जाएगा।

दिल्ली सरकार की योजना में 30 जुलाई तक कर सकते हैं आवेदन

कई शैक्षणिक एवं पेशेवर पृष्ठभूमि के युवाओं को यह फेलोशिप दी जाएगी। चेंज मेकर्स इन एजुकेशन फेलोज प्रोग्राम का मकसद पूरे देश से नौजवानों को राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद (एससीईआरटी) में दो साल तक काम करने के लिए आकर्षित करना है। 54 फेलो को 40 हजार रुपये प्रतिमाह की फेलोशिप पर नियुक्त किए जाने की मंजूरी दिल्ली सरकार को कैबिनेट पहले ही दे चुकी है। शुरुआत में यह नियुक्ति एक साल के लिए होगी। इसके बाद इसे बढ़ाकर दो साल किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर हेरिटेज दिल्ली एजुकेशन रिवोल्यूशन के नाम से भी अभियान चलाया जा रहा है।

Dainik Jagran (H), July 12, 2016, P. 2

(Education/ Fellow Program/ Social Media)

IMPROVE SCHOOLING

India's school education story has not been without successes in recent years. Positive developments such as enrollment rates in elementary schools consistently above 96 per cent since 2009 and reduction in dropout rates of girls have been encouraging signs for a country which has for decades struggled to put its children into schools. However, behind these statistics and the promise of Right to Education to all lurk the worrying aspects bedeviling our school education system. The average primary school dropout rate stood at a disconcerting 4.3 per cent in 2013-14, implying that a large number of students are not making it past the primary level. The quality of education does not offer much to write home about, and is the leading question troubling Indian education policy makers.

In this light, academia and education experts are looking towards the New Education Policy. Whether this will pave way for a transformative beginning to India's school education system is yet to be seen.

SCHOOL EDUCATION TODAY

While the Right to Education Act has been a watershed, the results accruing from it have so far been mixed. With dropout rates still high, our system is struggling to translate the encouraging enrollment rates of students into sustainable education. India still has the largest number of out-of-school children, more than the whole of sub-Saharan Africa.

At the same time, much remains to be desired from the quality of education being imparted to children. In 2009, the only time

TEACHING QUALITY & ABSENTEEISM

Teacher quality remains at the root of the learning outcome disparity. Lack of qualified teachers in rural areas means that a large number of those teaching school children have themselves not studied past Class XII. Teacher absenteeism is rampant. Issues such as wide variation in learning abilities of children within the same class, text-

INSTILLING SCIENTIFIC INQUIRY

This is a problem that plagues not just the rural Government schools but the entire education system of India. Rote learning may allow students to pass exams and get degrees, but it fails the entire purpose of education, that is to understand the universe around you and develop a spirit of scientific inquiry. While most children will

DR PRASHANT BHALLA gives you a lowdown on the things that the New Education Policy has to keep in mind when it comes to the education system in schools

Indian students participated in the international learning test Programme for International Student Assessment, they landed at the bottom of the table, topped routinely by students from Shanghai, Hong Kong, and Singapore. Regular surveys to test the reading and problem-solving ability of Indian school children have shown similar discouraging results. The Annual Status of Education Report 2014, facilitated by NGO Pratham, reported that of all children enrolled in Class V, about half can't read Class II level text. There also remains huge disparity between the urban and rural; public and private; as well as the rich and poor children *vis-a-vis* their schooling experiences.

The new policy has to laydown mechanisms that ensure students stay in school.

be able to tell you by memory that the first law of thermodynamics states that 'energy can't be created or destroyed', not many would be able to explain the practical implication of this law.

Changing this institutionalised system of rote learning needs much more than policy guidelines. It needs reforming the mode of teaching, the way textbooks are written as well as the way teachers are trained in educating children.

REDUCING STRESS AND BURDEN

Schools and education authorities like the CBSE have given special importance to the need of reducing the stress of education on children. The actions including introducing the non-detention policy, replacing marks with grades and making boards optional were spurred by incidents of student suicides and reports of anxiety among school children.

It is essential to make education a source of happiness and contentment in children rather than a source of burden and stress. Children need to be exploring their minds and capacities rather than worrying themselves to death about their grades and scores.

books pitched at a much higher comprehension level than that of students are a reality that teachers deal with every day without having any special training or education to handle these complexities.

One of the most important recommendations on the new policy pertains to measures to improve quality of teaching in schools. The committee's recommendations to make Teacher Eligibility Test compulsory for recruitment and teacher certification mandatory and renewable based on independent external testing will go a long way in ensuring recruitment of quality teachers. However, strict measures are needed to check teacher absenteeism. A World Bank supported study says that teacher absenteeism is costing India a staggering \$1.5 billion annually.

In this light the recommendations of the education panel to introduce a two tier exam system for Maths and Science makes sense. Students who have an aptitude and desire to study humanities and liberal arts need not take the same level of exam as students who want to pursue studies in science.

(The writer is president, Manav Rachna Educational Institutes & Treasurer, Education Promotion Society for India)

The Pioneer, July 13, 2016, P. 14
(New Education Policy/ Quality Education)

विद्यालय के बच्चों को पुलिस कर रही जागरूक



मायापुरी स्थित एक स्कूल में बच्चों से रूबरू पुलिसकर्मी।

जागरण संवाददाता, पश्चिमी दिल्ली : दिल्ली पुलिस के ओर मायापुरी स्थित निगम प्राथमिक विद्यालय में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मायापुरी थाना से पुलिसकर्मीयों ने विद्यालय की छात्राओं को अच्छे व बुरे स्पर्श के प्रति जागरूक किया।

मायापुरी थाना के एसएचओ ने बताया कि बच्चों को अच्छे व बुरे स्पर्श में किस तरह के अंतर होते हैं इसके बारे में बताया गया। उन्हें यह कहा गया कि यदि कोई गलत इवेंट रखे और उन्हें संदेह हो तो वे फोन इसकी जानकारी अपने माता पिता को दे। बात को दबाने की प्रवृत्ति से अच्छा है कि उसे बड़ों से साझा किया जाए। पुलिस

मायापुरी थाना पुलिस विद्यालयों में आयोजित कर रही जागरूकता कार्यक्रम

के अनुसार क्षेत्र के विभिन्न विद्यालयों में शिकायत पेटिका रखवा गई है। कोई भी लड़की इसमें अपनी शिकायत पत्र डाल सकती है। सप्ताह में एक बार इस पेटिका को खोला जाता है और शिकायत पत्रों को पढ़ा जाता है। खजान बस्ती स्थित निगम विद्यालय में आयोजित कार्यक्रम के दौरान एसआई रीमा यादव, कंस्टेबल नीलम, प्रिंसिपल सुषमा व अनूप चावला सहित कई लोग उपस्थित थे।

Dainik Jagran (H), July 24, 2016, P.-II/ Jagran City)

(Awareness Programme/ Education)

पांच साल से कम उम्र के बच्चों के लिए 7 फन लर्निंग एप

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

नई दिल्ली. मोबाइल गेम की लत गंभीर समस्या बनती जा रही है। अगर आपका भी बच्चा इसका शिकार है तो अब परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस आदत को बच्चों के सही शौक में बदला जा सकता है। दरअसल कई ऐसे एप हैं जो बच्चों को खेल-खेल में पढ़ना-लिखना सिखाते हैं। साथ ही उनके इंटरैक्ट और मजबूत फील्ड के बारे में जानकारी भी देते हैं। ये हैं सात ऐसे गेम...

एबीसी किड्स

यह गेम किंडरगार्टन और प्राइमरी स्कूल स्तर के बच्चों को अल्फाबेट सीखने के लिए अच्छा है। एप के फीचर आकार और अवाज की मदद से अक्षर पहचानने में मदद करते हैं। वयस्क बच्चों पर एक टीचर की तरह नजर रख सकेंगे और उसके सीखने की गति का मूल्यांकन कर सकेंगे।



किड्स एनिमल्स जिगसा पजेल्स

यह डिमाग के विकसित होने और बुद्धि को तेज करता है। बच्चों की स्मिशन के आधार पर 6 फ्री पजेल गेम मिलते हैं। इसमें बच्चों को मजबूती संख्या में पजेल तस्वीरें चुनने का विकल्प है।

फूट एंड वेजिटेबल्स फॉर

इस एप से बच्चे फल और सब्जियां पहचानना सीख सकते हैं। गेम में कुछ सवाल पूछे जाते हैं। जितने सही जवाब दिए जाते हैं उतने अधिक स्टार मिलते हैं। इससे उत्साह भी बढ़ता है।

गेम फॉर किड्स

यह गेम बच्चों को चीजों का चुनाव व लेन-देन करना सिखाता है। गेम में, डॉसरी, फूटस और वेजिटेबल्स, कैश रजिस्टर जैसे कई सारे सेक्शन बने हुए हैं।

किड्स पेंटिंग

इस पेंटिंग एप से बच्चे किसी चित्र में रंग भर सकते हैं या फिर हैंड ड्रॉ स्टाइल भी अपना सकते हैं। बनाई गई पेंटिंग को बाद में डाउनलोड भी कर सकते हैं।

लेटर स्कूल फ्री

यह गेम बच्चों को अल्फाबेट और अंक पढ़ना-लिखना सिखाता है। इसमें चार तरह के गेम हैं। दुनिया भर के एक्सपर्ट इसे बेहतर लर्निंग टूल मानते हैं।

पी स्कूल लर्निंग गेम

यह एप बच्चों को अक्षर, गिनती करना, रंग, आकार, पजेल आदि के बारे में बलाता है। एप के क्यूट बंदर बच्चों को डिजा निर्देश देते हैं। इसे कई उम्रों में मिले हैं।

Rajasthan Patrika (H), July 24, 2016, P. 2

(Educational App/ Child Education)



The Statesman, July 25, 2016, P. 6
(Disability/ School Curriculum)



The Statesman, July 25 2016, P. 6
('Swayam' Web/ Online Courses)

Parents to turn school teachers

ADHIK MENTA AND GARVIT AGARWAL
adhikspeak@gmail.com
grvt.ag@gmail.com
New Delhi, 24 July

In a unique initiative, some private schools here are pondering over to give an opportunity to the parents and siblings of students to teach in the school under the "Parents Interface" programme.

According to schools, such efforts will create a special bond between school and parent. In the teaching-learning experience, parents have greater role to play and cannot shrug off their responsibility by merely paying the school fees.

Salwan Public School, Rajinder Nagar, Springdale's School and Ramjas School, Pusa Road have started the "Parents Interface" programme keeping the interest of students in mind. The main aim of this interface is to build a special bond between the parents and schools which seems to be lost in today's competitive world.

This interface is to conduct twice in a year, in July and December. The parents and siblings of the students are invited to teach the students, subjects in which they



are expertise. This interface is scheduled in the first period of the time table. This programme is conducted for a week.

Dr Indu Khetarpal, Principal, Salwan Public School, said: "The school is committed to provide a conducive learning environment to meet the needs of the young learners in this fast changing global scenario".

She added: "This interface will help to build a stronger bond between child and his family and they will also be able to see in what kind of company their child is in."

Major General (Dr) R N Masaldan, Director, Salwan public

School, claimed: "The basic reason behind this interface is to get an idea of what the students want to pursue as their career option and what is the best way to achieve it". He further said: "For us every child is unique and we are committed to provide them opportunities to explore and harness their hidden capabilities".

Mrs Ameeta Mulla Wattal, Principal, Springdales School, said: "In our school we implement all such programmes which foster student autonomy and leadership, encourage inventive learners with skills, understand and channelise the creative spirit, maximise liberty to make meaningful decisions and develop global partnerships".

Mrs Mohini Bindra, Principal, Ramjas School, said: "Our vision is to integrate the personality of every student under our fold. We need to reach out to the youth who are entrusted to our care to become truly global citizens of tomorrow".

Many school teachers said that we are very obliged to be a part of this interface and we find it very interesting to see how the parents interact with the students and how much knowledge they are distributing among the students.

The Statesman, July 25, 2016, P. 2
(Parents Interface/ Education System)

आदेश

स्कूली बच्चों को पीटने पर शिक्षक भरेंगे जुर्माना

सीआईसी का आदेश

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

नई दिल्ली. बच्चों को शारीरिक दंड देने पर शिक्षक और संबंधित स्कूल को जुर्माना भरना होगा। यह आदेश केन्द्रीय सूचना आयोग ने दिया है।

आयोग ने केन्द्रीय स्कूल संगठन से स्कूलों में बनाई गई दंड नीति, घटनाओं और उसके प्रति उत्तरदायी व्यक्तियों के बारे में स्वेच्छा पूर्वक खुलासा करने को कहा है। यह आदेश देश के 1099 केन्द्रीय विद्यालय स्कूलों पर प्रभावी होगा।

आरटीआई पर आदेश

केन्द्रीय सूचना आयोग एम शीघर आचार्य ने यह आदेश, शारीरिक दंड से जुड़े एक आरटीआई मामले के बाद दिया। ब्रह्मानंद मिश्रा नाम के व्यक्ति ने आरटीआई दायर कर यूपी के एक शिक्षक यज्ञ दत्त के खिलाफ जांच की मांग की थी।

उल्लंघन बताया

स्कूली बच्चों को शारीरिक दंड देना किशोर न्याय अधिनियम 2000 का उल्लंघन बताने के साथ ही सार्वजनिक रूप से गलत भी बताया। आयोग ने इसे सार्वजनिक हित की जानकारी बताने हुए कहा, इससे किसी की प्राइवेट का अप्रियोग नहीं होता।

1099 केन्द्रीय विद्यालय स्कूलों पर प्रभावी होगा।

किशोर न्याय अधिनियम 2000 का उल्लंघन बताने के साथ ही सार्वजनिक रूप से गलत भी बताया।

शिक्षकों के बारे में खुलासा हो : आयोग

आयोग उन सभी शिक्षकों के बारे में खुलासा करने को कहा है, जिन्हें बच्चों को शारीरिक दंड देने के अपराध में दंडित किया जा चुका है। इसमें शारीरिक दंड के खिलाफ जांच दिशा निर्देशों को केटी स्कूलों में लागू करने को कहा गया है।

आयोग ने स्कूलों में एक से अधिक सदस्यों का अनुशासनात्मक पैनल गठित करने को कहा है।

Rajasthan Patrika (H), July 26, 2016, P. 5
(Physical Punishment/ Penalty/ School Teachers)

सात साल की उम्र में ही बच्चे हो रहे स्मार्टफोन एडिक्ट, पढ़ाई से दूर रहा जाता

बच्चों को स्मार्टफोन दें तो बरतें पूरी सावधानी

न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूज सर्विस

वाशिंगटन। आज की जरूरत बन चुका स्मार्टफोन अब बच्चों को पहुंच से दूर नहीं है। ऐसे में यह प्रश्न उठने लगा है कि बच्चों को स्मार्टफोन देना कितना सुरक्षित है और उन्हें किस उम्र में यह डिवाइस दिया जाना चाहिए। कई अध्ययनों और विशेषज्ञों की राय मानें, तो माता-पिता की निगरानी में बच्चों को यह डिवाइस सौंपा जा सकता है, लेकिन इसके साथ कुछ अहम बातें ध्यान में रखना जरूरी हैं।

इंटरनेट सेफ्टी विशेषज्ञों के मुताबिक कम से कम सात साल की उम्र में बच्चों के पास स्मार्टफोन पहुंच जा रहा है। बच्चों को कब स्मार्टफोन दिया जाना चाहिए, इसको लेकर विशेषज्ञ कहते हैं कि जितनी देरी से बच्चों के हाथ में यह

माता-पिता बरतें कुछ सावधानी तो बच्चों को भटकने से बचाया जा सकता है, बच्चों के स्मार्टफोन के इस्तेमाल पर रखें नजर

आए, उतना ही अच्छा। वह कहते हैं कि जैसे तो 12 साल या 14 की उम्र में स्मार्टफोन बच्चों को दिया जा सकता है, लेकिन मां-बाप की निगरानी जरूरी है।

बच्चों को उनकी पढ़ाई से दूर करता स्मार्टफोन

कॉमन सेस यूडियस संस्था ने 1240 माता-पिता और उनके बच्चों को लेकर सर्वे किया। इसमें सामने आया कि स्मार्टफोन की वजह से बच्चे पढ़ाई पर ध्यान नहीं देते। इस सर्वे में 50 फीसदी बच्चों ने स्वीकार किया कि उन्हें स्मार्टफोन की लत लग चुकी है। वहीं, लेखक चिनबर्गर ने 70 हजार से भी ज्यादा बच्चों का 18 महीनों तक सर्वे किया। इसमें सामने आया कि स्मार्टफोन की वजह से पांचवी कक्षा से ही बच्चों ने सेक्सटिंग शुरू कर दी थी। आठ की उम्र में उन्होंने पहली बार पॉर्न देखा और 11 की उम्र आते-आते उन्हें पॉर्न देखने की लत लग गई। यही नहीं, स्मार्टफोन की वजह से बच्चे संयम खोने लगे हैं।

स्मार्टफोन के नुकसान से ऐसे रखें बच्चों को दूर

- जरूरी होने पर अगर बच्चों को स्मार्टफोन देना ही पड़े, तो मां-बाप कुछ सावधानी बरत कर उन्हें इसके नुकसान से बचा सकते हैं।
- बच्चों के संपर्क में रहने के लिए उन्हें स्मार्टफोन की जगह सादा फोन दें। ताकि ये जरूरत होने पर कॉल और एसएमएस कर सकें।
- कई ऐप का सहारा लेकर उनके स्मार्टफोन इस्तेमाल पर नजर रखी जा सकती है।
- कुर्टीडियो और ऐसी ही अन्य कई ऐप हैं, जो गूगल प्ले पर उपलब्ध हैं। इनके जरिये बच्चों के इंटरनेट इस्तेमाल पर नजर रखी जा सकती है।
- इन ऐप के जरिये बच्चे किन से संपर्क करें और किन से नहीं और उनके इंटरनेट इस्तेमाल को भी नियंत्रित किया जा सकता है।

Amar Ujala (H), July 29, 2016, P. 1
(Education/ Mobile Safety)

आईटीआई प्रवेश में हो रहा झंझट

कैसे मानें कि आप सही स्कूल से आठवीं पास हैं

डीईओ बच रहे अंकतालिका के प्रमाणीकरण से

विपिन सोलंकी
rajasthanpatrika.com

उदयपुर। आईटीआई में प्रवेश लेने के इच्छुक विद्यार्थी अंक तालिका पर जिला शिक्षा अधिकारी के काउंटर हस्ताक्षर करवाने के नियम से घनचक्कर हो रहे हैं। वहीं राज्य सरकार के इस संबंध में आदेश से शिक्षा अधिकारी भी सिर पकड़ कर बैठे हैं। आईटीआई में प्रवेश के लिए राज्य सरकार ने 8वीं कक्षा पास की शैक्षणिक योग्यता निर्धारित कर रखी है। यह आदेश भी दिया है

प्रमाणीकरण के लिए आ रही फर्जी टीसी

शिक्षा अधिकारियों ने बताया कि कई छात्र ऐसे आए जिनकी अंकतालिका में अंकों पर कई जगह संशोधन था। कुछ ने छठी कक्षा किसी विद्यालय से पास की और टीसी भी उसी विद्यालय की जमा करवा रहे हैं, जबकि अध्ययन जारी रखने वाले विद्यार्थियों को अगले स्कूल में टीसी जमा करवानी पड़ती है। ऐसे में वे स्कूल के प्रमाणीकरण के लिए आठवीं कक्षा की फर्जी टीसी लेकर आ रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि

अंकतालिका से प्रमाणित नहीं हो पाता है कि विद्यार्थी उसी विद्यालय का है या नहीं। टीसी (ट्रांसफर सर्टिफिकेट) पर मान्यता प्राप्त विद्यालयों के तैमिड कोड दिए होते हैं। इस कोड को ऑनलाइन ड्रॉपले पर विद्यालय का पूरा विवरण सामने आ जाता है। टीसी में उसकी विद्यालय उपस्थिति, प्रोबेस रिपोर्ट आदि जानकारी होती है। इसे जिला शिक्षा अधिकारी की ओर से आसानी से प्रमाणित किया जा सकता है और छात्रों को भी सहूलियत होगी।


विद्यार्थी व विद्यालय की पूरी जानकारी के बाद ही प्रमाणीकरण किया जा रहा है। विद्यार्थी अपने विद्यालय से परीक्षा रजिस्टर लेकर आ रहे हैं उसी को मान्य मान रहे हैं।

वीरेन्द्र पंचोली, अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक प्रयम।

गया है। शिक्षा अधिकारी छात्रों से अपने विद्यालयों के परीक्षा रजिस्टर तक मंगवा रहे हैं जिससे प्रमाणिक हो जाए कि विद्यार्थी उसी विद्यालय का है या नहीं। इधर, निजी विद्यालय, हर विद्यार्थी को परीक्षा रजिस्टर देना उचित नहीं समझ रहे। इससे डेरों विद्यार्थी प्रवेश से वंचित हो रहे हैं।

कि विद्यालय मान्यता प्राप्त है या नहीं, इसके लिए जिला शिक्षा अधिकारी अंकतालिका प्रमाणित करें। यह शर्त शिक्षा विभाग के अधिकारियों के लिए परेशानी बन गई है। विभाग के पास मान्यता प्राप्त विद्यालय की सूची तो है लेकिन विद्यार्थी का प्रगति पत्र असली है या नहीं, यह जांच करना मुश्किल हो

Rajasthan Patrika (H), July 30, 2016, P. 4
(ITI Entrance/ Education Qualification)



Hindustan Times, July 31, 2016, P. 2
(Types of Schools/ Education System)

1.4 Girl Child/Child Sex Ratio ('Fair Start'/ UNICEF Report/ Girls Discrimination/ Girls Leaders/ Girl Child Protection/ Child Marriage/ Beti Bachao Beti Padhao/ Girls Nameplate/ Improved Ratio)



The Hindu, July 7, 2016, P. 15
(Child Sex Ratio/ Fund Utilization)



Rajasthan Patrika (H), July 7, 2016, P. 14
(Girl Child/ 'Fair Start'/ UNICEF Report)

Boys more likely to be taken to hospital than girls: Study

Anonna Dutt

anonna.dutt@hindustantimes.com

NEW DELHI: A boy child is likelier to be brought for treatment than a girl child, shows a study of patients at the municipal corporation-run Hindu Rao Hospital.

There is a lot of focus on female foeticide, and the child sex ratio at birth in the hospital has gone up, said a researcher involved in the study, Sonia Makhija.

"But no one looks at whether the girl children who are born are taken care of. The sex ratio at our paediatric and immunisation departments shows that girl children don't receive adequate medical care, especially when they are less than four years of age," she said.

The average sex ratio at birth for the three years under study was 934 girls per 1,000 boys. NFHS pegs the country's average at 920.

"The people coming to the hospital are mostly poor and do not have access to facilities for illegal sex determination. So, the sex ratio at birth is high," said Dr Makhija.


The hospital's ratio fell to 617 in the 0-1 years' age group. The corresponding national average is 960.

The hospital's figure continues to remain low at 665 till the age of nine. The corresponding national averages are 891 for 1-4 years bracket and 835 for the 5-9 years group.

The figure rises to 794 in the 10-14 years bracket, while the national average is 869.

GIRLS BEING NEGLECTED?

A study that looked at children brought to Hindu Rao Hospital's paediatric department showed that for every 1,000 boys, fewer girls are brought for treatment for various age groups



Mean of data collected from 2010 to 2012. Study looked at 100,000 children who visited the hospital's out-patient department, 40,000 who were admitted and 20,000 newborns.

*National Family Health Survey. Source: Paediatric department, Hindu Rao Hospital

"When the girl children grow up, they can persuade their parents to take them to the hospital. Hence the jump in the 10-14 years age group. By then, parents also get used to the idea of having the girl child around," said Dr Makhija.

Data of children brought to the hospital's out-patient clinics and immunisation centre also revealed

a similar trend.

The average sex ratio in the 0-12 group of the out-patient department was 726. It is 867 in the reference population.

The study, published in the Indian Journal of Paediatrics, was done by the hospital's Dr Sonia Makhija, Dr Raju Gupta, among others.

Hindustan Times, July 8, 2016, P. 4
(Girls Discrimination/ Health Services)

मलाला की तरह बन रही हैं 'गर्ल्स लीडर'



पत्रिका प्राइड

उदयपुर

चार माह में चार सौ से अधिक बेटियां पहुंची स्कूल

मलाला यूसुफजई की जलाई शिक्षा की मशाल हर तरफ रोशनी बिखेर रही है। नई मशालों के रूप में तैयार हो रही हैं हमारी गर्ल्स लीडर। वे बेटियों की शिक्षा के साथ उन्हें समाज की मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर रही हैं।



उदयपुर में भी कई मलाला तैयार हो रही हैं। एक एनजीओ के माध्यम से गांवों में तैनात गर्ल्स लीडर स्कूल छोड़ चुकी बेटियों को स्कूल जाने के लिए प्रेरित कर रही हैं।

मलाला फंड के सहयोग से चार महीने पहले शुरू हुए इस अभियान के कारण अबतक चार सौ से अधिक बेटियों को दोबारा स्कूल पहुंचाया जा चुका है। अभियान से जुड़े प्रेमकुमार लुथरा ने बताया, गांवों में बालिका शिक्षा बढ़ाने के लिए 'ही नेम्ड भी मलाला' कार्यक्रम चलाया जा रहा है। इसमें जिले के 10 विद्यालयों के 20-20 बालिकाओं के समूह बनाकर प्रशिक्षित किया जा रहा है। हर समूह में तीन गर्ल्स लीडर हैं जो लड़कियों और अभिभावकों को शिक्षा का महत्त्व बता रही हैं।

बी. पोलम्मा

भिलाई, (छत्तीसगढ़)

ढाई हजार बच्चों को दिखाई शिक्षा की राह



पोलम्मा साक्षरता और बाल अधिकार के लिए लड़ते हुए वह अबतक दो हजार बेटियों और पांच सौ लड़कों को स्कूल में दाखिल करा चुकी हैं। लक्ष्य अधिक से अधिक बच्चों को शिक्षित करना है।

शहर के कैप-2 निवासी बी. पोलम्मा की पहचान शिक्षा दूत के रूप में होती है। पोलम्मा अबतक स्कूल से दूर रहने वाले करीब ढाई हजार बच्चों को स्कूल पहुंचा चुकी हैं। इनमें से अधिकतर बच्चे गरीब, मजदूर और श्रमिकों के हैं। पोलम्मा कहती हैं कि पढ़ाई को

लेकर जो तकलीफ उन्होंने झेली हैं वह नहीं चाहती कि दूसरे बच्चे झेलें। वे लोगों के घर-घर जाकर बच्चों खासकर बेटियों को पढ़ाने के लिए अपील करती हैं। स्कूल न जाने वाले बच्चों का दाखिला कराती हैं और रात में अपने घर पर उन्हें पढ़ाती भी हैं।

आशा की किरण


मलाला यूसुफजई की उम्मीदों को स्वतंत्र पार्टी के नेता के साथ अब भी पट्टे बांध करती हैं। वह पाकिस्तान लीडरशिप को स्वीकार करना चाहती हैं।

मलाला के हमलावर अब पकड़े गए तो उनके पिता जियाउद्दीन ने कहा था, यह शुभ संकेत है कि सरकार ने कार्रवाई कर भारत की किरण जलाई।

मलाला पर हुई हमले के बाद से वह विदेश में रहकर पढ़ाई कर रही हैं।

असमों में राष्ट्रपति बराक ओबामा, विदेश की नारंगी एलजावेथ इतिहास व कराह फुटबल टीम के कार्यक्रम से मिल चुकी हैं।

वर्ष 2014 में उनकी जीवनी 'आई एम मलाला- हाउ वन गॉर्ल स्टैंड अगेन' को संयुक्त राष्ट्र एडवोकेट ऑफ द चिल्ड्रन प्रकाशित हुई थी।



16 वर्ष की उम्र में 12 जुलाई 2013 को संयुक्त राष्ट्र को हर बच्चों की शिक्षा का अधिकार संबोधित किया था।

मलाला के परिवार पर 'बी मलाला डॉक्यूमेंट्री भी अक्टूबर 2015 में रिलीज हो चुकी है। यूनिवर्सिटी ऑफ किंग्स कॉलेज उन्हें मानव उपाधि से नवाज चुका है। 2013 में टाइम मैगज़ीन में विश्व के 100 प्रभावशाली

स्त्रियों में शुमार हो चुकी हैं। जम्मूखिब 12 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र संघ मलाला दिवस घोषित कर चुका है। मलाला पर हमले के बाद पाकिस्तान में पहली बार फस हुआ था शिक्षा पर बिल।

पुष्पा सागर

जालौर (जोधपुर)

अमरीका तक पहुंची आवाज



रा मा गांव में मजदूर दंपती की बेटी पुष्पा सागर अमरीका के टेक्सास में भी बेटियों की शिक्षा का मुद्दा उठा चुकी हैं। पुष्पा अपनी पढ़ाई के साथ स्कूल छोड़ चुकी 100 से अधिक लड़कियों को शिक्षा से जोड़ चुकी हैं। पुष्पा गांव में घर-

घर जाकर स्कूल छोड़ चुके बच्चों को दोबारा से पढ़ाई के लिए प्रोत्साहित कर रही हैं। उनके काम देखते हुए एक एनजीओ की पहल पर उन्हें 'आई वॉलंटियर अवॉर्ड' के लिए चुना गया। लड़कियों को शिक्षा से जोड़ने के लिए चलाए गए अभियान से प्रभावित होकर अमरीका ने पुष्पा को बच्चों की शिक्षा से जुड़े कॉन्फ्रेंस के लिए चुना। 15 अक्टूबर, 2015 को पुष्पा ने बेटियों की शिक्षा का मुद्दा उठाया। पुष्पा की बात मौजूद लोगों के दिल को छू गई।

Continue from Pre Page

अनयारा उत्तर 24 परगना (पश्चिम बंगाल)

180 बच्चों को तस्करो के जाल से मुक्त कराया

बेटियों की शिक्षा के लिए अक्सर उठावे वकील अनयारा 180 बच्चों को तस्करो से मुक्त करा चुकी है। 100 बाल विवाह रोके व 200 से अधिक बाल श्रमिकों को मुक्त करा चुकी है।

बंगाल के पिछड़े इलाकों में शिक्षा और बाल श्रमिकों के लिए काम कर रही 20 वर्षीय अनयारा अब तक एक हजार से अधिक बच्चों को वापस स्कूल पहुंचा चुकी हैं। खुद मलाला यूसुफजई अपने फेसबुक पोस्ट पर अनयारा का जिक्र करते हुए

उनकी तारीफ कर चुकी हैं। उत्तर 24 परगना जिले के संदेशखाली निवासी अनयारा मानव तस्करी, बाल विवाह और बाल मजदूरी को लेकर भी अभियान चला रही हैं। उनका मानना है शिक्षा ही समाज में बदलाव ला सकती है।

खिचड़ी के लिए पढ़ी, बनी वकील

नारायणी भीलवाड़ा (राजस्थान)

जिले के कुवाड़ा गांव निवासी नारायणी बागरिया खिचड़ी खाने के लालच में स्कूल जाने लगी थीं। 22 भाई-बहन के परिवार में गरीबी के कारण पहले कोई नहीं चाहता था कि वे पढ़ें। लेकिन आज नारायणी अपने समाज की पहली महिला वकील बन बच्चों को आगे बढ़ा रही हैं। नारायणी से प्रेरित होकर समाज के ज्यादातर बच्चे जूठन उठाना व भीख मांगने का काम छोड़कर स्कूल जा रहे हैं।

पढ़ाई के लिए कराती हैं ट्यूशन

कीर्ति अजमेर (राजस्थान)

अलवर गेट नोनकरण का अहता निवासी हेमराज आमलोदिया की बेटी कीर्ति राजकीय अभियांत्रिकी कॉलेज में मैकेनिकल इंजीनियरिंग तृतीय सेमेस्टर की छात्रा हैं। छोटी सी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देख चुकी कीर्ति के पास फीस के लिए पैसे नहीं हैं। वह बच्चों को ट्यूशन पढ़ाकर फीस के लिए रूपए जुटा रही हैं। कीर्ति इंजीनियर बनकर बालिका शिक्षा के लिए अभियान चलाएंगी।

बिन उंगली लिख रहीं तकदीर

अमरीन रतलाम (मध्य प्रदेश)

अमरीन के साथ हुए हादसे ने उसकी उंगलियां छीन लीं लेकिन उन्होंने न पढ़ाई छोड़ी और न हौसला। दोनों कलाइयों से कलम थामकर आठवीं की परीक्षा 75 फीसदी अंकों से पास की है। खैरदीवास निवासी अमरीन की एक आग हादसे में दोनों हाथों की उंगलियां और शरीर का काफी हिस्सा जल गया था। इसके बावजूद वह शिक्षा का लक्ष्य पूरा कर रही हैं।

पढ़ाई के लिए सबसे की लड़ाई

सुरभि भोपाल (मध्य प्रदेश)

गंजबासौदा के लाल पठार बस्ती की पादरी बिरादरी की सुरभि जब आठ साल की हुई तो समाज ने पढ़ने से रोक दिया। लेकिन सुरभि ने पढ़ाई जारी रखने के लिए न केवल परिवार व समाज से लड़ी बल्कि अब भोपाल आकर एक संस्था की मदद से पढ़ाई कर रही हैं।

Rajasthan Patrika (H), July 12, 2016, P. 11
(Girl Child/ Girls Leaders)

Search for an answer

THE APEX COURT'S DIRECTION TO THE GOVERNMENT ON INTERNET SEARCHES THAT LEAD TO ADVERTISEMENTS FOR SEX DETERMINATION THROWS UP COMPLEX QUESTIONS, SAYS **SUNIL GARODIA**

Given the skewed sex-ratio in India, the Indian government and courts are very strict where sex determination tests are concerned. Indian laws have detailed guidelines and strictures to prevent such tests and it includes any kind of advertising to induce parents to go for such tests. The section in the Pre-Conception and Pre-Natal Diagnostic Techniques (PCPNDT) Act, 1994 that bans advertising for such tests is quite comprehensive and includes all possible types of advertising through every conceivable means. The section reads as follows:

22. Prohibition of advertisement relating to pre-natal determination of sex and punishment for contravention.- (1) No person, organisation, Genetic Counselling Centre, Genetic Laboratory or Genetic Clinic shall issue or cause to be issued any advertisement in any manner regarding facilities of pre-natal determination of sex available at such Centre, Laboratory, Clinic or any other place. (2) No person or organisation shall publish or distribute or cause to be published or distributed any advertisement in any manner regarding facilities of pre-natal determination of sex available at any Genetic Counselling Centre, Genetic Laboratory, Genetic Clinic or any other place. (3) Any person who contravenes the provisions of sub-section (1) or sub-section (2) shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to three years and with fine which may extend to ten thousand rupees. Explanation.- For the purposes of this section, "advertisement" includes any notice, circular, label wrapper or other document and also includes any visible representation made by means of any light, sound, smoke or gas.

Given this background, it is nat-

ural for the Supreme Court to rap search engines like Google, Yahoo and Microsoft (Bing) for violating the law banning such advertising. The court was of the view that the search engines were violating the law in this regard. It said that "they are patently violating the law and saying they cannot do anything to block the advertisements." The apex court had directed the search engines in an order last year to desist from contravening the PCPNDT Act in any manner whatsoever. Admitting that since it did not have an expertise in the matter, the court has now directed the Centre to file a report by July 25 stating how such advertisements could be blocked, after which it will pass its order on the subject.

Lawyers appearing for the search engines had argued that they were not advertising anything, or allowing anything to be advertised, that violated any section of the PCPNDT Act, 1994. But the judges were not impressed. The court was of the view that "there can be no dispute that the respondents, namely Google India, Yahoo India and Microsoft (I) Pvt Ltd, cannot, in the name of intermediaries, put anything that violates the laws of this country. The advertisements violate Section 22 of the PCPNDT Act, 1994 and if any advertisement is on any search engine, the same must be withdrawn."

Anyone familiar with search engines would recognise that both the court and the search engines are correct in their views. Since no advertisement contravening the PCPNDT Act, 1994 is appearing on the pages of the search engines as well the pages where the result of the keywords searched appear, they can claim that they are not contravening the provisions of the act. The court is also correct in its


view that once a person goes to results appearing in the searched pages, he or she can see advertisements that are in contravention of the said act.

The problem lies in the wording of the section. The section is so comprehensive that it says that "no person or organisation" can "issue or cause to be issued" any advertisement that is in conflict with the provisions of the act. Since search engines are facilitating the results for keyword search of "sex determination tests," they will be held responsible even if the person clicks on the results and is taken to a website that is outside the search engines' servers and over which the search engine has no control, if that website advertises for sex determination tests.

This is a tricky situation that needs to be examined by experts. For anyone searching for "sex determination tests" is not necessarily looking for places where such tests can be done. He or she might be a lay person wanting to know what such tests are or could be a researcher wanting to study latest trends in such tests. There are a million possibilities why a person

The Statesman, July 14, 2016, P. 14 (Contd..)

Continue from Pre Page



and point one to links that advertise for sex determination tests, they can be held liable as per the current wording of section 22 of the PCPNDT Act, 1994. Given the importance of the issue and the court's glare on it, the government needs to set up a committee of technical experts who can sit with similar experts from the search engines to suggest a mechanism that can solve the problem. The easiest way that one can imagine is putting up a disclaimer, something on the lines of "clicking on any of these links will take you to third party websites whose content might contravene laws of your country and you agree that you will be fully responsible for and legally bound by clicking on any of the links."

might look up the keywords. Hence, a blanket ban on searching the keywords is neither advisable nor ethical. Also, there a million combinations of words that can be used to search the same thing. Hence, the idea of a blanket ban is also impracticable. The search engines can also argue, as they have, that since the advertisements, if any, are appearing on pages which are outside their domain and servers and since they have no control over the content of third party websites, they cannot do much about it. But if searches on their domain and servers lead

But this again will not absolve the search engines from causing access from the links that appear on the search pages. Clearly, this is a problem that does not lend itself to easy solutions and the government might not be able to come up with a solution that it can present before the court within the given deadline. But as it needs to be solved since it is clearly in conflict with the law of the land, all concerned parties have to apply their minds and come up with a practical solution that satisfies the apex court.

THE WRITER IS EDITOR-IN-CHIEF,
www.indiacommentary.com

The Statesman, July 14, 2016, P. 14
(Sex Determination/ Girl Child Protection)

Thousands say no to child marriage at Tangla

CORRESPONDENT

KALAI GAON, July 15: It was a never seen before protest by thousands of women from Bhergaon subdivision who came out to the streets to say no to child marriage and assembled at Tangla town on July 13 on the occasion of 'Child marriage awareness programme' launched by Udalguri district administration in association with ROSS (Rural Social Service Organisation), an NGO of Udalguri working in various children welfare issues; District Social Welfare Office, Udalguri; District Legal Service Authority, Udalguri; District Social Welfare Office, Udalguri and Mahila Samata Society, Udalguri.

The programme was held at Bordoloi Smriti Bhaban at Tangla at 11 am. More than a thousand people, mostly women, took out an awareness rally through the streets of Tangla town requesting people to come forward to raise their voice against child marriage.

The rally was guided by DN Hazarika, SDO (S) Udalguri, Prof Binoy Medhi and Dimple Baruah, Assistant Commissioner, Udalguri. Later, an awareness meeting was held at Bordoloi Smriti Bhaban, which was presided over by Manik Sarma, former president of Asam Sahitya Sabha, Udalguri district committee.

Gautam Saharia, District Child Protection Officer, Udalguri spoke a few words in the meeting followed by introduction and felicitation ceremony conducted by Nilakshi Bordoloi, In-Charge of DSWO (District Social Welfare Office), Udalguri.

Dimple Baruah, Assistant Commissioner, Udalguri, while speaking on the importance of prohibition of child marriage, said that child marriage has been prevailing in rural villages in Udalguri district due to lack of awareness and

economic compulsion. She also expressed her concern over the fact that due to ignorance, poor people in the villages had been arranging child marriages defying existing laws forbidding marriage of boys and girls below 21 and 18 respectively.

She wondered as to how could a girl of below 18 years take the burden of maintaining a big family besides taking care of elderly people and small children.

She requested all parents, Angan-

wadi workers and members of NGOs to create awareness among people so that child marriage could be abolished totally. The session was also addressed by Udayaditya Gogoi, SDO (C), Bhergaon; Keshab Dutta, president of Udalguri District Bar Association; Binoy Kumar Medhi and Binapani Devi, Chairman of CPC (Children Protection Committee, Udalguri). A drama was also staged by the women of Tangla on the consequences of child marriage.



Women taking part in a rally against child marriage at Tangla. - Kalaigaon correspondent

The Assam Tribune, July 16, 2016, P. 8
(Awareness Programme/ Child Marriage)

छत्तीसगढ़ के गांवों में लोगों ने घर के बाहर लगाई बेटियों की नेमप्लेट

■ रायपुर।

छत्तीसगढ़ में बालोद जिले के गांवों में लोगों ने स्थानीय प्रशासन की अनूठी मुहिम के तहत अपने घरों के बाहर अपनी बेटियों की नेमप्लेट लगाई है, ताकि लड़कियों की शिक्षा एवं सनाज में उनकी पहचान को सशक्त बनाया जा सके। माओवाद से आंशिक रूप से प्रभावित बालोद जिले में डेढ़ महीने पहले इस पहल की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत गांवों के घरों के बाहर परिवार की छात्राओं की नेमप्लेट लगाई गई हैं।

बालोद के कलेक्टर राजेश सिंह राणा ने 'पीटीआई- भाषा' से कहा, " लोगों को बच्चियों के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए और लड़कियों में साक्षरता बढ़ाने के लिए यह मुहिम शुरू की गई है।" उन्होंने कहा कि बालोद के विभिन्न गांवों में विभिन्न आयु

वर्ग की करीब 2,700 लड़कियों के नाम की पट्टियां उनके घरों के बाहर लगाई गई हैं।

राणा ने कहा कि स्थानीय जन प्रतिनिधियों, सरपंच एवं अधिकारियों के साथ विचार-विमर्श के बाद प्रधानमंत्री की 'बेटी

लड़कियों को सशक्त बनाने की मुहिम

कम अवधि में ही इस मुहिम के 12 ग्राम पंचायतों में सफल परिणाम देखने को मिले

बचाओ, बेटी पढ़ाओ' मुहिम की सोच को साकार करने के मकसद से यह मुहिम शुरू की गई थी। उन्होंने कहा कि कम अवधि में ही इस मुहिम के 12 ग्राम पंचायतों में सफल परिणाम देखने को मिले हैं। एक गांव की 11वीं की

छात्रा पेमिना साहू ने कहा, " यह हमारे लिए सपना साकार होने जैसा है। इस मुहिम के कारण लड़कियों के प्रति गांवों के लोगों की सोच बदल रही है।" एक अन्य माध्यमिक स्कूल की छात्रा जागृति टेकम ने कहा कि इस प्रकार की मुहिम केवल एक जिले तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि यह राज्य के हर कोने में शुरू की जानी चाहिए ताकि लोगों को यह अहसास दिलाया जा सके कि लड़कियां किसी भी तरह लड़कों से कम नहीं हैं।

कलेक्टर ने कहा कि यह मुहिम माता-पिता को अपनी बेटियों को स्कूल भेजने के लिए ही प्रेरित नहीं कर रही, बल्कि उनकी पुरुष प्रधान सोच को भी बदल रही है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने के लिए नेमप्लेट को हरे रंग से रंगा गया है और इस पर सफेद पेंट से नाम लिखे गए हैं। ■ भाषा

Rashtriya Sahara (H), July 30, 2016, P. 2
(Beti Bachao Beti Padhao/ Girls Nameplates)

ANCHOR बाल विवाहिता ने एसपी को बताई आपबीती

बाल विवाह का दंश, अब नहीं झेलूंगी

चार साल की उम्र में हुई थी शादी, ससुराल वाले कह रहे हैं ससुराल चलो, नहीं तो उठाकर ले जाएंगे

पत्रिका न्यूज़ नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

बीकानेर: 'मैं बाल विवाह के बंधन से मुक्त होना चाहती हूँ, लेकिन मेरे ससुराल वाले मुझे और मेरे परिवार को धमका रहे हैं। वे कहते हैं या तो बेटे को ससुराल भेजो नहीं तो

15 लाख रुपए की कर रहे मांग

भंवरी ने जिला पुलिस अधीक्षक डॉ. अमनदीप सिंह कपूर से कहा कि उसके ससुराल वाले उसके परिजनो से 15 लाख रुपए की मांग कर रहे हैं। उसने बताया कि ससुराल वाले ने 31 जुलाई को इस संबंध में खाप पंचायत भी बुलाने का निर्णय किया है। जिसमें उनके परिवार पर रुपए देने या बेटे को ससुराल भेजने का दबाव डाला जाएगा।

उठाकर ले जाएंगे। उन्होंने मुझे कई बार घर से उठाने का भी प्रयास किया।' इतना कहते भंवरी की आंखों में आंसू आ गए। भंवरी पांचू गांव की रहने वाली है, जिसकी शादी चार वर्ष की उम्र में मदन लाल से करीब 19 साल पहले हुई थी। अपनी शादी को अवैध ठहराते हुए

भंवरी ने शनिवार को जिला पुलिस अधीक्षक के आगे परिवार पेश किया है। उसने बताया कि उसकी शादी उस समय हुई जब वह नासमझ थी, परिजनों की गलती और कुरीतियों के दंश को अब वह नहीं झेल पाएगी। भंवरी ने कहा, अभी बीए फाइनल की परीक्षा दी है,

मैं आगे और पढ़ना चाहती हूँ।

कानून भी साथ

शारदा एक्ट के अनुसार 18 साल से पहले शादी नहीं की जा सकती। अगर ऐसा होता है, और परिवार इसका विरोध करती है तो कानून वह शादी अवैध माने जाएगी। न्यायिक बच्चों की होने वाली शादी को अवैध ठहराने के लिए ही इस कानून को बनाया गया था। रही बात ससुराल वालों के दबाव डालने की तो उनके खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई किए जाने का प्रावधान है।

शैलेश गुप्ता, परिह उद्येयता बीकानेर

Rajasthan Patrika (H), July 31, 2016, P. 2
(Child Marriage/ Girl Child)

नवजात बच्चियों, माताओं का सम्मान

धर्मगढ़ में 1000 लड़कों के मुकाबले 1250 लड़कियां

सफीदों, 14 जुलाई (जिस)

उपमंडल सफीदों के गांव धर्मगढ़ में लिंगानुपात में 1000 लड़कों के मुकाबले लड़कियों का आंकड़ा 1250 तक पहुंच गया है। बीते दिसम्बर माह से पहले इस गांव में 6 वर्ष तक के बच्चों में एक हजार लड़कों के मुकाबले केवल 800 लड़कियां बताई गईं। बृहस्पतिवार को गांव के राजकीय मिडल स्कूल परिसर में एक विशेष समारोह का आयोजन किया गया। जिसमें मुख्य अतिथि सफीदों के डीएसपी हरेद्र सिंह व गांव के सरपंच अजीत सिंह ने 12 से अधिक नवजात बच्चियों व माताओं को सम्मानित किया। इस मौके पर आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा अनेक शिक्षित



सफीदों के धर्मगढ़ गांव में बृहस्पतिवार को आयोजित समारोह में डीएसपी हरेद्र सिंह नवजात बच्चियों व माताओं को सम्मानित करते हुए। -बिस

महिलाओं को भ्रूण हत्या के विरोध में प्रकाशित प्रेरक किताब अर्धजन्मी भेट की गई। स्कूल के मुख्याध्यापक सुभाष चंद्र ने बताया कि इस स्कूल में भी छात्रों के मुकाबले छात्राओं की संख्या ज्यादा

है। उन्होंने बताया कि स्कूल में दाखिल कुल 108 विद्यार्थियों में 60 छात्राएं हैं जबकि 48 छात्र। समारोह में प्रभारी खंड शिक्षा अधिकारी नरेश वर्मा ने भी भाग लिया।

पेड़ लगाने, नशे पर अंकुश की अपील

डीएसपी ने वामीणों से आग्रह किया कि वे विकास की हर दिशा में रिकार्ड बनाते चलें और दो अचूके काम करें, एक तो पेड़ लगाने के काम को परम्परा बनाते हुए अपने व बच्चों के जन्मदिव, शादी, शादी की सालगिरह तथा त्योहार के मौकों पर अपने प्लाट या खेत में कोई न कोई पेड़ अवश्य लगाएं और गांव में नशे पर अंकुश लगाने का प्रयास करें। क्षेत्र के विख्यात समाजसेवी सियाराम मारवाजा ने भी वामीणों को प्रेरित करने का प्रयास किया। अतिथियों ने स्कूल परिसर में पौधरोपण भी किया।

Dainik Tribune (H) , July 15, 2016, P. 2
(Child Sex Ratio/ Improved Ratio)

VISUALLY CHALLENGED KID CALCULATES CALENDAR QUICKLY

Days for dates in seconds

Juhi Chhabra

NEW DELHI, 9 JULY: How would you find out which day was on a particular date? While you turn the pages of a calendar or search the internet, 10-year-old Pratyush gives the correct answer within seconds. Ask the wonder boy, he will tell you which was the day on 15 September 1984, or which day will be on 16 August 2017.

Born in 2006 in an impoverished family of Tehta block in Bihar's Jehanabad district, Pratyush studies in class V student of JPM Senior Secondary School for Blind, Lal Bahadur Shastri Marg, in New Delhi.

"If you ask him to name all the railway stations between New Delhi and Patna, he will tell you about every station in an orderly manner," said Pratyush's father Nandkishore Giri, a small-time cosmetic vendor.

His razor-sharp mind was put to test when an organisation invited him to Patna and asked him numerous questions about a day, 20 years in the past.

The boy did not bat an eyelid before giving all the answers within seconds. Later, all the answers were found to be correct. So when did he come to know about his rare ability?

"It was around four years ago when I was returning from New Delhi after getting him admitted to the school. Pratyush then asked me: 'Papa when will you visit next to take me back?' As I muttered some date, he immediately calculated and said, 'okay, it will be a Thursday'. Later I found he was correct. Then, just to cross-check his mental ability, I asked him about some other dates. He immediately calculated and within seconds gave the cor-



rect answers. It was then that I realized that my child could be visually challenged but he had some extra-ordinary qualities", said Nandkishore.

"If he listens to something, it is recorded in his brain. Give him a sum to calculate, he will solve it within seconds without using pen or paper", he added.

Pratyush was not born blind. He initially had some problems with his eyesight. But by 2008, he almost lost his vision. However, his sheer talent make his peers vouch for his high-level IQ.

When did he realize that his son was having vision problem? "When Pratyush was born on September 28, 2006 at Saren village near Teh-ta Station, he was found to be a healthy baby. Since 2008, he developed eye-sight problem. Several eye specialists were consulted. It was found to be a case of retinal detachment. We went to Patna Medical college and Hospital and Nalanda Medical College and Hospital.

Pratyush was then referred to All India Institute of Medical Sciences (AIIMS) in New Delhi where the boy was operated upon February 4, 2009. Post-operation, he lost whatever little visibility he had. We then went to Shankar Netralaya, Chennai, following which nearly 10 percent of his visibility was restored. But since August 1, 2014, Pratyush has lost complete vision. Doctors have told me he won't ever be able to see the world again as eye transplant was also not possible in his case," said the distraught father.

Pratyush has two brothers and two sisters, and he, being the youngest sibling, is close to his father. Is Pratyush afflicted with savant syndrome, a condition in which a person demonstrates profound and prodigious capacities or abilities far in excess of what would be considered normal. It could be from birth and evident during early childhood or could develop later in life? Nandkishore shows ignorance about it. He isn't ready to admit that it's a God's gift that his son is showing such IQ level.

"It's all a matter of concentration. Many people are aware of my son's ability. Many of them praise him a lot. But not one person has, so far, come forward to extend a helping hand so that an optimum utilization could be made of my son's talent. If the state government extends a helping hand, Pratyush's future may shape well," said Nandkishore.

"Prime Minister has helped Pratyush with a cash amount of Rs 50,000 for his future", said Ms Geeta, Mathematics teacher.

"We have never met his mother since he has joined school, but we appreciate that his father takes initiative for his studies."

The Statesman, July 10, 2016, P. 2
(Gifted Child/ Visually Challenged Kid)

बच्चों के भविष्य की सुरक्षा के लिए ये हैं बेहतर इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस



बलवंत जैन
फाइनेंसियल सर्विसेज मामलों के एक्सपर्ट

बच्चों के भविष्य की चिंता में पैरेंट्स दुबले होते रहते हैं। इसे दूर करने के लिए वे किसी न किसी इन्वेस्टमेंट टूल में निवेश करते हैं। हालांकि अधिकांश पैरेंट्स को इन्वेस्टमेंट टूल्स के बारे में शायद ही पूरी जानकारी होती है। इसीलिए वे अक्सर सही इन्वेस्टमेंट टूल्स का चयन नहीं कर पाते हैं।

चिल्ड्रेन्स प्लान

जीवन बीमा कंपनियों के चिल्ड्रेन्स प्लान में इन्वेस्टमेंट के साथ इन्श्योरेंस भी होता है। इनका मुख्य उद्देश्य बीमाधारक की अस्मय मृत्यु के बाद बच्चों के भविष्य की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। योजना में बच्चे नामिन्वी मात्र होते हैं।

म्यूचुअल फंड

आज की तारीख में बाजार में करीब 30 ऐसी म्यूचुअल फंड योजनाएं हैं, जो बच्चों के लिए हैं। ये लंबी अवधि में आपको अच्छा रिटर्न दे सकते हैं।





लॉक इन पीरियड का ध्यान रखना जरूरी

पैतों की जरूरत कभी भी पड़ जाती है, इसलिए निवेश से पूर्व यह सुनिश्चित करें कि निवेश की जाने वाली योजना में लिक्विडिटी इतना किस वर्ष में किराना है। 2001 के समय तक म्यूचुअल फंड की बच्चों वाली योजनाओं को बच्चों के 18 वर्ष की आयु प्राप्त होने तक नहीं भुनाया जा सकता था। लेकिन अब निवेशक म्यूचुअल फंड के मामलों में जब चाहें, लिक्विडिटी कर सकते हैं।

किस प्रकार करें विकल्प का चयन

अगर आप जोखिम उठा सकते हैं और आपको लिक्विडिटी भी चाहिए तो अच्छे रिटर्न के लिए आपको कम से कम पांच वर्ष के लिए म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। अगर बीमा कवर लेते हुए आप निवेश करना चाहते हैं तो जीवन बीमा कंपनियों द्वारा पेश अनुकूल योजना का चुनाव करें। वहीं पब्लिक प्रोविडेंट फंड में निवेश भी उचित है।

पब्लिक प्रोविडेंट फंड

निवेश की दृष्टि से पब्लिक प्रोविडेंट फंड भी एक अच्छा विकल्प है। इसमें जोखिम भी कम होता है। पीपीएफ में 10 साल तक 10000 रुपए जमा करने पर इसके बाद प्रतिवर्ष 10000 रुपए पा सकते हैं। कोई भी बीमा प्रोडक्ट आपको ऐसे रिटर्न की गारंटी नहीं देता है। बच्चों के लिए बीमा योजनाओं में निवेश की बजाए उनके नाम से पीपीएफ का खाता खुलवाना हमेशा बेहतर होता है।

Rajasthan Patrika (H), July 11, 2016, P. 4

(Child Investment/ Child Welfare)

2. Health and Nutrition issues

2.1 Child/Adolescent Health (Quality of Vaccines/ Global Hunger Index/Child Memory/Weak Bones/ Diarrhoea Control/ Diarrhoea Prevention/ ORS Counter/ Diarrhoea Deaths/Yaws Free India/WHO/ Tetanus Free India/ Tinnitus/ Safety from Dengue/ Vitamin D Effect/ Non Communicable Diseases/Hepatitis Day)

25 फीसदी टीके डॉक्टर और मरीज के पास पहुंचने से पहले ही हो जाते हैं खराब इलाज के टीके ही बढ़ा रहे हैं मर्ज!

डब्ल्यूएचओ भी उठा चुका मामला

27 हजार कोल्ड चैन प्वाइंट खुलेंगे

नई दिल्ली. देश में करीब 25 फीसदी टीके डॉक्टर और मरीज के पास पहुंचने से पहले ही खराब हो जाते हैं। यह सब सप्लाय चैन के अभाव और प्रबंधन सिस्टम की कमी की वजह से होता है। ज्यादातर टीके हीट सेंसिटिव होते हैं। इन टीकों को 2 से 8 डिग्री सेल्सियस तापमान में सुरक्षित रखना पड़ता है। अगर इतने तापमान में नहीं रखा गया तो ये टीके या तो खराब हो जाते हैं या फिर इनका प्रभाव कम हो जाता है।

डब्ल्यूएचओ भी उठा चुका मामला

चुनौती से निपटने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय और ज्यादा कोल्ड चैन खोलने और मैनेज सिस्टम को सुधारने में लगा हुआ है। संरक्षण के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय 27 हजार कोल्ड चैन प्वाइंट खोलने जा रहा है।

मंत्रालय रियल टाइम इलेक्ट्रॉनिक वैक्सिन इंटेलेजेंट नेटवर्क भी बनाने जा रहा है ताकि टीके के मोबाइल तकनीकी के जरिए कोल्ड चैन के तापमान और वैक्सिन स्टॉक मैनेजमेंट को नियंत्रित किया जा सके।

स्वास्थ्य मंत्रालय के टीकाकरण तकनीकी सहायता इकाई का कहना है कि हर टीके के हिसाब से यह दर अलग हो सकती है। करीब 25 फीसदी टीके डॉक्टर और मरीज तक पहुंचने से पहले ही खराब हो जाते हैं। बीसीजी में सबसे ज्यादा 50 फीसदी तक बढ़ाई होती है। टीके की बर्बादी की दर हर राज्य के हिसाब से अलग हो सकती है। यह उस राज्य के कोल्ड स्टोरेज कैपैसिटी और इन्फ्रास्ट्रक्चर पर निर्भर करता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र ने भी वैक्सिन की बर्बादी को रोकने के लिए चैन सप्लाय और कोल्ड स्टोरेज में सुधार की बात कही है। इस

Rajasthan Patrika (H), July 2, 2016, P. 12
(Quality of Vaccines/ Child Health)

'States going to polls quicker to fight hunger under food law'

Zia Haq
* zia.haq@hindustantimes.com

NEW DELHI: The National Food Security Act, which guarantees cheaper foodgrains to two-thirds of the population, still has to cover 80 million Indians as required by the landmark law enacted three years ago.

A recent study shows six of India's poorest states — Bihar, Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh, Odisha and West Bengal — performing variedly. A few of them have been moving robustly to combat hunger while some are hobbled by delivery issues.

In 2015, India was found to have improved its hunger score to 29 from an astonishing 38.5 in 2005, according to the Global Hunger Index. Yet, India stood 80th among 104 countries, ranking below poorer nations like Bangladesh, North Korea and Myanmar. In 2012, the then prime minister, Manmohan Singh, had termed the country's "unacceptably high" levels of child malnutrition as a "national shame".

The Food Security Act promises to cover 813 million, or 67% of the country's population, but it must include 75% of rural Indians and 50% of urban residents. So far, a majority of 33 states and Union Territories have rolled out the Act. States such as Nagaland are expected to implement it soon. Yet, the Act has to enroll 80 million more beneficiaries, at the last count, says government data.

A survey by economist Jean Dreze, who teaches at Ranchi University, and IIT-Delhi sociologist Reetika Khera showed that among the six poorest states, Odisha and Madhya Pradesh had put in a robust food-distribution network along the lines of Chhattisgarh's success. In these three states, "most of the sample households had a ration card and were able to secure their foodgrain entitlements at the correct price," the findings state.

States facing an election in the past one year were quicker to complete food-delivery reforms, such as Bihar and Bengal, the study showed, pointing to the role of political incentives of doing so.

West Bengal took a leading step to give universal access to subsidised grains. In Bihar and Jharkhand, the PDS is "certainly more inclusive, effective and transparent than it used to be. However, exclusion errors and corruption persist, as do occasional gaps in the supply chain (especially in Bihar)".

In 2012, then PM Manmohan Singh termed India's 'unacceptably high' levels of child malnutrition as a 'national shame'. HT FILE

Hindustan Times, July 5, 2016, P. 8
(Global Hunger Index/ Child Malnutrition)

आयरन-जिंक की कमी से कमजोर होती याददाश्त

उम्मेद अस्पताल के शिशु रोग विभाग की स्टडी में खुलासा, दो सरकारी स्कूलों के 101 बच्चों पर एक साल की स्टडी

श्यामवीरसिंह

rajasthanpatrika.com

जोधपुर, शरीर में आयरन व जिंक की कमी सीधे तौर पर याददाश्त को कमजोर कर देती है। यह खुलासा उम्मेद अस्पताल के शिशु रोग विभाग के चिकित्सकों द्वारा की गई एक स्टडी में हुआ।

शिशु रोग चिकित्सकों ने शहर के दो सरकारी स्कूलों के 101 बच्चों पर करीब एक साल तक अध्ययन किया, जिसमें पाया गया कि जिन बच्चों में आयरन व जिंक की कमी थी उनकी याददाश्त अन्य बच्चों की तुलना में कमजोर थी। चिकित्सकों ने कमी वाले बच्चों को जब आयरन व जिंक की डोज दी और तीन माह बाद फिर से उनका फिर टेस्ट लिया तो उनकी याददाश्त पहले की तुलना काफी बेहतर पाई गई।

शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. राकेश जोरा ने बताया कि चिकित्सकों की



सभी बच्चों की याददाश्त के लिए टेस्ट लिए गए। इनमें डिजिट स्पेन, वॉकबलरी टेस्ट, बेंटन विजुअल रिटेंशन टेस्ट, कैटल्स रिटेंटिविटी टेस्ट, लेटर कैसिलेशन टेस्ट और सांख्यिकीय पद्धति के टेस्ट लिए गए। टेस्ट के रिजल्ट में आयरन व जिंक की कमी वाले बच्चों की याददाश्त कमजोर पाई गई।

टीम ने शहर के केन्द्रीय विद्यालय नम्बर 1 और रतानाडा स्थित प्राथमिक विद्यालय के 101 बच्चों पर अध्ययन किया। इन दोनों स्कूलों के 6 वर्ष से 8 वर्ष तक के 34 बच्चे व 9 वर्ष से 11 वर्ष तक के 67 बच्चों को अध्ययन में शामिल किया गया। स्कूल के प्राचार्य व बच्चों के परिजन की सहमति के

बाद इन बच्चों की रक्त जांच की। इनमें से 18.7 फीसदी बच्चों में आयरन व 12.8 फीसदी बच्चों में जिंक की कमी पाई गई। जिन बच्चों

में आयरन की कमी थी उनको प्रतिदिन 2 मिलीग्राम आयरन प्रति-किलोग्राम (शरीर के वजन) के हिसाब से और जिनमें जिंक की कमी थी उन बच्चों को प्रतिदिन 5 मिलीग्राम प्रतिदिन के हिसाब से जिंक की खुराक (सीरप) दी गई।

Rajasthan Patrika (H), July 7, 2016, P. 3
(Child Memory/ Study Report)

समय पूर्व जन्मे शिशुओं की हड्डियां होती हैं कमजोर

जन्म के समय बहुत कम वजन वाले अपरिपक्व शिशुओं को कई तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। आगे चलकर उन्हें ऑस्टियोपेनिस होने का न्यूनदा खतरा रहता है। इसमें हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और उनके टूटने की आशंका रहती है। यह बात नए अध्ययन में सामने आई है।

शोधकर्ताओं ने यह पता लगाने की कोशिश की कि शारीरिक गतिविधियां बढ़ाए जाने का हड्डियों पर क्या प्रभाव पड़ता है। उन्होंने पाया कि हड्डियों को मजबूत और उनके मेटाबोलिज्म पर इसका सकारात्मक असर

पड़ता है। इस अध्ययन में तीन समूहों में बहुत कम वजन वाले 34 बच्चों को शामिल किया गया था। अध्ययन के दौरान 13 शिशुओं को योजना दो बार व्यायाम कराया गया। इससे इनके बोन मांस (हड्डियों के वजन) में कमी की दर बेहद कम देखी गई। जिन 12 शिशुओं को प्रतिदिन एक बार ही क्रसरत करवाई गई, उनके बोन मांस में कमी की दर पहले समूह की अपेक्षा अधिक देखी गई। तेलअबीव यूनिवर्सिटी से जुड़े इता लितमानोवित्च ने कहा, 'अध्ययन से पता चला कि ऐसे शिशुओं में बोन मांस का संबंध व्यायाम से है। इस पर अधिक शोध की जरूरत है।' आइएनएस


स्तन कैंसर से उबरी महिलाओं के लिए व्यायाम मददगार

स्तन कैंसर से जंग जीतने वाली महिलाओं को अपनी सेहत का खास ख्याल रखना पड़ता है। इस दिशा में उनके लिए व्यायाम मददगार साबित हो सकता है। इससे न केवल तनाव कम करने में मदद मिलती है, बल्कि स्मृति भी बेहतर हो सकती है। यह दावा नए अध्ययन में किया गया है।

शोधकर्ताओं के अनुसार, यह भी पाया गया कि कैंसर से उबरने वाली महिलाओं में उच्च तनाव का स्मृति की समस्या से सीधा ताल्लुक है। अमेरिका स्थित नार्थवेस्टर्न यूनिवर्सिटी के फेबर्ग स्कूल ऑफ मेडिसिन में असिस्टेंट प्रोफेसर सिओभान फिलिप्स ने कहा, याददाश्त की समस्या का भावनात्मक जुड़ाव हो सकता है। इन महिलाओं में भय, थकान, तनाव और आत्मविश्वास की कमी होती है। इसके चलते स्मृति की समस्या हो सकती है। अध्ययन में पाया गया है कि शारीरिक गतिविधियां जैसे टहलना, साइकिलिंग और व्यायाम का ताल्लुक उच्च आत्मविश्वास, निम्न तनाव और कम थकान से होता है।





-प्रेट

Dainik Jagran (H), July 10, 2016, P.15
(Weak Bones/ Child Health)


**Ministry of Health & Family Welfare
Government of India**

Intensified Diarrhoea Control Fortnight

11 July to 23 July 2016








Remember:


- Diarrhoea in children can be easily treated using O.R.S. & Zinc tablets.
- Continue breastfeeding/feeding during & after diarrhoea. Give extra fluids during diarrhoea.
- Exclusively breastfeed infants from birth upto 6 months of age.
- Wash hands thoroughly with soap before cooking & feeding the child & after cleaning the stool of child/ latrine use.

O.R.S. & Zinc are available free of cost at your nearest Health Centre.

Let us join hands to make the Intensified Diarrhoea Control Fortnight (IDCF) 2016 a great success!






pmindia.gov.in mygov.in mohfw.nic.in

 @MoHFW_India


DAVP 17102/13/0024/1617

Hindustan Times, July 11, 2016, P. 2
(Diarrhoea Control/ Child Health)


स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय
भारत सरकार

दस्त नियंत्रण पखवाड़ा

11 जुलाई to 23 जुलाई 2016




ध्यान रखें:

- ▶ छोटे बच्चों में दस्त होने पर ओ.आर.एस एवं जिंक की गोली से इलाज आसानी से हो सकता है
- ▶ दस्त के दौरान एवं दस्त के बाद माँ का दूध, तरल पदार्थ एवं ऊपरी आहार देना जारी रखें
- ▶ जन्म से ले कर 6 माह तक के बच्चे को सिर्फ माँ का दूध ही दें
- ▶ आना बलाने एवं ठिकाने से पहले और मल साफ करने के बाद साबुन से हाथ धोएं

ओ.आर.एस. और जिंक निकटतम स्वास्थ्य केंद्र में नि:शुल्क उपलब्ध है

आइये हम सब मिलकर दस्त नियंत्रण पखवाड़ा
2016 को सफल बनाएं !



pmindia.gov.in mygov.in
mohfw.nic.in [@MoHFW_India](https://twitter.com/MoHFW_India)

dmp 17102/13/0024/1617

Dainik Jagran (H), July 11, 2016, P. 7

(Diarrhoea Prevention/ MOHFW)

आठ करोड़ बच्चों तक पहुंचेगा ओआरएस घोल

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने डायरिया से बचाव एवं उपचार के लिए सोमवार से एक पखवाड़े का अभियान शुरू कर दिया है। 23 जुलाई तक चलने वाले इस अभियान के दौरान डायरिया से बचाव के लिए आशा एवं अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ता घर-घर जाकर ओआरएस घोल, जिंक टैबलेट आदि बांटेंगे।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव सी. के. मिश्रा ने बताया कि एक पखवाड़े तक चलने वाले इस अभियान के दौरान आठ करोड़ बच्चों तक ओआरएस घोल और जिंक टैबलेट पहुंचाने का लक्ष्य है। इस दौरान यदि कोई बच्चा डायरिया की चपेट में पाया जाता है तो आशा कार्यकर्ता उसे अस्पताल पहुंचाने में भी मदद करेंगे।

पिछले साल इस अवधि में मनाए गए पखवाड़े में करीब 6.5 करोड़ बच्चों की जांच की गई थी और उन्हें ओआरएस घोल दिया गया था। करीब 21 लाख

ओआरएस काउंटर

मंत्रालय के अनुसार देश भर में करीब साढ़े तीन लाख ओआरएस काउंटर भी बनाए गए हैं। इन काउंटर पर ओआरएस घोल बनाने तथा उसे बच्चों को देने की जानकारी माताओं को दी जाती है। मंत्रालय ने डायरिया से बचाव के लिए एक प्रचार अभियान की भी शुरुआत की है।

रोटावायरस टीकाकरण

मिश्रा ने कहा कि डायरिया की एक प्रमुख वजह रота वायरस के संक्रमण के खिलाफ चार राज्यों हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा तथा आंध्र प्रदेश में अभियान चल रहा है। अन्य राज्यों में इसे विस्तारित करने पर अगले कुछ महीनों में फैसला लिया जाएगा।

डायरिया पीड़ित बच्चों का उपचार किया गया था। दरअसल, मानसून के दौरान डायरिया के सबसे ज्यादा मरीज आते हैं। वजह दूषित पानी होता है।

Hindustan (H), July 12, 2016, P. 7
(ORS Counter/ Child Health)

328 children below 5 die of diarrhoea daily: Govt

TIMES NEWS NETWORK

New Delhi: Around 328 children under five years of age die of diarrhoea every day, latest assessment by the health ministry has shown. This has prompted the ministry to intensify its diarrhoea control programme to reach out to over 10 crore children with ORS solution this year from 6.30 crore last year.

Estimates show that over 1.20 lakh children, under five years of age, succumb to diarrhoea every year. The primary reasons for diarrhoeal attacks among children are contaminated water

and food, malnutrition, inadequate sanitation and lack of immunization.

"It may not be possible to stop incidence of diarrhoea by intervention but prevent deaths from it," C K Mishra, additional secretary in the health ministry, said while launching 'Intensified Diarrhoea Control Fortnight 2016'.

Over 10% of the under-5 mortality is due to diarrhoea. Though government interventions in the last one year had helped reduce the mortality rate, it requires continuous interventions to make substantial difference, an official said.

The Times of India, July 12, 2016, P. 12
(Diarrhoea Deaths/ Child Health)

Ministry of Health & Family Welfare
Government of India

INDIA CELEBRATES MATERNAL AND NEONATAL TETANUS ELIMINATION & YAWS-FREE INDIA

*Chalo
Banaayein
Swasth Bharat*

Shri Jagat Prakash Nadda
Hon'ble Minister of Health & Family Welfare
Government of India

in the august presence of





Shri Faggan Singh Kulaste
Hon'ble Minister of State for Health & Family Welfare
Government of India

Smt Anupriya Patel
Hon'ble Minister of State for Health & Family Welfare
Government of India

will be felicitated by

WHO and UNICEF
for achieving Maternal and Neonatal Tetanus Elimination
and
Yaws-free India

on 14 July 2016 at 4.00 pm at National Media Centre (PIB), Raisina Road, New Delhi

MOHFW India | www.mohfw.nic.in | www.pmindia.gov.in | www.mygov.in

dmwp-17102/13/0026/1617

The Statesman, July 14, 2016, P. 5
(Yaws Free India/ Child Health/ WHO)

विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इस कामयाबी के लिए देश को सराहा

भारत नवजात में टिटनेस संक्रमण से मुक्त घोषित

उपलब्धि
नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

स्वास्थ्य क्षेत्र में देश ने दो और उपलब्धियां हासिल की हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने गुरुवार भारत को जन्मा-बच्चा टिटनेस संक्रमण और त्वचा संबंधी बीमारी याज की बीमारी से मुक्त देश घोषित कर दिया है।

जन्मा-बच्चा संक्रमण से मतलब जन्म के समय नवजात बच्चों में होने वाले टिटनेस के संक्रमण से है। जबकि याज बच्चों एवं किशोर में होने वाली फोड़ा-फुंसी को एक बीमार है जो त्वचा से संबंधित होती है। यहां एक कार्यक्रम में डब्ल्यूएचओ की दक्षिण पूर्वी एशिया की निदेशक डा. पूनम खेत्रपाल ने कहा कि जिस प्रकार भारत की विशाल आबादी है, उसके मद्देनजर यह उसकी बड़ी उपलब्धि है।

डब्ल्यूएचओ ने इस उपलब्धि के लिए भारत को सराहना की और केंद्रीय

जल्द हासिल किया लक्ष्य
2015 के अप्रैल में ही टिटनेस मुक्ति का लक्ष्य पा लिया
2020 रखा था याज उन्मूलन का लक्ष्य, जो अभी पूरा किया

आखिरी रोगी 2003 में
याज की बीमारी का अंतिम रोगी भारत में वर्ष 2003 में आया था। उसके बाद से ही सरकार इसकी निगरानी कर रही है तथा पुराने रोगियों का उपचार कर रही है। तब से कोई नया रोगी नहीं आया। यह बीमारी मुख्य रूप से 15 साल तक के किशोरों में होती है।

स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा को सम्मानित किया। इस मौके पर नड्डा ने कहा कि भारत दुनिया का ऐसा देश है, जिसने तब समय से पहले इन दोनों लक्ष्यों को हासिल किया है।

जन्मा-बच्चा टिटनेस के लिए डब्ल्यूएचओ ने दिसंबर 2015 का लक्ष्य रखा था लेकिन भारत ने अप्रैल 2015

टिटनेस के मामले में वैश्विक लक्ष्य हासिल
जन्म के समय टिटनेस के मामले में भारत ने वैश्विक लक्ष्य हासिल कर लिया है। एक हजार जन्मों पर टिटनेस का मामला एक से कम रहना चाहिए। भारत ने सभी 675 जिलों में यह लक्ष्य हासिल कर लिया है। यदि दो दशक पीछे जाएं तो भारत में हर साल दो लाख नवजात टिटनेस के शिकार होते थे। यह इसलिए संभव हो पाया क्योंकि गर्भावस्था के दौरान महिला एवं जन्म के समय बच्चों को अनिवार्य रूप से टिटनेस का टीका लगाया जाता है।

में ही यह लक्ष्य हासिल कर लिया था। जबकि याज उन्मूलन का लक्ष्य 2020 तक का रखा गया है।

नड्डा ने कहा कि सरकार रोकने जा सकने वाली बीमारियों से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने इस संदर्भ में टीकाकरण के लिए चलाए जा रहे मिशन इन्ड्रघनुष का जिक्र किया।

Hindustan (H), July 15, 2016, P. 15
(Child Health/ Tetanus Free India/ WHO)

अब नहीं सुने तो फिर सुन नहीं पाएंगे बच्चे

वाशिंगटन, 16 जुलाई (भाषा)। इस भागमभाग की जिंदगी में हम सब इयरबड का इस्तेमाल खूब करते हैं। इस बात से अनजान होकर कि यह हमारे कानों के लिए खतरनाक हो सकता है। अक्सर जब हम कोई काम कर रहे होते हैं तो संगीत सुनने के लिए या फोन पर बात करने के लिए इयरबड लगा लेते हैं ताकि हमारे हाथ दूसरे काम निबटाते रहें।

हाल के एक शोध में यह बात सामने आई है कि किशोर पीढ़ी टिनीटिस (कान में लगातार गुंजती आवाज) की समस्या से जूझ रही है। यह बहरेपन का लक्षण होता है जिसे शुरूआती चेतावनी के तौर पर लेना चाहिए। शोधकर्ताओं का कहना है कि टिनीटिस की समस्या की वजह इयरबड है जिनका इस्तेमाल युवा संगीत सुनने के लिए हर रोज लंबे समय तक करते हैं। इसके अलावा नाइटक्लब, डिस्को और रॉक कंसर्ट जैसे शोर-शराबे वाली जगहों पर जाना भी कान की सेहत के लिए नुकसानदेह है।

बाजील
की साओ
पाठलो यूनिवर्सिटी
के तनित गांज
सानचेज ने बताया,

टिनीटिस की टिस-टिस

टिनीटिस एक ऐसी मेडिकल समस्या है जिसमें कान में लगातार ऐसी आवाज बजती रहती है, जिसका कोई बाहरी स्रोत मौजूद नहीं होता। इससे पीड़ित लोग इसे कानों में घंटी बजने जैसी आवाज बताते हैं जबकि अन्य इसे सीटी, गुंज, फुफकार या चीची-सी आवाज बताते हैं।


'किशोरों में बड़े पैमाने पर टिनीटिस की समस्या है। इसे चेतावनी के तौर पर लेना चाहिए क्योंकि इन युवाओं पर बहरेपन का गंभीर खतरा मंडरा रहा है। अगर किशोरवय पीढ़ी लगातार उच्च स्तर पर होने वाले शोर के बीच रहेगी तो संभव है कि जब तक वे 30 या 40 साल के होंगे तब तक

उनकी सुनने की क्षमता खत्म हो चुकी हो।'

शोधकर्ताओं ने 11 से 17 साल के 170 छात्रों के कानों का परीक्षण करने के लिए ओटोस्कोप का इस्तेमाल किया था। किशोरों से एक प्रश्नावली भरने को कहा गया जिसमें पूछा गया था कि क्या बीते 12 महीने में उन्होंने टिनीटिस का अनुभव किया है, अगर हां, तो उसकी आवाज कितनी तेजी थी, कितनी देर तक सुनाई दी और बारंबारता कितनी है। लगभग आधे किशोरों (54.7 फीसदी) ने कहा कि उन्होंने टिनीटिस का अनुभव किया है।

सानचेज ने कहा, 'टिनीटिस की समस्या का इतने बड़े पैमाने पर पाया जाना खतरनाक है। माना जाता था कि टिनीटिस उम्रदराज लोगों को होने वाली समस्या है लेकिन हम देख रहे हैं कि अब यह बच्चों और युवाओं को भी हो रही है क्योंकि इन लोगों का शोर से ज्यादा सामना होता है। इसके अलावा कुछ और कारक भी इस समस्या के जिम्मेदार हैं।'

टिनीटिस की परेशानी का बाकी पेज 8 पर



अब नहीं सुने तो फिर सुन नहीं पाएंगे बच्चे

पेज 1 का बाकी
अनुभव कर चुके किशोरों की सुनने की क्षमता का आकलन करने के लिए उन पर सायकोअकाउस्टिक परीक्षण किया गया। इसमें अकाउस्टिक चैम्बर में ऑडियोलॉजिस्ट ने ऑडियोमीटर का इस्तेमाल कर सुनने की क्षमता की सीमा को मापा। इसके अलावा शोर से होने वाली परेशानी और टिनीटिस की समस्या को भी मापा।
शोधकर्ताओं ने बताया कि

सायकोअकाउस्टिक परीक्षण के दौरान 170 किशोरों में से 49 को यानी कुल नमूने के 28.8 फीसदी को अकाउस्टिक बूथ में टिनीटिस की परेशानी महसूस हुई। साउंड बूथ में टिनीटिस के जो सायकोअकाउस्टिक लक्षण मिले, वे वयस्कों में टिनीटिस की लंबे समय से चली आ रही समस्या की तरह ही हैं।

सानचेज ने कहा, 'हमने देखा कि किशोरों को आमतौर पर टिनीटिस की समस्या होती है लेकिन वयस्कों की तरह वे इसकी ज्यादा परवाह नहीं करते हैं और इसके बारे में अपने अभिभावकों और शिक्षकों से शिकायत नहीं करते हैं। इसके परिणामस्वरूप वे चिकित्सक के पास नहीं जाते और इस तरह यह समस्या लंबे समय तक चलती रहती है।'

Jansatta (H), July 17, 2016, P. 1 & 8
(Tinnitus/ Earing Problem/ Child Health)

दालचीनी से बच्चों का दिमाग तेज होगा

संकेत

न्यूयॉर्क | एजेंसी

अगर बच्चा किसी पाठ को मुश्किल से याद कर पाता है। बार-बार चीजों को भूलता रहता है तो घबरावने की जरूरत नहीं है। हर रोज उसके नाश्ते में दालचीनी का इस्तेमाल शुरू कर दीजिए। कुछ ही दिनों में वह चीजों को जल्दी याद कर लेगा और लंबे समय तक भुलेगा भी नहीं। एक शोध में दावा किया गया है कि दालचीनी से बच्चों का दिमाग तेज होता है।

शिकागो विश्वविद्यालय में भारतवंशी प्रोफेसर द्वारा किये गए शोध में पता चला है कि दालचीनी याददाश्त बढ़ाने में मदद करती है। शोध के दौरान चूहों को दालचीनी खिलाई गई। इसके बाद उनके दिमाग के 'हिप्पोकैपस' (याददाश्त से संबंधित हिस्सा) में चीजों

सुरक्षित और असरदार नुस्खा

प्रोफेसर कालीपद पहान मानते हैं कि दालचीनी आम जन के इस्तेमाल का मसाला है। यह प्राकृतिक और सुरक्षित है। इसका असर तेजी से होता है। इसकी बजाय दवाओं का सेवन बच्चों पर विपरीत असर कर सकती है। इनमें रसायन होते हैं। जबकि दालचीनी पेट में जाकर जरूरत रसायन को पर्याप्त मात्रा में विकसित करती है और इसका कोई गलत असर नहीं होता है।

को याद रखने के लिए जिम्मेदार प्रोटीन सीआरईबी में इजाफा हुआ।

दालचीनी के सेवन से जीएबीआरए5 प्रोटीन तेजी से घटने लगता है। यह चीजों को याद करने में बाधा पहुंचाने वाला प्रोटीन होता है। इस पूरी प्रक्रिया के फलस्वरूप चीजों को आसानी से याद करने में मदद मिलती है।

Hindustan (H), July 18, 2016, P. 18
(Effect of Cinnamon/ Child Health)

बच्चों को ऐसे बचाएं डेंगू से

ये तो आप जानते ही हैं डेंगू एडिस इजिप्टी मच्छर के काटने से होने वाला वायरल इन्फेक्शन है। इस इन्फेक्शन के शरीर में फैलने से फीवर होने लगता है और शरीर पर लाल चकत्ते पड़ने लगते हैं। पिछले कुछ सालों में डेंगू ने बहुत तेजी से अपने पैर पसारें हैं। डेंगू होने से ना सिर्फ गंभीर रूप से आप बीमार पड़ सकते हैं। बल्कि इससे जान तक जा सकती है।


एशियाई और लैटिन अमेरिकी देशों में बच्चों को इन्फेक्शन पर डेंगू वायरल हो रहा है। बेशक अभी डेंगू का कोई ठोस इलाज मौजूद नहीं है लेकिन सही समय पर इसका इलाज और इससे बचाव ही एकमात्र उपाय है।

बच्चों को डेंगू के इन्फेक्शन से बचाने के लिए हम यहां कुछ उपाय सुझा रहे हैं।

डेंगू वायरस सिर्फ ब्यस्कॉ को ही नहीं बल्कि बच्चों को भी खासा प्रभावित करता है। दरअसल बच्चे बेहद संवेदनशील होते हैं। ऐसे में बच्चों को डेंगू से बचाने के लिए बच्चों को एक्स्ट्रा केयर करना बेहद जरूरी है।

बच्चों की एक्टिविटी केयर ऐसे करें :

बच्चों को डेंगू से बचाने के लिए मानसून के मौसम में घर या घर के आसपास पानी जमा ना होने दें क्योंकि डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है। बच्चों को पूरी बाजू के कपड़े पहनाकर रखें। साथ ही ट्राउजर भी ऐसे पहनाएं जिससे बच्चे के पैर पूरी तरह ढके रहें। इतना ही नहीं, बच्चे को मौजे भी पहनाकर



ध्यान रखने योग्य बातें

- यदि बच्चा 2 साल से छोटा है तो बच्चे को डीट मॉस्कीटो क्रीम लगाने या स्प्रे करने से बचना चाहिए।
- यदि बच्चा 3 साल से छोटा है तो उसे नीलगिरी का तेल लगाने से बचें।

रखें। बच्चों को डेंगू के प्रभाव से बचाने के लिए हल्के रंग के कपड़े पहनाएं क्योंकि मच्छर ज्यादातर गहरे रंगों की ओर आकर्षित होते हैं। सिट्रनेल ऑयल वेस्ट क्रीम और स्प्रे का इस्तेमाल करें या फिर हर्बल मच्छर निरोधक का उपयोग करें। जब बच्चा सो रहा हो तो उसके आसपास मॉस्कीटो नेट लगाएं।

यदि बच्चे के कमरे में खिड़कियां हैं तो खिड़कियों पर जाल लगवाएं जिससे मच्छर अंदर ना आ पाएं।

एयरकंडीशन होने से भी मच्छर नहीं आते :

बच्चे को डेंगू प्रभावित जगहों पर ना लेकर जाएं। बच्चे को गंदगी वाली जगहों से दूर रखें यदि बच्चे को कहीं बाहर डस्ट में लेकर भी जा रहे हैं तो फेसमास्क पहनाएं। बच्चों का इम्यून सिस्टम कमजोर होता है, ऐसे में डेंगू के रोगियों से बच्चों को दूर रखें। अगर कुछ दिनों के लिए घर बंद करके जा रहे हैं तो घर की नालियां, टॉयलेट जैसी जगहों को ढककर जाएं। घर में जगह-जगह मॉस्कीटो रिपेलन्ट लगाएं। एंटीमॉस्कीटो क्रीम भी लगा सकते हैं।

Rashtriya Sahara (H), July 18, 2016, P. 16
(Safety from Dengue/ Child Health)

■ साल और मौसमों की तुलना में सर्दी के मौसम में विटामिन 'डी' का स्तर नीचे पाया गया

■ 'सप्लीमेंट लेने पर फिर से सोचना चाहिए और विटामिन 'डी' की कमी को पूरा करना चाहिए

बच्चों की देखभाल हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। ज्यादातर बच्चों को खाने-पिलाने के लिए काफी मशकत करनी पड़ती है। सुबह के टिफिन से लेकर रात के खाना खिलाने तक बच्चों को कई बहाने बनाने पड़ते हैं। कारण ये भी हैं कि कई बच्चे अपने मां-बाप की एक नहीं सुनते और खामियाजा मां-बाप को भुगतना पड़ता है। जिसकी वजह से बच्चों में कई विटामिनों की कमी आ जाती है। एक खोज से पता चला है कि शरीर में विटामिन 'डी' की कमी से खासकर बच्चों को कई जानलेवा बीमारियां होने का रिस्क होता है। जिन बच्चों में क्रोनिक किडनी की बीमारी होती है उनमें विटामिन 'डी' की कमी कई जाती है जिसमें किडनी की दीर्घकालिक विमारी से जुड़े संबंधी खराबी सामने आती है।

किडनी : साल और मौसमों की तुलना में सर्दी के मौसम में विटामिन 'डी' का स्तर नीचे पाया गया। विटामिन 'डी' का स्तर विटामिन 'डी' रेगुलेटिंग जीन में भिन्नता से ज्यादा मौसम, बीमारी का प्रकार और पोषण संबंधी पूरकता से निर्धारित होता है।

विटामिन डी

की कमी से बच्चों को होती हैं बीमारियां

'ग्लोमेरुलोपैथी' थी जो कई बीमारियों का मिश्रण : शोध के अनुसार विटामिन 'डी' की कमी से जूझने वाले क्लीनिकल रिव्यूड बच्चे कुछ असामान्य थे। उन्हें 'ग्लोमेरुलोपैथी' थी जो कई बीमारियों का मिश्रण है और नेफ्रॉस पर असर डालता है।

क्रोनिक किडनी वाले बच्चों में विटामिन 'डी' की कमी : शोधकर्ताओं के अनुसार कुछ 'मोडिफायर' और कुछ 'नॉन मोडिफायर' कारण हो सकते हैं जिससे क्रोनिक किडनी की बीमारी वाले बच्चों में विटामिन 'डी' की कमी हो सकती है।

12 यूरोपीय देशों में किडनी की बीमारी वाले 500 बच्चों पर खोज की।



विटामिन 'डी' की कमी से ओस्टेओपोरोसिस, कैंसर, हृदय संबंधी और ऑटो इम्यून गड़बड़ी हो सकती है

कैंसर, हृदय, ऑटो इम्यून गड़बड़ी हो सकती है :
शोधकर्ताओं का यह भी कहना है कि विटामिन 'डी' की कमी से ओस्टेओपोरोसिस, कैंसर, हृदय संबंधी और ऑटो इम्यून गड़बड़ी हो सकती है।

बच्चों को कैसे ठीक किया जाए :
'सप्लीमेंट लेने पर फिर से सोचना चाहिए और विटामिन 'डी' की कमी को क्रोनिक किडनी की बीमारी वाले बच्चों में कैसे पकड़ें और ठीक किया जाए इसपर हस्तक्षेप होना चाहिए।

शोधकर्ताओं ने बताया :
हमारी शोध टीम ने 12 यूरोपीय देशों में किडनी की बीमारी वाले 500 बच्चों पर खोज की। क्लीनिकल जर्नल ऑफ अमेरिकन सोसाइटी ऑफ नेफ्रोलॉजी ने जो निष्कर्ष दिया उससे इन जवान बच्चों के स्वास्थ्य को बचाया जा सकता है।

जिन बच्चों ने विटामिन 'डी' लिया : जिन बच्चों को किडनी की बीमारी रही है और जिन्होंने विटामिन 'डी' सप्लीमेंट लिए हुए थे उनके विटामिन 'डी' का स्तर उन बच्चों से दो गुना था जिन्होंने कोई सप्लीमेंट नहीं लिया था।



Rashtriya Sahara (H), July 20, 2016, P. 16
(Vitamin D effects/ Child Health)

TOBACCO, ALCOHOL USE AMONG TOP RISKS TO YOUTH

For the sake of Gen-Y

AJITA SINGHajitasingh@thestatesman.net
New Delhi, 21 July

Tobacco, alcohol use, unhealthy diet and physical inactivity have emerged as top risk factors among Indian youth. "Promoting healthy behaviour among 253 million adolescents and the young generation is the key to curbing a growing epidemic of non-communicable diseases (NCDs)," said senior research associate Toshiko Kaneda and senior policy analyst Reshma Naik, the authors of a new report by the Population Reference Bureau.

Indians have a 26 per cent chance of dying prematurely between the ages of 30 and 70 due to the four major NCDs. NCDs account for 60 per cent of all deaths in India, according to the WHO.

The four main NCDs - cardiovascular diseases (CVDs), chronic respiratory diseases, diabetes, and cancers - are caused primarily by exposure to tobacco, harmful use of alcohol, unhealthy diet and too little exercise. These behaviours often begin in adolescence or young adulthood and set the stage for NCDs later in life.

Evidence shows that habits that get set in adolescence determine health and well being for a lifetime. Thus, establishing healthy behaviour early in life could change the course of NCDs within a generation, according to the report, addressing "Non Communicable Disease Risk Factors Among Young



People: Asia's Window of Opportunity to Curb a Growing Epidemic." Seven of every 10 boys and girls in the 13-15 year age group in India get too little exercise, meaning less than 60 minutes per day. More than one in five of them are overweight or obese, placing them at a high risk of developing NCDs. The report highlighted that India is taking relevant steps to address

the health issues caused by harmful substances such as tobacco by introducing health warnings on tobacco packs, banning and restricting advertisement, promotion and sale, raising taxes to make them less affordable and accessible to the public. Unhealthy diets and too little physical activity contribute to overweight and obesity and consequently to NCDs such as type-2 diabetes, CVD, strokes, and certain cancers, said the report. Without lasting lifestyle changes, NCDs will result in a large number of premature deaths, it added.

The authors of the report also suggested the creation of safe public spaces and infrastructure for sports, active transport and other forms of

physical activity; the introduction of effective school-based interventions on diet and physical activity; and involving young people, families, schools, and communities in addressing the issue of physical inactivity and unhealthy eating.

As we live in an age of convenience where people, both in urban and rural India, are increasingly eating processed food and fast food, leading to a rapid increase in the obese population," Dr Anand Krishnan, Professor, Centre for Community Medicine, AIIMS, New Delhi, said upon release of the report.

Sanjay Murdeshwar, Managing Director, AstraZeneca Pharma India Limited said, "This report establishes the urgent need to implement interventions in early stages to prevent NCDs."

The Statesman, July 22, 2016, P. 6

(Non Communicable Diseases/ Adolescent Health)

If govt acts now, India can get rid of Hepatitis B by 2080

Rhythmia Kaul
 • rkaul@hindustantimes.com

NEW DELHI: India can eliminate Hepatitis B—a viral infection that can lead to permanent liver damage and cancer—by 2080 if the government acts now, say experts on the occasion of World Hepatitis Day.

The World Health Organisation (WHO) observes the day on July 28 each year and the theme for this year is elimination. Globally nearly 400mn people are affected by viral Hepatitis that is broadly categorised as water-borne A&E and blood-borne B&C.


While Hepatitis viruses A&E produce self-limiting symptoms, blood-borne viral infections B&C lead to chronic liver diseases and are a major cause of worry.

The infection, if not handled in time, may progress to liver cancer. An estimated 54 million people in India are affected by Hepatitis B&C. Since Hepatitis C has a cure, the focus is on the B virus, vaccination for which provides more than 99% protection. Expanding vaccination programmes for the same is among the key approaches to elimination of the virus. "Since maximum transmission—about 95%—happens from mother to baby, vaccination could be the key. The vaccine is part of the National Immunisation Programme since 2013 but the coverage is inadequate," said Dr SK Sarin, director of Institute of Liver and Biliary Sciences (ILBS).

Three injections over a period of six to 12 months are required to provide full resistance to the virus but the government will have to ensure compliance.

According to Dr Sarin, it will take at least 65 years and a three-pronged strategy for India to

WARNING SIGNS The WHO observes July 28 as World Hepatitis Day and the theme for 2016 is elimination



400mn
 People are affected globally by water-borne A&E and blood-borne B&C Hepatitis

IN INDIA

- 54mn** People are affected by viral Hepatitis B&C
- 45mn** affected by Hepatitis B
- 8.7mn** affected by Hepatitis C
- 90%** People can get cured of Hepatitis C after three months of treatment
- 95%** of those infected are unaware of it

WHILE HEPATITIS A&E produce self-limiting symptoms, the main causes of concern are blood-borne viral infections Hepatitis B&C that lead to chronic liver diseases

IF NOT handled in time, it can progress to become liver cancer

It will take at least 65 years and a three-pronged strategy for India to eliminate Hepatitis B.
DR SK SARIN, director, Institute of Liver and Biliary Sciences

eliminate the Hepatitis B virus. The approach involves treating people affected by the virus free of cost, vaccinating newborns and adults, and screening people who received blood transfusion or surgery before 2001 as the blood was not screened for Hepatitis before that.

"Our average age is around 65 years, so we need to give free of cost treatment to those currently infected with the virus to prevent transmission. It's one tablet a day for life, which can be included in

the essential drugs list," he said.

Dr Ajay Bhatta of Fortis Hospital, Noida, said: "Not just newborns, but those up to 18 years of age and people in the high-risk category should get vaccinated."

However, getting screened is important as 95% of those infected are not aware of it. "If the government gets a bit proactive and sort of pledges that all newborns be vaccinated, then it is possible to eliminate the disease by 2080," Dr Sarin said.

Hindustan Times, July 28, 2016, P. 13
 (World Hepatitis Day/ WHO)

नशा बन रहा हेपेटाइटिस सी का कारण

राज्य यूसे, नई दिल्ली : हेपेटाइटिस बड़ी स्वास्थ्य समस्या बनकर सामने आ रही है। विशेषकर हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी जानलेवा बीमारी साबित हो रही है। ब्लड में संक्रमण के चलते होने वाली इन बीमारियों के होने का वैसे तो कई कारण हैं पर एम्स और पीजीआई चंडीगढ़ के डॉक्टरों का कहना है कि नशा और दवाओं का दुरुपयोग भी इसका कारण बन रहा है। हाल ही में उड़ता पंजाब फिल्म की चर्चा खूब रही। यह देखा गया है कि पंजाब में हेपेटाइटिस सी पीड़ितों की संख्या अधिक है। इसका एक कारण नशा हो सकता है। अच्छी बात यह है कि पंजाब ने हेपेटाइटिस बी और सी के मुफ्त इलाज की यह दिखाई है।

डॉक्टर पंजाब की तर्ज पर दिल्ली सहित देश के तमाम हिस्सों में हेपेटाइटिस बी और सी की मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने की वकालत कर रहे हैं। एम्स में संवत्सराता सम्मेलन के दौरान पीजीआई चंडीगढ़ के हेपेटोलॉजी विभाग के सलाहकार डॉ. अजय दुसेजा ने कहा कि देश में करीब एक फीसद लोग हेपेटाइटिस सी से पीड़ित हैं। जबकि पंजाब में पीड़ितों की तादाद अधिक है। लुधियाना में हुए एक अध्ययन में पाया गया है कि वहां करीब पांच फीसद लोग हेपेटाइटिस सी से पीड़ित हैं। पंजाब के ब्लड बैंकों के आंकड़े बताते हैं कि वहां दो फीसद लोग हेपेटाइटिस सी से पीड़ित हैं। अंतरराष्ट्रीय सीमा से स्ट्रेटो क्षेत्रों में मरीजों की तादाद अधिक है। वहां यह बीमारी अधिक होने के स्पष्ट कारण मालूम नहीं हैं। इसे ध्यान में

• मुफ्त इलाज और सेकधाम के लिए पंजाब ने दिखाई सह

• जागरूकता से संभव है हेपेटाइटिस के खतरों से बचाव

2030 तक हेपेटाइटिस दूर करने का लक्ष्य

एम्स के गेस्ट्रोएन्टरोलॉजी के विभागाध्यक्ष डॉ. एसके आचार्या ने कहा कि हेपेटाइटिस ए और ई दूषित खान पान से होता है। स्वच्छ पानी और स्वच्छ भोजन से इन दो बीमारियों से बचा जा सकता है। यूरोपीय देशों में हेपेटाइटिस ए और ई बीमारी नहीं होती। हेपेटाइटिस बी और सी बीमारी ब्लड में संक्रमण के चलते होती है। हेपेटाइटिस बी से बचाव के लिए टीका मौजूद है और हेपेटाइटिस सी का सस्ता इलाज उपलब्ध हो गया है। हेपेटाइटिस बी होने पर उसके इलाज के लिए भी करगर दवाएं उपलब्ध हैं, जो बीमारी को दबाकर रखती है। यह दोनों ऐसी बीमारी हैं जिसका संक्रमण होने पर शुरुआत में मरीज को पता नहीं चल पाता। लेकिन ब्लड जांच के जरिए इन दोनों बीमारियों का पता लगाया जा सकता है। इसलिए हर किसी

को यह जांच जरूर कराना चाहिए। इससे हेपेटाइटिस बी और सी के खतरों से बचा सकता है। साथ ही इन दोनों बीमारियों के चलते लिवर सिरोसिस व लिवर कैंसर भी होता है। ब्लड जांच के जरिए इस खतरे से भी बचा जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने विश्व हेपेटाइटिस दिवस पर इस बार थीम दिया है कि 2030 तक इस बीमारी को खत्म करना है। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए जागरूकता और बचाव जरूरी है। यदि किसी को कभी ब्लड चढ़ा हो या सर्जरी हुई हो तो उसे अपना खून जांच जरूर कराना चाहिए। क्योंकि ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हेपेटाइटिस बी और सी का संक्रमण होने का खतरा रहता है। इस दौरान एम्स के डॉ. अनूप सराया, डॉ. शशीमार सहित कई डॉक्टर मौजूद थे।

रखकर पीजीआई चंडीगढ़ बड़े स्तर पर शोध शुरू करेगा। लेकिन इतना जरूर है कि नशे के दौरान एक निडल का बार-बार और कई लोगों के इस्तेमाल करने से यह बीमारी हो सकती है। इसके

अलावा अनुवर्णिक कारण भी हैं। उन्होंने कहा कि पंजाब सरकार ने बड़ा कदम उठाते हुए हेपेटाइटिस का मुफ्त इलाज की व्यवस्था कर दी है। ऐसा करने वाला पंजाब पहला राज्य है।

Dainik Jagran (H), July 29, 2016, P. 4

(WHO/ Health Problem/ Hepatitis Day)

2.2 Mental Health/Behaviour Problems/Autism (Insomnia/ Depression)



Dainik Jagran (H), July 26, 2016, P. 21

(Insomnia/ Depression/ Mental Health)

मोटापे पर नहीं किया कंट्रोल तो होगी मुश्किल

भारत में हर साल बच्चों में मोटापे के एक करोड़ मामले आते हैं सामने

डिप्टोप्लेक्स कहते हैं कि मोटापे का बच्चों की सेहत के साथ ही साथ उनके मनोविज्ञान पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। बचपन का 'बुढ़ापा' एक ऐसी स्थिति है, जिसमें बच्चों का वजन उनकी उम्र और कद की तुलना में काफी ज्यादा बढ़ जाता है। भारत में हर साल बच्चों में मोटापे के एक करोड़ मामले सामने आते हैं। इस स्थिति को पूरी तरह से ठीक नहीं किया जा सकता, लेकिन इलाज काफी हद तक मदद कर सकता है।

शरीर में घसा (फैट) जलने का सोधे तौर पर पता लगाने के तरीके कठिन हैं। मोटापे की जांच प्रायः बीएमआई पर आधारित होती है। बच्चों और किशोरों के लिए, ज्यादा वजन और मोटापे को बॉडी मास इंडेक्स (बीएमआई) उम्र और लिंग विशेष के लिए



नोमोग्राम का प्रयोग करके पारिभाषित किया जाता है। बच्चों में मोटापे और सेहत पर इसके प्रतिकूल प्रभावों के बढ़ते प्रचार के कारण इसे एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य मुद्दे के रूप में मान्यता दी जा रही है। बच्चों में अक्सर ही मोटे के स्थान पर ज्यादा वजन शब्द का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि यह उनके और उनकी मनोवैज्ञानिक स्थिरता के लिए कम निहित लगता है।

बचपन का मोटापा, जिसे बच्चों का मोटापा भी कहा जाता है, आमतौर पर खुद ही पहचाना जाता है, क्योंकि इसमें बच्चों का वजन असामान्य रूप से बढ़ता है। इस स्थिति को चिकित्सकीय तौर पर पता लगाने के लिए प्रायः लैब परीक्षण और इमेजिंग की जरूरत होती है। बचपन का मोटापा आगे बढ़कर डायबिटीज, उच्च रक्तचाप और उच्च कोलेस्ट्रॉल का कारण बन सकता है। 70 प्रतिशत मोटे युवाओं में कार्डियोवैस्कुलर बीमारी का कम से कम एक जोखिमभरा कारक होता है। मोटे बच्चों और किशोरों में हड्डियों और जोड़ों की

बचपन का मोटापा आगे बढ़कर डायबिटीज, उच्च रक्तचाप और उच्च कोलेस्ट्रॉल का कारण बन सकता है।

70 प्रतिशत मोटे युवाओं में कार्डियोवैस्कुलर बीमारी का कम से कम एक जोखिमभरा कारक होता है

हड्डियां और जोड़ों की समस्याएं भी पैदा होती हैं

समस्याओं, स्लीप एनिया तथा निहित महसूस करने और आत्म-सम्मान की कमी जैसी मनोवैज्ञानिक समस्याओं का जोखिम ज़रूर होता है।

पोर्टिस हॉस्पिटल के बौरपेटिक व मेटाबोलिक सर्जरी के निदेशक, डॉ. अनुल एन.सी. पोर्टिस कहते हैं, 'जब बच्चों की बात आती है, तो ज्यादातर माता-पिता उन्हें छोटे और गोलमोल रूप में देखना पसंद करते हैं। अभिभावकों के हिसाब से, गोलमोल बच्चे क्यूट होते हैं। लेकिन क्यूट, गलफुल्ला बच्चा होना अलग बात है और 'मोटा बच्चा' होना दूसरी बात है।

उनका कहना है, 'अभिभावकों को इनके बाल के अंतर को समझने की जरूरत है। मोटापे के अपने प्रतिकूल प्रभाव हैं, बच्चे के स्वास्थ्य पर भी और उसके मनोविज्ञान पर भी।' उन्होंने आगे कहा, 'बच्चों में मोटापे के कारण स्वास्थ्य पर काफी दीर्घकालिक प्रभाव पड़ते हैं। बच्चे और किशोर जो अपने बचपन में मोटे रहे हैं, उनके वयस्क होने पर भी मोटे ही रहने की ज्यादा संभावना होती है। इस वजह से वयस्क अवस्था में कई बड़ी स्वास्थ्य समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। जैसे कि हृदय रोग, टाइप 2 डायबिटीज, स्ट्रोक, विभिन्न प्रकार के कैंसर और ऑस्टियोआर्थराइटिस।'

डॉ. पोर्टिस ने कहा, 'चूंकि हमारे देश में यह सबसे तेजी से बढ़ रही समस्याओं में से एक है, इसलिए इससे पहले कि ये बच्चों को नुकसान पहुंचाएं हमें इसकी रोकथाम करनी चाहिए।' उन्होंने आगे कहा, 'बच्चे देश का भविष्य है, उन्हें सेहतमंद होना चाहिए और एक संतोषजनक और सुखी जीवन जीने और देश के कल्याण के लिए फिट भी होना चाहिए। सेहतमंद खानपान और शारीरिक गतिविधि सही सेहतमंद जीवनशैली की आदतों को अमनाकर मोटापे होने और इससे संबंधित बीमारियों के विकसित होने के जोखिम को कम किया जा सकता है।' ■ एजेंसी

WHO की चेतावनी

इस साल के आरंभ में, विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के आयोग ने, बच्चों में मोटापे की बढ़ती स्थिति पर ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि बच्चों में मोटापा एक 'भयावह दुःस्वप्न' है। बच्चों के मोटापे पर काम कर रहे विश्व स्वास्थ्य संगठन के आयोग ने पांच साल से कम उम्र के 4.1 करोड़ ज्यादा वजन वाले या मोटे बच्चों के होने की पुष्टि की है। कई बच्चों की परवरिश ऐसे वातावरण में रही है, जहाँ उन्हें वजन बढ़ाने और मोटा होने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, डब्ल्यूएचओ के आयोग के अनुसार, पांच साल से कम उम्र के ऐसे बच्चे जिनका वजन ज्यादा है या जो मोटे हैं, उनकी संख्या



1990 में 3.1 करोड़ थी जो बढ़कर 4.1 करोड़ तक पहुंच चुकी है।

इस आंकड़े का अर्थ है कि वर्ष 1990 में 4.8 प्रतिशत की तुलना में वर्ष 2014 में पांच साल से कम उम्र के 6.1 प्रतिशत बच्चे मोटे या अधिक वजनदार हुए। इसी अवधि में भारत जैसे निम्न मध्य-आय वाले देशों में अधिक वजनदार बच्चों की संख्या बढ़कर दोगुनी हो गई, यानी 70.5 लाख से बढ़कर 1.55 करोड़। डब्ल्यूएचओ के मुताबिक, दुनिया के सभी अधिक वजनदार और मोटे बच्चों में से लगभग 48 प्रतिशत एशिया में रहते हैं, और 25 प्रतिशत अफ्रीका में। ■ एजेंसी

Rashtriya Sahara (H), July 4, 2016, P. 16
(Child Obesity/ WHO Alert)

KERALA BUDGET VOWS BETTER BASIC NEEDS

PROMISES FREE HOUSING, WATER & ELECTRICITY; PROPOSES 14.5 %
'FAT TAX' ON JUNK FOOD TARGETING EXTRA REVENUE

SNS & AGENCIES

Thiruvananthapuram, 8 July

The LDF government in Kerala, in its maiden budget, announced a number of measures to ensure fiscal prudence as well as several populist measures. It aims at improving the basic needs of common man and lays emphasis on procurement of additional resources and welfare of women.

Presenting the budget, finance minister T M Thomas Isaac said attracting investment to the tune of Rs 1 lakh crore in 2 years is the major development agenda of the government. New post creations, other than for necessary sectors, like health, will be out on hold for two years.

The finance minister also made a host of people-friendly announcements, including free housing, water and electricity, free uniforms for students of aided schools, pension for all labourers after the age of 60, pension for transgenders and advance salary for employees during the Onam festival.

In a bid to discourage junk food culture, a 14.5 per cent 'fat tax' on burgers, pizzas and pasta served in branded restaurants was proposed by the government, in perhaps a first of its kind move, targeting an additional revenue of Rs 10 crore.

Also, a Green tax for vehicles over 10 years have been proposed in Kerala's CPI(M)-led Left Front government's maiden budget today that also provided for a Rs-12,000 crore 'anti-slowdown package' for taking up



development works.

Isaac announced that all social welfare pensions would stand enhanced to Rs 1,000 beginning this month and said the government would formulate a comprehensive health insurance scheme with the long-term goal of making treatment of such major ailments as cancer, cardiac diseases, stroke and kidney diseases completely free for the poorest section of the population.

It also imposed levies on various items, including packed wheat products like atta, rava and maida. Coconut oil will also become dearer with a five per cent tax.

The State government

would also bring forward a comprehensive legislation to offer protection to migrant workers, he added.

The budget also proposed to create a separate department for women welfare and has given an allocation of Rs 91 crore for them.

Blaming the previous Congress-led UDF government for "very low" tax collection in the last five years, Isaac said the budget was targeting a 25 per cent increase in tax collection every year.

The target would be achieved by strengthening the tax collection methods and plugging corruption.

The minister said the financial crisis was primarily due to failure in col-

lecting tax. An amount of about Rs 24,000 crore was pending to be collected, he said.

The finance minister has set aside Rs 1,000 crore to set up at least one school of "international standards" in each of the 140 constituencies of the state.

Another Rs 500 crore has been proposed for hi-tech education in secondary and higher secondary schools.

Stating that the state was passing through a severe financial crisis due to various factors, he announced Rs. 12,000-crore package to fight economic slowdown by taking up major infrastructure projects like roads, bridges and IT parks.

The taxation proposals in the budget aim to raise Rs. 805 crores, mainly by imposition of 5 per cent tax each on packaged wheat products, packaged basmati rice and coconut oil, 2 per cent tax on textiles and 20 per cent tax on disposable tumblers made of plastic.

The budget proposes levying of a 'Green Tax' for renewing registration of private vehicles (four wheelers and above) which are over 15 years old and 10 years old transport vehicles. Holders of health card would get free treatment for cancer, heart ailments, stroke, kidney and liver ailments and brain tumours, Isaac said.

The Statesman, July 9, 2016, P. 6
(Packed Food, HFSS/ 'Fat Tax')

How malnutrition is killing kids of a mineral-rich Odisha tribal village

12 Children Die Between March & June; A Third Of All Kids Malnourished

Subodh Varma
@timesgroup.com

Bamnipal/Sukinda: Between March and June this year, at least 12 children died in Nagada village, located in the forests of Odisha's Jajpur district. The underlying reason for their deaths was malnutrition, local medical authorities and community workers said. The village population is solely of the Juang scheduled tribe, one of India's ancient tribes, declared 'particularly vulnerable' by the government.

For the past two months, a chicken pox epidemic has been raging in the village, with at least 35 kids displaying the typical blister-like rashes. G Naresh, an activist of Aspire, an NGO that works with school dropouts and never-enrolled children in the region, told TOI that after they informed them, the local authorities made a few trips to

HEART OF DARKNESS

distribute medicine. On the latest trip, doctors found several children suffering from bronchial pneumonia, which often occurs among malnourished children.

A survey of children aged between 5 and 12 years by Aspire in Nagada recently showed that out of 83 kids, about a third were suffering from malnutrition, as shown by their body mass index (BMI). Another 17% were just marginally 'normal'.

But why does Nagada have rampant malnutrition and why do diseases go untreated? This question acquires significance because the village is located smack in the middle of one of the richest iron, chromium and manganese



Several Nagada children suffer from bronchial pneumonia, which often occurs among malnourished children

deposits in the world, stretching across Jajpur, Keonjhar and Sundergarh districts in Odisha, spilling over into Jharkhand to the west. So, how come time is standing still in Nagada?

The village has a population of 275 people. It has no anganwadi centre, no school, no health sub-centre, and no fair-price shop. In fact, it is not even accessible by a motorable road. Technically, the government has the village covered under the anganwadi system by making it part of the Chingdipal anganwadi — but



Chingdipal is five forested kilometres away. The anganwadi and ASHA (health) workers based there are supposed to look after Nagada villagers.

Adults and older children work as daily labourers in

nearby mines under contractors, earning about Rs 3,000-4,000 per month on an average. The Juang grow some paddy and vegetables in small plots. They collect wild edible plants or hunt small fowls from the forest.

In the absence of an anganwadi or school, children are deprived of the basic lifeline available to most poor children in the region — nutritious meals. And, in the absence of a fair-price shop, they are mostly deprived of another lifeline — the Re 1/kg rice provided by the state government.

What if there is a disease outbreak, like this year? The

In the absence of an anganwadi or school in Nagada, the kids are deprived of nutritious meals. And, with no fair-price shop, they are also left without the Re 1/kg rice given by the state government

nearest government hospital is at Kuika, some 27km away. There is also a Tata Steel-managed hospital 18km away in the Sukinda mines area. This is where nine of the seriously afflicted kids were taken by the district medical authorities after news of the chicken pox outbreak and child deaths broke out in June.

There are an estimated 10,000 members of the Juang tribe left, mostly living in the forested hills of Jajpur and adjoining Keonjhar. They have no rights over their beloved forest and they can hardly claim any right over the minerals. Should they be left to slowly perish of hunger and disease even as the country becomes a superpower?

The Times of India, July 9, 2016, P. 10
(Child Malnutrition Deaths/ Survey)

नीति आयोग ने पोषण नीति और कार्यान्वयन संरचना तैयार की

सरकार पोलियो की तर्ज पर कुपोषण से निपटेगी

योजना

नई दिल्ली | पीयूष पांडेव

केंद्र सरकार पोलियो उन्मूलन की तर्ज पर देश को कुपोषण से निजात दिलाने के लिए अभियान चलाएगी। इसमें एनजीओ, समाजसेवी संस्थाओं और निजी अस्पतालों की भूमिका भी तय की गई है। साथ ही बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों को चिह्नित कर लिया गया है, जहां से इसकी शुरुआत की जाएगी।

सरकार के निर्देश पर नीति आयोग ने एक व्यापक पोषण नीति और कार्यान्वयन संरचना तैयार की है। इसे उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश और ओडिशा समेत अन्य प्रभावित राज्यों में एक साथ लागू किया जाएगा।

हालांकि राज्य सरकारों से इस पर अंतिम दौर की चर्चा होनी अभी बाकी है। आयोग ने संबंधित केंद्रीय मंत्रालयों से विचार-विमर्श पूरा कर लिया है।

हरेक राज्य और जिले में निगरानी समिति: नीति आयोग के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक पोषण नीति में हरेक पहलू पर गौर किया गया है। इनमें सरकारी मशीनरी के अलावा एनजीओ समेत विभिन्न स्तर पर समाज के लिए काम करने वाली

भूमिका तय

- एनजीओ, समाजसेवी संस्थाओं और निजी अस्पतालों की भूमिका तय
- उत्तरप्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश और ओडिशा समेत कई राज्यों में एक साथ लागू
- अति प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों के खाने में पोषण मुद्दा कराया जाएगा

एनीमिया बड़ी चुनौती

भारत में सामान्य से कम वजन और अविकसित बच्चों की संख्या में महत्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है। जबकि पिछले दशक (वर्ष 2005-06 से 2013-14 के बीच) में एनीमिया और अपहय की व्यापकता देश के लिए एक बड़ी चुनौती रही है। कुपोषण के शिकार बच्चों की कुल संख्या लगातार उच्च बनी हुई है जिसके मद्देनजर तत्काल कार्रवाई की जरूरत है।

वित्त मंत्रालय ने कुल खर्च का ब्योरा मांगा

वित्त मंत्रालय ने आयोग से पोषण नीति पर होने वाले कुल खर्च का ब्योरा मांगा है, जिसके बाद पहले इसे अति प्रभावित क्षेत्रों में लागू किया जाएगा। आयोग और मंत्रालय के बीच 8 जुलाई को इस मुद्दे पर अंतिम बैठक हुई थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली, आयोग के सीईओ अमिताभ कांत और स्वास्थ्य सलाहकार आलोक कुमार समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी इसमें शामिल हुए। कांत ने इस नीति के तहत कुपोषण से निपटने के विभिन्न पहलुओं के बारे में बैठक में जानकारी दी। सूत्रों के मुताबिक, नई योजना में निजी अस्पतालों को भी बाल विकास से जुड़ी जिम्मेदारियां सौंपी जाएंगी।

संस्थाओं को अभियान से जोड़ा जाना और चिह्नित किए गए अति प्रभावित क्षेत्रों में इसे पोलियो अभियान की तर्ज पर चलाया जाना शामिल है। अति प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों के खाने में पोषण मुद्दा कराया जाएगा। साथ ही उनके शरीर में विटामिन और खनिज तत्वों की कमी को चिकित्सा के जरिए दूर किया जाएगा। एक अधिकारी ने बताया कि योजना की निगरानी के लिए हरेक राज्य और जिले में एक निगरानी समिति गठित की जाएगी। समिति से हर माह रिपोर्ट तलब की जा सकती है।

Hindustan (H), July 10, 2016, P. 18
(Poshan Niti/ Nutrition)

Smile killer: Beverages bad for your teeth

ORAL HEALTHCARE IN INDIA

Tooth sensitivity was the top oral health problem
Delhi: Tops the list of people with tooth sensitivity and staining

94% believe shining white teeth contribute to overall personality

89% willing to pay for specialised oral health products

74% have lost tooth shine over time

53% missed enjoying a memorable moment due to teeth sensitivity

STAINING CAUSED



STUDY FINDS Black coffee, tea cause most staining, spices and condiments worse

Rhythm Kaul

■ rhythm.kaul@hindustanimes.com

NEW DELHI: Contrary to popular belief, coffee, tea and colas yellow and stain teeth more than nicotine and alcohol.

Data from four metros—Delhi, Mumbai, Chennai and Kolkata—showed that 44% of the 600 people surveyed between ages 25 and 54 years blamed their discoloured, stained teeth on coffee, while 40% blamed it on tea.

“Black coffee and tea are most staining, but the worst are spices and condiments such as turmeric, red chilli powder, cumin powder, coriander powder etc. that roasted and ground. Over time, these leave a deposits on teeth,” says Dr Mahesh Verma, director and principal, Maulana Azad Institute of Dental Sciences (MAIDS).

Processed food high in sugar and starch and poor oral hygiene cause staining and sensitivity due to poor oral hygiene practices that make cavities, tooth decay and bad breath the most common dental problems among people in India.

Most people do not give much thought to the problem. The sensitivity-awareness index—a measure of awareness about oral health—in India is a low of 17% versus 33% in the western countries.

▶ If a toothpaste claims to remove stains then it has to have harmful chemicals in it. Only a professional can do it correctly.

MAHESH VERMA, Maulana Azad Institute of Dental Sciences

Only 4% per cent of Indians visited dentists and most Indians did not follow basic oral-care hygiene practices like brushing twice daily

The mouth is home to millions of bacteria, even more than found in the anal canal. These include anaerobic bacteria that can survive in crevices without oxygen and can lead to not just bad breath and tooth/gum decay but also heart disease

“People avoid seeing a professional and keep delaying, while trying over-the-counter remedies that are detrimental for oral health. If a toothpaste claims to remove stains then it has to have harmful chemicals in it. Only a professional can do it correctly,” says Verma.

Once in a year or if there are symptoms then one should see a dentist once in six months to maintain an overall oral hygiene.

Hindustan Times, July 11, 2016, P. 5

(Packed Food, HFSS/ Dietary Pattern/ Oral Health)

भारत में कुपोषण की कड़ियाँ

■ पीयूष द्विवेदी

आज के बच्चे ही कल युवा होंगे और राष्ट्र की प्रगति व संरक्षण का दायित्व उनके कंधों पर होगा। ऐसे में आवश्यक है कि वे शारीरिक-मानसिक स्तर पर स्वस्थ व मजबूत हों। बच्चों को शारीरिक-मानसिक स्तर पर स्वस्थ व मजबूत रखने के लिए बुनियादी जरूरत यह है कि गर्भ में पल रहे शिशु से लेकर तकरीबन तीन-चार वर्ष तक उनके पोषण व चिकित्सा का समुचित ध्यान रखा जाए। इस समय अगर उनके खान-पान आदि के प्रति जरा भी लापरवाही हुई तो वे कुपोषण की चपेट में चले जाते हैं। सच तो यह है कि कुपोषण की समस्या आज इतना विकराल रूप ले चुकी है कि विश्व बैंक ने इसकी तुलना 'ब्लैक डेथ' नामक उस महामारी से की है जिसे अठारहवीं सदी में यूरोप की एक बड़ी जनसंख्या को नष्ट कर दिया था।

इसी संदर्भ में उल्लेखनीय है कि पिछले दिनों भारत के दौरे पर आए विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात के बाद तमाम बातों के बीच यह महत्वपूर्ण बात भी कही कि वे प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से कुपोषण के खतमे को लेकर जताई गई प्रतिबद्धता की पूर्ति के लिए भारत को पूरा सहयोग दिलाने को तैयार हैं। जाहिर है, भारत में कुपोषण की स्थिति को लेकर विश्व बैंक की अपनी चिंताएं हैं, जिनका इजहार वह पहले भी कई बार कर चुका है। और भारत को इस संबंध में सहयोग भी मिलता रहा है। बावजूद इसके, आज भी भारत में कुपोषण के निवारण के लिए चल रहे कार्यक्रमों की वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी नहीं कही जा सकती। बल्कि गौर करें तो बच्चों के स्वास्थ्य व पोषण के मामले में यहाँ स्थिति बेहद खराब नजर आती है।

संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत में हर साल पांच वर्ष से कम उम्र के लगभग इक्कीस लाख बच्चे समुचित पोषण व स्वास्थ्य सुविधाएं न मिलने के कारण काल के गाल में चले जाते हैं। इस साल की शुरुआत में आई राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण की एक रिपोर्ट (जिसमें देश के पंद्रह राज्यों को शामिल किया गया था) के मुताबिक पंद्रह में से सात राज्यों में पांच वर्ष से कम उम्र के आधे से अधिक बच्चे किसी न किसी प्रकार के कुपोषण से ग्रस्त हैं। रिपोर्ट के अनुसार, जिन पंद्रह राज्यों में सर्वेक्षण किया गया था उनमें से सात राज्यों में पांच वर्ष से कम उम्र के आधे बच्चे कद में छोटे हैं, यानी उनकी कम वृद्धि हुई है। इनमें बिहार सबसे आगे है (48.3 प्रतिशत), इसके बाद मध्यप्रदेश और मेघालय हैं (चालीस प्रतिशत से अधिक); जबकि कम वृद्धि वाले बच्चे जिन राज्यों में तीस प्रतिशत से अधिक हैं उनमें हरियाणा (34 प्रतिशत), उत्तराखंड (33.5 प्रतिशत) और पश्चिम बंगाल (32.5 प्रतिशत) शामिल हैं।

सर्वे में बाल कुपोषण पर तीन प्रकार के आंकड़े दिए गए हैं- छोटा कद, कमजोरी और वजन की कमी (उम्र के अनुसार कम वजन)। सर्वे के मुताबिक, हरियाणा में कमजोर बच्चों की संख्या 2005 में 19.1 प्रतिशत थी, जो बढ़ कर 2015-16 में 19.5 प्रतिशत हो गई है। इसके अलावा एक अन्य रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया की तीसरी सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था होने के बावजूद स्वास्थ्य और पोषण के मामले में भारत की हालत नेपाल, श्रीलंका जैसे देशों से भी बदतर है। गौरतलब है कि ये देश भारत से कई तरह सहायता प्राप्त करने वाले देशों में शामिल हैं। ऐसे में अगर भारत में बच्चों की स्वास्थ्य संबंधी स्थिति इन देशों से भी बदतर है तो यह भारत के लिए बेहद शर्मनाक स्थिति कही जाएगी।

यह कहना गलत नहीं होगा कि आज जहाँ एक तरफ भारत विश्व-पटल पर अपनी तेजी से उभरती



अर्थव्यवस्था के दम पर अपनी पहचान कायम करके गर्वित हो रहा है, वहीं दूसरी तरफ उसकी भावी पहचान यानी उसके बच्चों का एक बड़ा हिस्सा कुपोषण की चपेट में जीने को विवश है। हालांकि भारत में बच्चों को कुपोषण से बचाने के लिए कई सरकारी कार्यक्रम काफी समय से चलाए जा रहे हैं। इनमें सबसे प्रमुख है एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम, जो देशकों से चल रहा है और जिसे कुपोषण मिटाने का दुनिया का सबसे बड़ा कार्यक्रम कहा जाता है। इसके अलावा, जच्चा-बच्चा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए 'जननी-शिशु सुरक्षा', 'आशा' आदि कई योजनाएं व कार्यक्रम बनाए गए हैं।

वर्तमान सरकार द्वारा भी इस दिशा में 'आशा' आदि के माध्यम से कुपोषित बच्चों के लिए ग्रामीण स्तर पर मिनी अस्पताल खोलने तथा कुपोषण को लेकर लोगों को जागरूक करने जैसे तमाम कदम उठाए जा रहे हैं। पर इसे व्यवस्था का दुर्भाग्य ही कहेंगे कि सरकार की अन्य योजनाओं की ही तरह ये योजनाएं व कार्यक्रम भी अधिकाधिक रूप से कागजी खानापूर्ति तक सिमट कर रह गए हैं। यद्यार्थ के धरातल पर इन योजनाओं का कोई ठोस क्रियान्वयन होता नहीं दिखता। इन कार्यक्रमों के कारगर न हो पाने का प्रमुख कारण केंद्र व राज्य सरकारों के बीच सही तालमेल का न होना है और इस तालमेल की कमी का खमियाजा देश के नन्हे मासुमों को भुगतना पड़ रहा है।

बच्चों में कुपोषण की व्याप्ति दो तरह की है। एक, जन्म के साथ, और एक, जन्म के कुछ समय बाद। इन दोनों ही स्थितियों में जच्चा-बच्चा को समुचित पोषण न दिया जाना ही कुपोषण का मुख्य कारण होता है। शिशु अवस्था में कुपोषण से ग्रस्त होने की स्थिति में बच्चा बड़े होने पर भी सुपोषित बच्चों की अपेक्षा शारीरिक-मानसिक स्तर पर काफी हीन रह जाता है। जैसे, उम्र के लिहाज से कद छोटा होना, शरीर पतला या सूजा हो जाना, याददाश्त कमजोर हो जाना और कोई भी काम करते हुए बहुत ही जल्दी थक जाना आदि कुपोषण के तमाम लक्षण हैं। इनके अलावा, कुपोषणग्रस्त बच्चे पर घेंघा, एनीमिया, मीरमस आदि बीमारियों का खतरा भी हमेशा बना रहता है। तिस पर कुपोषण को लेकर सबसे बड़ी दिक्कत तो यह है कि जो बच्चा जन्म से पांच वर्ष के भीतर इसकी चपेट में आ गया, उसके लिए आगे इससे मुक्त होना काफी मुश्किल हो जाता है। स्पष्ट है कि एक बार कुपोषण से ग्रस्त होने की स्थिति में व्यक्ति का जीवन बेहद कठिन हो जाता है, उससे उबरना उसके लिए आसान नहीं होता। कह सकते हैं कि कुपोषण एक धीमे जहर की तरह है, जो देश की भावी पीढ़ी को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है।

इसमें संदेह नहीं कि कुपोषण के पीछे सबसे प्रमुख वजह पोषक आहार की कमी होती है। लेकिन इसके

कुपोषण से मुक्ति के लिए जितनी आवश्यकता समुचित पोषण, चिकित्सा व स्वच्छता की है, उतनी या उससे कुछ अधिक ही स्वास्थ्य के प्रति जन-जागरूकता की भी है। और इसके लिए जितना दायित्व सरकार का है, उतना ही समाज के जागरूक लोगों का भी। कुपोषण से मुक्ति पाए बिना स्वस्थ भारत का सपना साकार नहीं हो सकता।

अलावा और भी कुछ बातें हैं जिन्हें कुपोषण के लिए जिम्मेदार कहा जा सकता है। इनमें समाज के एक बड़े हिस्से में जागरूकता की बेहद कमी और साफ-सफाई का अभाव प्रमुख है। ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम लोग पोषण के मामले में सजग होते हैं। ज्यादातर लोग इस बात के प्रति लापरवाह नजर आते हैं कि उचित पोषण के लिए क्या और कितना खाना चाहिए। उनकी नजर में पोषण का सिर्फ एक अर्थ होता है कि जो भी मिले, खूब खाओ। वे समझते हैं कि खूब खाने से व्यक्ति तंदुरुस्त रहता है और प्रायः यही चीज वे अपने बच्चों पर भी लागू करते हैं। परिणामस्वरूप वे स्वयं तो कुपोषित और अस्वस्थ रहते ही हैं, अपनी आने वाली पीढ़ियों को भी कुपोषण पारंपरिक धरोहर के रूप में दे देते हैं।

कुपोषण का एक नया आयाम जंक फूड के रूप में उभरा है। विडंबना यह है कि जंक फूड का ज्यादा चलन उस तबके में है जो शहरों में रहता है और शिक्षित भी है। खाने का मतलब सिर्फ यह नहीं होता कि किसी तरह पेट भर जाए, यह भी होता है कि जो खाया जाए वह सेहत के लिए मुफीद हो। पर शहरी शिक्षित तबके तक में यह चेतना विकसित नहीं हो पाई है। इसके अलावा साफ-सफाई की कमी भी कुपोषण के लिए एक अहम कारण है। एक आंकड़े के मुताबिक देश में तकरीबन पच्चीस हजार ऐसी बस्तियां हैं जहां साफ-सफाई का स्तर औसत से भी नीचे है। हालत यह है कि इन बस्तियों में रहने वाले लोगों के घरों के आसपास कहीं कचरे का ढेर लगा होता है तो कहीं बगल से ही नाली बह रही होती है। ऐसे में, लाख बचाने पर भी खेलते-कूदते बच्चे इन्हीं गंदगियों से रूबरू होते हैं, जिससे कि प्रदूषण के कारण उनमें तमाम तरह की बीमारियां पैदा होती हैं। इन बीमारियों का उनकी अवस्थानुसार बेहद नाजुक पाचन-शक्ति पर अत्यंत प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिससे उनका खाना ठीक से पचना बंद हो जाता है। इस प्रकार धीरे-धीरे वे कुपोषण की गिरफ्त में आ जाते हैं।

जाहिर है, समुचित पोषण के अलावा जागरूकता का न होना आदि तमाम ऐसे कारण हैं जिनसे कुपोषण को बल मिलता है। अंततः इन बातों को देखते हुए कह सकते हैं कि कुपोषण से मुक्ति के लिए जितनी आवश्यकता समुचित पोषण, चिकित्सा व स्वच्छता की है, उतनी या उससे कुछ अधिक ही आवश्यकता स्वास्थ्य के प्रति जन-जागरूकता की भी है। और जागरूकता के लिए जितना दायित्व सरकार का है, उतना ही समाज के जागरूक व जानकार लोगों का भी है। क्योंकि जब तक समाज में पूरी तरह से स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता नहीं आ जाती, कुपोषण के अभिशाप से मुक्ति संभव नहीं है। और कुपोषण के अभिशाप से मुक्ति पाए बिना स्वस्थ भारत का सपना साकार नहीं हो सकता।

Jansatta (H), July 13, 2016, P. 6

(Child Malnutrition/ UNICEF Report)

■ GOOD HEALTH HUNTING

This is really child's play

Children today are as sleep-deprived as adults. Their access to junk food is limitless and the effects of technology ensnaring

VANI B. PAHWA



question for today's parents.

The rising incidence of childhood obesity and the prevalence of lifestyle diseases among the young is a matter of concern. The perception that children are more immune to ambient stresses is misplaced, and reality clearly suggests otherwise.

Demands of competitive education, the ensnaring effect of technology, limited availability of easily accessible open spaces, security concerns, easy access to fast food/ junk options, changing home/ school environments and ignorance on part of caregivers about the needs of this segment need to be addressed. Perhaps the single biggest shift seems to be a move away from general play.

A considerable chunk of our childhood was spent with friends playing outdoors in large groups. The onslaught of mobile phones, online gaming and electronic media had not taken over then. Communication was one on one. Pursuing sports was additional to this playing around. Eating out and ordering in were family activities that were limited to holidays or weekends. We generally walked, cycled and ran to wherever we wanted to (often long distances by today's standards!). Sleep and waking patterns were more structured because there weren't many distractions vying for attention.

Cut to the present. Cut-throat competition at school has caused an ugly mutation — harassed parents and stressed out kids following a tight schedule. Unstructured play has all but flown out of the window. We are left with a minority engaged in sports, aka 'professional coaching' that focuses myopically on sport-specific technique rather than overall mental and physical health and fitness.

No play is worth the time if it is not geared to producing competitive champions or podium finishers. The sports period is often an extension of this. There seems to be little focus on designing it to be a productively

engaging time of the day for children throughout the year. Children today are as sleep-deprived as adults. Their changing circadian rhythm (internal biological clock) is further confounded by dependence and unlimited exposure to devices (laptops, smartphones, TV, etc.) which keep the brain over-stimulated, making sleep elusive.

Experts recommend eight hours of sleep even for teens. The practice of accumulating a sleep deficit over the week and then 'catching up' over the weekends is commonplace. This may make one fresh at the start of the week, but does little to address the cumulative deficit. Lack of proper sleep

and rest has a direct negative impact on performance and health. It hits attention span, ferments mental and physical exhaustion and often manifests as moodiness and the notoriously irrational responses of teenagers to life situations. Try telling that to a teenager though!

Nutrition is another challenging aspect. Erratic timings, far too much junk food, presence of high sugar, salt and additives in almost all eating options (cereals, milk shakes, bottled juices, sodas, confectionary, chocolates, processed foods, etc.) and lack of targeted nutritional guidance for their age group makes it an uphill task to ensure that their dietary inputs match their growing requirements in tandem with their activities.

For children battling weight issues, you cannot impose the same plan that you do for adults. Their thought process is different and so are their needs. Options need to be suited to them to ensure adherence rather than scaled down blanket adult diets.

So, given all the modern day constraints and current lack of focussed and tailor-made options for this section of the population, what can we do?

To begin with, start with the family unit. Physical activity should be perceived and practised regularly by all as fun, not as a tedious exercise routine to be taken up only when weight and health problems erupt. Play games with them along with other like-minded adults and children. It can be exciting in a bigger group and gives children another reason to associate with and emulate active people.

Pay attention to factors impacting sleep. Avoid sports or intense activities too late in the evenings. These make the body and mind active too close to bedtime and can actually hamper sleep. TVs should ideally never be placed in bedrooms for the same reason.

If you are part of an exercise group, may be get children over on the weekends and have them join the group or have them play on their own as a team. The energy can help inculcate healthier habits.

Kids of different age groups need to be dealt with differently. Use your intuition as a parent and get proactive.

Vani B. Pahwa is an exercise and rehab specialist, corporate wellness coach, and foot and gait analyst.



Just a lot of food. PHOTO: REUTERS

Nutrition is a big challenge for children battling weight issues. You cannot impose the same plan that works for adults.

The Hindu, July 17, 2016, P. 6/ Magazine
(Child Health/ Packed Food, HFSS)

PCRC orders ban on junk food in schools

STATESMAN NEWS SERVICE
Chandigarh, 14 July

Concerned over the deterioration in the health of school children, the Punjab Child Rights Commission (PCRC) has ordered a complete ban on the junk food served in schools.

The chairman, PCRC, Mr Suresh Kalia said for the forceful implementation of the guidelines of the Food Safety and Standard Authority of India (FSSAI), the Commission has constituted state level committees to keep a close surveillance on the schools providing food to children and initiate action against those defying the government directive.

He said deterioration in the health of schools children especially with consuming unhealthy and unhygienic junk food was a matter of worry.

"Such type of food was a

direct threat to health of the children who were heading towards hypertension, diabetes, obesity and mental stress. These diseases and childhood obesity have been reportedly found to affect the cognitive and physical development of children adversely, causing an irreparable loss to the society," Mr Kalia said.

The chairman said that the Child Rights Commission has taken the cognisance of this matter under section 13 (1) (f) and (k) of CPCRA Act 2005.

The Commission has taken adequate measures to ensure complete safety in consumable items being delivered to the school going children.

He said that the FSSAI has also given guidelines to provide healthy, hygienic and nutritive food to the school children as per the laid down norms.

The Statesman, July 15, 2016, P. 7
(Ban on Packed Food, HFSS/ FSSAI)

मामला स्कूलों में बिकते जंक फूड को रोकने का

बच्चों की सेहत को लेकर बाल आयोग सख्त

सीबीएसई की तर्ज पर नियम तय करें सभी राज्य

नयी दिल्ली, 17 जुलाई (एजेंसी)

जंक फूड से बच्चों की सेहत पर पड़ने वाले दुष्प्रभाव को देखते हुए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) ने देशभर के स्कूल की कैटीनों में इस तरह के खाने पदार्थों की उपलब्धता पर रोक लगाने के मकसद से राज्य शिक्षा बोर्डों से कहा है कि वे केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (सीबीएसई) की तरह स्पष्ट नियम तय करें और उसका सख्ती से लागू करना भी सुनिश्चित करें। आयोग ने स्कूलों में जंक फूड पर पूरी तरह रोक लगाने के मकसद से हाल ही में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शिक्षा बोर्डों एवं राज्य बाल आयोगों को इस संबंधी पत्र लिखा है। एनसीपीसीआर के सदस्य प्रियंक

नूडल्स, पिज्जा, बर्गर पर लगे रोक



इस साल की शुरुआत में सीबीएसई ने संघर्ष स्कूलों को कहा था कि वे अपने यहां की कैटीनों में चिप्स, कारबोनेटेड ड्रिंक्स, रेडी टू इट नूडल्स, पिज्जा, बर्गर तथा कुछ दूसरे खाने पदार्थों की उपलब्धता पर रोक तय करें।

इन बीमारियों का रहता है अंदेशा

बोर्ड ने कुछ अशुभ संकेतों का हवाला देते हुए कहा था कि उच्च वसा, जमक और शर्करा वाले खाने पदार्थों के कारण टाइप-2 मधुमेह, अवसाद तथा दूसरी बीमारियां होती हैं।

कानूनगो ने बताया, 'स्कूलों की कैटीन में जंक फूड को लेकर एक नियम तय किया गया था। हम चाहते हैं कि इसका सख्ती से क्रियान्वयन किया जाए। प्रांतीय बोर्डों के स्कूलों के लिए अलग से नियम बनाने की जरूरत है। हमने

इसी को लेकर प्रांतीय सरकारों और राज्य बाल आयोगों को पत्र लिखा है।' कानूनगो ने कहा, 'पंजाब, चंडीगढ़, मध्यप्रदेश और ओडिशा ने जंक फूड के खिलाफ दिशानिर्देश तय करने में अच्छा काम किया है।

Dainik Tribune (H) , July 18, 2016, P. 12
(School Canteens/ Packed Food, HFSS)

विश्व स्वास्थ्य संगठन की अभिभावकों को चेतावनी बच्चे को गोल-मटोल देख नहीं हों खुश

नई दिल्ली. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अभिभावकों को चेतावनी दी है कि वे अपने गोल मटोल और फूले हुए गालों वाले बच्चों को देखकर खुश नहीं हों, क्योंकि आज का गोल मटोल बच्चा जवान होते-होते मधुमेह और हृदय रोग समेत कई गम्भीर बीमारियों की चपेट में आ सकता है।

विश्व स्वास्थ्य संगठन के अधीन बच्चों के स्वास्थ्य पर काम कर रहे एक आयोग ने विश्व के तमाम देशों के स्वास्थ्य मंत्रालयों का ध्यान आकर्षित करने के साथ ही यह चेतावनी जारी की है कि पूरी दुनिया में पिछले तीस साल में मोटे बच्चों की संख्या तीन से बढ़कर चार करोड़ हो चुकी है।

भारत में डेढ़ करोड़ गोल मटोल

संगठन की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक भारत जैसे निम्न आय वर्ग वाले देश में गोल-मटोल दिखने वाले बच्चों की संख्या वेहद तेजी

से बढ़ रही है। देश में 1990 में जहाँ देश में पांच साल तक के साढ़े सात लाख बच्चे गोल मटोल तथा गलफुल्ले थे, वहीं 2016 में उनकी संख्या बढ़कर डेढ़ करोड़ से अधिक हो गई है।

उम्र के साथ बढ़ता चला जाता है मोटापा

संगठन के अनुसार भारत में बच्चों में मोटापे के एक करोड़ मामले प्रति वर्ष अस्पतालों में दर्ज होते हैं। इन बच्चों के अभिभावक अस्पतालों में उनके बढ़ते वजन को नियंत्रित करने तथा उन्हें स्लिम बनाने की मांग करते हैं, लेकिन बचपन में ही मोटापे का शिकार होने वाले बच्चों का वजन घटाने का इलाज नहीं लेना चाहते। नतीजा जवानी की दहलीज पर कदम रखते रखते वे मोटापे से पैदा होने वाली बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। बचपन का मोटापा जवानी में डायबिटीज, उच्च रक्त चाप और उच्च कोलेस्ट्रॉल का कारण बन सकता

है। 70 प्रतिशत मोटे युवाओं को कार्डियोवैस्कुलर बीमारी होने का खतरा बना रहता है। मोटे बच्चों और किशोरों को हड्डियों और जोड़ों की समस्याओं, स्लीप एपनिया तथा आत्म-सम्मान की कमी जैसी मनोवैज्ञानिक समस्याओं से भी जूझना पड़ता है।

एशियाई देशों में हैं 48 फीसद मोटे बच्चे

आंकड़ों के अनुसार मोटे बच्चों के मामले में एशियाई देश यूरोपीय तथा अफ्रीकी देशों के मुकाबले अब्बल हैं। दुनिया में पांच साल तक के मोटे बच्चों में से 48 फीसद एशियाई देशों के हैं। अफ्रीकी देशों में ऐसे बच्चों का प्रतिशत 25 है। शेष 27 फीसद मोटे बच्चे यूरोपीय देशों के हैं। मोटे बच्चों पर किए गए अध्ययन के मुताबिक 1990 में जहाँ 4.8 प्रतिशत बच्चे अधिक वजन के साथ जन्म ले रहे थे, वहीं 2016 में इनका प्रतिशत बढ़कर 6.1 हो गया।

Rajasthan Patrika (H), July 22, 2016, P. 7
(Obesity/ Overweight/ WHO Alert)

मां के दूध की कमी से नवजात की नहीं होगी

अलवर. मां के दूध की कमी से अब नवजात की मौत नहीं होगी। एफबीएनसी यूनिट, जनाना अस्पताल व जिले में जिन बच्चों को किसी कारण से मां का दूध नहीं मिल पाता, उन्हें भी अब मां का दूध मिल सकेगा। जनाना अस्पताल में मदर मिल्क बैंक बनकर तैयार हो चुका है। सितम्बर माह की शुरुआत में यह मिल्क बैंक काम करने लगेगा। तीन तरह से यह मिल्क बैंक काम करेगा। प्रथम क्लिनिकल मिल्क बैंक, दूसरा कम्यूनिटी मिल्क बैंक व तीसरा ब्रेस्ट फीडिंग हो सकेगी। क्लिनिकल मिल्क बैंक के तहत जो बच्चे एफबीएनसी यूनिट में मौत से लड़ते हैं, उन्हें मां का दूध मिल नहीं मिल पाता है। मिल्क बैंक की मदद से ऐसे बच्चों को अब मां का दूध मिल सकेगा। इससे वे जल्दी स्वस्थ होंगे। इसका लाभ

अलवर के जनाना अस्पताल में मदर मिल्क बैंक बनकर तैयार, भरतपुर में भी बना, खून की तरह अब सरकारी अस्पताल में मिल सकेगा मां का दूध

यह होगा कि बच्चों की मृत्यु दर कम होगी। दूसरा कम्यूनिटी मिल्क बैंकिंग के तहत शहर का ऐसा कोई भी नवजात बच्चा, जिसको किसी भी कारण से मां का दूध नहीं मिल रहा है, उसे मां का दूध मिल सकेगा। इससे मरने वाले बच्चों को बचाया जा सकेगा। मां के दूध की कमी से बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं, इससे कुपोषण की समस्या खत्म हो सकेगी। बच्चों को मां का दूध मिलने से डायरिया व निमोनिया जैसी बीमारी समाप्त हो जाएगी।

Rajasthan Patrika (H), July 22, 2016, P. 3
(Mother's Milk Bank/ Maternal Hospital)

कुपोषण और क्रेच की पहल

प्रसंगवश

■ अलका आर्य

महिला और बाल विकास मंत्रालय राष्ट्रीय क्रेच नीति तैयार कर रहा है, जो सरकारी, निजी और असंगठित क्षेत्रों पर लागू होगी। संसद के चालू सत्र में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने एक सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। नेशनल प्रोग्राम फॉर क्रेच एंड डे केयर फैसिलिटीज फॉर

चिल्ड्रेन की दिशा-निर्देश को अंतिम रूप देने के लिए महिला और बाल विकास मंत्रालय के सचिव के तहत एक वर्किंग ग्रुप का गठन किया गया है। हमारे मुल्क को ऐसी राष्ट्रीय नीति की दरकार है। छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए क्रेच जरूरी है तो इसका एक पहलू मुल्क की जीडीपी से भी जुड़ता है। कामकाजी महिलाओं या मांओं को बच्चों के लिए यह सुविधा जितनी अधिक मिलेगी, उसका लाभ देश की अर्थव्यवस्था को होगा। ऐसा नहीं है कि भारत में क्रेच व्यवस्था को लेकर कोई दिशा-निर्देश नहीं है। सभी कार्य स्थलों पर जहां महिलाओं की संख्या तीस या इससे अधिक है, वहां नियोजित अथवा संस्थान के प्रबंधन पर कार्यस्थल के दायरे में क्रेच का प्रावधान करने की जिम्मेदारी है, लेकिन हकीकत में इस पर अमल बहुत ही कम होता है।

देश की सर्वोच्च अदालत में भी एक साल पहले तक क्रेच नहीं था। बीते साल सर्वोच्च अदालत ने इस बाबत आदेश जारी किए। असंगठित क्षेत्र जहां महिला कर्मचारियों की बहुत बड़ी तादाद काम करती है, वहां हालात बदतर हैं। अब सवाल यह है कि सरकार जिस नीति का मसौदा तैयार कर रही है, वह मौजूदा समस्याओं को कितना निदान करने वाली होगी और सरकार उसके अमल को कैसे सुनिश्चित करेगी। क्रेच की अवधारणा को अगर हम शहरी मध्य और अमीर वर्ग की जरूरत के रूप में देखेंगे तो यह तर्कसंगत नहीं होगा। क्रेच की जरूरत कुपोषित बच्चों को भी अधिक होती है। क्रेच की आवश्यकता क्यों, इस विमर्श का वे एक अहम हिस्सा हैं। कुपोषण स्वास्थ्य संबंधित बड़ी समस्याओं में से एक है। ग्रामीण छत्तीसगढ़ में अल्प पोषण शायद सबसे व्यापक समस्या है। अल्प पोषण का चक्र अक्सर छोटपन में ही शुरू हो जाता है और जिसके परिणाम पीढ़ियों तक रह सकते हैं।

प्रारंभिक बाल्यावस्था का कुपोषण खराब स्वास्थ्य व ज्ञान संबंधी विकास की मुख्य वजह बनता है, जो कि एक इंसान की भावी कमाने की क्षमता पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकता है और गरीबी व कुपोषण के चक्र को स्थायी बना देता है। वैसे ही कुपोषण बीमार होने के मौकों को बढ़ाने में मुख्य भूमिका निभाता है और कई बार मौत का कारण भी बनता है। छोटे बच्चों पर इसके प्रभाव



छोटे बच्चों के स्वास्थ्य के लिए क्रेच जरूरी है तो इसका एक पहलू मुल्क की जीडीपी से भी जुड़ता है। कामकाजी महिलाओं को बच्चों के लिए यह सुविधा जितनी अधिक मिलेगी, उसका लाभ देश की अर्थव्यवस्था को होगा

खासतौर पर गंभीर होते हैं वैसे कि साक्ष्य दिखाते हैं कि पांच साल से कम आयु वाले बच्चों में से 50 प्रतिशत से अधिक की मौत का मूलभूत कारण यही है। जिंदगी के प्रारंभिक स्तरों पर (आयु दो या तीन) जब सबसे ज्यादा मानसिक विकास होता है, कुपोषण स्कूल में बच्चों की सीखने की क्षमता को प्रभावित कर सकता है। छत्तीसगढ़ में बच्चों में अल्प पोषण की समस्या को खत्म करने के लिए जन स्वास्थ्य सहयोग ने फुलवाड़ी नामक कार्यक्रम शुरू किया है, जिसका उद्देश्य राज्य के 54 गांवों में रहने वाले छह माह से लेकर तीन साल की आयु तक के सभी बच्चों को क्रेच की सुविधा मुहैया कराना है।

इन क्रेच में बच्चों को तीन बार खाना दिया जाता है, जो कि बच्चे की रोजाना की कैलोरी व प्रोटीन की जरूरत की दो तिहाई पूर्ति कर देता है। कई सालों के फील्डवर्क और रिसर्च से यह बात सामने आई है कि छोटे बच्चों को पर्याप्त कंप्लीमेंट्री भोजन नहीं मिलना कुपोषण में मुख्य भूमिका निभाता है। रिसर्च से इस समस्या को

क्रेच की अवधारणा को अगर हम शहरी मध्य और अमीर वर्ग की जरूरत के रूप में देखेंगे तो यह तर्कसंगत नहीं होगा। क्रेच की जरूरत कुपोषित बच्चों को भी अधिक होती है

खत्म करने के लिए कई कारकों की पहचान कर ली गई है। कुछ निष्कर्ष कंप्लीमेंट्री भोजन को शुरू करने में देरी की ओर इशारा करते हैं जहां बच्चों को दिए जाने वाले भोजन की मात्रा कम होती है। इसके अलावा देखभाल की भूमिका निभाने वाले का नहीं होना, खासतौर पर जब दोनों अभिभावक दिन के दौरान काम पर बाहर जाते हों, खराब पोषण के कारण बार-बार बीमार पड़ना और अभिभावक की क्रय शक्ति का खराब होना भी बच्चों में कुपोषण के कारण हैं।

न्यूट्रिशनल रिहैबिलिटेशन सेंटर (एनआरसीएस) इसमें सफल नहीं हुई है, क्योंकि यह केवल गंभीर व घोर कुपोषित बच्चों के लिए है। ये केंद्र कुपोषित बच्चों का पोषण का स्तर तो सुधार देते हैं, पर उसका प्रभाव बच्चे के घर वापस जाने के बाद कम हो जाता है। इसके अतिरिक्त ये केंद्र उन बच्चों को सेवाएं मुहैया नहीं कराते, जिनका कुपोषण स्तर ज्यादा कम नहीं है या मध्यम है। देश के कुपोषित बच्चों का आबादी में इनकी तादाद बहुत ज्यादा है। समेकित बाल विकास सेवा (आइसीडीएस) जैसे बड़े कार्यक्रम भी हैं और यह कार्यक्रम छत्तीसगढ़ में भी चल रहा है। इसकी व्यापक पहुंच के बावजूद यह भी कुपोषण के स्तर में उल्लेखनीय कमी लाने में असमर्थ रहा है।

विश्व बैंक द्वारा तैयार हेल्थ एंड न्यूट्रिशन पेपर में इस कार्यक्रम में कई कमियां पाई गईं। पेपर बतलाता है कि आइसीडीएस कार्यक्रम सबसे ज्यादा संवेदनशील बच्चों को पर्याप्त देखभाल नहीं करता जैसे कि तीन साल से कम आयु वाले बच्चे और सबसे गरीब राज्यों में जहां इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है, वहां यह प्रभावी तौर पर काम नहीं कर रहा है। सबसे गरीब गांववासी फुलवाड़ी की अधिक मांग कर रहे हैं, क्योंकि दोनों अभिभावक रोजाना काम के लिए बाहर जाते हैं। गांव की स्वास्थ्य कार्यकर्ता सभी बच्चों का जन्म से वजन का रिकॉर्ड रखती है। क्रेच की पहल सिर्फ सफल ही नहीं रही, बल्कि इसके बहुतेरे सकारात्मक नतीजे भी सामने आए। क्रेच जाने वाले बच्चों की खाने की आदतों में बदलाव देखा गया। परिवार के दूसरे सदस्य भी इससे लाभान्वित हुए। बच्चों के बड़े बहन-भाइयों ने फिर से स्कूल जाना शुरू कर दिया और दोनों अभिभावक बच्चों की फिक्र किए बिना काम पर जाने लगे।

इस क्रेच प्रोग्राम के सामने कई चुनौतियां हैं। मसलन खाद्य पदार्थों की बढ़ती कीमतें आदि। सभी कोशिशें करने के बावजूद यह गांव से दूर सबसे गरीब परिवारों तक नहीं पहुंच सकी है। इसमें प्रत्येक बच्चे पर रोजाना 17 रुपये खर्च किए जाते हैं। फंड जुटाना बहुत बड़ी चुनौती है। मनरेगा के तहत क्रेच वर्कर को तो पैसा देने के लिए फंड है, पर क्रेच की अन्य सुविधाओं के लिए नहीं। वैसे महिला एवं बाल विकास मंत्रालय जिस राष्ट्रीय क्रेच नीति का मसौदा तैयार कर रहा है, उसके फंडिंग पैटर्न को लेकर भी अंदरखाते बहस चल रही है।

(लेखिका स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं)


Dainik Jagran (H), July 26, 2016, P. 9/ Rashtriya Sanskaran
(Malnutrition/ Crèche)

How reforms changed the average Indian's diet

mint In the 25 years since the then FM, Manmohan Singh, opened up the economy to global influences, one of the most palpable changes has been in the average Indian's diet. The FAO database tells us that Indians are consuming more food, and better food, after reforms were introduced. Between 1961 and 2013, the consumption of eggs rose eight fold, and alcoholic beverages more than five times

ON THE MENU

Eggs have seen the biggest proportional increase in terms of per capita consumption in the last 50 years; alcoholic beverages come second.




Columns indicate the ratio of food supply (kg/capita/year) for given years. 1961 to 2013 denotes ratio of 2013 figure with 1961. A ratio of less than 1 in 1961 to 2013 would mean that absolute consumption fell between 1961 and 2013.

Source: Food and Agricultural Organization

CONSUMPTION BREAK-UP


Tree nuts and animal fats experienced the highest proportional increase in consumption between 1991 and 2013



Columns indicate the ratio of food supply (kg/capita/year) for given years.


THE INDIAN DIETARY DIVERSIFICATION STORY

Percentage share of different food items in total per capita food supply (kg/year)




CHINA SHOWS GREATER DIETARY DIVERSIFICATION

Percentage share of different food items in total per capita food supply (kg/year)



INDIANS EAT HALF OF WHAT THE CHINESE DO TODAY

Ratio of India's per capita food supply (kg/year) to that of China's



Text: Roshan Kishore/Mint; Graphic: Ajay Negi/Mint; Source: Food and Agricultural Organisation

Hindustan Times, July 27, 2016, P. 23
(Food Consumption/ FAO)

भारत में तेजी से बढ़ रही है छोटे कद के बच्चों की संख्या

छोटे कद के बच्चों में भारत अक्वल नाइजीरिया दूसरे, पाकिस्तान तीसरे स्थान पर

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

नई दिल्ली, भारत में पांच वर्ष से कम आयु के अधिकांश बच्चों का कद उम्र के हिसाब से नहीं बढ़ रहा। डॉक्टरों की भाषा में हम इसे बौनापन जैसी बीमारी का नाम देते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार, भारत

में लगभग 4.8 करोड़ ऐसे बच्चे हैं, जिनका कद उनकी आयु के हिसाब से कम है। यहां प्रत्येक पांच में से दो बच्चे छोटे कद के हैं। इस प्रकार भारत विश्व में छोटे कद के बच्चों की संख्या में प्रथम स्थान पर आ गया है।

नाइजीरिया (10.3) और पाकिस्तान (9.8) का स्थान दूसरा और तीसरा है। भारत दुनिया का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश है, लेकिन यहां सबसे ज्यादा स्वच्छता का संकट है। इसके परिणाम स्वरूप बच्चों का विकास अवरुद्ध होता है और उनका कद नहीं बढ़ पाता है।

4.8 करोड़ बच्चे आयु के हिसाब से कद में छोटे हैं भारत में

15.9 करोड़ बच्चे छोटे कद के हैं पूरी दुनिया में

38.8 फीसदी बच्चे उम्र के हिसाब से कद में छोटे हैं भारत में वैश्विक भुखमरी सूचकांक (जीएचआई) 2015 के मुताबिक

भारत में ठिगने कद के कारण

स्वच्छता से जुड़ा है शारीरिक विकास

स्वच्छता की कमी के कारण बच्चों के शारीरिक विकास के साथ-साथ संज्ञानात्मक और भावनात्मक विकास भी प्रभावित होता है। एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय विकास चैरिटी संस्था वाटरएड का मानना है कि टॉयलेट की कमी और पीने योग्य पानी न मिलने के कारण बच्चे कुपोषण के शिकार हो जाते हैं। इसके कारण उनका सही विकास नहीं हो पाता है।

खुले में शौच से है छोटे कद का संबंध

रिपोर्ट के अनुसार भारत में खुले में शौच करने वालों की संख्या ज्यादा है। छोटे कद के बच्चों की संख्या में निरंतर वृद्धि का खुले में शौच से सीधा संबंध है। इससे पर्यावरण दूषित होता है और आस-पास के परिवेश में इससे बीमारी फैलती है। इससे ग्रस्त होकर बच्चों का विकास अवरुद्ध हो जाता है।

Rajasthan Patrika (H), July 27, 2016, P. 2
(Dietary Habits/ Stunted Growth)

मां का दूध बढ़ाता है समय से पहले जन्मे बच्चों की बौद्धिक क्षमता

वाशिंगटन, 29 जुलाई (भाषा)। एक नए शोध में दावा किया गया है कि समय से पहले पैदा हुए बच्चों को जन्म के पहले महीने स्तनपान करवाए जाने से भविष्य में उनका बौद्धिक स्तर (आइक्यू) काफी अच्छा रहने की संभावना होती है। इस शोध में समय पूर्व पैदा हुए 180 बच्चों को शामिल किया गया और जन्म से लेकर उनके सात साल के होने तक उन पर नजर रखी गई। पता चला कि जिन बच्चों को जन्म के पहले 28 दिन ज्यादा स्तनपान करवाया गया उनके मस्तिष्क के कुछ हिस्से तुलनात्मक रूप से ज्यादा विकसित थे, उनका आइक्यू ज्यादा बेहतर था, अकादमिक उपलब्धियां, कामकाजी स्मरणशक्ति और क्रियात्मक गतिविधियां ज्यादा बेहतर थीं।

अमेरिका के ब्रिगम एंड वुमंस हास्पिटल के मेंडी ब्राउन बेलफोर्ट ने कहा, 'समय पूर्व जन्म लेने वाले बच्चे जब अस्पताल में नवजात शिशुओं की गहन चिकित्सा इकाई (एनआईसीयू) में भर्ती हों तो उस दौरान उन्हें मां का दूध दिया जाना चाहिए।' शोधकर्ताओं ने साल 2001-2003 के बीच चिकटोरियन इनफेंट ब्रेन स्टडीज में 30 हफ्ते के गर्भकाल से पहले जन्मे नवजातों को शोध में शामिल किया था। उन्होंने उन दिनों की संख्या तय की जब नवजातों को उनके जन्म के 28 दिन के भीतर पोषण के तौर पर 50 फीसद से ज्यादा मां का दूध मिला था। बेलफोर्ट ने कहा, 'बच्चों के विकास को कई कारक प्रभावित करते हैं और मां का दूध उन्हीं में से एक है।' यह शोध दी जर्नल ऑफ पीडियाट्रिक्स में प्रकाशित हुआ था।

इस बीच जिनेवा से आई एक रिपोर्ट में बताया गया है कि यूनीसेफ ने मां के दूध को बच्चों के लिए पहली दवाई बताते हुए नई मांओं से कहा है कि नवजातों को जन्म के घंटे भर के भीतर स्तनपान करवाने के लिए उन्हें और कोशिश करनी चाहिए। संयुक्त राष्ट्र की बच्चों के लिए काम करने वाली इस एजेंसी ने कहा है कि लगभग 7.7 करोड़ या लगभग हर दो में से एक नवजात को जन्म के पहले एक घंटे में मां का दूध नहीं मिलता है। इससे उन्हें महत्वपूर्ण पोषण, रोग-प्रतिरोधक और त्वचा से त्वचा का स्पर्श नहीं मिल पाता है।

Jansatta (H), July 30, 2016, P. 2
(Exclusive Breastfeeding/ Mental Growth)

2.4 Women Health/Reproductive Health /HIV (Stress Level/ Women Cancer/ National Behavioural Survey/Women Infertility/PCOS/Global AIDS Study/Lifestyle Disorders/ PLHIV/ Breast Cancer)

More women stressed than men, finds survey

SPECIAL CORRESPONDENT

MUMBAI: More than half of the country's working population is battling stress, with more women than men affected by it.

Findings of a health and wellbeing survey carried out by Cigna TTK Health Insurance shows that about 62% of employees display some physical symptoms of stress such as difficulty in falling asleep at night or emotive symptoms, such as not remembering when they are happy.

People living in metropolitan cities and those working for more than 50 hours a week were found to be the most stressed. Employees in non-metro cities were found to be happier than those in metro cities, the survey found.

The online survey was carried out with 3,021 respondents in India to understand their health and wellbeing. It was conducted in September 2015 and covered New Delhi, Mumbai, Bangalore, Kolkata and Chennai

among metro cities and Lucknow, Vizag, Ahmedabad, Pune and Surat among non-metros. The survey was conducted to check overall health and wellbeing of people, both men and women, aged over 25.

What it also found was that while 37% of Indians are obese, 85% of the people surveyed said they followed a healthy diet comprising fresh home-cooked food. Most reported consuming only low quantities of alcohol.

The survey's respondents also reported exercising an average of 2.6 hours per week. Five per cent of the total number of people surveyed said they did not exercise at all. And 13% of the obese respondents said they did not exercise.

TICKING TIME BOMB

- 37% of Indians are obese
- 62% of working Indians are stressed. More women than men reported stress.
- 38% of respondents rated workplace health and wellbeing as good or even excellent.

VIRTUAL REALITY

Time spent (hrs/week)

- 15: Internet browsing
- 7.1: Email
- 6.7: Social networking
- 4: Online videos
- 3.3: Gaming
- 3.2: Online shopping

LEADING HEALTH CONCERNS:

Diabetes, heart disease, accidents

MOST POPULAR EXERCISE:

walking, jogging, yoga

SOURCE: CIGNA TTK

The Hindu, July 4, 2016, P. 9
(Women's Health/ Stress Level/ Survey)

भारत में संभवतः प्रथम

कैंसर के उपचार के बाद मां बनना संभव

सिविल अस्पताल के आइकेडीआरसी महिला रोग विभाग का दावा

छह महिलाओं के ओवेरियन टिश्यू किए हैं प्रिजर्व

अहमदाबाद, ओम प्रकाश शर्मा @ पत्रिका patrika.com/city

कैंसर के उपचार में उपयोगी रेडियोथैरेपी और कीमोथैरेपी से अंडाशय पर इतना असर होता है कि युवा महिलाएं भविष्य में मां नहीं बन पाती हैं। शहर के सिविल अस्पताल परिसर में स्थित इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीज एंड रिसर्च सेंटर (आइकेडीआरसी) के महिला रोग (गाइनेक) विभाग में अपनाई गई तकनीक से अब इस तरह की महिलाओं का मां बनना संभव है। देश में इस तरह का संभवतः यह प्रथम सेंटर बताया गया है।

आइकेडीआरसी के गाइनेक विभागाध्यक्ष डॉ. विनीत मिश्रा के अनुसार कैंसर के उपचार (रेडियोथैरेपी-कीमोथैरेपी) से अंडाशय प्रभावित होता है जिससे महिला का मां बनना मुमकिन नहीं होता। उन्होंने कहा कि कई युवा महिलाओं को उपचार के बाद मां बनने की चाहत होती है। जिसे ध्यान में रखकर ऐसी महिलाओं के अंडाशय के टिश्यू को प्रिजर्व किया जाता है। कैंसर के उपचार के बाद महिलाओं को प्रिजर्व टिश्यू पुनः रख दिए जाते हैं जिससे वे मां बन सकती हैं। हाल में इस तरह की छह महिलाओं के टिश्यू यहां प्रिजर्व किए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया है कि देश में इस तरह की प्रवृत्ति यहां तहत सुरक्षित रखा जा सकता है। उनके अनुसार इस प्रक्रिया का प्रशिक्षण वे खुद अमेरिका से लेकर आए हैं। कैंसर का उपचार अन्य अस्पतालों में करवा रही छह महिलाओं के टिश्यू को यहां प्रिजर्व किया जा रहा है। उपचार जब पूरा हो जाएगा तो वे अपने टिश्यू को उपयोग कर सकेंगी।

अपनाई जा रही है। इस तकनीक को सीखने के लिए उनके यहां कर्नाटक, देश के पूर्वी भाग से चिकित्सक आ रहे हैं। डॉ. मिश्रा उन्हें निशुल्क प्रशिक्षण दे रहे हैं। गाइनेक विभाग में कार्यरत प्रोफेसर डॉ. रोहिणा अग्रवाल व उनकी टीम को भी इस तरह का प्रशिक्षण दिया गया है।

Rajasthan Patrika (H), July 10, 2016, P. 10
(Women Cancer/ Motherhood)



एड्स अरविंद जयतिलक

जड़ से खात्मे की तैयारी

भारत में एड्स पीड़ितों की संख्या 14 से 16 लाख के आसपास है। जबकि एक अन्य आंकड़े के मुताबिक इस समय देश में 20 लाख से अधिक लोग एचआईवी से पीड़ित हैं। इन सभी आंकड़ों से साफ है कि भारत में एड्स महामारी का रूप ले चुका है और उससे निपटने का बड़ी चुनौती बन गया है। एड्स किस तरह जानलेवा साबित हो रहा है, इसी से समझा जा सकता है कि पिछले साल इससे दुनिया भर में 11 लाख लोगों की मौत हुई और हर वर्ष लाखों लोग इसकी चपेट में आ रहे हैं। विडंबना यह कि एड्स अब

कार्ययोजना तैयार करने के अलावा 90 फीसद मरीजों तक पहुंचने का लक्ष्य निर्धारित किया है। 2014 में इन देशों ने एड्स पीड़ित मरीजों के इलाज पर 19.2 अरब डॉलर खर्च किया। लेकिन यह सच्चाई है कि एड्स के बारे में लोगों को पर्याप्त जानकारी नहीं है और उसी का नतीजा है कि 1981 में एड्स की खोज से अब तक लगभग 30 करोड़ लोगों को जान जा चुकी है। चिकित्सा वैज्ञानिकों की माने तो भारत में 85.6 फीसद एड्स पश्चात्य जीवन प्रवृत्ति अपनाने से फेल रहें हैं। इस लिहाज से 24 से 45 वर्ष के आयु के लोगों के इस बीमारी की चपेट में आने की आशंका हमेशा बनी रहती है। विभिन्न सर्वेक्षणों के आंकड़े बताते हैं कि देश के बड़े महानगरों में संक्रमित यौनकर्मियों की तादाद लगातार बढ़ रही है। 2003 के एक सर्वेक्षण के मुताबिक मुंबई के 70 फीसद यौनकर्मियों के शरीर में एचआईवी वायरस पाया गया है। इसी तरह सूरत में किए गए एक सर्वेक्षण से खुलासा हुआ कि वहां के यौनकर्मियों में 1992 में 17 फीसद के शरीर में एचआईवी वायरस था जबकि 2001 में बढ़कर 43 फीसद हो गया। यह एक खतरनाक संकेत है।

देखा जाए तो इस स्थिति के लिए एड्स के विरुद्ध अभियान को गंभीरता से न लिया जाना ही मुख्य रूप से जिम्मेदार है। 2001 में राष्ट्रीय आचरण सर्वेक्षण (नेशनल बिहेवियर सर्वे) में 85000 लोगों से उनके यौन आचरण से जुड़े सवाल पूछे गए। इनमें 50 फीसद से अधिक लोग 25 से 40 वर्ष के थे, के द्वारा बताया गया कि उन्हें एड्स के बारे में बहुत कम जानकारी है। यह सर्वेक्षण रेखांकित करता है कि देश के एक बड़े हिस्से में आज भी लोगों के बीच एड्स के बारे में समुचित जानकारी का अभाव है। एक सर्वेक्षण के मुताबिक देल में महिलाओं पर एचआईवी भार 39 फीसद है। बेहतर होगा कि संयुक्त राष्ट्र संघ, विश्व के सभी देश एवं स्वयंसेवी संस्थाएं एड्स की रोकथाम के लिए लोगों को जागरूक बनाएं और साथ ही प्रभावी इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित करें।



Rashtriya Sahara (H), July 5, 2016, P. 10
(HIV/ National Behavioural Survey)

Virus behind unexplained infertility in women

Researchers have found a human herpesviruses (HHV) that potentially infects the lining of the uterus and is behind the unexplained infertility in women.

Approximately 25 per cent of female infertility cases are unexplained, leaving women with few options other than expensive fertility treatments, according to the study published in the journal PLOS ONE.

The findings showed that the HHV-6A virus infects the lining of the uterus in 43 per cent of women with unexplained infertility. However, it was not found in the uterine lining of fertile women.

Further, the response of the immune system to the HHV-6A virus may contribute to making the uterus less hospitable to a fertilised egg.

HHV-6A can productively infect CD8+ T cells, natural killer cells, according to the paper.



der for a fertilised egg to lodge in the uterus and grow into a baby, the researchers said.

"Our study indicates, for the first time, that HHV-6A infection might be an important factor in female unexplained infertility development, with a possible role in modifying endometrial NK cells immune profile and ability to sustain a successful pregnancy," said Roberto Marci from University of Ferrara.

HHV-6A, which was discovered in 1986 is one of nine human herpesviruses.

It can be diagnosed through a biopsy of the uterine lining.

"This is a surprising and potentially important discovery. If confirmed, the finding may lead to treatments that improve the outcome for a large subset of infertile women," noted Anthony Komaroff, Professor at Harvard Medical School in Boston, U.S.A.

LANS

The virus seems to activate immune cells called natural killer (NK) cells in the uterus. FILE PHOTO

The virus seems to activate immune cells called natural killer (NK) cells in the uterus and lead those cells to produce chemicals called cytokines - tools the immune system uses to orchestrate an attack on a foreign invader, like a virus.

However, the activated immune system cells and abnormal levels of certain cytokines may make it har-

The Hindu, July 11, 2016, P. 2
(Women Infertility/ HHV)

ओवरी की बीमारी से डायबिटीज से पीड़ित हो रही हैं महिलाएं

राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : महिलाओं में अंडाशय (ओवरी) की बीमारी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (पीसीओएस) कई बीमारियों की वजह बन रही है। एम्स के डॉक्टरों द्वारा किए गए अध्ययन में यह बात सामने आई है कि इस बीमारी के चलते महिलाओं को मोटापा व डायबिटीज की बीमारी भी हो रही है। इसलिए एम्स के एंडोक्रिनोलॉजी विभाग ने राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन शुरू करने की तैयारी की है। जल्द ही देशभर के 11 मेडिकल कॉलेजों के साथ मिलकर अध्ययन शुरू किया जाएगा। ताकि यह पता लगाया जा सके कि इस बीमारी से कितनी महिलाएं प्रभावित हैं।

फिलहाल, संस्थान के एंडोक्रिनोलॉजी विभाग के डॉक्टरों ने एम्स व श्रीनगर के एक अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचने वाली महिलाओं पर अध्ययन किया है। इस दौरान पाया गया है कि 20 से 25 फीसद महिलाएं

• पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम मोटापे का भी बन रहा कारण

• 20 से 25 फीसद महिलाएं इस बीमारी से हैं पीड़ित

पीसीओएस से पीड़ित हैं। अध्ययन में देखा गया कि इस बीमारी से पीड़ित 60 फीसद महिलाएं मोटापे से ग्रस्त हैं। जिसमें से 30 से 35 फीसद को फेटी लिवर की परेशानी थी। अर्थात् उनके लिवर में चर्बी अधिक थी। अध्ययन में पाया गया कि 70 फीसद महिलाओं में इंसुलिन तो बनता है, लेकिन वह काम नहीं करता। इसके चलते उन महिलाओं के शरीर में इंसुलिन की मात्रा बढ़ती चली जाती है। इसके चलते उन महिलाओं में एंडोजेन (पुरुष हार्मोन) बढ़ने लगता है। 65 से 70 फीसद महिलाओं में एंडोजेन

अधिक पाया गया। एम्स के एंडोक्रिनोलॉजी विभाग के सहायक प्रोफेसर डॉ. मो. अशरफ गनी ने कहा कि महिलाओं में पीसीओएस के चलते हार्मोन में परिवर्तन आने लगते हैं। यही वजह है कि शरीर के अंदर बनने वाला इंसुलिन भी प्रभावहीन हो जाता है। इससे डायबिटीज टाइप-2 की बीमारी हो जाती है। एम्स के डॉक्टरों का कहना है कि इस बीमारी से पीड़ित 50 फीसद महिलाओं को इसके बारे में जानकारी नहीं होती। जबकि इसके चलते बाद में डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, खरपटे आदि कई बीमारियां होती हैं। पीसीओएस एक ऐसी बीमारी है जिसके चलते ओवरी में गांठ बन जाता है। यह गांठ खतरनाक तो नहीं होता, लेकिन इसके चलते हार्मोन में असंतुलन हो जाता है। राष्ट्रीय स्तर पर अध्ययन के बाद इस बीमारी से पीड़ित महिलाओं का सही आंकड़ा पता चल सकेगा।

Dainik Jagran (H), July 16, 2016, P. 8

(PCOS/ Women Health)

Death rate slows, but 39 mn still HIV positive

Global AIDS study says 2.5 mn are infected every year

PARIS: Some 2.5 million people are still becoming infected with HIV every year even as drugs have slashed the death rate and virus-carriers live longer than ever, a global AIDS study said on Tuesday.

New infections have plateaued for the past 10 years after a steep dip from the peak rate of 3.3 million in 1997, said the authors of a comprehensive analysis in *The Lancet HIV* journal.

It was published to coincide with the International AIDS conference underway in Durban, South Africa to assess progress in stemming an outbreak that has killed more than 30 million people since the 1980s.

The report paints "a worrying picture of slow progress in reducing new HIV infections," according to lead author Haidong Wang from the Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) at the University of Washington, Seattle. This could be worsened by "stagnating" funding for HIV/AIDS programmes and medicines.

"Therefore, a massive scale-up of efforts from governments and international agencies will be required to meet the estimated \$36 bil-



A mannequin dressed in items made of condoms to promote their usage installed at the conference. — PHOTO: AP

lion needed every year to realise the goal of ending AIDS by 2030," IHME director Christopher Murray said in a statement. Over the past 15 years, countries have contributed \$110 billion in "development assistance" for HIV/AIDS programmes.

Today, there are some 38.8 million people living with the AIDS-causing virus, a steady increase from 28 million in 2000 thanks to the advent in 1996 of life-prolonging antiretroviral therapy (ART).

Annual AIDS deaths have declined from a peak of 1.8 million in 2005 to 1.2 million in 2015. There is no AIDS cure or vaccine.

ART cocktails suppress the virus, enabling people to live long lives, though the drugs are expensive and can have side effects.

'Big change' required

Use of antiretrovirals, for long the preserve of the rich, grew from 6.4 per cent of infected men in 2005 to 38.6 per cent ten years later, and from 3.3 per cent to 42.4 per cent for women over the same period, the study found. Another factor that has helped cut the death rate was education and medicines to prevent infected women passing the virus on to their unborn children, said the report.

The study saw researchers collate HIV data recorded from 1980 to 2015 for 195 countries.

In spite of advances, most countries are still far from achieving the UNAIDS goal of ensuring that by 2020, 90 per cent of infected people will know their status, and 90 percent of those will receive ART. — AFP

The Hindu, July 20, 2016, P. 20

(Global AIDS Study/ HIV)

आधुनिक जीवन शैली महिलाओं को बना रही बीमार

जनसत्ता संवाददाता
नई दिल्ली, 15 जुलाई। महिलाओं में होने वाली बीमारी पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम (पीसीओएस) अब केवल प्रजनन संबंधी बीमारी नहीं रह गई है। इसका संबंध शरीर की अंतःस्रावी ग्रंथियों व पाचन तंत्र से भी है। यह बीमारी अब आम हो गई है। साथ ही इसके कारण व नतीजों को लेकर आए दिन नए तथ्य समाने आ रहे हैं, जिससे मरीज ही नहीं डॉक्टरों में भी भ्रम की स्थिति है। यह जानकारी एम्स अंतःस्रावी ग्रंथि विज्ञान विभाग के डॉ. मो. अशरफ गैनी और महिला व प्रसूति विभाग की डॉ. नूतन अग्रवाल ने दी।

उन्होंने बताया कि इस बीमारी को लेकर देश भर में कोई एक सत्यापित रिपोर्ट नहीं है, इसलिए भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद (आइसीएमआर) को इस पर राष्ट्रीय स्तर पर शोध का प्रस्ताव दिया गया है, ताकि देशव्यापी स्तर

- हार्मोन की गड़बड़ी से हो सकता है पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम
- कुछ मामलों में मधुमेह, हृदय रोग और कैंसर तक होने की आशंका

पर स्थिति साफ हो सके व इसको लेकर सही ढंग से जांच व इलाज का प्रोटोकाल अपनाया जा सके। उन्होंने बताया कि पीसीओएस महिलाओं में होने वाली हार्मोन संबंधी गड़बड़ी वाली बीमारी है। पहले इसे केवल प्रजनन संबंधी विकार माना जाता था, लेकिन नए वैज्ञानिक तथ्यों से पता चला है कि यह मेटाबॉलिक गड़बड़ियों से भी संबंधित जीवन शैली से जुड़ी बीमारी है। पहले इसमें इंसुलिन का स्तर बहुत अधिक बढ़ा होता है। फिर जैसे-जैसे उम्र बढ़ती है खून में इंसुलिन की मात्रा कम होने लगती है और मरीज को मधुमेह हो जाता

है। डॉ. अशरफ ने यह भी कहा कि मधुमेह ही नहीं बल्कि कई मामलों में कोलेस्ट्रॉल संबंधी दिक्कतें व हृदय रोग के अलावा मरीज को कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी तक हो जाती है।

डॉ. नूतन अग्रवाल ने बताया कि महिलाओं की ओवरी (अंडाशय में) में सिस्ट या रसीली होना आम बात है। दुनिया भर में चार से दस फीसद महिलाएं इससे पीड़ित हैं, वहीं भारत में करीब 20 फीसद महिलाएं पीसीओएस का शिकार हैं। बढ़ती उम्र में शरीर में होने वाले हार्मोन संबंधी बदलाव में भी सिस्ट हो जाते हैं। केवल सिस्ट होने से दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर इसके साथ और दिक्कतें हैं तो उसका समुचित इलाज व प्रबंधन जरूरी है। कम से कम तीन लक्षण या व्यापक जांच के बाद ही इलाज की रणनीति बनाई जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि इस बीमारी में माहवारी में

अनियमितता, भारी रक्तस्राव, मोटापा, गर्दन व त्वचा पर काले निशान, शरीर पर बाल और बांझपन जैसे लक्षण आम हैं। भारत में हर चौथी-पांचवीं महिला इस बीमारी से पीड़ित है।

उन्होंने कहा कि इस दिशा में हुए अध्ययन बताते हैं कि जिसे पीसीओएस है उसे या उसके मां-बाप को मधुमेह, उच्च रक्तचाप या ऐसी ही कोई दूसरी दिक्कत जरूर रही होगी। सिस्ट के मरीजों को मधुमेह हार्मोन की जांच, फैटी लिवर का पता लगाने के लिए लिवर की जांच (अल्ट्रासाउंड, सीटी स्कैन या एमआरआई) करके ही आगे इलाज की रणनीति बनानी चाहिए। एम्स के रेडियोलॉजी विभाग के डॉ. देव ने बताया कि अभी तक इस बीमारी की जांच को लेकर कोई तय दिशानिर्देश नहीं है। कुछ हार्मोन जांच व अल्ट्रासाउंड के आधार पर ही इलाज होता है।


Jansatta (H), July 16, 2016, P. 3
(Lifestyle Disorders/ Women Health)

OPINION

Pay now or pay forever

Sixteen years ago, the historic AIDS Conference in Durban, South Africa — the first in Africa — brought together governments, UN bodies, researchers, health workers, people living with HIV/AIDS and marginalised communities on the same platform. People living with HIV/AIDS and activists led by Treatment Action Campaign (TAC) stormed the conference to confront governments and leaders to “break the silence” about HIV and Big Pharma’s propaganda that HIV treatment in developing countries was not feasible.

A year later, in 2001, in the absence of patent barriers in India, Dr. Yusuf Hamied from Cipla proudly announced the availability of generic antiretroviral treatment for less than \$1 per day. With this breakthrough,



Leena Menghaney

the public health response to AIDS changed forever. Today, over 17 million people living with HIV in

developing countries are on treatment — most of them on affordable Indian generic medicines.

Just two months ago, world leaders including India’s Health Minister J.P. Nadda gathered at the UN and promised to “end AIDS” by 2030. And last week, South Africa once again hosted the International AIDS Conference in Durban marking the progress that has been made in the public health response to HIV/AIDS in the last 15 years.

We have witnessed time and again how early treatment saves lives and prevents transmission of the virus, valuable evidence of which was provided by the ‘HPTN-052’ trial. There are newer HIV medicines that are better-tolerated and treat those who have grown resistant to the virus.

The lessons learned from working with marginalised communities on HIV/AIDS prevention over the last decade, combined with the latest science that treatment is prevention, could help us break the back of the epidemic.

We are at a unique point in time. Yet complacency




PHOTO: SPECIAL ARRANGEMENT

is setting in internationally: 20 million of the 37 million people with HIV do not have access to treatment; tuberculosis continues to be the main killer of people living with HIV; over one million people die every year of AIDS and neglected co-infections, and HIV funding from countries has fallen substantially in 2015.

In India, the aim to have over two million people living with HIV know their status and offer quality HIV treatment for life will only be possible with increased investment in the public health system; implementation of WHO’s “test and treat” policy will push the already strained limits of the medicine supply chain of the Department of Health & Family Welfare.

Role of civil society

Without sustainable funding, civil society cannot continue its valuable work.

These are the organisations informing people at the grassroots-level of their right and need to get tested and access treatment if they are HIV-positive. They are the marginalised communities that are the cornerstone of prevention strategies. They are the counsellors who increase treatment literacy and support adherence to HIV treatment.

They are the networks of people living with HIV combating stigma and discriminatory practices that otherwise exclude people from care and treatment. And, finally, they are the legal aid lawyers who push for the successful implementation of any new HIV policy and support government by challenging patent monopolies.

As has been said: “pay now, or pay forever”.

India has made a commitment to end AIDS. Let’s do it. Help us save lives and stop the virus.

Leena Menghaney is a lawyer working on HIV, public health and access to treatment.

The Hindu, July 31, 2016, P. 10
(PLHIV/ HIV/AIDS)

Breast cancer high among young women: study

PORES AIN D

DIBRUGARH, July 23: In a significant medical research, a team of doctors have discovered that contrary to the western countries, the young women of Assam suffer from biologically aggressive breast cancer, which is also again slightly lower than rest of the country.

The study funded by Indian Council of Medical Research (ICMR) under North-east seed grant in a tertiary care hospital in Upper Assam has revealed that the average age of women suffering from breast cancer in the region is 44.64 years which is lower than the national average age (approximately 50 years) and much lower than the western coun-

tries, which is 65 years. In other words western women mostly suffer after attaining menopause in contrast to Indian counterpart, the study indicated.

This study was carried out by Dr Gayatri Gogoi, Assistant Professor of Pathology and Cancer Researcher from Assam Medical College here along with co investigators - Dr Mondita Borgohain, Professor of Pathology, Dr Projnan Saikia, Professor of Pathology and Dr SA Fazal, Associate Professor of General Surgery of Assam Medical College and Hospital here. The team of researchers found that women are more prone to the disease during reproductive age unlike the western women.

It must be mentioned here that in

2007-2011, the hospital based tumour registry of Dibrugarh and Guwahati found that for unexplained reasons women from Assam suffer this cancer in very young age. The core objective of the study was to understand the scenario of breast cancer in women of Assam, according to the principal investigator Dr Gayatri Gogoi. The research was carried out basically to trace types of breast cancer common in women in Assam, their average age of diagnosis and at what stage it was commonly detected.

The study has shown that 63% women belonged to less than 45 years age group and commonest age group revealed 36-45 years. Results of the study reveal that only 40% of breast cancers fall in mild or moderately aggressive in opposed to 70% in USA whose response to hormonal treatment is very good. Alarmingly an aggressive *Pattern O*, called as triple negative breast cancer was found much higher in proportion. As high as 38% women in the study were falling in this aggressive category than normally accepted range 12-23%. Moreover, the mean age of this group was only 35.77 years only. This is also comparable to a paper published from Dr B Barooah Cancer Institute, Guwahati based on the types of breast cancer treated in the institute, which showed 31% of this aggressive triple negative breast cancer type and their mean age was 40 years only, the study revealed.

Based on the findings, the researchers concluded that young women in Assam suffer biologically aggressive breast cancer. The conclusion drawn from the study suggested that the findings must be used to generate awareness among women in Assam so that they visit health care facility more frequency, screen by mammography and undertake clinical breast examination to get detected in early stage for early cure.

The study has recommended women having family history of breast or ovary cancer to be more careful and regular in checks up. However, it is not known yet as to why there is cancer in such young age or why more triple negative is found in this geographic region.

The Assam Tribune, July 24, 2016, P. 9
(Breast Cancer/ ICMR Study)

उपलब्धि : आइआइटी दिल्ली, एम्स ने मिलकर किया शोध, मिले उत्साहवर्धक परिणाम

लार से हो सकेगी डायबिटीज की जांच

रणविजय सिंह, नई दिल्ली

देश में डायबिटीज (मधुमेह) की बीमारी तेजी से बढ़ रही है। इसे ध्यान में रखते हुए आइआइटी दिल्ली और एम्स के विशेषज्ञों ने मिलकर डायबिटीज की जांच के लिए एक खास तरह की तकनीक इजाद की है। इसमें मरीज के खून की जरूरत नहीं पड़ेगी और लार या थूक से ही जांच हो सकेगी। इस तकनीक से डायबिटीज की जांच न सिर्फ आसान हो जाएगी, यह सस्ती भी होगी।

आइआइटी दिल्ली के बायोकेमिकल इंजीनियरिंग सेंटर और एम्स के एंडोक्रिनोलॉजी व बायोकेमिकल इंजीनियरिंग विभाग के विशेषज्ञ मिलकर इस पर शोध कर रहे हैं। थूक से डायबिटीज की जांच के लिए एक खास तरह की मशीन का इस्तेमाल होगा। इसे आइआइटी, दिल्ली ने तैयार किया है। शुरुआती ट्रायल के परिणाम उत्साहजनक हैं। शोध में शामिल विशेषज्ञों का कहना है कि बीमारी के बढ़ते प्रभाव के मद्देनजर दुनिया भर में डायबिटीज की जांच को आसान बनाने के लिए शोध हो रहे हैं। ताकि इसकी जांच सुरक्षित और बिना परेशानी के हो सके। मौजूदा समय में डायबिटीज की जांच के लिए स्ट्रीप लगाकर खून निकालना पड़ता है। डॉक्टरों का कहना है कि यह तकनीक भी आसान है, लेकिन स्ट्रीप या निडल से मरीज को संक्रमण होने का खतरा रहता है। इसलिए ऐसी तकनीक की जरूरत है, जो आसान हो और उससे किसी तरह का खतरा भी न हो। थूक में ऐसे हार्मोन, एंजाइम आदि होते हैं जो रक्त में पाए जाते हैं। इसलिए दोनों संस्थानों ने मिलकर थूक से डायबिटीज की जांच पर शोध शुरू किया। 175 लोगों का सैंपल लेकर परीक्षण भी किया गया है। इसमें 87 स्वस्थ और 88 डायबिटीज के मरीज थे। सुबह के समय खाली पेट सैंपल जांच के लिए लिया गया। जांच में पाया गया कि थूक से डायबिटीज की जांच 85 फीसद कारगर है।

एम्स के एंडोक्रिनोलॉजी विभाग के अतिरिक्त प्रोफेसर डॉ. गजेश खड़गावत ने कहा कि एक मरीज विकसित की गई है। इसके जरिये थूक के सैंपल में पौएच, पोटेसियम, सोडियम, कैल्सियम आयन आदि की जांच की गई। शोध के परिणाम बेहतर आए हैं। आइआइटी, दिल्ली की एक पीएचडी छात्रा इस पर शोध कर रही है। आइआइटी, दिल्ली की प्रोफेसर डॉ. स्नेह आनंद ने कहा कि इस पर आगे भी शोध चल रहा है, ताकि यह आम लोगों की जांच के लिए उपलब्ध हो सके।

विशेष
दैनिक जागरण

• अब जांच न सिर्फ आसान हो जाएगी पहले से सस्ती भी होगी

देश में 6.2 करोड़ डायबिटीज के मरीज
डायबिटीज की बीमारी भारत सहित दुनिया भर में बढ़ रही है। देश में करीब 6.2 करोड़ लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। अंशका जताई जा रही है कि वर्ष 2035 तक देश में डायबिटीज पीड़ितों की संख्या 10 करोड़ को पार कर जाएगी और भारत डायबिटीज का कैपिटल बन जाएगा।

Dainik Jagran (H), July 2, 2016, P. 1
(Diabetes Diagnosis/ Health)

इस मौसम में बीमारी से बचना है तो खान-पान का ख्याल रखें

सावधान

मानसून की दस्तक ने गले ही गर्मी से राहत दे दी हो, लेकिन इसके साथ कई बीमारियों का खतरा भी बढ़ गया है। ऐसे में आहार विशेषज्ञों की मानें तो खान-पान और रहन-सहन के तौर तरीके में थोड़ी सावधानी बरतने से बदलते मौसम के प्रतिकूल असर से बचा जा सकता है। डॉक्टर रीषा जानी के मुताबिक, जड़ी-बूटी, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन को मौजूम में शामिल कर इस मौसम में स्वस्थ रहना जा सकता है। पेश है कुछ ऐसी खाद्य सामग्रियों और जड़ी-बूटियों की जानकारियाँ, जो बरसाती मौसम में बीमारियों से सुरक्षित रखने में सहायक हैं।

मानसून में बेहतर खाना चुनना जरूरी

सेब
बारिश के दिनों में दूधित पानी पीने से अक्सर डायरिया के मामले सामने आते हैं। आहार विशेषज्ञों की मानें तो सेब खाने से इस तरह की शिकायत से बचा जा सकता है।

अनार-अंगूर
अनार, अंगूर, संतरा विटामिन सी के अच्छे स्रोत होते हैं। इन्हें खाने से श्वेत रक्त कणों की संख्या बढ़ती है जिससे प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत होती है।

प्याज
इसके सेवन से गले में खराश नहीं होती। खांसी में भी राहत मिलती है।

मक्का
मक्का शरीर में पानी की कमी को दूर करता है और पेट को ठीक रखता है। इसमें बी6, थियामिन, नियासीन, फोलेट, रिबोफ्लेविन जैसे विटामिन पाए जाते हैं। यह विटामिन ए और ई का भी स्रोत है।

शकरकरंद
यह विटामिन-ए का बेहतर स्रोत है। यह अंदरूनी व बाहरी त्वचा को स्वस्थ रखता है और नाक और पेट जैसे अंगों में नमी बनाए रखने में मददगार होता है।

शहद
शहद में रोगाणुरोधी गुण होते हैं। इसका सेवन मानसून के दौरान होने वाले कई तरह के संक्रमणों से दूर रखता है।

टमाटर
यह विटामिन सी का बड़ा स्रोत है। इसमें मौजूद लाइकोपीन नामक तत्व रक्तवाहिनियों को सुचारु रखता है। इसके सेवन से प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।

जड़ी-बूटी का जादू

तुलसी पत्ता : इससे श्वेत रक्त कणों की संख्या बढ़ती है जो संक्रमण से बचाने में मददगार होता है।

पुदीना : इसके सेवन से पेट दर्द और मितली में राहत मिलती है।

अदरक : इसमें सल्फर होता है जिससे उबकाई रोकने में मदद मिलती है।

जायफल : यह सर्दी और जुकाम से सुरक्षित रखता है।

लेमनग्रास : इसमें बैक्टीरिया रोधी और कवक रोधी गुण पाए जाते हैं। शरीर की प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है।

दालचीनी : यह सर्दी और गले में खराश से काफी राहत दिलाती है।

क्या करें, क्या न करें

- सर्दी-जुकाम से पीड़ित व्यक्ति से दूर रहें। समय-समय पर हाथ धोते रहें। तरल पदार्थों का खूब सेवन करें। बाहर खाने से परहेज करें। मानसून के दौरान सी-फूड से भी बचें।
- साग-सब्जियों को धोते वक्त विशेष सावधानी बरतें। सबसे बढ़िया यह रहेगा कि सब्जियों को नमकयुक्त पानी या पोटेशियम परमैंगनेट से धोएं।
- घर के आसपास पानी जमा न होने दें, क्योंकि इसमें मलेरिया और डेंगू के मच्छरों के पनपने का खतरा रहता है। पीने के लिए उबला हुआ पानी इस्तेमाल करें।
- सब्जियाँ और फल ज्यादा देर तक भिगो कर नहीं रखें, क्योंकि इससे उनमें बैक्टीरिया पना सकते हैं।
- प्रतिरोधक क्षमता दुरुस्त रखने के लिए नियमित रूप से व्यायाम करें।

Hindustan (H), July 4, 2016, P. 2
(Healthy Habits/ Healthy Foods)

डेंगू के डंक से बचाएगी नई दवा

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एजेंसी ने पायरीप्रोक्सिन दवा के इस्तेमाल का दिया निर्देश

स्वास्थ्य सचिव, नई दिल्ली

डेंगू जैसे तो पूरे देश में फैल चुका है, लेकिन मानसून सीजन में दिल्ली-एनसीआर में यह बीमारी कहर डालती है। यही वजह है कि डेंगू को रोकथाम के लिए नए विकल्प तलाशे जा रहे हैं। इसी क्रम में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (एनवीबीडीसीपी) ने डेंगू के मच्छरों की रोकथाम के लिए पुगनी दवा टेम्पेफोस को जगह पायरीप्रोक्सिन नामक नई दवा के इस्तेमाल का निर्देश दिया है। यह पुगनी दवा से अधिक प्रभावशाली है। इस दवा की अहमियत से अवगत होने के बावजूद इसके इस्तेमाल पर नगर निगम सुस्ती बरत रहा है। राजधानी में डेंगू के मच्छरों की उत्पत्ति रोकने की जिम्मेदारी तैनों नगर निगमों पर ही है। नगर निगम इस साल भी टेम्पेफोस जैसी कम प्रभावशाली दवा का ही इस्तेमाल कर रहे हैं। उत्तरी दिल्ली व दक्षिण दिल्ली नगर निगम में इस दवा का इस्तेमाल शुरू करने की अभी कोई योजना नहीं है। पूर्वी दिल्ली नगर निगम के क्षेत्र में इसके इस्तेमाल की योजना बनाई गई है।

पूर्वी दिल्ली में 20 फीसद तक नई दवा का होगा इस्तेमाल : नगर निगम के अधिकारियों के अधिकारियों का कहना है कि



अब भी टेम्पेफोस जैसी कम प्रभावशाली दवा का ही इस्तेमाल

एनवीबीडीसीपी ने निर्देश दिया है कि कुलर आदि में मच्छरों की रोकथाम के लिए नई दवा का इस्तेमाल किया जाए। हालांकि, निगम के स्थायी समिति ने पूर्वी दिल्ली इलाके में टेम्पेफोस दवा को जितना जरूरत होती है, उसका 20 फीसद ही नई दवा इस्तेमाल करने की स्वीकृति दी है जिसे निगम सदन से स्वीकृति

पिछले साल डेंगू के मामले

दिल्ली	12,897
उ. दिल्ली नगर निगम	5,255
द. दिल्ली नगर निगम	4,442
पूर्वी दिल्ली नगर निगम	3,155
एनडीएमसी	226
दिल्ली कैंट	38
अन्य राज्य	2,637
कुल	15,531
आंकड़े : 14 नवंबर 2015 तक	

मिलना बाकी है। निगम सदन से स्वीकृति मिलने के बाद स्थायी समिति की स्वीकृति के अनुसार नई दवा खरीदी जाएगी। जेप 80 फीसद टेम्पेफोस दवा का इस्तेमाल किया जाएगा।

ज्ञात हो कुलर आदि में मच्छरों की उत्पत्ति रोकने के लिए टेम्पेफोस दवा का इस्तेमाल किया जाता है। यह दवा एक सप्ताह तक ही प्रभावी रहती है। इसके बाद वेबारा दवा डालने की जरूरत पड़ती है। यदि ऐसा न हो तो मच्छरों की उत्पत्ति शुरू हो जाती है। निगम के अधिकारियों के अनुसार, कुलर आदि में नई दवा के इस्तेमाल से तीन सप्ताह (21 दिन) तक मच्छरों की उत्पत्ति नहीं हो सकती। इस लिहाज से नई दवा मच्छरों की रोकथाम में ज्यादा कारगर है।

एनडीएमसी इलाके में देखे जा चुके हैं परिणाम : प्रयोग के तौर पर पिछले साल नई दिल्ली नगर पालिका परिषद (एनडीएमसी) और दिल्ली छावनी परिषद ने अपने इलाकों में इस नई दवा का इस्तेमाल किया था। वर्ष 2015 के डेंगू के आंकड़े बताते हैं कि नगर निगम की तुलना में एनडीएमसी व छावनी इलाके डेंगू का प्रकोप बहुत कम रहा था। हालांकि, एनडीएमसी का इलाका बहुत छेद है, फिर भी तुलनात्मक रूप से एनडीएमसी इलाके में डेंगू के कम मामले सामने आए थे।

Dainik Jagran (H), July 6, 2016, P. 4

(Dengue Medicine/ Health)

Govt to form panel to eliminate Kala-azar

ARCHANA JYOTI ■ NEW DELHI

As its various attempts to eliminate Kala-azar yet to deliver results, the Union Health Ministry is now in the process of setting up a National Commission aiming a focused approach to curb the disease, which continues to be endemic in 54 districts in the country.

Kala-azar (KA) or Visceral Leishmaniasis (VL) is a parasitic disease spread by sandfly. The parasite, which spreads between humans through the bite of an infected sandfly, attacks the immune system and can kill, if not treated.

Kala-azar is the second-largest parasitic killer after malaria worldwide, causing an estimated 2 lakh new infections each year.

The disease is endemic in Indian subcontinent in 119 districts in four countries namely Bangladesh, Bhutan, India and Nepal.

India alone accounts for

about 50 per cent of the global burden of the disease with 33 districts in Bihar, four in Jharkhand, eleven in West Bengal and six districts in eastern Uttar Pradesh.

Unable to eliminate the disease by 2015, the Government has now postponed the target date to 2020 which is also the global goal.

"It has also been decided to set up a national Kala-azar Commission under the chairmanship of Prof LM Nath, former Dean, AIIMS to draw strategy to ensure focused approach to curb the disease. Moreover, it also need international monitoring," said a

senior official from National Vector Borne Disease Control Programme (NVBDCP) under the Health Ministry.

He said in 2013, the cases have declined by 38 per cent in 2011. Mortality has also reduced from 90 deaths in 2011 to 20 in 2013. During 2015, 7720 cases were reported, a reduction of 8.8 per cent over the corresponding period of last year.

However, while 89 per cent of the total 625 endemic blocks reported less than 1 case per 10,000 population, 78 blocks still showing more than one case per 10,000 population, prompting the Government to

intensify the supervision by increasing manpower and other logistics. 100 per cent spray coverage of synthetic Pyrethroid is also planned to cut down vector density of sandflies.

As there are currently no accurate data on the burden of Post Kala-Azar Dermal Leishmaniasis (PKDL) and VL-HIV co-infection emerging as a serious concern there is a strong need to establish surveillance for both the conditions, said the official.

Kala-azar is characterized by irregular bouts of high fever, substantial weight loss, enlargement of the spleen and liver, and anaemia.

The Pioneer, July 8, 2016, P. 5

(Kala-Azar Elimination/ Health Issues)

INDIA ACCOUNTS FOR 90% OF ORAL CASES

Cancer calling

AJITA SINGH
ajita.singh@thestatesman.net
New Delhi, 8 July

More than 60,000 cases of throat cancer are diagnosed every year and around 90% of oral cancer cases detected every year globally come from this country, according to a recent report.

Cancer is the leading cause of death accounting for 7.6 million deaths worldwide. In India, tobacco alone is responsible for 1.5 lakh cancers, 4.2 million heart diseases, 3.7 million lung diseases every year.

A report prepared by experts of National Institute of Health and Family Welfare (NIHFW) to study the harmful effects of gutka specified clearly that India alone accounted for 90 per cent of the total oral cancer figure across the world.

More disturbing is the finding that chewing tobacco and gutka con-



tribute to the deadly disease. The Health Ministry is, however, now banking on the successful implementation of the 2011 notification which banned the use of tobacco in gutka.

Throat cancer refers to the cancer of the voice box, the vocal cords, and other parts of the throat, such as the tonsils and the oropharynx.

Thirty-eight-year-old Deepak Khurana, working with an IT firm, noticed a little swelling on the right side of upper neck. He ignored it first. He was a chain smoker for 20 years.

Slowly and steadily that mild swelling became a small lump. He visited a doctor but it was a casual visit. But later when his lump grew about 2 cm Deepak got it tested and found it was throat cancer.

Dr Vikas Goswami, Sr Consultant Oncologist from Fortis Hospital, said, "Youth exposed to cigarettes and tobacco-smoking and non smoking, in the form of hookahs, etc., is the main cause for throat cancer. Apart from this HPV virus-related cancer is also the cause for throat cancer due to younger generation's exposure to risky sexual practices."

Symptoms of developing throat cancer might include cough, pain or difficulty in swallowing, ear pain, changes in your voice such as hoarseness, a sore throat, sudden weight loss, and a lump in the neck.

The Statesman, July 9, 2016, P. 10
(Oral Cancer/ Health Report)

परिवार नियोजन के मामले में कई राज्यों में हालात असंतोषजनक

जनसत्ता न्यूज

नई दिल्ली, 11 जुलाई। परिवार नियोजन के मामले में देश के कई राज्यों की प्रगति असंतोषजनक सामने आई है। विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर स्वास्थ्य मंत्री जे पी नड्डा ने इस बात पर चिंता जताते हुए कहा कि 'कुल जन्म दर' (टीएफआर) और आबादी स्थिरता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए 100 से ज्यादा जिलों में सूक्ष्म नियोजन की जख्त है।

टीएफआर प्रति महिला जन्म लेने वाले बच्चों की औसत संख्या है और भारत में टीएफआर लक्ष्य 2.1 फीसद है।

नड्डा ने कहा कि परिवार नियोजन में पुरुषों की भागीदारी में कमी हुई है और इसके कारण का विश्लेषण किया जाना चाहिए और रणनीति में इस बात पर जोर दिया जाना चाहिए कि परिवार कल्याण के दायरे में किस प्रकार पुरुषों को लाया जाए। टीएफआर को 2.1 फीसद तक लाने के लक्ष्य को चुनौती बताते हुए मंत्री ने कहा कि जहां तक शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर और पांच साल से कम उम्र के बच्चों की मृत्यु दर का सवाल है, भारत में गिरावट की दर विश्व औसत से तेज है। उन्होंने कहा, एक अच्छी बात हम कह सकते हैं कि हम सही दिशा में बढ़ रहे हैं। हमें रफ्तार को बढ़ाना होगा। देश के 24 राज्य 2.3 फीसद तक पहुंच गए हैं। हमें उन राज्यों के लिए रणनीति बनानी होगी जहां यह कम नहीं हुई है। उन्होंने कहा कि देश के 23 जिलों में टीएफआर चार फीसद से ऊपर है। इनमें से 11 जिले उत्तर प्रदेश के हैं जबकि बिहार के आठ और राजस्थान व मध्य प्रदेश के दो-दो जिले हैं। उन्होंने कहा कि हमें इन जिलों पर विशेष ध्यान देने की जख्त है। देश में 123 जिले ऐसे हैं जहां टीएफआर तीन से 3.9 फीसद के बीच है।

नड्डा ने 'जिम्मेदारी निभाओ, प्लान बनाओ' विषयक एक राष्ट्रीय कार्यशाला में कहा कि इन 123 जिलों के साथ ही 23 और जिलों पर ध्यान देने और रणनीति बनाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हम सलाह देंगे कि हर जिले के लिए सूक्ष्म नियोजन पर गौर करना चाहिए और कारणों का पता लगाना चाहिए। अगर हम कारणों का पता लगा लेते हैं तो उनका हल कर सकते हैं। इस मौके पर स्वास्थ्य राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि देश में यह सौच है कि परिवार में एक लड़का होना चाहिए और इससे यह मुद्दा प्रभावित होता है।

Jansatta (H), July 12, 2016, P. 7
(Family Planning/ World Population Day)

कैंसर ग्रिड बनाने में जुटा भारत

■ घर्मेन्द्र मिश्रा, नोएडा

देश में कैंसर से सालाना होने वाली लाखों मौतों को रोकने तथा बीमारी के समूल उन्मूलन के लिए नेशनल कैंसर ग्रिड बनाया जाएगा। देश के 85 बड़े कैंसर स्क्रीनिंग केंद्रों को जोड़कर यह ग्रिड तैयार होगी। इसके बाद सभी संस्थान सभी संस्थान आपस में इलाज, डेटा शेयरिंग व शोध से जुड़ी बातों को साझा कर सकेंगे। साथ ही विदेश के कैंसर संस्थानों से भी ऑनलाइन मदद ले सकेंगे। छह माह में ग्रिड के तैयार हो जाने की उम्मीद है। ऐसा होते ही भारत एशिया का पहला देश बन जाएगा, जिसके पास बीमारी से लड़ने का ऐसा तंत्र होगा। अभी तक यह ग्रिड अमेरिका, फ्रांस जैसे कुछ चुनिंदा देशों में ही है।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के नोएडा के सेक्टर 39 स्थित नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट ऑफ कैंसर प्रिफेन्शन एंड रिसर्च (एनआइसीपीआर) की अगुवाई में मुंबई में इस बाबत नौ-दस अगस्त को मैराथन बैठक होने जा रही है। एनआइसीपीआर व विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के सहयोग व निर्देशन में ही रही इस बैठक में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान एवं अनुसंधान संस्थान (एम्स), टाटा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट, राजीव गांधी कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट जैसे कई बड़े संस्थानों को आमंत्रित किया गया है। गौरतलब है कि टाटा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कुछ संस्थानों को जोड़कर ग्रिड तैयार किया था, लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर यह नई पहल है।

जागरण विशेष

- देश भर के 85 बड़े स्क्रीनिंग सेंटर्स को जोड़ कर तैयार होगा ग्रिड
- रोग की स्क्रीनिंग, निरंतरण, डेटा शेयरिंग व शोध को मिलेगा बढ़ावा
- ऐसा करने वाला एशिया में होगा पहला देश, अमेरिका फ्रांस समेत कुछ देशों में ही है ऐसी व्यवस्था

कैंसर ग्रिड बनाने का उद्देश्य

- तंबाकू से होने वाले कैंसर का समूल नाश
- सस्ता, सुगम व उत्तम इलाज की व्यवस्था
- रोग की पहचान व इलाज में तेजी लाना
- शोध को बढ़ावा देना, संस्थानों के साथ डेटा शेयर करना।
- संयुक्त लैब की स्थापना, ग्रिड से जुड़े संस्थानों को इस्तेमाल की इजाजत
- शोध की जानकारी अन्य देशों से साझा करना
- जरूरत पर अन्य देश से मदद का विकल्प

“कैंसर की स्क्रीनिंग, शोध व इलाज में तेजी लाकर रोग पर नियंत्रण पाना है। ताकि आने वाले समय में देश से कैंसर का अस्तित्व मिटाया जा सके। तेजी से तैयारी की जा रही है।
-डा. रवि मेहरोत्रा
निदेशक, एनआइसीपीआर, नोएडा”

Dainik Jagran (H), July 22, 2016, P. 14/ Rashtriya Sanskaran
(Health Issues/ Cancer Grid/ WHO)

‘भारत में 4 करोड़ लोग हैपेटाइटिस बी से पीड़ित’

नई दिल्ली. हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज 28 जुलाई को वर्ल्ड हैपेटाइटिस डे के अवसर पर मुम्बई में हो रहे ग्लोबल शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इस कार्यक्रम में हैपेटाइटिस के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन भी उपस्थित रहेंगे।

विज ने बताया कि केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से इस शिखर सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि ग्लोबल इवेंट ऑन हैपेटाइटिस के दौरान हैपेटाइटिस जानो तदनुसार करो विषय पर चर्चा की जाएगी, ताकि देश व दुनिया को इस गंभीर बीमारी से निजात दिलाई जा सके। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि भारत में करीब 4 करोड़ व्यक्ति हैपेटाइटिस बी से पीड़ित हैं और प्रतिवर्ष करीब 10 लाख लोगों का इस बीमार से ग्रसित होने का खतरा बना रहता है।

Rajasthan Patrika (H), July 28, 2016, P. 7
(Hepatitis B/ Health Concerns)

बकरी का दूध



डेंगू और एड्स में कारगर

झमा-झम बारिश का मौसम है। जहां देखें पानी जमा हो ही जाता है। लाख कोशिशों के बावजूद हम बारिश के मौसम में डेंगू जैसी बीमारी को सामंजस करने पर कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। जहां सरकार की कोशिश है वही आम आदमी की भी कोशिश होनी चाहिए की अपने आसपास पानी जमा न होने दे ताकि डेंगू जैसी बीमारियों को खत्म किया जा सके। जमे हुए पानी में पनपने वाले एडीज मच्छर के काटने पर होने वाला रोग डेंगू, तेजी से अपने पैर पसार रहा है। इससे बचने के लिए सावधानियां तो आवश्यक हैं ही, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाना भी बेहद जरूरी है। इसके लिए जरूरी है रक्त कणिकाओं की संख्या में इजाफा होना। एक शोध के अनुसार बकरों का दूध रक्तकणों को बढ़ाने में मदद करता है, जो डेंगू से लड़ने के लिए बेहद आवश्यक है।

बकरी द्वारा पीधे-पत्तियों को खाना : इस तरह से बकरी का दूध डेंगू से बचने के लिए एक श्रेष्ठ विकल्प हो सकता है। बकरी द्वारा हरे पीधों और पत्तियों को आहार के रूप में ग्रहण करने के कारण इसके दूध में भी औषधीय गुण होते हैं, और यह कई तरह की बीमारियों को दूर करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यही कारण है कि जो व्यक्ति नियमित तौर पर बकरी का दूध पीता है, उसे बुखार जैसी समस्याएं नहीं होती।

विटामिन और मिनरल्स की भरपूर मात्रा : बकरी के दूध में विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो बीमारियों से लड़ने और रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं। विटामिन 'बी-6', 'बी-12', विटामिन 'डी', 'फोलिक एसिड' और 'प्रोटीन' से भरपूर बकरी का दूध शरीर को पुष्ट कर, प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करता है, जिससे बीमारियों की संभावना नहीं के बराबर हो जाती है।

रोगप्रतिरोधक क्षमता का इजाफा : एक अन्य शोध के अनुसार किसी बच्चे को बकरी का दूध पिलाने पर उसकी रोगप्रतिरोधक क्षमता में इस कदर इजाफा होता है, कि उसके बीमार होने की संभावना नहीं के बराबर होती है। हालांकि एक साल से छोटे बच्चों को बकरी का दूध नहीं पिलाना चाहिए, क्योंकि इससे उन्हें एलर्जी का खतरा होता है।

गाय या भैंस के दूध से हलका : बकरी के दूध में पाया जाने वाला प्रोटीन, गाय या भैंस के दूध में मौजूद प्रोटीन की तुलना में बेहद हल्का होता है। जहां गाय के दूध का पाचन लगभग आठ घंटे में होता है, वहीं बकरी का दूध पचने में महज 20 मिनट का समय लेता है।

शरीर में उर्जा का संचार करता है : बकरी का दूध अपच की समस्या को दूर कर शरीर में उर्जा का संचार करता है। इसके अलावा इसमें मौजूद क्षारीय भस्म

■ बकरी द्वारा हरे पीधों और पत्तियों को आहार के रूप में ग्रहण करने के कारण इसके दूध में भी औषधीय गुण होते हैं



आम तंत्र में अम्ल का निर्माण नहीं करता जिससे थकान, मसल्स में खिंचाव, सिर दर्द आदि की समस्या नहीं होती।

बकरी का दूध एड्स में भी कारगर : डेंगू के इलाज व डेंगू से बचाव में बकरी का दूध बेहद कारगर उपाय है। इतना ही नहीं बकरी का दूध एड्स जैसी बीमारी के लिए भी बेहद फायदेमंद और कारगर उपचार के तौर पर जाना जाता है।

■ एजेसी

- बकरी के दूध में विटामिन और मिनरल्स भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं, जो बीमारियों से लड़ने और रोग-प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने में मदद करते हैं
- बकरी का दूध एड्स जैसी बीमारी के लिए भी बेहद फायदेमंद और कारगर उपचार के तौर पर जाना जाता है



Rashtriya Sahara (H), July 31, 2016, P. 7
(HIV/ Dengue Prevention/ Health Concerns)

Ministry of Health & Family Welfare
Government of India

World Hepatitis Day 2016

KNOW HEPATITIS ACT NOW

Hepatitis is preventable and treatable
There are effective vaccines and treatment for
**Hepatitis B. Over 90% of people with
Hepatitis C can be cured with treatment.**

Know Hepatitis - Are you at risk?
Anyone could be at risk of Hepatitis B and C. Risks include:

- Unsafe injections and medical procedures
- Unsafe sex
- Pregnant mother to child transmission
- Injecting drug use


Lack of safe water, and poor sanitation and hygiene is a risk for contracting Hepatitis A or E.

Act now – protect yourself:

- Get your child vaccinated against Hepatitis B
- Wash hands thoroughly after using the bathroom and before handling food or eating
- Ensure that blood and blood products are screened for Hepatitis B and C
- Do not share medical equipment, needles, syringes, toothbrushes, razor blades, nail files, and other personal items
- Keep sex safe, use condoms
- Cook food and boil water before consuming

NATIONAL HEALTH MISSION | NACO | World Health Organization | | | *Chao Banaayein Swasth Bharat*

Hindustan Times, July 28, 2016, P. 17
(World Hepatitis Day/ Health)


 स्वास्थ्य एवं परिवार
 कल्याण मंत्रालय
 भारत सरकार

विश्व हेपेटाइटिस दिवस 2016

हेपेटाइटिस को जानें तुरंत अमल करें

हेपेटाइटिस की रोकथाम और इलाज संभव है।
 हेपेटाइटिस बी के लिए प्रभावी टीके और उपचार उपलब्ध हैं
 । हेपेटाइटिस सी से ग्रसित लगभग 90% लोग
 उपचार से ठीक हुए हैं।







हेपेटाइटिस को जानें— क्या आपको भी खतरा है?
 किसी को भी हेपेटाइटिस बी और सी हो सकता है। हेपेटाइटिस के मुख्य कारण हैं:

- असुरक्षित इंजेक्शन और चिकित्सीय प्रक्रियाएं
- असुरक्षित यौन सम्बन्ध
- गर्भवती माँ से बच्चे को
- नशे के इंजेक्शन से

साफ पानी की कमी और गन्दगी, हेपेटाइटिस ए या ई के कारण हैं।

तुरंत अमल करें – हेपेटाइटिस से बचें:

- अपने बच्चे को हेपेटाइटिस बी के टीके लगवाएं
- शौच के बाद अच्छे से हाथ धोएं और खाना पकाने और खाने से पहले हाथ धोएं
- हेपेटाइटिस बी और सी के लिए खून की जांच अवश्य करवाएं
- चिकित्सा उपकरण, सुई, सीरिज, दूधब्रश, रेजर ब्लेड, नेल फाइल्स, और अन्य निजी वस्तुएं किसी के साथ भी साझा न करें
- कंडोम का इस्तेमाल करें, सुरक्षित यौन सम्बन्ध बनाएं
- उपयोग से पहले खाना ठीक से पकाएं और पानी अच्छे से उबाल कर पीयें

Dainik Jagran (H), July 28, 2016, P. 5

(World Hepatitis Day/ Health)

3. Women/Gender issues

3.1 Women Empowerment/ Working Women/Women Leadership, etc. (Maternity Leave/ Women in Defense/ Sexual Harassment/ Equal Remuneration/ Decision Making)

मैटरनिटी लीव 26 हफ्ते करने का प्रस्ताव

निजी क्षेत्र की महिला कर्मियों को भी मिलेगा तोहफा

नयी दिल्ली, 1 जुलाई (एजेंसी)

1998 में जमे सूण ने 18 वर्ष बाद लिया जन्म

केंद्र सरकार ने कामकाजी महिलाओं को तोहफा देने की तैयारी कर ली है। सभी प्रतिष्ठानों में मैटरनिटी लीव बढ़ाकर 26 हफ्ते तक करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। सरकार ने कहा कि सरकारी और निजी क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाओं को साढ़े 6 महीने (26 हफ्ते) की मैटरनिटी लीव मिल सकेगी। इसकी जानकारी केंद्रीय श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने दी। फिलहाल निजी क्षेत्र में काम करने वाली महिलाओं को 3 महीने तक मैटरनिटी लीव मिलती है। बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने मैटरनिटी लीव बढ़ाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि सरकार की इस विधेयक को आगामी मानसून सत्र में ही पेश कर पास कराने की योजना है। गौरतलब है कि सरकारी कर्मचारियों के लिए 26

जियांगसु (चीन): इसे मेडिकल साइंस का जादू ही कहा जा सकता है कि पूरे 18 साल के बाद जमे हुए सूण (फ्रोजन) को कोख में जगह मिली और इससे निःसंतान दंपति को स्वस्थ सतान का अनमोल उपहार मिल गया। जियांगसु प्रांत में 45 वर्षीया महिला हुआंग ने एक बच्ची को जन्म दिया। गत वर्ष नवंबर माह में महिला के कोख में फ्रोजन सूण को इम्प्लांट किया गया था। पूरी प्रक्रिया शंघाई में गायलाकोलॉजी हॉस्पिटल ऑफ फुदान यूनिवर्सिटी में हुई। 1998 में प्रयासों से असफल हो चुकी हुआंग ने सूण को जमा करने का निर्णय ले लिया था। गौरतलब है कि फैलोपियन ट्यूब बंद होने का पता चलने के बाद हुआंग ने फर्टिलिटी सेंटर में इलाज शुरू करवाया।

'घर से काम' का विकल्प नहीं होगा जरूरी

हालांकि श्रम मंत्री कामकाजी माताओं को घर से काम करने का विकल्प उपलब्ध कराने को अनिवार्य बनाने को एक तरह से स्वीज करते नजर आए। दत्तात्रेय ने कहा, कुछ प्रतिष्ठान हैं जहां उन्हें घर से काम करने की अनुमति मिल सकती है।

सप्ताह या छह महीने के मैटरनिटी लीव का प्रावधान पहले ही है। वहीं निजी क्षेत्र की कंपनियां अधिकतम तीन महीने के अवकाश देती हैं। मंत्री ने कहा कि दुकानों, मॉलों व

सिनेमा हॉल सहित अन्य प्रतिष्ठानों को साल भर चौबीसों घंटे खुले रहने की अनुमति देने संबंधी कानून से श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी बढ़ेगी।

Dainik Tribune (H) , July 2, 2016, P. 1
(Maternity Leave/ Working Women)

More women to be inducted in armed forces: Parrikar

STATESMAN NEWS SERVICE
New Delhi, 4 July

In keeping with the government's efforts to bring gender parity, Defence Minister Manohar Parrikar today said in the coming years, the armed forces will see larger participation of women, especially in the Navy. New ships are being modified with infrastructure to accommodate women in the Navy, he added.

Speaking at a function organised by Ficci Ladies Organisation (FLO) here, Mr Parrikar said the recent commissioning of three women pilots in the Indian Air Force is a welcome step and should be considered as breaking a psychological barrier. "Any move in the direction of ushering in gender parity has to be a smooth affair and step by step it will be achieved," he said.

"An idea of having an all-woman battalion has also been mooted and steps are being taken to

MANOHAR PARRIKAR

accommodate women in National Defence Academy (NDA) and Sainik Schools," said Mr Parrikar.

The minister said the government's recent decision to notify changes in the foreign direct investment (FDI) in the defence sector will help the country become an export hub in the coming years.

"The government has taken a big step in defence sector by permitting 100 per cent FDI in defence sector. This has been done so that India becomes 'export hub' over the years as well as self reliant. After recent Boeing-Tata venture for producing fuselage of AH 64 Apache attack helicopters in India, more foreign investment is in pipeline in the defence sector in coming days," Mr Parrikar said.

The minister said 100 per cent FDI in defence is just an enabler, major global defence companies will invest when they are sure of orders from India and other countries.

He said "tie-ups of foreign companies having technology with major Indian companies including Tatas and Mahindra are already on and huge foreign investment is in the pipeline in defence sector." Mr Parrikar said the government had recently increased production in its various defence production units as well as decided in principle to allow export of defence products, including missile systems to 'certain' friendly countries, marking a new era of arms export for the world's largest arms importer.

The minister said various countries have shown keen interest in India's defence products. It has tentatively been decided to export 10 per cent of them to countries who were interested, while keeping the remaining 90 per cent for use by India. Welcoming the recent steps taken by government to promote the participation of private sector in indigenous defence productions and the induction of women fighter pilots in IAF, Ms Vinita Bimbhet, FLO president, said women entrepreneurs and corporate houses can play a greater role in defence production, research and support and take advantage of the new government policy of greater private participation.

Dainik Tribune (H) , July 5, 2016, P. 1
(Women in Defense/ Women Empowerment)

सेना में बढ़ सकती है महिलाओं की भूमिका

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर ने की वकालत, कहा- सैनिक स्कूलों में लड़कियों के प्रवेश पर हो विचार

जनसत्ता ब्यूरो

नई दिल्ली, 4 जुलाई। देश की तीनों सेनाओं में महिला बटालियन बनाने का प्रस्ताव रखा जा सकता है। सेना में महिलाओं के लिए बड़ी भूमिका की वकालत करते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रीकर ने महिला बटालियन बनाने और महिलाओं को युद्धक पोत पर तैनात करने का विचार व्यक्त किया। उन्होंने माना कि सशस्त्र बलों में महिला लड़ाकू पायलटों को शामिल करने के बाद से 'मनोवैज्ञानिक बाधा' दूर हुई है।

अगर सेना और नौसेना को महिलाओं की भूमिका के लिए खोल दिया जाता है तो अमेरिका और इंग्लैंड सहित विश्व के उन देशों में भारत शामिल हो जाएगा जहां इस तरह की व्यवस्था है। फिक्की एफएलओ की तरफ से आयोजित सेमिनार में पर्रीकर ने कहा कि राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के माध्यम से महिलाओं को सशस्त्र बलों में शामिल किए जाने और सैनिक स्कूलों में लड़कियों को प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि जब मैं रक्षा मंत्री बना था तो मैंने सोचा कि हमें सामरिक पहल करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि सशस्त्र बलों में मुख्यतः पुरुषों का वर्चस्व है।

पर्रीकर ने कहा कि इस तरह का विचार है कि सैनिक एक महिला कमांडिंग अधिकारी की बात नहीं सुनेंगे क्योंकि उन्हें ऐसा करने का

प्रशिक्षण नहीं होता। मैं इससे सहमत नहीं हूँ क्योंकि आज एकमात्र बाध्यता ढांचागत सुविधा की है। महिलाएं लड़ाकू की भूमिका में हो सकती हैं तो महिलाओं की बटालियन क्यों नहीं हो सकती। इसलिए पुरुषों की टीम का नेतृत्व महिला अधिकारियों के करने के सवाल पर अगर शुरुआती विरोध की बात है तो इसका भी ध्यान रखा जा सकता है।

पर्रीकर ने कहा कि निकट भविष्य में वह सभी बलों के प्रमुखों से मुलाकात करेंगे। उन्होंने कहा कि मुझे समझ में नहीं आता कि हम महिलाओं को जहाज पर तैनात क्यों नहीं कर सकते। इस चरण में मैं पनडुब्बी अभियान में उनकी भूमिका का समर्थन नहीं करूंगा, क्योंकि पनडुब्बी का डिजाइन एकल लिंगी या कर्मियों के लिए एक ही क्षेत्र का होता है। महिलाओं के लिए अलग क्षेत्र नहीं होता। लेकिन जहाज में बदलाव किया जा सकता है और नए जहाज में महिलाओं के लिये सुविधाओं का इंतजाम किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि महिला अधिकारियों को एनडीए के माध्यम से शामिल करने का सवाल भी है।

उन्होंने कहा कि पूरे देश में मांग हो रही है कि सैनिक स्कूलों में लड़कियों की भी पढ़ाई हो। उन्होंने कहा, 'इसे बेतुके तरीके से नहीं किया जा सकता है।' पर्रीकर ने कहा कि

महिलाओं की भूमिका बढ़ाने को लेकर जल्द ही वह सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों के साथ बैठक करेंगे। उन्होंने कहा कि मैं महिला अधिकारियों और सशक्तिकरण में विश्वास करता हूँ लेकिन मेरा मानना है कि बदलाव धीरे-धीरे होना चाहिए क्योंकि अगर आप ऐसे नहीं करेंगे तो समस्याएं आएंगी। चहरहाल पर्रीकर ने कहा कि सशस्त्र बलों के मुख्य कार्य राष्ट्रीय सुरक्षा से समझौता किए बगैर महिलाओं के लिए टोस कार्य किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि आईएफ प्रमुख ने जब महिला पायलटों को बल में शामिल करने पर चर्चा की तो मैंने तुरंत कहा कि फाइल भेज दीजिए। लेकिन मैंने यह महसूस नहीं किया कि मंत्रालय में कई लोग पुरुष हैं। फाइल मेरे पास चार महीने बाद आई और वह भी मुझसे बार-बार पूछने के बाद। सामान्य मंजूरी मिलने में साढ़े तीन से चार महीने लगते हैं क्योंकि संभवतः सोचने का तरीका पिछड़ा हुआ है।

उन्होंने कहा कि अक्सर मुझसे तर्क किया जाता है कि अगर महिला लड़ाकू पायलट को मार गिराया जाता है और शत्रु उसे पकड़ लेता है और उसके साथ गलत काम करता है तो क्या होगा। उन्होंने यह कहकर जवाब दिया कि जब काफी संख्या में महिला पायलट होंगी जिन्हें युद्ध के समय सीमा के पार भेजना होगा तो देखा जाएगा।

Dainik Tribune (H) , July 5, 2016, P. 8

(Women in Defense/ Gender Empowerment)

यौन उत्पीड़न की शिकार को सवैतनिक अवकाश

नई दिल्ली | एजेसी

यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने वाली केंद्र सरकार की महिला कर्मचारियों को जांच लंबित रहने के दौरान अब सवैतनिक अवकाश मिल सकता है।

अतिरिक्त अवकाश: यह अवकाश केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पहले से मिलने वाले अवकाश के अतिरिक्त होगा। यौन उत्पीड़न के कुछ मामलों में आरोपी द्वारा पीड़िता पर दबाव डालने या धमकाने की कोशिश करने की शिकायत आने के बाद यह कदम उठाया गया है। इस प्रावधान का

90 दिनों का अवकाश

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग की ओर से जारी एक आदेश के अनुसार, पीड़ित महिला कर्मचारी को 90 दिनों का अधिकतम अवकाश दिया जा सकता है। एक अधिकारी ने कहा, यह उन पीड़ितों के लिए राहत की बात है, जिन्हें आरोपी के साथ काम करने के दौरान मानसिक परेशानी से होती है।

निर्माण, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम, 2013 के तहत किया गया है।

Hindustan (H), July 18, 2016, P. 14

(Sexual Harassment/ Additional Leave/ Working Women)

नए मापदंड
महिला शोधार्थियों को अब
मिलेगी मेटरनिटी लीव

यूजीसी ने जारी की पीएचडी-एमफिल कराने की नई प्रक्रिया

विनीत सिंह
rajasthanpatrika.com

कोटा . महिलाओं को अब शोधकार्य के दौरान भी मेटरनिटी लीव मिल सकेगी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने शोध उपाधि प्रदान करने के लिए नई प्रक्रिया और मानदंड (एमफिल-पीएचडी रेग्युलेशन 2016) जारी कर दिए हैं, जिसमें महिलाओं को शोध कार्य करने के दौरान कुल 240 दिन की मेटरनिटी लीव दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इतना ही नहीं नए प्रावधानों के मुताबिक अब अशकालिक आधार

शोधार्थियों की सीमा तय

अब विश्वविद्यालय या महाविद्यालय मनचाही संख्या में एमफिल छात्र आवंटित नहीं कर सकेंगे। नए नियमों के मुताबिक, अब एक समय में अस्टिस्ट प्रोफेसर को एक एमफिल और चार पीएचडी छात्र, एसोसिएट प्रोफेसर को दो एमफिल और छह पीएचडी छात्र और प्रोफेसर तीन एमफिल और आठ पीएचडी छात्रों को ही शोधकार्य कर सकेंगे। इतना ही नहीं पीएचडी रेग्युलेशन एक्ट 2016 के मुताबिक अब सिर्फ विश्वविद्यालय

के कार्यक्षेत्र में कार्यरत शिक्षकों को ही पीएचडी का पर्यवेक्षक बनाया जा सकेगा। यूजीसी ने बाह्य शिक्षकों को पर्यवेक्षक बनाए जाने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है। नए नियमों लागू होने के बाद अब एमफिल करने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय प्रशासन कोर्स वर्क करने से छूट दे सकता है। वहीं नेट और जेआरएफ पास छात्रों को प्रवेश परीक्षा में शामिल करने या न करने का फैसला विश्वविद्यालयों को करना होगा।

पर भी पीएचडी कराई जा सकेगी। नए नियमों के अनुसार, दूरस्थ शिक्षा पद्धति के माध्यम से पीएचडी कराए जाने पर पहले की तरह ही रोक रहेगी, लेकिन बाकी सभी नियमों की

पालना करते हुए पार्ट टाइम पीएचडी कराए जाने को यूजीसी ने मंजूरी दे दी है। यूजीसी ने शुक्रवार को एमफिल पीएचडी रेग्युलेशन 2016 जारी कर दिया।

Rajasthan Patrika (H), July 16, 2016, P. 7
(Women Researchers/ Maternity Leave)

'GOVT ENSURING EQUAL OPPORTUNITIES FOR WOMEN'



STATESMAN NEWS SERVICE
New Delhi, 21 July

The government has enacted the Equal Remuneration Act, 1976, that provides for payment of equal remuneration to men and women workers for same work or work of similar nature and also prohibits

any discrimination against women in recruitment or any condition of service, Union Minister of Women and Child Development Maneka Gandhi informed the Rajya Sabha today.

The Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013, has been enacted to provide safe working environment in workplace for women, she said. The Ministry of Women and Child Development is administering the scheme of working women's hostels for ensuring safe accommodation for working women away from their place of residence and Rajiv Gandhi National Creche Scheme for providing day care facilities to children of working mothers, Ms Gandhi said.

Provisions of maternity leave under the Maternity Benefit Act, 1961, child care leave and paternity leave have been made for making employment policies more sensitive towards women employees, Ms Gandhi said.

The Statesman, July 22, 2016, P. 10
(Equal Remuneration/ Gender Empowerment)



Jansatta (H), July 29, 2016, P. 7

(Decision Making/ Women Empowerment/ NFHS-4)

पति की मौत के बाद दूसरी शादी पर भी बच्चे आश्रित कोटे के हकदार

आदेश

नई दिल्ली। प्रभात कुमार

कर्मचारी की मौत के बाद अगर उसकी पत्नी दूसरी शादी कर ले तो सरकार इस आधार पर मृतक के बच्चे को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने से इनकार नहीं कर सकती है। केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण (कैट) पंचाट ने उत्तर रेलवे से मृतक कर्मचारी की बेटी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का आदेश देते हुए यह टिप्पणी की है। रेलवे ने यह कहते हुए नौकरी से इनकार कर दिया था कि मृतक

कर्मचारी की पत्नी ने दूसरी शादी कर ली है, ऐसे में उनके बच्चे को अनुकंपा के आधार पर नौकरी नहीं दी जा सकती है।

कैट के सदस्य के.एन. श्रीवास्तव ने अपने फैसले में रेलवे के दलीलों को तर्कहीन बताया है। उन्होंने कहा है कि यदि एक बार यह मान भी लिया जाए कि याचिकाकर्ता की मां ने पति की मौत के बाद किसी व्यक्ति से दूसरी शादी कर ली तो भी वह मृतक कर्मचारी की ही बेटी रहेगी। कैट ने कहा है कि मां के द्वारा किए गए किसी कार्य की वजह से बच्चों को उनके कानूनी अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है। ऐसे में मृतक कर्मचारी की बेटी को अनुकंपा

के आधार पर नौकरी से वंचित नहीं किया जा सकता है।

कैट ने उत्तर रेलवे को आदेश दिया है कि यदि मृतक कर्मचारी ब्रह्म प्रकाश गिरी की बेटी दिव्या की याचिका पर को स्वीकार करते हुए यह फैसला दिया है। कैट ने रेलवे से कहा है कि यदि दिव्या सभी जरूरी औपचारिकताएं पूरी करती है तो उसे अनुकंपा के आधार पर नौकरी दे। हालांकि इसके लिए दिव्या के छोटे भाई रजत को इस बात का हलफनामा दाखिल करना होगा कि उसे दिव्या को नौकरी दिए जाने पर कोई एतराज नहीं है। कैट यह फैसला दिव्या की ओर से 2013 में दाखिल याचिका का निपटारा करते हुए दिया।

रेलवे अन्य सुविधाएं भी दे

कैट ने रेलवे को दिव्या को नौकरी देने के अलावा पिता की मौत के बाद मिलने वाली सभी सुविधाएं दोनों भाई-बहन को ही देने का निर्देश दिया है। न्यायाधिकरण ने कहा है कि चुंकि महिला ने दूसरी शादी कर ली है, ऐसे में पति की मौत के बाद मिलने वाली किसी भी तरह की आर्थिक सुविधाएं पाने की वह हकदार नहीं है।



दादा और माई ने दिव्या को नौकरी देने के पक्ष में
न्यायाधिकरण में पेश मामले में दिव्या के दादा और छोटे भाई ने रेलवे से उसे अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने का आग्रह किया।

2002 में चालक की हत्या कर दी गई थी

उत्तर रेलवे के गाजियाबाद लोक में सहायक डीजल चालक ब्रह्म प्रकाश गिरी की 2002 में हत्या कर दी गई। इस मामले में पुलिस ने ब्रह्म प्रकाश की पत्नी विमलेश व अन्य लोगों को आरोपी बनाकर जेल भेज दिया। जमानत पर रिहा होने के बाद विमलेश ने रेलवे में आवेदन दाखिल कर अनुकंपा के आधार पर नौकरी देने की मांग की। लेकिन रेलवे ने यह कहते हुए नौकरी देने से इनकार कर दिया कि वह

पति की हत्या के आरोपी है। 2009 में अदालत ने विमलेश को पति की हत्या के आरोप से बरी कर दिया। इसके बाद उसने परिवार की आर्थिक स्थिति का हवाला देकर रेलवे बेटी को नौकरी देने की मांग की। लेकिन इसी बीच विमलेश ने दूसरी शादी कर ली और अंत में रेलवे ने वर्ष 2012 में यह कहते हुए दिव्या को नौकरी देने से इनकार कर दिया कि उसकी मां ने दूसरी शादी कर ली है।

Hindustan (H), July 7, 2016, P. 3
(Second Marriage/ Dependents/ Court Orders)

Recognise marital rape under law, says NCW

SHALINI NAIR
NEW DELHI, JULY 14

POINTING TO the Woman and Child Development Ministry's silence on the issue of marital rape in its Draft National Policy for Women 2016, the National Commission for Women (NCW) has said that marital rape should be recognised under the law.

In the light of the recent debate over abolishing triple talaq, the NCW has also objected to the ministry's vaguely worded stand on the issue of personal laws in its recently released draft policy that states "given the plurality of personal laws a review is required". The NCW has held that "the problem is not plurality", adding that uniformity is not the answer but what is required is a reform of personal laws to ensure gender equality.

"The draft policy doesn't have any reference to the issue of marital rape. Following our detailed consultations with lawyers, activists, rural women and women with disabilities, we decided to recommend to the ministry that the policy must ac-

The commission also objected to the stand of the Ministry of Women and Child Development on the issue of personal laws

knowledge marital rape. Unless a beginning is made by recognising marital rape in the policy, we cannot go ahead and make laws to protect women from such offences," NCW chief Lalitha Kumaramangalam told *The Indian Express*.

The WCD Ministry had given a reply in the Rajya Sabha earlier this year which read that "the concept of marital rape, as understood internationally, cannot be suitably applied in the Indian context" and that criminalising it will put "the entire family system will be under great stress". Following the backlash against WCD Minister Maneka Gandhi after the statement, the ministry retracted its reply to the Rajya Sabha. The ministry's amended answer only said that matter is

being examined by the Law Commission without specifying the ministry's stand on the matter of criminalising the act.


On the issue of triple talaq too, the WCD ministry has chosen to not take any stand so far even as the NCW has decided to file a reply, in the Supreme Court matter of Uttarakhand-based Shayara Bano, in support of banning the practice.

"Triple talaq cannot be unilateral. Even the Quran doesn't recognise such a practice. But uniform civil code is not the solution. What is required is codification of the Muslim personal law. There has been resistance in the past when reforms were taken up in the Hindu and Parsi personal laws but such a codification is much required," said Kumaramangalam.

The NCW has, in its correspondence to the WCD ministry on the draft policy, said "all personal laws foster gender-equality in one form or another". Ruling out uniformity as the answer, it states that what is required are "reforms based on gender-equality within personal laws of different kinds".

The Indian Express, July 15, 2016, P. 13
(Marriage/ Marital Rape/ NCW)

3.3 Violence and Crime against Women (Gender Biased Development/ Rape Cases/ DCW/Rule of Abortion)



Hindustan Times, July 12, 2016, P. 21
 (Women Survey/ Gender Biased Development)



Rashtriya Sahara (H), July 26, 2016, P. 3
 (Rape Cases/ DCW)

Centre warns against relaxing 20-week rule on abortion

Its Misuse Will Aid Female Foeticide, A Big Problem: AG

Dhananjay Mahapatra
@timesgroup.com

New Delhi: The Centre on Monday informed the Supreme Court that the 45-year-old Medical Termination of Pregnancy Act, with the 2002 amendment, was adequate to handle pregnancy complications warranting abortion and warned against any general relaxation in the 20-week limit for termination of pregnancy.

Attorney general Mukul Rohatgi said, "The MTP Act with the amendment is equipped to handle emergent pregnancy situations. It permits termination of pregnancy at any stage if the foetus threatens a woman's life."

However, sounding a note of caution, the AG said, "In India, female foeticide and infanticide are very big problems. Any relaxation on foetus abnormality to permit abortion after 20-week period would be prone to misuse."

He said petitioner 'Ms X', a Mumbai woman who got the SC's nod to terminate her pregnancy as multiple severe abnormalities in the foetus threatened her life, had also challenged the constitutional validity of Section 3(2) (b) of MTP Act that says a foetus can be aborted only up to 20 weeks of pregnancy.

However, Section 5 of the Act permits termination of pregnancy at any stage if registered medical practitioners feel that it would be life-threatening for the woman.

THE LAW ON MEDICAL TERMINATION OF PREGNANCY

> On October 29, 2014, the Union ministry of health and family welfare released a draft of the Medical Termination Of Pregnancy (MTP Amendment) Bill 2014

> The original MTP Act, drafted in 1971, allowed medical terminations only up to 20 weeks of pregnancy by an allopathic doctor

> Draft bill provides for abortion beyond

20 weeks under defined conditions. If healthcare provider feels pregnancy involves substantial risks to the mother or child, termination could be allowed between 20 and 24 weeks as well

> No limit on termination in case of life-threatening abnormality to the foetus

> Any doc, allopathic, ayurvedic or homeopathic, unani/siddha or nurse/midwife can do abortions

TERMINATION AT 24 WEEKS NO LONGER SCARY

> When the Medical Termination of Pregnancy Act was passed in 1971, medical technology and medicines weren't as sophisticated as they are today. Doctors say a 20-week limit for medical termination was perhaps appropriate four decades ago, but given the advances it is now safe to even carry out medical termination of pregnancies beyond 24 weeks

> The UK has set a limit of 24 weeks for abortion, mainly because there have been cases in which babies born in the 24th week of pregnancy have survived

TIMES VIEW: This is a change in the law that has been in the works for two years now. The health ministry had, in 2014, suggested amending the law to allow for abortions beyond 20 weeks in certain circumstances. Medical opinion and women's groups are agreed that such a change is needed. Global best practices too are in line with this opinion. Why then should it take so long for the idea to become reality? It is not as if this is a politically contentious issue. And the lives of many expecting mothers hang in the balance. Such important legislation should be fast-tracked.

This provision, in the context of India, was apt and equipped to handle emergent pregnancy situations.

A bunch of petitions, the first one filed by Nikhil Datar in 2009 followed by many

women, in the SC have alleged that the MTP Act permitted termination of pregnancy only if the foetus's health threatened the mother's life.

They said there were several occasions when the woman came to know about severe congenital abnormalities in a foetus after 20 weeks. Should she be forced by law to continue with the pregnancy even after knowing full well that the foetus would develop into a child with severe abnormalities, they had asked.

The petitioners had pleaded that the law should give equal weight to the abnormalities of foetus as well as health risk of the woman as grounds for termination at any stage on the basis of expert medical opinion.

"Foetal abnormalities in

many cases are detected only after 20 weeks of pregnancy. Keeping the ceiling for abortion at 20 weeks in such cases is like telling the woman to undergo excruciating mental pain and agony as she knows that her child after birth will be born with serious deficiencies," they had said.

"Section 5 of the MTP Act allows abortion only when the pregnancy threatens the life of the woman and does not take into account mental trauma she would endure through the pregnancy in violation of her fundamental right to life on being forced to carry on with the pregnancy despite the knowledge of a flawed foetus," they had pleaded.

The Times of India, July 26, 2016, P. 16
(Rule on Abortion/ Rape)

3.4 Women in difficult Circumstances/ Women in distress (NRI Marriages/ Distressed Women)



**The Statesman, July 11, 2016, P. 10
(NRI Marriage/ Distressed Women)**

Maneka unveils plan to help wives dumped by NRIs

Moushumi Das Gupta
• letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Women abandoned by their NRI husbands can soon look forward to help from the government.

The government on Wednesday set up a three-member panel to formulate guidelines for providing safeguards to a growing number of victims left to fend for themselves.

Officials said the committee will comprise senior officials from the ministries of home affairs, external affairs and women and child development (WCD) that will also revise the standard operating procedure for dealing with such cases.

In 2014, as many as 346 cases were registered with the NRI cell of the National Commission for Women, an autonomous body under the WCD ministry. Ministry officials said the number is minuscule given the enormity of the problem.

"We have been getting huge number of complaints from women... abandoned by their NRI husbands and cases where their children have been taken away forcibly," WCD minister Maneka Gandhi told HT after a meeting with external affairs minister Sushma Swaraj. **CONT'D ON P9**

Maneka unveils plan to help wives dumped by NRIs

"We have decided to work on a common protocol to handle such cases and work with Indian missions in foreign countries to provide succour to such women."

Officials said possible measures the committee would consider include having a single point complaint system and fine-tuning a proposal of issuing two passports to women married to an NRI — the second with the husband's name as a proof of marriage.

The other possible steps include pro-active role by Indian missions in addressing complaints, revising the terms of financial assistance and dealing with ex-parte divorce issues. At present, the Indian government provides legal and financial assistance to victims through non-government organisations empanelled with the missions. However, the lack of a single-point redressal system is often cited as a drawback for victims seeking prompt relief. A senior official said the most common complaints from women in NRI marriages pertain to men keeping their wives' passport and not allowing them to travel, disappearing after leaving their wives behind in India or abandoning their wives in foreign countries.

"We have to remember that only in a handful of cases, victims gather courage to lodge a complaint," the official said.

In 2007, the number of abandoned spouses of NRI men was estimated to more than 13,000 in Gujarat and 25,000 in Punjab.

asha hai ki siksha se uska bhala hoga, parivaar ka bhala hoga aur sabka bhala hoga. We have to see if education is actually fulfilling the aspirations of the poor. Education becomes total when it is not just seen in terms of employment but also for building the character and personality of a student."

Javadekar called education an emancipator, not a political issue.

"If we want to build a modern, 21st century India, we need to revolutionise education. Education should become more meaningful... should be student-centric," he said.

Hindustan Times, July 7, 2016, P. 1 & 9
 (Women in Distress/ NRI Marriages)

3.5 Women Safety/Support Services (Police Services/ Military Leadership/ Combat Services/ Gender Issues/ Cyber Cell/ Online Harassment/Mahila Thana/ National Policy for Women/STF Move/One Stop Centre/ Nirbhaya Fund/ Skill Development Courses)



Hindustan (H), July 3, 2016, P. 8
(Police Services/ Women Safety)




The Hindu, July 5, 2016, P. 12
(Women Safety/ Military Leadership)



Rajasthan Patrika (H), July 6, 2016, P. 1
(Women in Defense/ Combat Services)



Hindustan (H), July 8, 2016, P. 6
(Women Safety/ Gender Issues)



Hindustan Times, July 9, 2016, P. 8
(Cyber Cell/ Women Safety/ WCD)



The Hindu, July 10, 2016, P. 5
(Online Harassment/ Women Safety)

मुख्यमंत्री के साथ महिला थानों की समीक्षा बैठक

गांवों में तैनात होंगी महिला पुलिस स्वयंसेवक

■ सीएम ने कहा- जनता के साथ पुलिस का व्यवहार मैत्रीपूर्ण हो, नशे के कारोबार पर जताई चिंता

टिबू न्यूज सर्विस
चंडीगढ़, 9 जुलाई

हरियाणा के गांवों तथा शहरों के वाड में विशेष महिला पुलिस स्वयंसेवकों की नियुक्ति की जाएगी। महिला पुलिस स्वयंसेवकों के चयन के लिए मानदंडों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। वर्तमान में राज्य के सभी 21 जिलों में विशेष महिला पुलिस थाने चल रहे हैं। इन थानों की प्रभारी महिला पुलिस अधिकारियों के साथ शनिवार को समीक्षा बैठक में सीएम मनोहर लाल खट्टर ने इसकी जानकारी दी।

50 महिला पीसीआर मिलेंगी
महिला पुलिस थानों को 50 महिला पीसीआर दी जाएंगी। इन थानों को 100 स्कूटी भी दी जाएंगी ताकि महिला पुलिस जवान इनका इस्तेमाल अपराध को रोकने में कर सकें। सरकार ने महिला पुलिस थानों की कार्यप्रणाली में और सुधार का निर्णय लिया है।

इस मौके पर सीएम ने कहा कि पुलिस का जनता के साथ और अधिक मैत्रीपूर्ण व्यवहार होना चाहिए। उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर लोगों में जागरूकता उत्पन्न करने का आह्वान किया, क्योंकि इससे अपराध के स्तर में कमी लाने में महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी। बैठक में खट्टर ने माना कि हरियाणा में भी अब नशे का कारोबार शुरू हो गया है। मुख्य तौर से पंजाब के

महिला पुलिस थानों की कार्यप्रणाली में लाया जाएगा सुधार



चंडीगढ़ में शनिवार को सीएम मनोहर लाल महिला पुलिस थानों की कार्यप्रणाली की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते।

सार्वजनिक स्थलों पर लगेगी सीसीटीवी कैमरे

मुख्यमंत्री ने पुलिस को बस अड्डे, रेलवे स्टेशनों, स्कूलों और कॉलेजों जैसे सार्वजनिक स्थलों पर सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए। उन्होंने विद्यार्थियों विशेष रूप से लड़कियों को स्व-सुरक्षा में प्रशिक्षण देने के लिए स्कूल और कॉलेजों में शिविरों का आयोजन करने के लिए भी कहा। उन्होंने गांव स्तर पर परामर्श प्रक्रिया में नवव्यक्ति महिला पंचायत प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए भी कहा, क्योंकि उनकी संलिप्तता से महिलाओं के खिलाफ अपराध में कमी आ सकती है। सीएम ने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ और स्वच्छता अभियान आदि महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित करने के लिए भी आग्रह किया। सरकार के प्रयास और लोगों के सहयोग से प्रदेश में लिंगानुपात 837 से बढ़कर 900 हो गया है। इसे बढ़ाकर 950 पर लाने का लक्ष्य तय किया गया है।

साथ सटे हरियाणा के जिलों में युवाओं में नशे की प्रवृत्ति बढ़ी है। युवाओं को जागरूक करें
सीएम ने कहा कि महिला पुलिस अधिकारी एवं जवान युवाओं को शिक्षित करने में अहम भूमिका अदा कर सकते हैं। राज्य सरकार ने भी युवाओं को जागरूक करने के लिए

एक योजना शुरू करने का निर्णय लिया है। यह योजना पुलिस और लोगों के बीच नजदीकी तालमेल बनाएगी।
एनसीसी की तरफ पुलिस प्रमाण पत्र: उन्होंने प्रदेश में पुलिस कर्मियों की भर्ती के लिए राष्ट्रीय डिफेंस एकेडमी (एनडीए)

टीम के रूप में काम करें

महिला एवं बाल विकास मंत्री कविता जैन ने महिला अधिकारियों को एक टीम के रूप में कार्य करने का आग्रह किया ताकि प्रदेश में महिलाओं के विरुद्ध अपराध पर पूरी तरह से अंकुश लगाया जा सके। उन्होंने बताया कि महिला एवं बाल विकास विभाग ने प्रदेश के विभिन्न स्कूलों और कॉलेजों में अब तक 1554 जागरूकता शिविरों का आयोजन किया है ताकि बच्चों में जागरूकता उत्पन्न की जा सके।

की पद्धति पर पूर्व प्रशिक्षण की आवश्यकता पर भी बल दिया उन्होंने सुझाव दिया कि एनसीसी की तरह स्कूलों के पाठ्यक्रम में पुलिस प्रमाण-पत्र कोर्स के विषय को शामिल किया जाए ताकि प्रमाण-पत्र के आधार पर युवा पुलिस में नौकरी प्राप्त कर सकें।

महिला उन्नीइन में आई कमी: डीजीपी

पुलिस महानिदेशक डॉ. केपी सिंह ने कहा कि यह पहला मौका है जब सीएम खुद एसएचओ और डीएसपी स्तर की महिला पुलिस अधिकारियों के साथ सीधा संवाद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सभी जिलों में महिला पुलिस थाने खोलने के बाद अपराध विशेष रूप से महिलाओं के विरुद्ध अपराधों में उल्लेखनीय कमी आई है।

सितंबर 015 से जून 016

पुलिस के मुताबिक प्रदेश में पहली सितंबर, 2015 से 30 जून, 2016 की अवधि के बीच महिलाओं के खिलाफ अपराध के 6758 मामले दर्ज किए गये थे। पहली 1 सितंबर, 2014 से 30 जून, 2015 की अवधि के दौरान 6915 मामले दर्ज किए गये थे, जो 157 मामलों की कमी को दर्शाता है।

जनवरी 016 से जून 016 तक

पहली जनवरी, 2016 से 30 जून, 2016 की अवधि के दौरान महिलाओं के विरुद्ध अपराध के 3898 मामले दर्ज किए गए, जबकि गत वर्ष इसी अवधि के दौरान 4210 मामले दर्ज किए गए थे। इस प्रकार इसमें 312 मामलों की कमी आई है।

Dainik Tribune (H) , July 10, 2016, P. 3
(Mahila Thana/ Volunteers/ Women Safety)

महिला आयोग साइबर सेल बनाएगा

साइबर अपराध

नई दिल्ली | कार्यालय संवाददाता

फेसबुक, ट्विटर आदि पर महिलाओं के साथ बतमीजी और गाली-गलौच करने वालों के खिलाफ अब दिल्ली महिला आयोग कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। इसके लिए आयोग जल्द ही साइबर सेल की स्थापना करने जा रहा है।

आयोग ने शनिवार को केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी को पत्र लिखा। इसमें उनके सोशल मीडिया पर महिलाओं के साथ होने वाली ट्रोलिंग

स्थापना करेगा। इसमें इसमें महिलाओं के खिलाफ ऑनलाइन होने वाले अपराधों की मॉनिटरिंग करने के साथ ही उनके निस्तारण और रिस्त्रॉक का भी काम किया जाएगा। आयोग माइक्रोब्लॉगिंग साइट्स के अधिकारियों से पहले ही मीटिंग कर चुका है।

उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय महिला आयोग का रवैया इस अभियान को लेकर निराश करने वाला है। यह सरकार की जिम्मेदारी है कि महिलाएं भी अपनी बात को पूरी आजादी के साथ लिख सकें। मगर इसके बदले उनके साथ सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग की जाती है, तो ऐसे लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। इसके लिए पुलिस की मदद भी ली जानी चाहिए। पत्र के माध्यम से स्वाति मालिवाल ने मेनका गांधी से मिलने का समय भी मांगा है।

● स्वाति मालिवाल, अध्यक्ष

को रोकने को लेकर शुरू किए गए अभियान का समर्थन किया गया है।

आयोग की अध्यक्ष स्वाति मालिवाल ने पत्र में कहा कि दिल्ली महिला आयोग भी फेसबुक और ट्विटर पर महिलाओं के साथ गाली-गलौच करने वालों और ट्रोलिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए काम कर रहा है। इसके तहत आयोग जल्द ही साइबर सेल की

Hindustan (H), July 10, 2016, P. 6
(DCW/ Cyber Cell/ Women Safety)

अब 'सरपंच पति' नहीं चलेगा : मेनका



देश की आधी आबादी मानी जाने वाली महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए केन्द्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी जल्द ही 'न्यू वमेन पॉलिसी' लाने जा रही हैं। इस पॉलिसी में 15 साल बाद बदलाव किया जा रहा है।

पुलिस में 33 फीसदी महिलाओं को जगह दिलाने का काम उन्होंने ही किया। उन्हें इस बात की चिंता है कि राष्ट्रीय महिला आयोग को अधिक से अधिक अधिकार देने वाला बिल दो साल से कैबिनेट में लटका है। इसके बावजूद महिलाओं को स्वावलंबी बनाने में लगी हैं। देश की 2 लाख महिला सरपंचों को 'सरपंच पतियों' के बगैर कामकाज सिखाने वह निकल पड़ी हैं। भ्रूण हत्या पर रोक के लिए लिंग जांच की उन्होंने वकालत की, जिसका पहले खूब विरोध हुआ। अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने उनके तथ्य को माना और एक जिले में बतौर प्रयोग काम शुरू भी किया। दो साल तक कंपनियों से लड़ कर मोबाइल पर 'पैनिक बटन' लाने का श्रेय मेनका गांधी को ही जाता है। अमूमन कोई भी मंत्री अपने दफ्तर की दीवारों पर अच्छी कलाकृति या पेंटिंग लगाना ज्यादा पसंद करते हैं, लेकिन मेनका गांधी ने अपने दफ्तर की दीवार पर एक बड़ा बोर्ड लगाया है जिस पर मंत्रालय की योजनाओं का पूरा ब्यौरा है। वैसे भी उनको अपनी योजनाएं जुबानी हैं। इन्हीं योजनाओं पर केन्द्रीय मंत्री मेनका गांधी से सतेन्द्र त्रिपाठी और सुरेन्द्र पंडित की खरी-खरी :

- 15 साल बाद नेशनल पॉलिसी फॉर वुमेन-2016 का ड्राफ्ट आया है, इसमें क्या नई चीजें होंगी?

इसमें हमारी दृष्टि बदली है, 'वेलफेयर टू राइट्स'। इसमें हम चर्चा कर रहे हैं कि उनके हक क्या हैं? इसमें हम यह देख रहे हैं कि कौन-कौन सी औरतों को हमने छोड़ दिया था, जैसे की सिंगल वुमेन, विधवा, बुजुर्ग महिलाएं के लिए नई नीति बनाए जाने पर बल दिया जा रहा है। अन्य मंत्रालयों को भी देखा जा रहा है कि उनकी जो नीतियां हैं वह महिलाओं के हित में है या नहीं, अगर नहीं है तो उसमें क्या बदलाव ला सकते हैं।

- नेशनल पॉलिसी फॉर एजुकेशन के लिए एनसीपीसीआर ने कोई सिफारिश भेजी है, उसमें क्या है?

इसमें हम लोगों ने बहुत पहले ही सुझाव भेजे थे, जंक फूड को लेकर। पहली बार हम लोगों ने यह काम किया है। स्कूलों के आस-पास क्या विकना चाहिए क्या नहीं। एक लिस्ट बनाई गई है, जिसे एचआरडी मंत्रालय को लागू कराने के लिए भेजा गया है। इसको फॉलो कराने की जिम्मेदारी एजुकेशन बोर्ड को है। मसलन सीबीएसई, आईसीएसई आदि।

- यह एडवाइज है या ऑर्डर?

हम तो सोचते हैं कि 'एडवाइज' और 'ऑर्डर' में कोई फर्क नहीं है। सरकार एडवाइज देती है, लेकिन वह होता ऑर्डर है।



'संपत्ति के लिए विधवाओं को पागलखाने में डाला जा रहा है'



- विधवाओं के लिए मंत्रालय कुछ योजना बना रहा है, घर इत्यादी देने की कोई योजना है क्या?


विधवाओं के लिए हम लोगों ने एक जगह का चुनाव किया है। बहुत सारी विधवाओं को बुंदावन में फेंक दिया जाता है। वहां उनकी हालत बहुत दयनीय है। तो हम लोग वहाँ एक हजार कमरों वाला एक होम्स बना रहे हैं। इसमें विधवाएं रह सकती हैं। कुछ सीख सकती हैं, ठीक ढंग से रह सकती हैं। इसके अलावा हमने पहली बार पागलखानों का एक सर्वे भी किया है, जिसमें चौकाने वाले तथ्य सामने आए हैं। पता चला है कि प्रॉपर्टी इत्यादी के लिए घर के सदस्य ही विधवा महिलाओं को पागल खाने में डाल देते हैं। उनका पता इत्यादी सब गलत होता था। रिश्तत देकर उनको पागल कर दिया जाता था। दवाईयां इत्यादी ऐसी ची जाती थी कि वह सब कुछ भूल जाए। अब सर्वे में पता चला है कि वह सब कुछ भूल चुकी हैं, लेकिन शारीरिक और मानसिक रूप से वह फिट हैं। हम ऐसे महिलाओं को निकाल कर उन्हीं घरों में रखेंगे। अगर यह अच्छा चल गया तो ऐसे ही होम्स बनारस, गया और ऐसी जगहों में जहां विधवाएं फेंकी जाती हैं।

- तीन तलाक का मसला अब चल रहा है, आप क्या कहेंगी?

इस मसले पर मैं अभी कुछ नहीं कहूंगी।

Punjab Kesari (H), July 10, 2016, P. 6 (Contd...)

Continue from Pre Page



‘एनसीडब्ल्यू के अधिकारों वाला बिल दो साल से कैबिनेट में’

● क्या एनसीडब्ल्यू को और अधिकार दिए जाएंगे, क्योंकि बार-बार यह सवाल उठता है कि वह केवल नोटिस भेज सकते हैं बस?
हां... यह बात सही है। मैंने पहले ही महीने में दो काम किए हैं। सबसे पहले मैंने मांगा कि पुलिस में महिलाओं की संख्या 33 फीसदी की जाए क्योंकि पोलिड महिलाएं डर-शर्म से धाने नहीं जाती हैं। यह एक ऐतिहासिक कदम था, जिसे सरकार ने मान लिया और आज 7 राज्यों व सभी केन्द्र शासित प्रदेशों में यह लागू हो गया है। हमारी कोशिश होगी कि अन्य राज्यों में भी इसे लागू कराया जाए। दूसरी चीज थी कि एनसीडब्ल्यू को ज्यादा अधिकार दी जाए। उस पर हम लोगों ने

बिल दिया। अब वह बिल दो साल से कैबिनेट में पड़ा हुआ है।
● सरकार मैरिटल रेप (पत्नी से दुष्कर्म) को अपराध की श्रेणी में लाने पर विचार कर रही है?
मैरिटल रेप अभी भी अपराध की श्रेणी में है। लेकिन दिक्कत है कि महिलाएं अपनी पति की शिकायत नहीं करती हैं। अगर औरतें शिकायत करें तो हम लोग कुछ कर सकते हैं, अभी तक कोई भी महिला शिकायत करने के लिए आगे नहीं आई है, देश में नहीं विदेशों में भी आगे नहीं आती हैं। वहां भी अपराध है। सवाल यह है कि औरतों के ऊपर दृष्टता जब होती है तो वह रात को तो वह रोती है, लेकिन सुबह जब उठती है तो वह सोचती है कि क्या मैं शादी तोड़ दूँ। फिर जब वह फैसला करती है कि नहीं तोड़ना है तो वह चुप रह जाती है।
● खोया-पाया वेबसाइट शुरू किया गया है, कितना फायदा हुआ?
बहुत फायदा हुआ है। पहले एक ‘ट्रैक चाइल्ड’ नाम की साइट थी, वह केवल पुलिस के अंदर में थी। यानी की अगर कोई बच्चा गायब

हो जाता है तो पुलिस ही उसकी जानकारी वेबसाइट पर डाल सकती थी, लेकिन पुलिस के पास इतना समय ही नहीं था कि वह बच्चे की डिटेल्ड वेबसाइट पर डाले। अब हमने क्या किया कि इस साइट को पुलिस के डोमेन से हटा कर कह दिया कि हिन्दुस्तान के लोग खुद देखेंगे। अब खोया-पाया में अगर बच्चा खोता है तो कोई भी डिटेल्ड डाल सकता है। यहाँ तक की अगर आप को कहीं कोई बच्चा दिखता है तो उसकी फोटो इत्यादी आप भी उस पर डाल सकते हैं। अब इसको अपग्रेड किया जा रहा है। कई सौ बच्चे पकड़े गए। जबकि पिछले 20 सालों में एक भी नहीं पकड़ा गया था।
● बाल गृह सुधार में काफी अनियमितता रहती है, उसके लिए क्या कदम उठा रहे हैं?
पिछले 50 सालों में पहली बार एक यूनिट बना कर देशभर के सभी बाल गृह सुधार को जांच कराई है। अब उसकी रिपोर्ट 30 जून तक आनी थी, अब उसको चेक करूँगी। इसमें यह बात सामने आई है कि कइयों में बाथरूम नहीं है तो कइयों में बिजली नहीं है। किताने नहीं बिस्तर नहीं है। अब जब रिपोर्ट एनसीपीसी से

मेरे पास आई तो देखना है इसमें क्या करना है। अब मुझे एक साल दीजिए, सुधार हो कर रहेगा।
● दिल्ली में नशे करने वाले गैंग भी सक्रिय है, उनको रोकने के लिए सरकार पास कोई योजना है क्या?
हमने पाया है कि करीब 4 लाख बच्चे भागे हुए या फिर उठा कर लाए हुए हैं। सब-के-सब आते हैं ट्रेन के जरिए। अब एक नई चीज की है कि ट्रेनों में चार पोस्टर लगाए गए हैं। जिस पर लिखा है कि अगर कोई बच्चा गुमसुम है, कई लोगों के बीच घिरा हुआ है तो तुरंत दिए गए नम्बर पर फोन करें। यह शुरू हुआ था 1999 में। बीच में यह कुछ धीमा पड़ गया था, लेकिन जबसे मैंने इस मुद्दे को फिर से उठाया है, कुछ नई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है तब से फोनो की संख्या 14 लाख हर महीने आने लगे हैं। यह बहुत बड़ा बदलाव है। पहले यह दस लाख था जोकि ट्रेनों में पोस्टर लगने से बढ़ कर 14 लाख हो गए हैं। उसमें से हजारों बच्चों को पकड़ा है। एक बात और है कि एक बच्चा अगर अकेले में किसी ट्रेन में चढ़ा, फिर जहाँ भी उतरा, वहाँ उसका इंजार् कोई न कोई गैंग करता रहता

‘भ्रूण हत्या रोकने के लिए लिंग जांच हो’

● भ्रूण हत्या को लेकर आपने कुछ सुझाव दिया था, वास्तव में वह क्या है?
भ्रूण हत्या को लेकर मैंने जो कहा था, पहले तो लोग उसके बहुत खिलाफ थे, लेकिन बाद में वही एनजीओ जो उसके खिलाफ थे वह उसके समर्थन में आ गए हैं। मैंने बोला था कि अल्ट्रासाउंड मशीन वालों को जेल में डालने से कोई फायदा नहीं है। अब नया जमाना आ गया है। इसके तहत गर्भवती होते ही पता चल जाता है कि लड़का है या लड़की। मैंने बोला था कि लड़की जैसे ही गर्भवती हो वह पंचायत में जा कर रजिस्टर्ड करा दे और उसका टेस्ट पंचायत कराके बता दे कि लड़का है लड़की। अगर पंचायत के बाद यह जानकारी रहे तो वह जो महीने में चेक कर सकते हैं कि बच्चा हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ तो परिवार की जिम्मेवारी तय की जाए। अब स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि एक जिले में प्रयोग के तौर पर रुक करेगे। अब देखते हैं क्या होता है।

Punjab Kesari (H), July 10, 2016, P. 6 (Contd...)

Continue from Pre Page

ये 20 प्लेटफार्म कौन-कौन से हैं?



दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ, गया जैसे शहर हैं। यह सारे मेट्रो शहर नहीं हैं। जैसे पटना स्टेशन में कोई जाता नहीं लेकिन वहां से बचे भागते हैं, अतः उनको रोकने के लिए वहां पर टीमें लगाई हैं। इसके लिए हमारे पास 700 टीमें हैं और चाइल्ड लाइन में 306 लोग बैठे हैं। फोन करने के तीसरी घंटी पर ही फोन उठता है। आप मुफ्त में फोन कर सकते हैं। गुड़गांव में एक स्टेशन है। देश में कुल छह स्टेशन हैं। यह पूछेंगे की कहां से हैं, उसी भाषा में आप से बात करेंगे।

है। पहले तो उसे नौकरों का लालच देते हैं, फिर किसी ढाबे इत्यादी पर लगा देते हैं। उसे ड्रग एडिक्ट बना देते हैं, उसके बाद उसके बाहर निकलने का मतलब ही नहीं। फिलहाल हमने 20 ऐसे प्लेटफार्म चिन्हित किए हैं जिसको इन मामलों के लिए सबसे चटिया है। अब वहां पर हमने अपनी टीमें रखी हैं, एनजीओ भी है। अब इसे बढ़ा कर 200 प्लेटफार्म पर करेंगे।

अभी देश में बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया काफी जटिल है, उसको सरल करने के लिए क्या कदम उठाया जा रहा है?

पहले बच्चों को गोद लेने की प्रक्रिया ऐसी थी कि लोग उलझ कर रह जाते थे, एक हजार से भी कम एडोप्शन हो रहे थे, लेकिन कई प्रक्रियाओं को सरल किया गया है। कई संस्थाएं तो ऐसी थी कि वह बताते भी नहीं थे और विदेशियों को बेच देते थे। अब सारी संस्थाएं एक प्लेटफार्म पर आ गई हैं, हमें इसमें दो साल लगा, क्योंकि सब इसके बहुत खिलाफ थे, क्योंकि इनकी आमदनी खत्म होने वाली थी। अब बहुत ही लोकतंत्र सिस्टम है। आपको तीन बच्चे दिखा दिए जाएंगे, उनमें से एक बच्चा ले

लो। दूसरा हमने शुरू किया है फर्स्ट एड केयर, यानी की बहुत से ऐसे बच्चे हैं जो एडोप्ट नहीं हो पाते हैं। उसके लिए एक योजना शुरू की है, कि अगर आप बच्चे को अपने यहां रखेंगे, यानी की बच्चे को पढ़ाएंगे, कपड़े देंगे इत्यादी, बिना एडोप्शन तो हम लोग हर महीने 2 हजार रुपए केयर के लिए देते हैं। पूरी दुनिया में है, हमने अब देश में शुरू किया है।

योजनाएं

1 'देश के दो लाख सरपंचनियों को ट्रेनिंग देंगे'

इसके अलावा देश की 2 लाख सरपंचनियां हैं। उनकी कोई ट्रेनिंग नहीं होती है। लेकिन अब हम सभी सरपंचनियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। यह राजस्थान से शुरू हो गया है। धीरे-धीरे सभी राज्यों की सरपंचनियों को इसके तहत ट्रेनिंग देंगे। इनको सिखाते हैं कि नाली कैसे बनती है, सरकार से अपना पैसा कैसे लेते हैं, ऑडिट कैसे होता है। अभी तक हर काम 'सरपंच पति' ही करते आ रहे थे।

2 'महिलाओं के लिए नारी शक्ति अवार्ड'

यह पद्मश्री के बराबर का अवार्ड है। लेकिन इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। इसलिए कोई अप्लाई ही नहीं करता। यह पिछले दो सालों से दे रहे हैं।

3 'इस साल 150 वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर बनाएंगे'

अगर औरत को कोई भी तकलीफ हो, कोई मार रहा हो, बलात्कार हुआ तो वह इस वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर पर जा सकते हैं। इसे सभी सेंटर का नाम दिया गया है। कोई भी पीड़ित महिला सखी सेंटर में जाकर मदद ले सकते हैं। यहां पर डॉक्टर, साइकोटिस्ट, पुलिस और वकील आदि सभी हैं। वो सभी आप के लिए मुफ्त में काम करेंगे। यह शुरू हुआ था छत्तीसगढ़, रायपुर में। अब इस साल 150 बनाना है। मैं चाहती हूँ कि 650 बन जाए, पूरे देश में। हर जिले में कम से कम एक हो।

4 'निर्भीक, ई-बॉक्स बन गया'

निर्भीक की शुरुआत की है। वास्तव में इसी शुरुआत दिल्ली पुलिस ने की थी। हमने उसे आगे बढ़ाया है। लेकिन इसमें थोड़ा बदलाव करते हुए इसे 'निर्भीक ई-बॉक्स' बना दिया है। यह अगले महीने तक शुरू हो जाएगा। बक्स में यह मुसीबत थी, कहीं बॉक्स खुल गया तो ब्लैकमेल भी हो सकते थे, लेकिन यह बिल्कुल गोपनीय है। हमें विश्वास है कि धीरे-धीरे यह चल जाएगा।

5 'मोबाइल में पैनिक बटन दिया'

मोबाइल फोन में पैनिक बटन एक जनवरी-2017 से शुरू होगा। इसमें दो साल लग गए। कंपनियां इसके लिए तैयार नहीं थीं। अब मोबाइल फोन में पैनिक बटन होगा, बटन दबाओ तो पुलिस आएगी।

6 'हर गांव में वुमेन पुलिस वालेंटियर होंगे'

अब हर गांव में एक वुमेन पुलिस वालेंटियर रखेंगे। जो 21 साल से ऊपर की होगी। जिसका काम होगा पुलिस की मदद करना। यह वुमेन वालेंटियर मंत्रालय की ओर से रखी जाएगी।

7 'राष्ट्रीय महिला कोष शुरू किया'

हमने एक बैंक शुरू किया है, राष्ट्रीय महिला कोष। यह 9 प्रतिशत पर महिलाओं को लोन देते हैं। इसके साथ एक वेबसाइट भी शुरू की है। इसका नाम ई-महिला हाट है, कोई भी महिला कोई भी काम करती है, तो मुफ्त में इस वेबसाइट पर डिटेल डाल सकती है।



Punjab Kesari (H), July 10, 2016, P. 6
(National Policy for Women/ Women Safety)



Free Press Journal, July 17, 2016, P. 2
(Sexually Harassment/ Additional Leave)



Hindustan Times, July 15, 2016, P. 5
(STF Move/ Women Safety)

ANCHOR महिला एवं बाल विकास मंत्री ने सुषमा स्वराज को किया ट्वीट

पासपोर्ट के लिए जरूरी न हो पिता का नाम: मेनका

देश में ऐसी माताएं बढ़ रही जो बच्चों को पिता बनकर भी पाल रही हैं

पत्रिका न्यूज नेटवर्क
rajasthanpatrika.com

नई दिल्ली. पासपोर्ट बनाने के लिए पिता के नाम का उल्लेख करने को लेकर सवाल उठना शुरू हो गया है। महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने शुक्रवार को पासपोर्ट बनाने के नियमों में बदलाव के संकेत दिए हैं। यदि मां और बच्चे अपने पिता का उल्लेख नहीं करना चाहते हैं, तो यह उनके लिए अनिवार्य नहीं होगा। मेनका

मेरे पास आई हैं ऐसी शिकायतें

वैवाहिक विच्छेद से बढ़े एकल मां-पिता

महिला और बाल विकास मंत्री ने अपने ट्वीट में इस बात की जानकारी दी कि उनके पास कई ऐसे मामले आए हैं, जिसमें माता अथवा बच्चे के द्वारा यह अनुरोध किया गया है कि वे अपने पिता का नाम पासपोर्ट में उल्लेख नहीं करना चाहते हैं।

गांधी ने इस संदर्भ में विदेश मंत्री सुषमा स्वराज को पत्र लिखकर कहा है कि भारत में ऐसे माताओं की संख्या बढ़ रही है, जो अकेले अपने बच्चों के साथ पिता के बिना रह रही हैं।

मेनका गांधी ने कहा कि देश में एकल माता-पिता की संख्या में बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने कहा कि उनके पास कई ऐसे आवेदन भी आए हैं, जिनमें पिता बच्चे की मां से अलग हो जाता है और कोर्ट

बच्चे की देखभाल की जिम्मेदारी मां को सौंप देती है। मेनका गांधी ने इस संदर्भ में सुषमा स्वराज को ट्वीट कर पासपोर्ट बनाने की प्रक्रिया में जरूरी सुधार करने की बात की है।

ऑनलाइन अपाइंटमेंट में भी मिलनी चाहिए छूट

महिला ने शिकायत की थी कि अफसर मानते ही नहीं

यह मामला एक मां के उस आवेदन के बाद सामने आया, जिसमें उसने दलील दी कि कोर्ट भी अपनी सुनवाई में यह फैसला कर चुकी है कि पिता के नाम का उल्लेख करना जरूरी नहीं है, लेकिन पासपोर्ट अधिकारी नहीं माने और महिला को अपनी बच्ची के पासपोर्ट में उसके पिता के नाम का उल्लेख करना पड़ा। अब मेरी बेटी हमेशा पासपोर्ट पर उस व्यक्ति का नाम देखकर सहम जाती है, जिसने हमें डेरों दुख दिए थे। उसने यह बात एक सोशल साइट पर पोस्ट की।

Rajasthan Patrika (H), July 17, 2016, P. 2
(Single Parents/ Passport Facility)

'ONE-STOP CENTRES' FOR WOMEN SOON

AGE CORRESPONDENT
NEW DELHI, JULY 29

To provide time-bound medical, legal as well as psychological relief to women affected by violence, the Centre plans to set up 660 one-stop centres (OSCs) across the country under a scheme funded by the Nirbhaya fund. Informing about this in the Lok Sabha, women and child development minister Maneka Gandhi said the scheme was first implemented on April 1, 2015 when 17 such OSCs were set up in various parts of the country. After the scheme's successful implementation in the first phase, efforts are on to set up 150 more OSCs in different parts of the country by April 2017, she said, adding, "We aim to set up 660 OSCs if it is necessary."

The Asian Age, July 30, 2016, P. 3
(One Stop Centre/ Nirbhaya Fund)

NDMC plans skill development courses for women

STATESMAN NEWS SERVICE

New Delhi, 25 July

In a bid to make women self-reliant and enhance the standard and sustainability in their entrepreneurships, the New Delhi Municipal Council has decided to start skill development courses like General Duty Assistant, Home Health Aid, Phlebotomy Technician, Medical Laboratory Technician and several others in Women Technical Institute (WTI).

It was also declared to start skill development courses on Dental Technicians, Dental Assistant and Dental Oral Hygienist at Dharam Marg Dental Clinic of NDMC. The decision to this effect has been taken in the NDMC meeting held today under the chairmanship of Naresh Kumar.

"For the benefit of the employees of Regular Muster Roll and Temporary Muster Roll, the Council has approved a welfare scheme wherein death of an employee occur during the course of employment while discharging duty due to an accident or

terror attack or murder for the reason attributable to discharge of official duty, the families of the deceased will get an amount of Rs 5 lakh as an ex-gratia," said Kumar.

The Council has approved the setting up of "Atal Incubation Centres" under the Atal Innovation Mission in collaboration with the Software Technology Park of India (STPI) for incubating 20 new start-up companies.

According to Kumar, the incubation centres will have all facilities like 100 plug and play work station in an area of 10,00 sq feet, access very high speed and reliable Internet connectivity, dedicated meeting rooms for start-ups, training rooms and libraries, conference rooms, special platforms for special events with the facility back-up of audio-visual.

The Statesman, July 26, 2016, P. 2

(Skill Development Courses/ Women Technical Institute)

फ्यूचर

महिलाओं के लिए क्यों जरूरी है भविष्य की प्लानिंग

महिलाओं की फाइनेंशियल प्लानिंग और जानकारी अक्सर सवालों के घेरे में होती है। जबकि उन्हें इनकी सबसे अधिक जरूरत होती है, क्योंकि वे एक साथ कई अनोखे रिस्क का सामना कर रही होती हैं। रिस्क में प्रेग्नेंसी से लेकर महिलाजन्य बीमारियों और बच्चों से जुड़ी जिम्मेदारियां और चिकित्सा खर्च सभी जुड़े होते हैं।



कार्तिक झावेरी
फाइनेंशियल प्लानर

ये भी हैं चुनौतियां

महिलाओं के समक्ष परिवार और करियर के बीच संतुलन साधने के अलावा भी कई मुश्किलें होती हैं। उन्हें पुरुषों की तुलना में वित्तीय और भावनात्मक रूप से कमजोर भी माना जाता है। इन दिनों सर्वाइकल और ब्रेस्ट कैंसर जैसी समस्याएं आम हो जाने से उनके लिए भविष्य की प्लानिंग जरूरी हो गई है।

कंसलटेंट की मदद... अगर आपका निवेश मैच्युरिटी के करीब है तो आपको अपने फाइनेंशियल कंसलटेंट की मदद लेनी चाहिए। अगर इस बीच आपकी कोई बीमा पॉलिसी मैच्योर हो रही है और आपको अपने पैसे लेने के लिए इन्स्यूरेंस जमा करने हों तो उससे पहले भी आपको कंसलटेंट से टेक्स के मामले में सलाह लेनी चाहिए।

निवेश के लिए फॉलो करें ये स्टेप

लक्ष्य : महिलाओं को पहले अपने फाइनेंशियल लक्ष्य तय करने चाहिए। घर, कार, छुट्टी व शिक्षा आदि की प्राथमिकता व अवधि तय होनी चाहिए।

सही प्लान : फाइनेंशियल प्लानिंग दरम्यान इनकम और खर्च के साथ ही भविष्य के खर्च और आय के अनुमान के आधार पर तय करें।

निवेश : अच्छे रिटर्न के लिए इक्विटी, म्यूचुअल फंड, बॉन्ड, पीपीएफ आदि में निवेश बेहतर होता है। हेल्थ इन्स्यूरेंस लेना नहीं भूलें।

पोर्टफोलियो पर नजर

महिलाओं को अपने निवेश पोर्टफोलियो पर नजर रखनी चाहिए। इससे रिटर्न की जानकारी मिलती रहेगी, जिससे अग्रे की प्लानिंग में उन्हें जरूरी मदद मिलती है।



Rajasthan Patrika (H), July 11, 2016, P. 4
(Financial Planning/ Women Safety)

राधिका मेनन को मछुआरों की जान बचाने के लिए वीरता पुरस्कार

नई दिल्ली, प्रेस : भारतीय मर्चेंट नेवी की पहली महिला कैप्टन राधिका मेनन को समुद्र में विशिष्ट बहादुरी के लिए आइएमओ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। मेनन भारतीय मर्चेंट नेवी की पहली महिला कैप्टन हैं। अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन (आइएमओ) का पुरस्कार पाने वाली पहली वह महिला भी होंगी।



तेल उत्पाद टैंकर संपूर्ण स्वराज की कैप्टन मेनन को असाधारण वीरता के लिए 2016 का अंतरराष्ट्रीय समुद्री संगठन का अवार्ड मिलेगा। उन्होंने पिछले साल जून में बंगाल की खाड़ी में प्रतिकूल हालात में डूबती नौका से सात मछुआरों को बचाने में भूमिका निभाई थी। आइएमओ संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ एजेंसी है। इस पर जहाजों की सुरक्षा और समुद्री प्रदूषण की रोकथाम की जिम्मेदारी है। जहाजरानी मंत्रालय के बयान के अनुसार भारत सरकार ने कैप्टन मेनन को सभी सात मछुआरों को मछली पकड़ने वाली नौका दुर्गम्या से बचाने के लिए नामित किया। उनको 21 नवंबर को आइएमओ के मुख्यालय में पुरस्कृत किए जाने की उम्मीद है। पिछले साल जून में समुद्र में फंसे मछुआरों के पास का खाना और पानी वह चुका था। वे बर्फ के सहारे जिंदा थे। 15 से 50 साल तक के इन मछुआरों को बचाने का काम काफी संघर्ष भय था। तेज तूफान और भारी बारिश के बीच तीन बार की कोशिश के बाद उन्हें बचाया जा सका।

Dainik Jagran (H), July 11, 2016, P. 11
(Women Merchant Navy/ Award)

4. Demography and Vital Statistics

4.1 Census Data/Evaluation/Survey Reports/ Other Monitoring Reports (SDG/Global Under Five Mortality Rate/Population Control /TFR/NFHS4/Fertility Rate/School Dropouts/ Health Workers/ Health Workforce/ Population Decline)

POVERTY, ILLITERACY AND EARLY DEATH AWAIT DISADVANTAGED CHILDREN: UNICEF

The unheard plights

PRESS TRUST OF INDIA
Mumbai, 4 July

Poverty, illiteracy and early death await disadvantaged children, according to a UNICEF report. Based on current trends, 69 million children under 5 years of age will die from mostly preventable causes, 167 million children will live in poverty, and 750 million women will have been married as children by 2030—the target date for the Sustainable Development Goals—unless the world focuses more on the plight of its most disadvantaged children, said the report released by Maharashtra Governor C Vidyasagar Rao here today.

The state of the world's children, UNICEF's annual flagship report, paints a stark picture of what is in store for the world's poorest children, if governments, donors, businesses and international organisations do not accelerate efforts to address their needs.

The report notes that significant progress has been made in saving children's lives, getting them into school and lifting people out of poverty. Global under-five mortality rates have been more than halved since 1990, boys and girls attend primary school in equal numbers in 129 countries, and the number of people living in extreme poverty worldwide is almost half of what it was in the 1990s.



But this progress has been neither even nor fair, the report says. The poorest children are twice as likely to die before their fifth birthday and to be chronically malnourished than the richest.

Across much of South Asia and sub-Saharan Africa, children born to mothers with no education are almost three times more likely to die before they are five than those born to mothers with a secondary education. And girls from the poorest households are twice as likely to marry as children than girls from the wealthiest households.

Although education plays a unique role in levelling the playing field for children, the number of children who do not attend school has increased since 2011, and a significant proportion of those who do go to school are not learning. Globally, about 124 million children today do not go to primary and lower-secondary school, and almost 2 in 5 who do finish primary school have not learnt how to read, write or do simple arithmetic.

Acknowledging education to be one of the key instruments in promoting equity, the focus of the report launch in India was on education. The report was digitally released by the Governor at Raj Bhavan.

It points to evidence that investing in the most vulnerable children can yield immediate and long-term benefits. Globally, cash transfers, for example, have been shown to help children stay in school longer and advance to higher levels of education.

On an average, each additional year of education a child receives increases his or her adult earnings by about 10 per cent. And for each additional year of schooling completed, on average, by young adults in a country, that country's poverty rates fall by 9 per cent.

The Statesman, July 5, 2016, P. 5
(SDG/ Global under Five Mortality Rate)

वर्ष 2060 तक देश की आबादी 1.8 अरब के करीब हो जाएगी

आबादी को काबू करने में पांच दशक लगेंगे



नई दिल्ली | मदन जैड़ा

परिवार कल्याण कार्यक्रम की विफलता के कारण आबादी को काबू करने में अभी कम से कम पांच दशक का समय और लगेगा।

केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का अनुमान है कि जनसंख्या में वास्तविक कमी का दौर 2060 के बाद ही शुरू हो जाएगा। लेकिन तब तक देश की आबादी 1.8 अरब के करीब पहुंच चुकी होगी। स्वास्थ्य मंत्रालय और जनसंख्या स्थिरता कोष के ताजे आकलन के अनुसार यदि 2020 तक कुल प्रजनन दर 2.1 पर पहुंच जाती है तो फिर 60 के दशक में आबादी में कमी आने का दौर शुरू होगा।

हालांकि जिस प्रकार से 55 फीसदी आबादी की हिस्सेदारी वाले छह बड़े राज्यों में प्रजनन दर अभी ऊंची बनी हुई है, उससे लगता नहीं कि 2020 तक भी यह लक्ष्य हासिल हो जाएगा। फिर भी सरकार उम्मीद के अनुसार कार्य कर रही है।

पूर्व स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सचिव पी.के. होता ने कहा, लोगों में


वृद्धि की रफ्तार धीमी हुई

1.76 फीसदी रह गई सालाना वृद्धि दर 2.15 से घटकर। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार 2011 की जनगणना के नतीजे बताते हैं कि जनसंख्या वृद्धि की रफ्तार थोड़ी धीमी हुई है।

मौजूदा प्रजनन दर

2.3 कुल प्रजनन दर है अभी देश की। इसे 2020 तक 2.1 पर लाने का लक्ष्य रखा गया है। 11 राज्य यह लक्ष्य पहले ही हासिल कर चुके हैं जबकि छह बड़े राज्यों को छोड़ बाकी काफी हद तक लक्ष्य के करीब है।

राज्यवार प्रजनन दर की स्थिति



जागरूकता बढ़ी है। लोग अब छोटे परिवार की आवश्यकता समझ रहे हैं। यदि 2020 की बजाय 2025-26 तक भी सरकार प्रजनन दर को 2.1 तक लाने

में सफल रहती है तो इसके 35 सालों के बाद आबादी में वास्तविक कमी का दौर शुरू हो जाएगा और देश की जनसंख्या पर नियंत्रण हो सकेगा।

Hindustan (H), July 11, 2016, P. 12

(Population Control/ TFR)

केवल 49 फीसदी शादियां सही उम्र में

नई दिल्ली | प्रमुख संवाददाता

राष्ट्रीय परिवार सर्वेक्षण-4 के आंकड़ों के अनुसार, केवल 49 प्रतिशत लड़कियों की शादी सही उम्र में होती है। 40 प्रतिशत लड़कियों की शादी बेहद कम उम्र में और पांच प्रतिशत लड़कियों की शादी देर से होती है।

पॉपुलेशन फ़ंडेशन ऑफ़ इंडिया के निदेशक डॉ. संजय पांडे ने बताया कि सही उम्र में विवाह की परिभाषा को बदला जाएगा। देश के कुछ राज्यों में बेहद कम उम्र में लड़कियों की शादी हो रही है, जबकि मेट्रो शहर में इसके ठीक विपरीत स्थिति देखी जा रही है। इसके लिए किशोर-युवा उम्र की लड़कियों को

स्वास्थ्य केंद्र पर परिवार नियोजन के नये विकल्प मिलेंगे

परिवार को सीमित रखने के लिए प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर तीन नये विकल्प मौजूद होंगे। इसमें महिलाओं के लिए दो और पुरुषों के लिए एक विकल्प रखा गया है। जनसंख्या को सीमित रखने के साथ ही इस साल सरकार ने विश्व स्वास्थ्य दिवस पर सही उम्र में विवाह

प्रशिक्षित किया जाएगा। महिलाओं के कैरियर और पढ़ाई के बीच शादी न आए, इसलिए सरकार ने बेहतर और नये परिवार नियोजन के विकल्प लागू किया है। इसको एक बार प्रयोग कर तीन से चार

की जरूरत को धीमा बनाया है। उसर, एक गैर सरकारी संगठन के निदेशक डॉ. संजय ने बताया कि शहरी क्षेत्र में विवाह में देरी के कारण महिला और पुरुषों में प्रजनन संबंधी दिक्कतें देखी जा रही हैं। प्राथमिक और स्वास्थ्य केंद्रों पर विवाह की सही उम्र के बारे में जागरूक किया जाएगा।

महीने तक गर्भधारण से मुक्ति पाई जा सकती है। डीएमपीएम, सेटक्रोमिन और पीओपी पिल्स को मदद से हार्मोन को नियंत्रित कर गर्भधारण को अधिक दिनों तक टाला जा सकता है।

Hindustan (H), July 11, 2016, P. 2

(NFHS4/ Correct Age of Marriage)

Fertility rate: Indian Muslim women beat others

Christians with TFR score 3.3 and Hindus 3

KUMAR CHELLAPPAN ■
CHENNAI

While a sense of Islamophobia stalks the rest of the world, India has emerged as the most fertile ground for this religion to grow and flourish. This is not the findings of political or social leaders but the result of a path breaking scientific research carried out by a respected demographic expert based in Germany.

According to Padmavathi Srinivasan, an authority on corporate business informatics who gave up building corporate enterprises and switched over to population studies and research, the Total Fertility Rate (TFR) of Muslim women in India is the highest with 3.7, while the Hindu women lag far behind with a TFR score of 3. Translated to the layman's language, the Muslim community has 3.7 children per woman while Christians have 3.3 children per woman and the Hindus 3 children per woman.

Srinivasan's findings are

based on various data which include the census figures of 1991, 2001 and 2011, district-level household surveys, annual health surveys, National Family and Health Survey held during 2005 to 2015.

The research findings underwent scrutiny by Prof M D Srinivas, chairman, Centre for Policy Studies, Chennai and Prof JK Bajaj, Director CPS (both theoretical physicists-turned-demographic scientists and co-authors with AP Joshi of the much discussed volume Religious Demography of India).

The Muslim women in the age group of 15-19 topped the fertility rate with 130.6 points. Christian women came second



with 121 points while Hindu women had to content with 114 points. Interestingly, Muslim women led others in all age groups (20-24, 25-29 and 30-34) with highest fertility rate. They scored 198.1, 156.7 and 102.1 points respectively while their Christian counterparts had figures of 121, 194.5 and 162.6 respectively. Hindu women finished a poor third with figures of 190, 131 and 68

which showed that their fertility rate is far below the Muslims and Christians.

Some findings by Srinivasan could bring cheer to the hearts of health specialists is the decrease in the percentage of child marriages (females getting married during the 10-14 age group). While the 1991 studies showed 4.6 per cent girls getting married in the 10-14 age group, by 2011 the figure has come down to 2.7 per cent. "But this is only a cosmetic change. There are many districts in the country like Malappuram and Kasargod in Kerala where girls in that age group are still married off. This is a matter of concern,"

explained Padma Srinivasan. The number of females who are married off in the 15-19 age group too has shown a marginal decrease, said Srinivasan. "The decline was steeper during 1991 to 2001. But the same could not be said about the decade 2001 to 2011," she said.

Ajith Ranganath, Chennai-based corporate lawyer who is passionate about demographic studies, expressed reservations about the falling fertility rate of Hindu woman. "The fact that Muslim and Christian women have higher fertility rates is proof of this country's religious tolerance," pointed out Ranganath. He also point-

ed out the vast differences in the fertility rate between the Muslim and Hindu women could adversely affect the religious demography of the country.

West Bengal stands out from the remaining part of the country in this segment. While the national average of females in the 15-19 age group married off in 1991, 2001 and 2011 were 35.7, 24.9 and 19.9 respectively, the corresponding figures for Bengal were 33.7, 29.4 and 28.4. "There has been only a one per cent point decrease in the case of Bengal compared to the national figure of five per cent point decrease.

The child marriages were reported more from areas with less connectivity and shortage of infrastructure facilities. "Wherever there are schools, hospitals, road connectivity and higher literacy rates, instances of girls being married off in the 10-14 and 15-19 have come down," said Padma Srinivasan.

Both Prof Srinivas and Prof JK Bajaj were of the view that the findings were interesting and a window to the new world of an emerging Indian society. "The fact that early marriages have come down in areas with high infrastructure availability should be an eye opener to policy planners," said Prof Bajaj.

The Pioneer, July 11, 2016, P. 6
(Fertility Rate/ Population Control)

Once a dropout, Anita Munda now dreams of becoming an officer

A unique education programme in Odisha's tribal belt helps underprivileged children join the government school network

Subodh.Varma@timesgroup.com

Deep in the sal forests that hide the iron and alloys mines of northern Odisha lies the mining township of Malda, in Sundergarh district. Here, some 50 young tribal girls, who used to work in fields or mines and even as domestic servants in Rourkela, have found a new life through the efforts of Aspire, a local NGO.

Most of these girls never went to school while others dropped out early to help support the family. As time passed their chances of joining school too receded. This is when Aspire stepped in, preparing the students for absorption in government schools.

"I used to collect firewood and look after our goats. I have also worked in a saheb's house in Rourkela," recalls Anita Munda, 12, a Class II dropout, who benefitted from the programme. She now wants to become an "officer" after completing her education.

Teachers and community workers from Aspire approach parents of children like Munda and convince them to admit their children to the residential centre at Malda. They are then put through a bridge course that brings them up to the academic level suitable



PROGRESS REPORT: A residential centre in Malda, Odisha, run by Aspire where young tribal girls are put through a bridge course that brings them up to a suitable academic level

Nearly 1,600 students currently attending Aspire's centres are adivasis and Dalits as they are the poorest and most likely to be out of school

to their age. After this they are placed in schools like the Kasturba Gandhi Vidyalayas, a residential school programme funded by the government.

Aspire runs two non-residential programmes for school-age kids. It offers innovative remedial classes in schools to boost learning levels and also runs a programme for out of school children. These efforts are different from most other interventions in education that tend to set up a system parallel to the existing government system. Aspire, on the other hand, works with the government system and mobilises communities to ensure that government schools provide education of requisite standard. Nearly 1,600 students currently attending its centres are adivasi and Dalit as they are the poorest and most likely

to be out of school.

Census 2011 says that of all the children in the 6-14 age group, 22% in Keonjhar and 15% in Jajpur are out of school. Among tribals, this rate rises to a shocking 30% in Keonjhar and 37% in Jajpur. Clearly something has gone wrong somewhere.

Aspire uses innovative teaching methods. "We use innovative aids and a confidence building approach, paying attention to each child's needs," says the NGO's secretary, Dayaram.

Language is another stumbling block in school education in this belt. "Children from different tribes speak their own dialect and they fall behind in government schools where Odiya is the medium of instruction. Our approach helps them learn Odiya," says Pinki Sandil, incharge of the Joda center in Keonjhar district. Aspire has developed dual-language storybooks — one in Odiya and the other, Mundari or Ho dialect written in Odiya script.

In Sabar Sahi, Jajpur district, 115 kids from the Sabar nomadic tribe are attending classes for the first time. They used to survive by begging and collecting coal from railway sidings.

"When we first approached them in the forest, they had long matted hair

and long fingernails. They are very poor and desperately need work," says Rajshri, a teacher at the centre.

In Khasapada village, 22 children are attending a Learning Enhancement Program (LEP) in the village school under the watchful eyes of learning supervisor Pragya and teacher Nakul. They use a string of coloured plastic beads to learn numbers. Encouraged by Nakul, the children divide up and break into a dance and Pragya joins in.

Aspire has also revitalised School Management Committees (SMC) in 733 schools. These are made up of parents, teachers and local panchayat members, health workers etc. Over 4,000 SMC members have been trained in their rights. Over 28,000 parents have attended meetings. Panchayat and youth club meetings have also been held.

"Our committee regularly checks up on the classes, mid-day meals, sports, other functions of the school. This has improved the school so much that kids from other gram panchayats are now wanting to come here," says Nityananda Das, chairman of the Salijanga SMC.

Since the work started one and a half years ago, over 500 school kids have been admitted to government schools,

The Times of India, July 11, 2016, P. 13
(School Dropouts/ Census Data)

One in four beggars in India a Muslim, reveals Census data

ALARMING FIGURES Minority community comes out almost at the bottom of most socio-economic indices

Zia Haq

z.haq@hindustantimes.com

NEW DELHI: Almost a quarter of India's 370,000 beggars are Muslims, newly released data from the 2011 Census show, reinforcing that the community still lags behind on most counts despite the country's rapid economic growth.

Muslims, the largest minority who make up 14.2% of India's 1.25-billion population, come out pretty much at the bottom of most socio-economic indices, even a decade after a high-level government probe into their historical disadvantages led to policy actions.

India has the second-largest Muslim population globally after Indonesia.

"There is a high level of destitution and disparity. But (it is) not surprising," said Amitabh Kundu, a development economist who led a committee to evaluate the policy impact on

MINORITY REPORT

India is home to the second-largest Muslim population in the world after Indonesia

14.2% Muslim population in India

1/4 of 370,000 beggars and destitute are Muslims
Muslims held only 8.50% of government jobs in 2014-15
The gross enrolment rate of Muslims in schools is 13.8%, compared to an all-India 23.6%
In 2013, 31.09% of prison inmates were Muslims

EDUCATION

(among adult males) in %



the community.

Talk of Muslim development is often polarising and evokes sharp views in the political sphere. But the landmark 2006 report by the Sachar Committee, which was commissioned in 2005, showed the community faced disadvantages.

The report found high poverty and low literacy levels among Muslims. Despite the community being highly self-employed, their access to credit facilities was very limited. At that time, less than 5% of Muslims held government jobs. Their living conditions were comparable, and

on some parameters, worse than other backward categories such as Scheduled Castes, the report showed. "All these point to discrimination," Kundu said.

A raft of development programmes unveiled to reverse these indices hasn't plugged the gap, although there has been some progress. Government employment is up from 5% a decade ago to 8.50% in 2014-15, but that's way below their share in the population.

Higher education indices for 2014-15 put the gross enrolment rate at 13.8% for Muslims, compared to an all-India figure of 23.6%.

Within their community, the literacy rate of Muslim adult males is 81%, compared to 91% among Hindus, 94% among Christians and 84% among Sikhs, according to a 2013 report of the National Sample Survey Organisation.

Muslim population inside jails is going up too. Of the peo-

ple lodged in Maharashtra jails in 2013, 31.09% were Muslims. The state average was 19.06%.

Policymakers say it is time to revitalise programmes flowing from the Sachar Committee recommendations. "We submitted our findings. The government hasn't rejected it, but hasn't taken any step to implement it either," said Kundu, who was tasked by the previous UPA government with evaluating the progress of minorities.

The Kundu-led committee had said reservation for all Muslims looked difficult given constitutional hurdles. It had recommended reservation for the most backward Muslims counted as Scheduled Castes because "if the Constitution doesn't allow reservation on the basis of religion, it also doesn't allow discrimination on the basis of religion either".

Inequity at the level of the district skews the picture ever more.

Hindustan Times, July 30, 2016, P. 12
(Beggars/ Minority Community/ Census Data)

WHO report sounds alarm on 'doctors' in India

More than half of them don't have any medical qualification

SAMAKTH BANSAL

NEW DELHI: Almost one-third (31 per cent) of those who claimed to be allopathic doctors in 2001 were educated only up to the secondary school level and 57 per cent did not have any medical qualification, a recent WHO report found, ringing the alarm bells on India's healthcare workforce.

The situation was far worse in rural India, where just 18.8 per cent of allopathic doctors had a medical qualification, the study titled The Health Work-



force in India, published in June 2016, revealed.

Speaking to *The Hindu*, Dr. Reena Nayyar, Secretary of the Medical Council of India (MCI), said, "I don't think this report has officially come to the MCI

yet. But in general, any person practising allopathic medicine who does not have a registered medical qualification comes under quackery."

Interestingly, female healthcare workers - 38 per cent of the total - were

found to be more educated and medically qualified than their male counterparts.

For instance, among allopathic doctors, 67 per cent of females had a medical qualification compared to 38 per cent of males.

The data for each district in the country from the 2001 census were specially extracted for this study, which provided a comprehensive picture of health workers in each district.

Researchers hoped that a similar study was repeated with data from Census 2011, which was not yet available.

DENSITY OF DOCTORS IN INDIA POOR: STUDY | PAGE 13

The Hindu, July 18, 2016, P. 1 (Contd...)
(Health Workers/ WHO Report/ Census)

Density of doctors in India poor, says WHO study


SAMARTH BANSAL

NEW DELHI: A WHO study titled 'The Health Workforce in India', published in June 2016, revealed that the density of all doctors — allopathic, ayurvedic, homoeopathic and unani — at the national level was 80 doctors per lakh population compared to 130 in China.

Ignoring those who don't have a medical qualification, the number for India fell to 36 doctors per lakh population. As for nurses and midwives, India had 61 workers per lakh population compared to 96 in China. The number reduced tenfold to 6 per lakh population, if only those with a medical qualification were considered.

Health workers

The study found substantial variation in the density of health workers across States and districts. For instance, Kerala had 38.4 per cent of the country's medically qualified nurses but constituted only 3.1 per cent of the total population. Similarly, West Bengal had 30.6 per cent of



all homoeopathic doctors in the country but only 7.8% of the population. Better-off States seemed to afford more doctors plus nurses per capita, the study noted.

District-wise, the inequalities were massive. The density of allopathic doctors with any level of education in the lowest 30 districts — half of which were in north-eastern States and the other in central States — was a little over 9.4 per lakh of the population whereas, in the highest 30 districts, it was 159 per lakh of population, it said.

In the case of dentists, the situation was even worse. The national density of dentists was extremely low at 2.4 per lakh population, with 58 (of the total 593) districts having no dentists at all in 2001. In fact, 175 districts (30 per cent) had no dentists with a medical qualification. "The proposed study

In the case of dentists, the situation was even worse. 175 districts had none with medical qualification

So the situation would have changed dramatically. There was also a private expansion," said T. Sundararaman, Dean of the School of Health Systems at the Tata Institute of Social Sciences.

Tackling quacks

There have been no attempts on the part of the government to curb quackery, said Dr. A.V. Jayakrishnan, Chairman of the Standing Committee on Anti-Quackery set up by the Indian Medical Association. Dr. Jayakrishnan was not surprised with the findings of this study.

"It is a well-known fact that in many States, quacks are operating in large numbers. Laws are so weak that even if the frauds are caught, they get bail on the following day and start practising again," he told *The Hindu*.

would provide an extremely valuable benchmark even if only for 2001," Montek Singh Ahluwalia, former Deputy Chairman of the Planning Commission (now NITI Aayog) noted in the preface to the report. While presenting this study to the then PM Manmohan Singh, he mentioned that all doctors did not need to have an MBBS degree.

"In the period between 2005 and 2009, there was a major expansion of both public education in medical, nursing and allied schools in most States, by as much as 500 per cent in some cases.

The Hindu, July 18, 2016, P. 13
(Health Workforce/ WHO Study)

A vanishing race: Numbers go against India's Parsis

Aloke Tikku
 a.tikku@hindustantimes.com

NEW DELHI: The Parsis are disappearing. Their population in India fell by 18% in the 2001-2011 decade and dropped to just a little over 57,000, according to Census 2011 data released on Monday.

The tiniest of India's religious minorities, Parsis numbered around 69,000 in 2001. This is the sharpest decline in the community's population after 1981 when the census reported a 27% fall over the previous decade. In subsequent years, the community was able to slow down the decline but the 2001 headcount indicated that their numbers were falling again.

Maharashtra has a Parsi population of 44,654—the highest in any state. In Delhi, there were just 221.

Many within the community in India caution that Parsis might become extinct if corrective measures are not taken. "Zoroastrianism will live or die depending on the choices that today's Parsis and Iranian Zoroastrians make," said Dinyar Patel, a Parsi research scholar at Harvard University in his 2011 study. "By continuing with our current behaviour of late marriage, non-marriage, and limited childbirth, we are killing both a community and a religion. And that, I believe, is the greatest tragedy that faces the Parsis of today. It is time for change," Patel cautioned.

The Centre stepped in with a scheme in September 2013—Jiyo Parsi—to arrest the decline in population after studies revealed that only 1 in 9 Parsi families had a child below 10 years.

The earliest Parsis came to the subcontinent more than 1,000 years ago from Persia where they flourished until the advent of Islam. Over centuries, they maintained their distinct customs but integrated themselves into Indian society. Dadabhai Naoroji, Field Marshall Sam Manekshaw are among the well-known Parsis in India.

DECLINING POPULATION

Year	Population
1941	1,14,890
1951*	1,11,791
1961	1,00,772
1971	91,266
1981	71,630
1991	76,382
2001	69,601
2011	57,264

50.16%
Decline in Parsi population from 1941 to 2011

*THE DROP IN POPULATION REFLECTS THE LOSS OF 5,000 PARISIS TO PAKISTAN AFTER PARTITION.

Hindustan Times, July 26, 2016, P. 8
 (Population Decline/ Census Data)

Govt identifies 100 districts for stabilising population

Sushmi.Dey@timesgroup.com

New Delhi: In a move towards population stabilisation, the health ministry has identified around 100 districts for micro-planning to achieve targeted total fertility rate (TFR) of 2.1.

Health minister J.P. Nadra said currently 23 districts across the country have a TFR of above 4. Of these 23 districts, 11 are in Uttar Pradesh, eight in Bihar and two each in Rajasthan and Madhya Pradesh. There are 123 districts ranging in seven states where the TFR is between 3-3.9. "Every district has its own peculiarity. So micro-planning is needed. In the next 2-3 months, if we are able to strategise this and we start addressing that way, next year when we meet on population day, we will have an answer," he said.

Micro-management and region-specific interventions in more than 100 districts needs to be conducted to reach the targeted TFR and achieve the goal of population stabilisation, Nadra added. TFR is the average number of children expected to be born per woman during her entire span of reproductive period, and India has a TFR target of 2.1.

LOOKING AHEAD

- Total fertility rate (TFR) in 23 districts of the country is above 4
- The 23 districts are in UP, Bihar, Rajasthan and Madhya Pradesh
- Assam and Madhya Pradesh have shown immense progress in bringing down fertility rate
- In 123 districts in 7 states, TFR is between 3 and 3.9
- India has a TFR target of 2.1

Around 24 states have achieved a TFR of 2.3.

"I would suggest we should go for micro-planning of every district and find out the reasons. If we find out the reasons, we will be able to address it. We cannot generalise," Nadra said while addressing a national workshop on "Zimmedari Nibhao, Plan Banao" on World Population Day.

However, experts say India is at a very critical juncture where on one hand it's adolescent population can catapult the country into a new trajectory of development but on the other it also poses a challenge for the government to stabilize the population. India is projected to become the world's most populous country in the next decade.

"Despite improvement in social indicators and improved quality of family planning services, the use of family planning methods has declined in empowered action group (EAG) states like Bihar and Madhya Pradesh. The unmet need for family planning continues to be high in these states. This is a matter of concern, as India's commitment to FP2020 goals largely depend on the efforts of states like Uttar Pradesh and Bihar," says Poonam Muttreja, executive director, The Population Foundation of India.

In Bihar, use of modern contraceptive methods declined from 29% in the third round of National Family Health Survey to 23% in the fourth phase of the survey, whereas in Madhya Pradesh use of modern methods dropped from 53% clocked during the third round to 49% during NFHS 4.

Nadra said that the reasons may vary in each district and these could be due to poor infrastructure, social or cultural reasons and education. Noting that there has been a reduction in the participation of males in family planning, he said that the reasons for this should be analysed.

The Times of India, July 12, 2016, P. 12
 (NFHS4/ TFR/ Population Stabilization)

4.2 Birth Rate/Mortality Rate/Morbidity Rate/IMR/MMR (Economic Consequences/ UNICEF/ Improved Sex Ratio/ Stunted Growth/ Non-Institutional Deliveries)

Infant mortality has economic consequences

India must develop multi-disciplinary public health services along the lines of the IAS and state government services

Dileep Mavalankar

The latest edition of Unicef's State of the World's Children report suggests that 1.2 million children under the age of five died of preventable diseases in 2015. For India, the report has been mixed: India's key health indicator—the Infant Mortality Rate (IMR) was 38 in 2014, lagging behind Bangladesh (IMR of 31) and Nepal (IMR of 29). Yet this dubious record is hardly debated by society, media, political and administrative system, industry and religious leaders.

Underscoring the importance of social and political will to change such a situation, Mahmood Fataa, former director of the World Health Organization's maternal health programme, said in the 1990s: "Mothers are not dying because we do not know how to save them, but because the society has not decided that their lives are worth saving".

Three hundred years ago an Indian queen died of childbirth, and the king built Taj Mahal and bankrupted that treasury. About the same time, a Swedish queen had difficulty in delivery and the king had to call French doctors to save her. The king felt so humiliated that he ordered setting up schools to train rural women to become midwives.

Unsurprisingly, Sweden today has the best maternal and child health indicators.

India's public expenditure on health is one of the world's lowest—at 1.2% of GDP—even though for many years several governments have talked about increasing this to 2-3% of GDP. The main reason for this low social and political commitment to public health is because we have a hierarchical society, don't believe in scientific evidence but believe in authority, history, culture and stories.

We do not keep data, and when we have statistical information, we do not publish it or pay attention to it. Even today not all deaths of children and mothers are registered. And hence we do not know how many children die. We rely on United Nations data or Sample Registration System, published and issued by Office of the Registrar General of India.

Second, the media pays scant attention to tragedies such as high child and maternal mortality. Third, health NGOs prefer to work in rural areas and have neglected



India's public expenditure on health is one of the world's lowest—at 1.2% of GDP—even though several governments have talked about increasing this to 2-3% of GDP

AFP

social and political advocacy for health. Here, they can learn from environmental NGOs that have been successful in advocacy and have raised the discourse globally.

Last but not the least, India has very few technical management teams for maternal and child health at the national and state level. There are only two to four technical officers looking after maternal health as well as child health at the national level.

At state level, there are only one to two officers looking after these areas. In addition, mostly the decisions and financial power are centralised with the minister and generalist bureaucrats. Even the smallest decisions have to get the nod of senior officers, leading to delay and indecisions.

What is the solution to these problems? First, India must develop social and political commitment to health. The political commitment has to come from the top leadership. Second, the Cabinet must approve a plan to increase spending on public health from 1.2% of GDP to 3% of GDP in five years.

Third, the State must focus on underserved areas and populations to measure inequity in health services. This means improving publicly funded services in tribal and remote areas, for the urban and rural poor and the middle class. Such a move will be politically attractive.

Many in India feel that there is a shortage of doctors and nurses. This is partially true.

But the real problem is their uneven distribution and under-employment. We need to attract doctors and nurses from cities to rural and remote areas. Strong financial incentives and special cadre for difficult areas can be a good way of ensuring this. Appointing rural women as healthcare staff such as the ASHA programme is a good start but lot more needs to be done to improve access to quality health care in rural areas.

Fourth, India must develop a multi-disciplinary public health services on the lines of the IAS and state government services. They should manage the rural and remote health services and essential public health functions including preventive services, health surveillance, birth and death registration, epidemic control, sanitation and hygiene. This will create a robust "steel framework" for health in India. The service delivery could be done by the public, NGOs or private providers but it should be paid by and controlled by a public health agency. At present, we do not have such an agency.

India cannot become a super power without caring for its people's health. Economic productivity will be compromised if our children die prematurely and are malnourished, and people are not healthy.

Dileep Mavalankar is director, Indian Institute of Public Health, Gandhinagar
The views expressed are personal

Hindustan Times, July 7, 2016, P. 16
(Economic Consequences/ IMR/ UNICEF)



Dainik Jagran (H), July 12, 2016, P. 17

(Improved Sex Ratio)



Rajasthan Patrika (H), July 19, 2016, P. 8

(Stunted Growth/ Survey Report)

भारत में घर पर जन्म लेते हैं 26 लाख बच्चे

रिपोर्ट

नई दिल्ली | विशेष संवाददाता

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाओं के संचालित होने के बावजूद देश में अभी भी 26.55 लाख बच्चे घर पर ही जन्म लेते हैं। जहां उन्हें कोई चिकित्सा सुविधा हासिल नहीं होती है। असुरक्षित प्रसव के कारण देश में मातृ एवं शिशु मृत्यु दर अभी भी ऊंची बनी हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की एक रिपोर्ट में यह खुलासा किया गया है।

स्वास्थ्य सांख्यिकी रिपोर्ट के अनुसार 2014-15 के दौरान 26 लाख 55 हजार प्रसव घरों में हुए। इस दौरान कोई स्वास्थ्य कार्मिक मौजूद नहीं थे। मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार हालांकि यह संख्या अभी भी बहुत ज्यादा है लेकिन पहले के वर्षों की तुलना में घर पर होने वाले प्रसव कम हुए हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 2010-11 के दौरान घर में प्रसवों की संख्या 44.48 लाख थी। इस हिसाब से संख्या घट रही है। रिपोर्ट के अनुसार, कुल 2 करोड़ दो लाख प्रसव हुए, जिनमें 1.75 करोड़ प्रसव संस्थागत थे। यानी वे या तो अस्पतालों में हुए थे या स्वास्थ्य कार्मिकों की देखरेख में हुए थे। यानी करीब 87 फीसदी प्रसव संस्थागत हो रहे हैं। 13 फीसदी ही घरों पर होते हैं। जो प्रसव घर में होते हैं, उनमें से 16.54 लाख महिलाओं को प्रसव के पश्चात चिकित्सा उपचार, बच्चों को टीकाकरण आदि के लिए ले जाया जाता है। 148 घंटों के भीतर उन्हें कोई चिकित्सा राहत मिलती है।

हालात

- स्वास्थ्य मंत्रालय की रिपोर्ट में खुलासा, देश में करीब 26 लाख बच्चे आज भी घर पर जन्म लेते हैं
- यूपी में सबसे ज्यादा प्रसव घर में, मातृ एवं शिशु मृत्यु दर का सबसे बड़ा कारण है घर पर प्रसव

बड़े राज्यों की स्थिति

यूपी में 9.16 लाख, बिहार में 4.62 लाख, पश्चिम बंगाल में 2.44 लाख, एमपी 1.67 लाख, छत्तीसगढ़ 1.29 लाख, झारखंड में 1.36 लाख प्रसव घरों में होते हैं। केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, ओडिशा प्रदेश, महाराष्ट्र में 98 फीसदी प्रसव अस्पतालों में होते हैं।

Hindustan (H), July 25, 2016, P. 7
(Non-Institutional Deliveries/ Health Mission)

India gets its strategies in place to check population growth

CHANGING NORMS Increase in contraception methods gives women more options, freedom

Sanchita Sharma
sletters@hindustantimes.com

NEW DELHI: Confused about which contraception to use? Want to know where to go for a safe abortion? Or where to get your child vaccinated for free? Call the Jansankhya Sthirata Kosh's (JSK, National Population Stabilisation Fund) toll-free number 1800-11-6555 and a counselor such as Varun will enthusiastically give you more options than you thought possible. A simple question about contraceptive choices has Varun speaking knowledgeably about contraceptive pills, intra-uterine devices (IUDs), and injectable contraception, which gives protection for three months a week after it's injected. But he doesn't mention female sterilisation as a contraception option. Forced sterilisations during the Emergency led to India dropping 'birth control' from its national population policy lexicon, but "female sterilisation" continued to be a popular form of contraception. Not anymore. "Contraception methods are no longer forced or incentivised, but marketed as a tool that can help women take charge of their life, bodies, health, and the health of their children," said Dr Teja Ram, head of office at JSK, an autonomous body in the health ministry. JSK has outsourced its toll-free helpline to a Gurgaon call centre where trained counselors answer queries in Hindi and English.

BIRTH OF A NATION
Humanity has expanded exponentially over the past 15 years, with a billion people added since 1999. In 2015, the world's population became 7.3 billion, and is expected to be 9.7 billion in 2050 and 11.2 billion in 2100, estimates the United Nations. In India, 26 million babies — the populations of Sweden, Norway, Denmark and Finland combined — are born every year. 350 million people were added to India's population in a decade, compared to China's rise by 210 million in the same period.



■ Humanity has expanded exponentially over the past 15 years, with a billion people added since 1999. HT FILE/KUMAL PATIL


THINGS ON TRACK
India's total fertility rate (TFR, the average number of children a woman has in her lifetime) is steadily declining, from 2.6 in 2008 to 2.3 in 2013, just 0.2 points away from the replacement population target of 2.1, after which the population begins to decline. West Bengal has India's lowest fertility of 1.6, with Maharashtra, Kerala, Tamil Nadu, Karnataka, Andhra Pradesh, J&K, Punjab, Delhi and Himachal Pradesh all recording TFR below 2. "If this continues, India may achieve its demographic transition and reach replacement levels by 2022," said Dr P Arokiasamy of International Institute for Population Sciences, Mumbai. Incentivised and coerced female sterilisation camps continue in pockets but these are an anomaly now. The way ahead is ensuring women have access to standardised care. JSK has mapped 450 districts showing the population, sub-divisions and distance to the nearest health facility. A health ministry official said the maps show inequities and this data is used to target resources. "I'm encouraged that the government is finally coming back to family planning. They have re-energised it, they are saying they understand it needs to be voluntary and they are starting to offer a basket of choices and options to women," Melinda Gates, co-chair of the Bill and Melinda Gates Foundation, told HT in March.

Small towns are slowly recasting urban landscape


Moushumi Das Gupta
moushumi.gupta@hindustantimes.com

NEW DELHI: Small towns are recording a growth spurt and a population boom, slowly transforming the urban landscape. Reverse migration — people moving out of big cities to satellite areas and beyond — has given rise to these boomtowns and forced stuttering growth in metros such as Delhi, Mumbai and Kolkata. "We are seeing it everywhere, the National Capital Region, Hyderabad, etc. In the peripheral settlements, the service sector is thriving because of low land cost, low labour cost, less stringent byelaws," said Debolina Kundu, an associate professor with the National Institute of Urban Affairs, an autonomous agency under the urban development ministry. "Industries are shifting from urban to rural areas. Better connectivity, more job opportunities and much lower cost of living have resulted in people migrating away from the core city." According to the Census 2011, the country's urban population grew by 91 million in the past decade. A National Institute of Urban Affairs report says 18 new metropolises, which are cities with a million-plus population, have sprung up across between 2001 and 2011. This is the highest in any decade. The southern state of Kerala leads the pack, with six of the new million-plus cities, followed by Uttar Pradesh, Maharashtra, Madhya Pradesh, Gujarat and Tamil Nadu. Metros have recorded a reverse trend. While Mumbai registered an annual exponential growth rate of just 1.18% in the past decade, Kolkata recorded just 0.66%. Census 2011 says 2,530 new census towns have surfaced in the past decade, with a minimum population of 5,000. "These urban agglomerations indicate how rural areas are acquiring urban characteristics. Unfortunately, in terms of development of infrastructure and amenities, these census towns are still way behind," said YK Alagh, a former member of the now-defunct Planning Commission.


Hindustan Times, July 11, 2016, P. 15
(National Population Stabilization/ Safe Abortion)



Hindustan Times, July 11, 2016, P. 15
(Contraception Methods/ Statistical Data)



Hindustan Times, July 25, 2016, P. 4
(Toilet Construction/ Swachh India Campaign)



The Times of India, July 29, 2016, P. 9
(Adoption Rate/ CARA)

मर्डर का भांग कनेक्शन

जूवेनाइल आरोपियों पर हुई स्टडी से सामने आई बात

ड्रग्स से बढ़ रहा है यंगस्टर्स में क्राइम

■ वाइटर जैसे इनहेलेंट्स ड्रग्स लेने वाले करते हैं रेप जैसा क्राइम
■ ज्यादातर स्नेचर

अफीम ड्रग्स एडिक्ट
■ आरएमएल हॉस्पिटल, इहबास और पुष्पावती

सिंधानिया अस्पताल के सायकियाट्रिक डिपार्टमेंट और प्रयास एनजीओ की जॉइंट स्टडी

Rahul.Anand@timesgroup.com

■ नई दिल्ली: मर्डर जैसे क्राइम का भांग जैसे ड्रग्स से, रेप जैसे हीनियस क्राइम का वाइटर जैसे इनहेलेंट्स ड्रग्स और ओपियोइड्स (अफीम) ड्रग्स यूजर का रिलेशन स्नैचिंग जैसे क्राइम से पाया गया है। इंडियन जनरल ऑफ सायकियाट्रिक जून के अंक में पब्लिश इस स्टडी से यह साबित हुआ कि ड्रग्स और क्रिमिनल बिहेवियर के बीच गहरा रिलेशन है। स्टडी के मुताबिक ज्यादा नशा करने वाले खतरनाक क्राइम में लिप्त पाए गए हैं। खासकर भांग और इनहेलेंट्स ड्रग्स यूजर का रिलेशन बड़े क्राइम से मैच हुआ है। साथ ही जूवेनाइल ड्रग्स यूजर का रिलेशन मर्डर और रेप से कनेक्ट पाया गया।

ड्रग्स और क्राइम के रिलेशन को लेकर यह स्टडी एनजीओ प्रयास ऑब्जर्वेशन होम के साथ मिलकर आरएमएल हॉस्पिटल, इहबास और पुष्पावती सिंधानिया अस्पताल के सायकियाट्रिक डिपार्टमेंट ने किया है। प्रयास के शार्ट स्ट्रे होम में ऐसे जूवेनाइल जिन पर किसी केस में इनक्वैरी चल रही थी, उन्हें स्टडी में शामिल किया गया। होम में तीन महीने से अधिक समय से रह रहे 8 से 18 साल के 487 जूवेनाइल आरोपियों को शामिल किया गया। स्टडी के अनुसार पहले उनके केस रिकॉर्ड से डेटा लिया गया। बाद में स्टडी में शामिल जूवेनाइल



से रिसर्चर ने फेस टू फेस बात की।

इस स्टडी में पाया गया कि 54 जूवेनाइल जिन पर मर्डर का चार्ज था, उनमें से 19 यानि 35.2 फीसेंट का रिलेशन भांग जैसे ड्रग्स से था। इसी प्रकार इनहेलेंट्स ड्रग्स लेने वाले जैसे टाइपराइटर थिनर, वाइटर लेने वाले 16.2 फीसेंट जूवेनाइल पर रेप जैसे क्राइम का आरोप था। यही नहीं, जो जूवेनाइल

ओपियोइड्स (हेरोइन) ड्रग्स लेते थे, वे सभी स्नैचिंग जैसे क्राइम में शामिल थे। इस स्टडी में यह देखा गया कि 8 से 12 साल के बीच में 6.8 फीसेंट, 13 से 14 साल के बीच में 18 फीसेंट, 15 से 16 साल के बीच में सबसे ज्यादा 20.2 फीसेंट और 17 से 18 साल के बीच में 14.3 फीसेंट जूवेनाइल भांग का सेवन करते थे।

तंबाकू

इस स्टडी में शामिल 86 फीसेंट यानि 421 जूवेनाइल नशों के आदि थे। सबसे ज्यादा 25.6 फीसेंट जूवेनाइल तंबाकू को ड्रग्स के तौर पर सेवन करते थे। वहीं 17 फीसेंट भांग के आदी थे। 15.8 फीसेंट अल्कोहल, 13.3 फीसेंट ओपियोइड्स यूजर, 10.6 फीसेंट इनहेलेंट्स यूजर थे। स्टडी करने वाले सायकियाट्रिक ने निष्कर्ष में कहा है कि जितना नशे का लेवल हाई था, क्राइम भी उतना ही बड़ा था। इन दिनों ड्रग्स को लेकर पूरे देश में चर्चा हो रही है, दिल्ली सरकार ने भी ड्रग्स यूजर टीनेजर्स को इससे बाहर निकालने के लिए चार मंबर की कमिटी बनाई है। हालांकि मुश्किल यह है कि कई ड्रग्स बाजार में खुलेआम बिक रहे हैं।

Nav Bharat Times (H), July 19, 2016, P. 6

(Drug Addiction/ Juvenile Crimes/ Study Report)

4,700 children missing in NCR

MHA Tells House 60% Of Them Girls, Delhi Has Max Share

Dipak Dash
@timesgroup.com

New Delhi: Little over 4,700 children who went missing from the National Capital Region (NCR) in the past two-and-a-half years remain untraced and over 60% of them are girls. According to data provided by home ministry, a total of 21,187 children and majority of whom were in the age group of 12-15 years went missing during this period while 16,477 have so far been traced.

Delhi had the maximum share of missing children in the region. Minister of state for home affairs Kiren Rijiju told Rajya Sabha that 70% of the children missing in Delhi were traced within a week. He added that the tracing of the missing children has been improving especially since 2015.

Quoting an analysis of why so many children are going missing conducted by Delhi Legal Service Authority, Rijiju said 30.2% children left on their own. Peer pressure was responsible for 14.5% such cases and elopement cases were 11.3%. Even academic pressure is found to be a reason in 10.7% cases and lo-

SLIGHT DIP IN NUMBERS, STILL A GRIM PICTURE



osing their way resulted in 8.5% of such cases.

Family circumstances was responsible for 8.2% and scolding by parents forced 7.2% children to flee from home. Rijiju said unsound mind resulted in children going missing in 4.1% cases and other reasons were responsible for the remaining 5% cases.

Responding to Congress MP from Delhi Parvez Hash-

mi's question whether there is fund crunch for police to visit other states to trace the missing children, Rijiju said that state police forces cooperate with each other and there is no crisis of fund. He added while the rate of recovery of children should be appreciated, it is indeed a matter of concern that many are still missing.

The minister said that they have appointed juvenile

welfare officers to closely coordinate with units in the police station and to work with various NGOs. "There are various NGOs that are being incorporated into this whole effort. So, we are trying to not only rescue or track them back, but also prevent such incidents from happening, because the NCR alone has a large number of cases reported with regard to missing children," Rijiju said.

The Times of India, July 28, 2016, P. 7
(Missing Children/ MHA Data)

5. Schemes/Programmes relating to Women and Children

5.1 Schemes/Programmes/ICDS/Mid-Day Meal (Mudra Scheme/ Women Beneficiaries/ Family Planning/ Surakshit Matritva Yojana/ Health Scheme/ Girl Child Scheme/ Ladli/ Swarn Jayanti Bal Doodh Yojana/ MDM

8 of 10 Mudra scheme borrowers are women

INCLUSION WORKS Account for 27 million loans, also make up a 'sizeable portion' of the 18.4 million borrowers from backward classes

Mahua Venkatesh
mahua.venkatesh@hindustantimes.com

NEW DELHI: Almost 8 out of 10 borrowers under the government's ambitious Pradhan Mantri Mudra Yojana (PMMY) are women, 27 million of whom took loans through the scheme meant to promote credit to micro enterprises.

As of May 31, 2015, financial institutions had lent to a total of 35 million borrowers, according to government data. Also, 18.4 million of the total borrowers were from backward classes, with a "sizeable" number women in this category also.

Credit under the Mudra scheme, launched in April last year, is aimed at non-corporate small businesses (NCSB) and creating income to hedge the uncertainties arising in the agriculture sector.

Data collated by the public sector banks also revealed that several of these borrowers are not new entrepreneurs and have availed the benefit as a "top-up" loan.

"This is one of the reasons why there is a large number of women borrowers and in many cases, it has been seen that the loan has been taken to set up some small business and support the existing farm business and the income that comes from that," said a senior official at a large public sector bank.

The reason for the higher



number of women borrowers can also be ascribed to the participation of micro-finance institutions (MFIs) also. SKS Microfinance, which solely lends to women borrowers, had given out loans to 7.75 million borrowers as of March 31, 2016.

"Women are more disciplined borrowers and tend to take small loans for productive purposes. This means that their repayments are also on time making them a good target for such schemes," said S Dilli Raj, president, SKS Microfinance.

By March-end non-banking MFIs, on a whole had, lent to over 20 million borrowers, accounting for almost 65% of the total borrowers.

While the government has exceeded their lending target, they have been asked to focus on borrowers from the backward classes.

Banks have also been asked to ensure that the scheme is publicised appropriately.

Under the Mudra scheme, loans of up to a maximum of ₹10 lakh can be availed.

"We are happy that women have come out in large numbers to avail this benefit, we are keeping an eye on the progress of this scheme including the recovery," said a finance ministry official. He added that the status of the recently-launched schemes such as Stand Up India, Start India besides the social security programmes are being monitored carefully.

ARVIND YADAV/HT FILE

Hindustan Times, July 6, 2016, P. 23
(Mudra Scheme/ Women Beneficiaries)

जनसंख्या रोकने के उपाय हुए बेदम

■ ज्ञान प्रकाश

नई दिल्ली। एसएनबी

आज विश्व जनसंख्या दिवस है। जनसंख्या विस्फोट की रफ्तार रोकने और परिवार नियोजन संसाधनों के मामले में परिवार कल्याण निदेशालय के अधिकांश अभियान बेदम साबित हुए हैं। जननी सुरक्षा योजना, जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम, मातृ शिशु सुरक्षा योजना, एडलोसेट हेल्थ, वॉकली आयरन एंड फोलिक एसिड सप्लीमेंटेशन प्रोग्राम जैसे अभियान में जरूर सफलता मिली है लेकिन सरकारी केंद्रों में परिवार नियोजन संसाधन को मुहैया कराने में विभाग विफल रहा है।

विश्व जनसंख्या दिवस की पूर्व संख्या पर, पॉपुलेशन हेल्थ सर्वे के अनुसार परिवार नियोजन एवं सरकारी केंद्रों में मुफ्त में दम्पतियों को वितरित किए जाने वाले संसाधनों को टोटा रहा है, जिन कुछेक डिस्पेंसरियों, स्त्री एवं प्रसूति केंद्रों में 'कंडोम' गर्भनिरोधक गोलियां थीं भी, वे भी गुणवत्ताहीन। इस मामले में मरीजों के साथ ही लोगों को सुझाव देने वाले फिजिशियन व प्रसूति रोग विशेषज्ञ भी खुलकर सरकारी केंद्रों पर मिलने वाले परिवार नियोजन संसाधनों का प्रयोग करने से बचने की सलाह देते हैं।

राजधानी में एलोपैथ डॉक्टरों की संस्था दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन (डीएमए) ने बकायदा जागरूकता अभियान तक चलाया। इसके तहत दम्पतियों को यह राय दी गई कि वे यदि जनसंख्या की रफ्तार रोकना चाहते हैं तो नायचीन कंपनियों के उत्पादों का ही प्रयोग करें। एक बच्चे के अन्तराल और शादी के बाद पहले बच्चे के मध्य देरी आदि के स्वप्न को साकार करने के लिए भी ऐसा ही करें।

परिवार नियोजन केंद्रों पर संसाधनों को टोटा

467 केंद्रों में उपलब्ध निरोध को 67 फीसद लोगों ने

इस्तेमाल करने से किया इनकार

परिवार नियोजन केंद्रों की दयनीय हालत

दिल्ली सरकार, दिल्ली छावनी परिषद, एनडीएमसी, एमसीडी एवं केंद्र सरकार के तहत दिल्ली में 467 चिकित्सालय में परिवार नियोजन क्लिनिक स्थापित किए गए। वर्ष 2015-16 में 2 लाख 11, 234 लोग परिवार नियोजन संबंधी जानकारी लेने यहां पहुंचे थे।

यहां रहे विजिटर्स रजिस्टर में उनकी राय भी ली गई। करीब 67 फीसद लोगों ने

सरकारी संसाधन न मिलने की शिकायत की, जबकि 33 फीसद लोगों ने कहा कि हम बाजार से ही लेंगे। एक अधिकारी ने कहा कि निरोध का आकार व पैकेट आकर्षित करने वाले नहीं हैं। जिन लोगों ने हिम्मत कर इनका इस्तेमाल किया, उनका फोड बैंक लेने पर उन्होंने कहा, यह आरामदायक नहीं है।

मांग ज्यादा आपूर्ति कम

परिवार कल्याण निदेशालय के अनुसार बीते साल 9 लाख 89 हजार पैकेटों की मांग की गई, लेकिन आपूर्ति 4 लाख 898 पैकेटों की हुई। वर्ष 2014-15 में यह मांग 8 लाख 234 थी जबकि वर्ष 2012-2013 में 3 लाख 568 लाख पैकेट्स की आपूर्ति की गई।

जागरूकता या खानापूति

जागरूकता के नाम पर कई कार्यक्रम चलाए गए 'हम दो हमारे दो का नारा' छोटा परिवार, संपूर्ण परिवार' लगाया गया, लेकिन हम दो हमारे दो का बोर्ड दिल्ली सरकार के शायद ही किसी अस्पताल या दीवार पर लिखा हो। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने दावा किया कि मांग के अनुरूप परिवार नियोजन केंद्रों पर संसाधन उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया। कुछ केंद्रों में लोगों ने गुणवत्ताहीन संसाधन कहे हुए इस्तेमाल नहीं किया, जिसमें सुधार किया जा रहा है।

Rashtriya Sahara (H), July 11, 2016, P. 6

(Family Planning/ Population Control)

कैसे परवान चढ़ेगी प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना!

■ सोहना।

सहारा न्यूज ब्यूरो

गर्भ में पल रहे शिशु और मां की विशेष देखभाल व सुरक्षित प्रसव के लिए नौ जुलाई से शुरू हो रही प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना के लिए स्वास्थ्य विभाग भले ही तैयारियां पूरी होने का दावा कर रहा हो लेकिन साइबर सिटी क्षेत्र में सोहना शहर स्थित सरकारी अस्पताल और प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र घंघौला इसके लिए तैयार नहीं है और न ही किसी पीएचसी, सीएचसी में कोई खास हलचल नजर आ रही है। सरकारी अस्पताल में आने वाले रोगियों विशेषकर महिलाओं का कहना है कि अस्पताल में डॉक्टरों की कमी सबसे बड़ी समस्या है।

अस्पताल में परिजनों के साथ आई महिलाओं का कहना है कि रात को अथवा दोपहर बाद द्यूटी के कारण सुबह और ओपीडी में महिला डॉक्टर नहीं होती ऐसे में उन्हें निजी अस्पतालों का रुख करना पड़ता है। यहां अल्ट्रासाउंड, शुगर, बीपी, ईसीजी आदि प्राथमिक जांच की सुविधा भी नहीं

है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र घंघौला के अंतर्गत 80 हजार की आबादी है। बावजूद इसके एक भी लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और स्टाफ नर्स उपलब्ध नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र घंघौला और सरकारी अस्पताल

80 हजार की आबादी वाले प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र घंघौला में एक भी लैब टेक्नीशियन, फार्मासिस्ट और स्टाफ नर्स तक उपलब्ध नहीं हैं

में आने वाली सभी गर्भवती महिलाओं का चेकअप भी दंग से नहीं हो पाता है। सरकारी अस्पताल में आने वाली महिलाओं और रोगियों की सुरक्षा के लिए भी कोई इंतजाम नहीं है। चतुर्थ श्रेणी कर्मियों, सफाई कर्मचारियों, चौकीदार कम माली के पद लंबे समय से खाली पड़े हैं। अस्पताल में सैकड़ों की संख्या में रह रहे बंदरों का आतंक रोगियों के साथ-साथ अस्पताल में काम करने वाले स्टाफ को खौफजादा किए

हुए हैं लेकिन शासन-प्रशासन इस तरह कोई ध्यान नहीं दे रहा है।

गर्भ में पल रहे शिशु और मां की विशेष देखभाल व सुरक्षित प्रसव के लिए नौ जुलाई से शुरू हो रही प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व योजना को लेकर स्वास्थ्य विभाग घरातल पर काम करने को बजाय लंबे, चौड़े वादे ज्यादा कर रहा है जबकि योजना का मुख्य उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को सुरक्षित प्रसव और स्वस्थ जीवन प्रदान करना है। गर्भवस्था के दौरान बच्चे को जन्म देते समय होने वाली मातृ और शिशु दर को कम किया जा सके। योजना के तहत गर्भवती महिलाओं का अल्ट्रासाउंड से लेकर एचआईवी टेस्ट किए जाने का प्रावधान बनाया गया है जबकि सोहना के सरकारी अस्पताल में अल्ट्रासाउंड और गर्भ में पल रहे बच्चे की धड़कन मापने वाले यंत्र की सुविधा उपलब्ध नहीं है।

अस्पताल प्रभारी डॉक्टर जय भगवान का कहना है कि उनका प्रयास है कि योजना लागू होने से पहले पूरी तरह तैयारी कर लें ताकि योजना को सिरे चढ़ाया जा सके।

Rashtriya Sahara (H), July 11, 2016, P. 6

(Surakshit Matritva Yojana/ Health Scheme)

15 दिन में हर छोटे बच्चे के घर पहुंचेगा मुफ्त ओआरएस

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली : अगर आपके परिवार में पांच साल तक का बच्चा है तो अगले 15 दिनों के अंदर स्वास्थ्य कार्यकर्ता मुफ्त ओआरएस का पैकेट लेकर आपके घर आएगा। बच्चों में सामान्य दस्त की वजह से होने वाली सालाना सवा लाख मौतों पर मजबूती से अंकुश लगाने के लिए सरकार ने यह अभियान चलाया है। 'सशक्त दस्त नियंत्रण पखवाड़े' में इस उम्र तक के दस करोड़ बच्चों तक पहुंचने का लक्ष्य है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के प्रमुख सीके मिश्रा ने बताया कि खासतौर पर मानसून मौसम के महेनजर इसे सोमवार से शुरू किया गया है। इस दौरान आशा स्वास्थ्य कार्यकर्ता ओआरएस के पैकेट के साथ ही परिवार के लोगों को दस्त से बचने के उपाय और दस्त के दौरान अपनाए जाने वाले साधनों की जानकारी भी देंगे। इसी तरह दस्त पीड़ित बच्चों के लिए 14 दिन की जिंक की गोली भी मुफ्त दी जाएगी। सीके मिश्रा बताते हैं कि दस्त के खिलाफ इतने बड़े पैमाने पर विशेष अभियान चलाने का दुनिया का यह अनोखा कार्यक्रम है। पिछले साल इसे राष्ट्रीय स्तर पर शुरू किया गया था और 6.3 करोड़ बच्चों तक पहुंचा जा सका था। इसी तरह पिछले वर्ष विशेष पखवाड़े के दौरान दस्त की समस्या से जूझ रहे 21

पांच साल तक के 10 करोड़ बच्चों तक पहुंचने का विशेष अभियान

लाख बच्चों को ओआरएस और जिंक मुहैया करवाया गया था। स्वास्थ्य केंद्रों और आंगनवाड़ी केंद्रों में 3.5 लाख ओआरएस कॉर्नर बनाए गए थे। इनमें लोगों को न सिर्फ ओआरएस उपलब्ध करवाया जाएगा बल्कि इसे बच्चों को देने का सही तरीका भी बताया जाता है। यह कहते हैं कि इस साल यह अभियान और अधिक बच्चों तक पहुंच सकेगा। इस विशेष पखवाड़े के बाद भी सभी स्वास्थ्य केंद्रों, अस्पतालों और स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के पास पूरे वर्ष ओआरएस और जिंक की गोली उपलब्ध रहेगी। ओआरएस का घोल और जिंक की गोली मुहैया करवाकर दस्त से होने वाली अधिकांश मौतों को रोकना ना सकता है। अभी देशभर में दस्त के सिर्फ 54.5 फीसद मामलों में ही ओआरएस और 12 से 13 फीसद मामलों में जिंक की गोली मिल पाती है। इस अभियान के जरिये कुछ वर्षों में ओआरएस की पहुंच 70 फीसद और जिंक की पहुंच 50 से 60 फीसद तक कर लेने का लक्ष्य रखा गया है।

Dainik Jagran (H), July 12, 2016, P. 17

(Health Scheme/ ORS)

Govt plans to nurse Ladli back to health

Revamp Of Scheme For Uplift Of Girl Child In Works

Ambika.Pandit
@timesgroup.com

New Delhi: Launched with much fanfare by the Sheila Dikshit government eight years ago, the Ladli Scheme, aimed at uplift of the girl child, lost steam over time. Now, the AAP government is planning to give it a fresh lease of life.

The scheme, inaugurated in January 2008, focused on birth-registration of the girl child with the purpose of curbing female foeticide as well as arresting the alarming slide in the sex-ratio. The plan specifically targeted the economically weaker sections of the society and linked financial assistance with education up to the senior secondary level.

The AAP government's revamp strategy envisages several relaxations in the eligibility criteria and an increase in the amount given to the child when she turns 18. Among other conditions that may be removed is the one that requires that the child is born in the capital.

The move has been prompted by a steady decline in enrolment to the scheme since 2010-11. The registration figure hit the lowest in 2015-16 at 74,846. Compare this with 1,25,337 beneficiaries in the inaugural year and 1,39,823 in 2009-10. While the interest in the scheme was still strong in



BRINGING THE SMILES BACK: The deposit amount under the scheme may be considerably raised from the current ₹35,000

the next two financial years at 10,5,737 and 1,06,585 registrations, respectively, it started to wane there on. In 2012-13, there were 96,800 enrolments and the figure was even lower in 2013-14 at 89,246.

Under the scheme, the government deposits ₹35,000 in the child's name at different stages — from birth till her turning 18. She gets the money on completion of Class X, or Class XII, along with the interest earned on the fixed deposit.

The proposal to amend the scheme to make it more attractive is being finalized and may soon be brought before the cabinet, say sources. "To boost enrolment, it's been felt that

the condition of the child being born in Delhi needs to be done away with," said a source.

The deposit amount may also be considerably raised as, under the current interest rates, a deposit of ₹35,000 doesn't necessarily swell to the desired ₹1 lakh at the time of completion of the scheme. The family income cap of ₹1 lakh per annum may also be eased.

Currently, the financial assistance is provided in the form of term deposits— ₹11,000, if the child is born in hospital; ₹10,000 if born at home. Then, ₹5,000 each are added at each of the five milestones — Classes I, VI, IX, XI & XII.

The Times of India, July 14, 2016, P. 2

(Girl Child Scheme/ Ladli)

मिड-डे मील खाकर सात बच्चे पहुंचे अस्पताल



जीटीबी अस्पताल में जांच कराने के लिए बैठे बीमार बच्चे।

जागरण

स्वदेश कुमार, पूर्वी दिल्ली :

यमुना विहार स्थित दिल्ली सरकार के जनकल्याण स्कूल में मिड-डे मील खाने से कई बच्चे बीमार हो गए। उल्टी और दस्त की शिकायत के बाद इन्हें अस्पताल पहुंचाया गया। इनमें से सात छात्रों को जीटीबी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भजनपुरा पुलिस ने घटना को पुष्टि करते हुए बताया कि बच्चों की मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। यमुना विहार के बी ब्लॉक स्थित रघुवर दयाल जनकल्याण उच्चतम माध्यमिक बाल विद्यालय की दूसरी पाली में दोपहर करीब 2:30 बजे मिड-डे मील परोसा गया था। इसे खाने के तुरंत बाद ही कई बच्चों ने तेज पेट दर्द की शिकायत की। उन्हें शास्त्री पार्क स्थित जगप्रवेश चंद्र अस्पताल पहुंचाया गया। यहां से सात बच्चों को जीटीबी अस्पताल रेफर कर दिया गया। इनकी पहचान कुष्णा, अमन, सुरज, करन, अंकुश, रविचंद्र, अमित के रूप में हुई है। ये सभी छठी कक्षा के छात्र हैं। डॉक्टरों के मुताबिक उनकी हालत

पूरे जिले में एक ही उम्र से मिड-डे मील स्कूलों को पहुंचाया जाता है। अगर मिड-डे मील में शिकायत होती तो जिले भर के बच्चों पर असर होता। फिलहाल हमारे पास सात बच्चों के बीमार होने की जानकारी है। संभव है कि ये बच्चे घर से भी खाना खटकर आए हों जिसकी वजह से उनकी तबियत बिगड़ी है। फिर भी मामले की जांच की जाएगी।
-एमएल अशोक, उप शिक्षा निदेशक, उत्तर-पूर्वी जिला

खतरे से बाहर है। अभिभावकों का आरोप है कि बच्चे मिड-डे मील खाने से ही बीमार हुए हैं। बच्चों के परिजनों के साथ मौजूद अनिल कुमार ने कहा कि कई अन्य बच्चे भी बीमार हुए हैं लेकिन उन्हें जगप्रवेश चंद्र अस्पताल से छुट्टी दे दी गई है। उन्होंने इस मामले में बड़े फोटाले का आरोप लगाया है। इस स्कूल की सुबह की पाली में 1200 बच्चे हैं और शाम की पाली में 1100 बच्चे पढ़ते हैं।

Dainik Jagran (H), July 30, 2016, P. 4

(Mid Day Meal/ Unhygiene Practices)

मिड डे मील के साथ दूध भी

एक नवम्बर से शुरू होगी 'स्वर्ण जयंती बाल दूध योजना'

चंडीगढ़ : हरियाणा के सहकारिता, लेखन एवं मुद्रण तथा शहरी स्थानीय निकाय राज्यमंत्री मनीष कुमार श्रोवर ने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से आठवीं कक्षा तक के बच्चों के लिए एक नवंबर 2016 से स्वर्ण जयंती बाल दूध योजना शुरू की जाएगी। मुख्यमंत्री ने इसकी

स्वीकृति दे दी है। श्रोवर ने बुधवार को अपना कार्यभार संभालने के बाद भीड़िया से बातचीत करते हुए बताया कि हरियाणा के सहकारिता विभाग द्वारा सिरसा तथा जौंद के मिल्क प्लांटों में दूध का पाउडर तैयार किया जाएगा और इसके बाद राज्य के सभी सरकारी स्कूलों को सप्लाई किया जाएगा। उन्होंने बताया कि मिड डे मील के साथ ही एक नवंबर से स्कूलों को 200 मिलीलीटर प्रति बच्चा के हिसाब से दूध दिया जाएगा।

Rajasthan Patrika (H), July 28, 2016, P. 14
(Swarn Jayanti Bal Doodh Yojana/ MDM Scheme)

बच्चों का पेट भरने वाले रसोइया भी नहीं रहेंगे भूखे

■ सुरेंद्र प्रसाद सिंह, नई दिल्ली

सरकारी स्कूलों में छोटे बच्चों को भोजन परोसने वाले रसोइये खुद भूखे हैं। सरकार ने उनकी सुध लेने का फैसला किया है, ताकि वे भूखे पेट न रहें। उनका मानदेय हजार रुपये से बढ़कर तीन हजार रुपये किया जा सकता है। इन रसोइयों का दुख दर्द संसद में लगातार उठाने वाले केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडेय को ही अब फसला लेना है।

करीब पांच लाख रसोइये देश के सरकारी स्कूलों में बच्चों के लिए दोपहर का भोजन पकाते हैं। मिल रहे मेहनताने से परिवार तो दूर अकेले का भी पेट भरना संभव नहीं है। इस काम के लिए उन्हें प्रतिमाह केवल एक हजार रुपये मिलता है। प्रतिदिन की आय केवल 27 रुपये 39 पैसे बैठती है। विद्यालयों में सेजाना पांच से छह घंटे तक मेहनत करने वाले ये रसोइये अपनी समस्या को लेकर लगातार गुहार लगाते रहे हैं। सरकारी विद्यालयों में बच्चों

- रसोइये का मेहनताना बढ़ाकर तीन गुना किए जाने की संभावना
- विद्यालय रसोइया संघ से मुलाकात में राज्यमंत्री ने कहा, देंगे 'अच्छी खबर'

का पेट भरने वाले इन रसोइयों को साल में केवल 10 महीने ही काम मिल पाता है। दो महीने को छुट्टियों का पैसा इन्हें नहीं मिलता है। केंद्रीय मानव संसाधन विकास राज्यमंत्री डॉक्टर पांडेय संसद के तौर पर उनकी समस्याओं को कई बार उठ चुके हैं।

पिछले दिनों भारतीय विद्यालय रसोइया संघ के बैनर तले इनका एक प्रतिनिधिमंडल केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर से मिलने पहुंचा। जावड़ेकर ने उन्हें तुरंत सीधे अपने राज्यमंत्री के पास भेज दिया। रसोइया संघ से मुलाकात में राज्यमंत्री ने सकारात्मक संकेत दिया और उनको आशंकाओं को सिरे से खारिज कर दिया। रसोइया

संघ के ज्ञापन में इस बात की आशंका जताई गई कि सरकारी विद्यालयों में ताजा भोजन देने की जगह रेडीमेड खाद्य पदार्थ की आपूर्ति शुरू की जा सकती है। निजी कंपनियां और गैर सरकारी संगठनों (एनजीओ) का इस बात दबाव है। डॉक्टर पांडेय ने संघ के पदाधिकारियों से कहा कि उन्हें जल्दी ही 'अच्छी खबर' देंगे।

महंगाई को देखते हुए मिड डे मील की राशि कई बार बढ़ाई गई, लेकिन इन रसोइयों की वित्तीय हालत पर कोई विचार नहीं किया गया। संघ ने अपने ज्ञापन में मेहनताना एक हजार को बढ़ाकर पांच हजार करने और पूरे साल यानी 12 महीने भुगतान करने की मांग की है। इसके अलावा पक्की नौकरी और पेंशन की सुविधा मांगी है।

केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की 'मिड डे मील योजना' के तहत देश के सरकारी प्राइमरी स्कूलों में बच्चों को पौष्टिक भोजन देने का प्रावधान है। इसमें भोजन पकाने का दायित्व स्थानीय स्तर पर किसी महिला अथवा पुरुष को दिया जाता है।

Dainik Jagran (H), July 30, 2016, P. 3/ Rashtriya Sanskaran

(MDM Scheme/ Cook Honorarium)

5.2 Policies (Children's Helmet/ Motor Vehicle/ Fundamental Rights)

सरकार पुराने कानून की खामियों और विसंगतियों को दूर करेगी

उच्च शिक्षण संस्थानों के लिए नया कानून बनेगा

तैयारी
नई दिल्ली | पीयूष पांडेव

देश के उच्च शिक्षण संस्थानों को विश्व-स्तरीय का बनाने के लिए केंद्र सरकार नया कानून लाएगी। इसका नाम इंस्टीट्यूशन ऑफ वर्ल्ड क्लास एक्सीलेंस एक्ट (आईडब्ल्यूसीए) होगा। इसके जरिये पुराने कानून की खामियां और विसंगतियां दूर की जाएंगी।

विश्व-स्तरीय संस्थान योजना को मजबूती : केंद्र ने नीति आयोग से आईडब्ल्यूसीए लाने के मुद्दे पर राय मांगी है। आयोग के उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया 20 संस्थानों को विश्व-स्तरीय बनाने संबंधी रूपरेखा तैयार करने के साथ नया कानून लाने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपने सुझाव पेश करेंगे। आईडब्ल्यूसीए विश्व-स्तरीय संस्थानों की योजना को मजबूती देगा। इसके तहत नौ बुद्धिजीवियों का एक दल गठित किया जाएगा। इनके चयन का मापदंड उच्च शैक्षणिक स्तर और ईमानदारी होगा। दल को हर तीन साल में सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाएगा। इसके लिए सरकार संस्थानों के नेतृत्व में खोज और चयन समिति बनाएगी।

साल के अंत तक चयनित संस्थानों की घोषणा
नए अधिनियम में संस्थानों के प्रस्तावित प्राधिकार प्रमुख कार्यकारी निकाय, प्रमुख शैक्षणिक निकाय, वित्तीय प्रबंधन निकाय, भवन व कार्य समिति और शोध व नवोन्मेष महासमिति गठित होंगे। इनके लिए प्रमुख कार्यकारी निकाय में एक चेयरपर्सन और कुलपति, प्राचार्य या निदेशक, रजिस्ट्रार और मुख्य वित्त अधिकारी रखे जाएंगे। इन सभी का चयन दो साल के लिए ही किया जाएगा।

नीति आयोग तीन माह में बनाएगा रूपरेखा
नीति आयोग ने देश के 20 उच्च शिक्षण संस्थानों को विश्व-स्तरीय बनाने की दिशा में काम शुरू कर दिया है। पहली बैठक में आयोग ने उन मानदंडों पर विचार किया, जिनके आधार पर 20 संस्थानों को इसके लिए चुना जाना है। पनगढ़िया ने कहा कि हमारा प्रयास है कि इसकी रूपरेखा तीन माह में तैयार हो जाए। सरकार ने 2016-17 के बजट में इस संबंध में घोषणा की थी।

हेफा देगा 1000 करोड़ की सहायता
पनगढ़िया ने कहा कि वैश्विक स्तर के उच्च शिक्षण संस्थानों में शोध और अध्यापन पर खास और दिया जाता है। इसीलिए आयोग हरेक उस पहलु पर विचार करेगा, जो विश्व के जाने-माने शिक्षण संस्थान के शीर्ष पर होने की वजह बने हैं। याद रहे कि सरकार उच्च शिक्षण वित्तीय एजेंसी (हेफा) गठित करने का निर्णय ले चुकी है। इसके तहत संस्थानों के विकास के लिए 1000 करोड़ की पूंजी रखी गई है।

पांच साल के लिए संस्थान को कई अधिकार : सरकार द्वारा नए अधिनियम के तहत विश्व-स्तरीय श्रेणी में विकसित करने के लिए चुने गए संस्थानों को पांच साल के लिए अधिकार प्रदान किए जाएंगे। कोई भी संस्थान पहली बार पांच साल के लिए चुना जाएगा। उसके नाम पर दोबारा विचार इतनी ही अर्वाधि बाद किया जाएगा। अच्छा प्रदर्शन करने पर ही उसे आगे मौका दिया जाएगा। अधिनियम के तहत संस्थान को अपनी डिग्री देने और गैर-सरकारी स्रोतों से कोष एकत्र करने की स्वायत्तता दी जाएगी। उसे वित्तीय, प्रशासनिक और शैक्षणिक स्वायत्तता भी दी जाएगी।

Hindustan (H), July 2, 2016, P. 17

(Education Scheme/ Quality Higher Education)

4 साल के बच्चे भी लगाएंगे हेलमेट

नई दिल्ली. अब चार साल से ज्यादा उम्र के बच्चों को टू व्हीलर पर बैठते वक्त हेलमेट लगाना अनिवार्य हो सकता है। अभी तक मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 129 के तहत 12 साल की उम्र तक के बच्चों को टू व्हीलर पर बिना हेलमेट के बैठने की छूट मिली हुई थी। हालांकि, कई राज्यों में हेलमेट से छूट की उम्र 16 साल भी है।

केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय इस प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। इसके लिए पहले मोटर व्हीकल एक्ट में संशोधन करना होगा। प्रस्ताव में डीएल के साथ आरसी, इश्योरेंस व अन्य कागजातों की भौतिक प्रति रखने के स्थान पर इनकी डिजिटल प्रति को वैध करने की भी योजना है।

Rajasthan Patrika (H), July 9, 2016, P. 2

(Motor Vehicle/ Children's Helmet)

स्वास्थ्य बन सकता है मौलिक अधिकार

नई दिल्ली. स्वास्थ्य को जल्द ही मौलिक अधिकार बनाया जा सकता है। इससे पहले शिक्षा को भी हर भारतीय का मौलिक अधिकार का दर्जा दिया जा चुका है। लंबे समय से विचाराधीन राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के मसौदे को अगले महीने कैबिनेट में पेश किया जा सकता है। आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, मसौदे को गृह और अन्य सरकारी विभागों के साथ कई दौर की बातचीत के बाद तैयार किया गया है। मसौदे में राष्ट्रीय स्वास्थ्य अधिकार अधिनियम बनाने के साथ-साथ कई प्रस्ताव शामिल किए गए हैं। मसौदे में सार्वजनिक स्वास्थ्य व्यय को 1.2 फीसदी से 2.5 फीसदी करने का सुझाव दिया गया है। इसके अलावा मातृ-शिशु मृत्युदर कम करने और देश के सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुफ्त दवाएं उपलब्ध करवाने की अनिवार्यता शामिल है। इसमें मानसिक स्वास्थ्य विधेयक, गर्भावस्था अधिनियम, सरोगेसी कानून और खाद्य एवं औषधि सुरक्षा कानून की समीक्षा जैसे विषयों पर नई नीतियां बनाने का प्रस्ताव है।

Rajasthan Patrika (H), July 26, 2016, P. 14
(Health/ Fundamental Rights)

5.3 Legislation/Bills/Court orders/Fast Tract Court/POSCO (Sex Determination Ads/ Child Right Protection/ POCSCO in States/ Sexual Harassment/ Child Labour Bill/ Women in Territorial Army/ Medical Termination/ Abortion/ Rape Survivor/ Domestic Violence)



Hindustan Times, July 6, 2016, P. 13
(Sex Determination Ads/ Court Order)



The Assam Tribune, July 6, 2016, P. 3
(Child Right Protection/ Court Order)

'What is the practice in other states on POCSO'

PRESS TRUST OF INDIA
New Delhi, 8 July

Delhi High Court today asked the AAP government to get data on implementation of the Protection of Children from Sexual Offences (POCSO) Act in other states in the context of pendency of such cases and the number of prosecutors dealing with them.

A bench of Chief Justice G Rohini and Justice Sangita Dhingra Sehgal issued the direction to the Aam Aadmi Party (AAP) government while hearing a PIL which alleged that there was lack of sufficient number of independent public prosecutors in special courts handling POCSO cases.

"Delhi government to provide data regarding what is the practice followed in

other states under POCSO Act," the bench said.

It also called for a report from designated special courts regarding pendency of cases under the Act, data of cases completed since 2012 and whether the public prosecutors attached to each of these courts were able to cope with the number of cases. "Report of designated special court (Delhi) their functioning and pendency of cases and whether the public prosecutors attached to that court are able to cope up with the recording of children in 30 days and disposal of the cases within one year of taking cognisance of charge-sheet as provided under the Act," the court said and listed the matter for further hearing on September one.

The Statesman, July 9, 2016, P. 2
(POCSO in States/ Court Order)

यौन शोषण में पीड़ित लड़का भी मुआवजे का हकदार

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : यौन शोषण के मामले में हाई कोर्ट ने 13 वर्षीय पीड़ित किशोर को तीन लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया है। निचली अदालत ने मामले में किशोर को 50 हजार रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया था, जिसे उसने हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी व न्यायमूर्ति संगीता धींगरा सहगल की खंडपीठ ने पाँचसौ एक्ट की धारा 357 व अन्य का इवाला देते हुए कहा कि इस मामले में मुआवजा तय करने में निचली अदालत ने गलत आकलन किया है। बाल न्यायालय ने पीड़ित किशोर को मानव तस्करी, अपहरण व बाल शोषण मद से 50 हजार रुपये का मुआवजा प्रदान करने का निर्देश दिया था। खंडपीठ ने कहा कि निचली अदालत ने दिल्ली पीड़ित मुआवजा स्कीम 2011 का गलत तरीके से आकलन किया है। अदालत ने कहा कि धारा 33 की परिभाषा व्यापक है और अदालत को मुआवजा तय करने का असंमित अधिकार है। पाँचसौ एक्ट व अन्य धाराओं में बाल यौन शोषण के पीड़ित के अधिकार व उसकी पहचान गुप्त रखने, उसको मुआवजा प्रदान करने आदि का विस्तृत हवाला दिया गया है। अदालत ने कहा कि इस मामले में पीड़ित की आयु घटना के समय मात्र 13 वर्ष थी। उसे उसी के स्कूल के चार

• हाई कोर्ट ने 13 वर्षीय पीड़ित किशोर को तीन लाख रुपये मुआवजा देने का आदेश दिया

नाबालिग छात्र जंगल में ले गए और यौन शोषण किया। इसके बाद उसे स्कूल ही नहीं बल्कि घर तक बदलना पड़ा गया। अदालत ने अपने फैसले में माना है कि यौन शोषण के मामलों में दिल्ली पीड़ित मुआवजा स्कीम के तहत केवल पीड़ित लड़की को ही मुआवजा नहीं मिलेगा, बल्कि लड़का भी मुआवजा पाने का हकदार है।

यह था मामला : 13 वर्षीय पीड़ित किशोर महवैली में रहता था। वह इलाके के ही सरकारी स्कूल में नौवीं कक्षा में पढ़ता था। 13 अक्टूबर 2013 को उसके साथ पढ़ने वाले चार छात्र उसे स्कूल के पीछे जंगल में ले गए। जहाँ चारों ने उसका यौन शोषण किया। घटना के तीन दिन बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। जांच के बाद पुलिस ने मामले में चार नाबालिगों को गिरफ्तार किया था। चारों के खिलाफ पुलिस ने मारपीट, अप्राकृतिक कृत्य, अपहरण व पड़वंत्र रचने का मामला दर्ज किया था। चारों आरोपी पीड़ित के पड़ोसी थे, ऐसे में तंग आकर पीड़ित ने अपना घर व स्कूल बदल लिया था।

Dainik Jagran (H), July 15, 2016, P. 8
(Sexual Harassment/ Court Orders)

Explainer

STRICTER PENALTY NOW FOR HIRING CHILDREN

NEW DELHI: Hiring children below 14 years of age for any kind of work, other than in certain family-based work, is now a cognizable offence and will attract a jail term of up to two years, according to the Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Bill, 2012, passed by the Rajya Sabha on Tuesday.

The bill, which has provisions to penalise parents too, was unanimously passed. It defines children as adolescents if they are between 14-18 years in which case they can't be employed in any hazardous occupations. Labour minister Bandaru Dattatreya said the law was aimed at "total abolition of child labour".

The amended law has steeper fines and punishment. Hiring a child can attract both a jail term and fines between ₹20,000 and ₹50,000 from ₹10,000-₹20,000 earlier.

A child is allowed to help his or her family after school hours in fields, home-based work and attend technical institutions during vacations for learning skills. **HTC**

CHILD LABOUR AMENDMENT BILL PASSED

What is the bill all about?
In 1986, a law to protect children from forced labour and exploitation was enacted by the Indian Parliament. It had put a blanket ban on employing children under the age of 18 in any job. There were several protests and even trade unions cited practical difficulties, especially for poor families. The UPA government had proposed amendments to the law to allow partial relaxation. The bill is a modified version of the UPA's proposals.

What does the new bill say?
The Child Labour (Prohibition and Regulation) Amendment Bill prohibits employment of children below 14 years of age in all occupations. But it allows adolescents (ie those between 14 and 18 years of age) to work in non-hazardous occupations and processes. They can work in family-run establishments like a grocery store, but can't work in a chemical factory.

How does the new law take care of education for children?
The new law, while giving some relaxation for employment,

makes it mandatory that the child can help his or her family and a family enterprise only after school hours or during vacations.

What if a family or an employer is found violating the law?
In case of violation, only the employer will be held responsible. He may pay up to ₹50,000 as penalty and face imprisonment between six months and two years. For subsequent offence, the penalty will be imprisonment between one and three years.

What happens when a child is rescued from forced labour?
It will be the responsibility of the state government concerned to rehabilitate the child. The government will give ₹15,000 and add the fine from the employer to help in the child's rehabilitation.



Hindustan Times, July 20, 2016, P. 9
(Child Labour Bill/ Bill)

'महिलाएं प्रादेशिक सेना में शामिल हो सकती हैं'

नई दिल्ली | प्रमुख संवाददाता

केंद्र सरकार ने सोमवार को हाईकोर्ट में कहा है कि महिलाएं भी प्रादेशिक सेना (टेरिटरियल आर्मी) में शामिल हो सकती हैं। सरकार ने कहा है कि महिलाओं को प्रादेशिक सेना में मानद उपाधि देने पर भी विचार किया जाएगा। प्रादेशिक सेना आर्मी के बाद बचाव दल वाली दूसरी पंक्ति की सेना है और इसमें अब तक सिर्फ लाभप्रद तरीके से नौकरी कर रहे पुरुषों की भर्ती होती थी।

चीफ जस्टिस जी. रोहिणी और जस्टिस संगीता दीग्रा सहगल की पीठ के समक्ष सरकार ने एक जनहित याचिका के जवाब में दाखिल हलफनामे में यह जानकारी दी है। याचिका में प्रादेशिक सेना में महिलाओं को भी शामिल करने की मांग की गई है। सरकार ने पीठ को बताया है कि प्रादेशिक सेना में महिलाओं के आवेदकों के भर्ती और योग्यता में किसी तरह का कोई भेदभाव नहीं है। साथ ही कहा है कि इसमें महिला अधिकारियों को ब्रिगेरियर के पद तक पदोन्नति दी जाती है जो इस सेना में सबसे उच्च पद है। जहां तक पिछले साल प्रादेशिक सेना में भर्ती होने के लिए विज्ञापन का सवाल है तो केंद्र सरकार ने कहा है कि वह सिर्फ पैदल सेना इकाई में भर्ती के लिए था। सरकार ने इसे प्रादेशिक सेना अधिनियम के तहत नीतिगत फैसला बताते हुए कहा है कि इसमें संशोधन तभी किया जा सकता है।

Hindustan (H), July 26, 2016, P. 5
(Women in Territorial Army/ Court Orders)

कानून का पेंच

नियम-कानून लोगों की सुविधा के लिए होते हैं। यही नियम अगर लोगों के लिए मुसीबत का सबब बन जाएं तो इन्हें बदलने का लेकर बहस छिड़ जाती है। ऐसा ही फिलहाल मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी अधिनियम के साथ हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर एक महिला ने इस कानून को चुनौती दी है। इसपर सर्वोच्च अदालत ने केंद्र और महाराष्ट्र सरकार से राय मांगी है।

मांजूदा नियम

- 12 सप्ताह के गर्भ का किसी एक डॉक्टर की राय पर स्वास्थ्य संबंधी कारणों से हो सकता है गर्भपात
- 12 से 20 सप्ताह तक दो डॉक्टरों की सलाह पर कुछ विशेष स्थितियों में ही गर्भपात की अनुमति
- यदि मां की जान को खतरा। शारीरिक या मानसिक चोट की स्थिति में।
- यदि बच्चे को हो किसी प्रकार का शारीरिक या मानसिक जोखिम।
- नाबालिग लड़की मा-बाप की अनुमति से करा सकती है गर्भपात
- संरक्षकों की अनुमति से मानसिक रूप से विकसित गर्भपात को है मंजूरी
- असफल नसबंदी के परिणामस्वरूप हुए गर्भ को गिराने की है अनुमति

क्या है मामला

एक महिला ने दाखिल की है सुप्रीम कोर्ट में याचिका। कहा उसके पूर्व मंगेतर ने शादी का वायदा कर नहीं की उससे शादी। लिहाजा उसने 24 सप्ताह के गर्भ को गिराने की मांगी है अनुमति। 20 सप्ताह के गर्भपात की समय सीमा को हटाने की कर रही है मांग।

1971 से पहले गर्भपात था गैर-कानूनी

1860 में आई भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) के मुताबिक गर्भपात गैर-कानूनी था। ब्रिटिश साम्राज्य में ऐसा करने या कराने पर तीन से सात साल की सजा का प्रावधान था। आजादी के बाद गर्भपात पर सरकार ने विचार किया। साथ ही इसे जनसंख्या नियंत्रण को जरूरी मानकर परिवार नियोजन बोर्ड ने 1964 में इसके सामाजिक, कानूनी और नैतिक पहलुओं को खंगाला। चर्चा की। इसके लिए महाराष्ट्र के तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री शांतिलाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन हुआ। समिति ने 1966 में अपनी रिपोर्ट केंद्र को सौंपी।

1971 में बना कानून

समिति ने रिपोर्ट में कहा आइपीसी गर्भपात को लेकर बेहद सख्त। गर्भपात के नियमों में लचीलेपन की हुई मांग। समिति की सिफारिशों को ध्यान में रख कर बनाया गया 1971 में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेग्नेंसी कानून। 1975 और 2002 में किए गए इसमें संशोधन।

क्यों उठ रही संशोधन की मांग

- सौन शोषण के बढ़ते मामलों, निर्णय लेने में असमर्थता और सामाजिक दबावों के चलते हो रहे गैर-कानूनी रूप से गर्भपात
- प्रशिक्षित डॉक्टरों के अभाव में झोलाछाप कस्बा रहे हैं गर्भपात। बढ़ रहा है जोखिम
- बढ़ती बीमारियों, मानसिक और शारीरिक कष्टों से पीड़ित बच्चे को जन्म नहीं देना चाहते हैं मा-बाप

अन्य देशों में प्रावधान

- कनाडा:** किसी भी स्थिति किसी भी समय गर्भपात करवाया जा सकता है।
- मेक्सिको:** विभिन्न प्रांतों में अलग कानून। मां या बच्चे को जोखिम और दुर्घटन की स्थिति में गर्भपात को है अनुमति। 12 सप्ताह तक ही हो सकता है गर्भपात।
- ब्राजील:** मां की जान को हो जोखिम या दुर्घटन से हुए गर्भ का ही हो सकता है गर्भपात
- जर्मनी:** दुर्घटन के मामले में 12 सप्ताह तक गर्भपात की अनुमति। इससे अधिक समय के गर्भ का तर्का हो सकता है गर्भपात जब मां या बच्चे की जान को हो जोखिम
- ब्रिटेन:** विभिन्न कारणों के चलते 24 सप्ताह तक कराया जा सकता है गर्भपात। इसके लिए चाहिए दो डॉक्टरों की मंजूरी। मंजूरी की शर्त को हटाने की तैयारी में है ब्रिटेन।
- आयरलैंड:** गर्भपात कराना था गैर-कानूनी। 2012 में इस कानून के चलते गई भारतीय डॉक्टर सविता हलायनवार की जान। 2013 में बदला कानून। मां की जान को हो जोखिम तो कराया जा सकता है गर्भपात।
- चीन:** किसी भी समय किसी भी स्थिति में कराया जा सकता है गर्भपात।

Dainik Jagran (H), July 22, 2016, P. 19

(Medical Termination/ Pregnancy Legislation)

Govt may allow 24-week abortion

TEENA THACKER
NEW DELHI, JULY 26

Abortion till 24 weeks may soon become legal in India, but only under special circumstances. This is four weeks more than the 20 weeks now permitted. The government, in newly-proposed amendments to the Medical Termination Act, has suggested enhancing the period of abortion for the "vulnerable", including the physically challenged, rape victims, mentally challenged and cases where there is a threat to the child or the mother. The draft law, which is likely to come before the Cabinet soon, will also permit homeopaths and midwives to carry out "non-invasive" termination of pregnancy.

"After taking into consideration all the comments and suggestions by other stakeholders, we are ready with the final draft and will soon approach the Cabinet. The amendments will extend the cap of abortion from 20 to 24 weeks, but for vulnerable categories only. The additional providers have also been added in the bill," sources in the ministry said.

On Monday, the Supreme Court, in a landmark verdict, gave permission to a 24-week pregnant woman

On Monday, the SC gave permission to a rape survivor 24 weeks pregnant to have an abortion. The order questioned the constitutional validity of the MTP Act that allows abortion only up to the 20th week.

Mumbai-based couple Hareesh and Niketa Mehta made headlines with their plea to abort their 26-week fetus diagnosed with a congenital defect. While the Bombay high court did not grant permission to the couple, the case triggered a debate on the archaic law.

Government figures show that of the six million abortions conducted every year in India, 55-60 per cent are unsafe, with younger people becoming prey to the complications. Unsafe abortions contribute to 8.8 per cent of the total maternal deaths.

The MTP Act in India came into existence in 1971 and was amended in 2003 to facilitate better access to women.

After much dilly-dallying, the government is now ready with a new set of amendments. Significantly, the women and child development ministry, the National Commission for Women and other women's groups have so far backed the draft bill.

"Approximately 64 per cent of the responses received by the ministry, including the ministry of women and child development and the National Commission for Women, are in favour of the draft. Women's organisations too have supported it," a source said.

The Asian Age, July 27, 2016, P. 5

(Abortion/ Rape Survivor/ Court Orders)



Hindustan Times, July 27, 2016, P. 11
 (Child Labour Bill/ Legislation)



Rashtriya Sahara (H), July 30, 2016, P. 4
 (Domestic Violence/ Basic Allowances)

5.4 Budget Allocation/Funding (MGNREGA Wages)

After SC rap, payment schedule for MGNREGA workers improves

PAYTIME Govt figures indicate 62% workers were paid within 15 days of completion of work

Saubhadra Chatterji
letters@hindustantimes.com

NEW DELHI: More workers are getting paid on time under the MGNREGA rural job scheme after the Supreme Court and Prime Minister Narendra Modi cracked the whip, as late payment threatened to derail India's biggest anti-poverty project.

Delayed wages had been a major reason for beneficiaries opting out of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act (MGNREGA), which brings work to millions of poor people in the countryside. It defeated the purpose of generating employment during distress in rural areas.

But the payment schedule has improved substantially of late.

According to government figures, 62.21% of MGNREGA workers have been paid their dues within 15 days of completion of their work during April-June this year — the best performance since the

scheme was introduced a decade ago. That's a 65% jump, compared to 37.65% of workers getting their money on time in 2015.

The sharp rise in timely payment came after the Supreme Court pulled up the government over unpaid wages two months ago. "It's meaningless to have welfare

schemes if affected persons do not receive assured benefits on time," said a bench headed by Justice MB Lokur, hearing a petition on drought.

There are 27.76 crore registered MGNREGA workers and payment punctuality is imperative because successive droughts had shrivelled

farm income.

"It's not sufficient to say so much has been allotted under a scheme. Those who worked under MNREGA are waiting for money. Why should people work without being paid? You can't tell somebody to work today without money, which will be given after three months," the court said.

The top court's rap forced the government to improve the payment schedule and cut delays.

Prime Minister Modi stepped in too, hauling up officials at review meetings with the rural development ministry, sources said. He asked them to ensure timely payment and create assets under the MGNREGA.

"Instead of waiting for the states to disburse money, we sent money directly to banks for disbursal of wages into the accounts of beneficiaries. We started an internet-based master roll of workers and monitored the system rigorously," a rural development official said.

PERFORMANCE CARD

PERCENTAGE PAYMENT IN 15 DAYS

2016-17	62.21
2015-16	37.65
2014-15	26.85
2013-14	50.09
2012-13	50.09

27.67 cr Total number of people seeking work	10.9 cr Total number of active workers	72.93 cr Person days generated in April-June 2016
--	--	---

Hindustan Times, July 10, 2016, P. 9
 (MGNREGA Wages/ Budget Allocation Funding)

5.5 Schemes/Programme -Miscellaneous issues (Jan Dhan Yojana/ Stand Up Scheme/ Divyang Orphan/ Pension Scheme)



Hindustan Times, July 27, 2016, P. 23
(Jan Dhan Yojana/ Stand Up Scheme)



Amar Ujala (H), July 28, 2016, P. 10
(Divyang Orphan/ Pension Scheme)

Acknowledgement

<i>Guidance and Support</i>	:	Dr. Dinesh Paul Director
<i>Project Incharge/s</i>	:	Smt. Vandana Thapar Joint Director Vandana Sharma Assistant Director
<i>Compilation</i>	:	Astha Chandra Project Assistant
<i>Computer Assistance</i>	:	Sandeepa Computer Operator
<i>Assistance in Cutting and Pasting</i>	:	Chander Bhan